(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्टम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का नवां दिवस ! [संख्या 6

बृहस्पतिवार

दिनांक 12 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

राज्य के घोषित नये जनजाति क्षेत्र

164. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या जनजातीय क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में नये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित किये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या बेगूं तहसील के भी कुछ गांव जनजाति क्षेत्र में लिये गये हैं ? अगर हां, तो कौन कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) भारत सरकार के निर्देशानुसार 37 लघु खण्ड (मिनी ट्राइबल ब्लाक्स) बना करके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं। ऐसे लघु खण्डों की सूची संलग्न है।

(2) बेगूं तहसील जिला चित्तौड़गढ़ के ग्रामों का एक ऐसा लघु खण्ड बनाया गया है। ऐसे गांवों की सूची संलग्न है।

(3) इन लघु खण्डों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार को जो लघु खण्ड बना कर प्रस्ताव भेजे गये हैं उनमें कोटा जिले की किशनगढ़ और शाहबाद तहसीलें हैं, क्या उनमें गांवों के भी नाम हैं ? यदि नहीं, तो उनके बारे में क्या किया गया है ?

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि जो मिनी ट्राइबल ब्लाकों की घोषणा की गई है, उसमें लाड़पुरा तहसील को नहीं लिया गया है ?

(विराम)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने किशनगढ़ और शाहबाद का प्रश्न उठाया है, इस बारे में निवेदन करूंगा कि शाहबाद तहसील में जो सहरिये रहते हैं, उनको प्रिमिटिव ट्राइब्स माना गया है। केन्द्रीय सरकार ने योजना बनाकर उनके उत्थान का कार्य किया है। वह जो योजना है, उसका अलग से प्लान बनाया जा रहा है। उसका कार्यक्रम अलग से लिया जा रहा है। माननीय विधायक ने बताया, कोटा में लाड़पुरा नहीं लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं, ट्राइबल एरिया का अलग क्राइटेरिया है। उसकी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक ट्राइबल होनी चाहिए। जिसकी 50% से अधिक ट्राइबल जनसंख्या होगी, उसको लिया जायगा। इसमें चित्तौड़ की प्रतापगढ़ तहसील का नाम है, जिसमें 50% ट्राइबल आबादी है लेकिन सारे राजस्थान में 46% ट्राइबल आबादी होती है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने दूसरी लघु खंड योजना बनाई। जिनकी 10 हजार से कम जन संख्या नहीं हो और जहां ट्राइबल 50% से अधिक निवास करते हो वहां लघु खण्ड निर्माण किये गये हैं। यह योजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई है। वहां योजना आयोग और होम अफेयर में यह विचाराधीन है। इस प्रकार से इन ट्राइबल एरिया में यह योजना लागू हो जाएगी जिनको राज्य सरकार ने माना है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके उत्थान का कार्यक्रम क्या है? लाड़पुरा गांवों में 50% से अधिक रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान!

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूँ कि प्रश्न के खण्ड (3) का उत्तर दिया गया है कि लघु खण्डों की योजनाएं बनाई जा रही हैं तो यह कितने रुपयों की योजना हैं? ट्राइबल के अनुपात से राज्य सरकार क्या खर्च कर रही है?

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर ट्राइबल एरिया में माने गये हैं?

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले दो सत्रों में आ चुका है। अब यह तीसरी बार इस सत्र में आया है। यह कहा गया था कि भारत सरकार से मंजूरी नहीं आयी। यह मंजूरी भारत सरकार से कब तक आ जाएगी?

श्री अध्यक्ष : जल्दी आ जाएगी।

एक माननीय सदस्य : शाहबाद तहसील में ट्राइबल जनसंख्या क्या है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

उत्तर पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है...

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आ गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में वामनवास-गंगापुर, बामनवास-नादौती, गंगापुर-नादौती, हिण्डौन, टोडाभीम, करौली, करौली-सपोटरा, महुआ, मलारना चोर, सवाई माधोपुर-खण्डार, टोडा-भीम-नादौती, इन खण्डों में लघु खण्ड निर्माण किये गये हैं। जयपुर के बारे में मैं निवेदन करूं·····

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सवाल यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : यह हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही सारा धन नहीं चला जाये।

श्री कैलाश मेघवाल: अलवर में, राजगढ़ और थानागाजी····

(व्यवधान)

जयपुर में चाकसू-लालसोट, दौसा, वसवा, जमवारामगढ़-सांगानेर, सिकराय-बसवा····

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है····

श्री कैलाश मेघवाल : राजगढ़ से आने वाले विधायक ने प्रश्न पूछा है। उनके संबंध में निवेदन है कि गत वर्ष 57 करोड़ योजना में खर्चा किया है। राज्य की योजना 2.57

(व्यवधान)

करोड़ 78-79 में राज्य की योजना 13.58 करोड़। केन्द्र सरकार की 2.45 करोड़ यह वर्तमान स्थिति है। इसके अलावा जब यह स्वीकार हो जायगी तब बनेगी।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लाड़पुरा का सर्वेक्षण हुआ या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो जन जाति विकास योजनाओं के अन्तर्गत ब्लाक्स लिये हैं, केन्द्रीय सरकार को योजना भेजी है और लघु खण्ड बनाये हैं, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी पंचायतें, जिनमें 60-70 प्रतिशत तक ट्राइबल लोग रहते हैं, के बारे में भी कुछ सोचा गया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवदर से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में निवेदन है कि जिन पंचायतों की 60 हजार से कम आबादी नहीं है उनको लिया गया है। अब तक हमने 67 पर्सेन्ट तक की पापूलेशन को कवर कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No, more question please माननीय सदस्य, सरकारी उत्तर, मैं समझता हूँ पर्याप्त ही नहीं अपितु पूर्ण संतोषजनक है।

श्री नाथूराम !

वन सम्पदा जिला बांसवाड़ा

165. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला वन सम्पदा का घर था ? क्या यह सही है कि वन सम्पदा को नष्ट करने में वहां के

(श्री नाथूराम)
सम्बन्धित अधिकारियों का सहयोग होने की पिछले दो साल में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) गत दो सत्र में व वर्ष 1978-79 में बांसवाड़ा में प्लान्टेशन स्कीम के अन्तर्गत कितने पौधे लगाये गये व उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई? उनमें से कितने पौधे जीवित हैं? कितने नष्ट हुए और नष्ट हुए पौधों के लिये क्या वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है? यदि नहीं, तो यह क्यों न माना जाए कि अधिकारियों द्वारा पौधों पर व्यय राशि का दुरुपयोग किया गया है? क्या राज्य सरकार इसकी आवश्यक जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) बांसवाड़ा जिले में वन सम्पदा अच्छी थी। वन सम्पदा की क्षति के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से (सूची संलग्न) शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उदयपुर द्वारा जांच की जा रही है।

(2) गत दो सत्र व वर्ष 1978-79 में अब तक विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत 17,37,280 पौधे लगाये गये जिन पर 13,58,151रु. व्यय हुए। उन वृक्षारोपणों में जीवित पौधों की विधिवत गणना नहीं की गई है। उनकी गणना इवेल्यूएशन विभाग से करवाई जा रही है। इसके लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं। अगर इसमें कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नाथूराम : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जो शिकायतें अधिकारियों के खिलाफ पेश हुई हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई? बांसवाड़ा में जंगल आजादी से पहले इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंचती थीं। अधिकारियों ने ठेकेदारों के द्वारा सारा रिजर्व जंगल नष्ट करवा दिया। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या सरकार की नीति पहाड़ों को आबाद करने की नहीं है और मैदानी क्षेत्रों में जंगल लगाने की सरकारी नीति नहीं है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में जंगल लगाये गये ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि शिकायतें कब प्राप्त हुई और उन पर जो कार्यवाही की जा रही है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिकायतें जिन स्रोतों से प्राप्त हुई हैं उनकी सूची मैंने पेश कर दी है। एक शिकायत तो बिट्ठल भाई ने की…

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कब प्राप्त हुई ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरे जमाने में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री कौशल किशोर जैन : शिकायतें कब प्राप्त हुईं ? उनकी जांच करने में जान बूझकर देरी की गई। यदि यह देरी कांग्रेस के राज में हुई तो क्यों हुई ? इसकी जांच रिपोर्ट कब मिल जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मन्त्री महोदय यह घोषणा करें कि इसकी जांच कब तक करवा लेंगे ? इसकी फाइनल रिपोर्ट क्या पांच वर्षों तक आ पायेगी या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आपके पास शिकायतें कब प्राप्त हुईं ?

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है कि कौन से साल में ये शिकायतें प्राप्त हुईं ? अब तक क्यों पेन्डिंग चली आ रही हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : 76-77 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, मेरे जमाने में चार शिकायतें आईं, जिनकी सूची पेश कर दी है। एक शिकायत विठ्ठल भाई की थी जो 21-7-78 को प्राप्त हुई। दूसरी श्री भंवर लाल की 14–7–78 को, तीसरी कुछ नागरिकों के द्वारा सेवकराम, नटवरलाल द्वारा 3-7 और 20-5 को प्राप्त हुई। विठ्ठल भाई ने मस्टररोल में गोलमाल के बारे में लिखा है। श्री भंवर लाल ने गलत मस्टर रोल भरने के लिये और नागरिकों की तरफ से पदोन्नति और स्थानान्तरण के बारे में है। उनका यह कहना है कि रिश्वत लेकर किया गया। इन शिकायतों की जांच करवाई जा रही है। जल्दी ही जांच के नतीजे से अवगत करा दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न यह है कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे आई.पी.सी. के तहत आती हैं। सारी की सारी शिकायतें गबन और घोटालों की हैं इसलिए उनको पुलिस डिपार्टमेंट को भेज देना चाहिये। क्या आप इससे सहमत हैं ? वह इसकी जांच कर लेगा कि वास्तविकता क्या है, क्या नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि वन विभाग प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, वन क्षेत्र खतम होता जा रहा है और जंगलात अधिकारी काश्त की जमीन में बबूल उगाकर उसको रोके जा रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जब आपके पास शिकायतें आईं और जंगल बरबाद हो रहे हैं तो क्या आप उन अधिकारियों को पहले सस्पेण्ड करके कार्यवाही करेंगे ? अब तक यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री कौशल किशोर जैन : 76 में जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनकी जांच के सम्बन्ध में भूतपूर्व सरकार ने क्या कार्यवाही की और आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक हीरा ठेकेदार है उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। जनता पार्टी के भूतपूर्व

(श्री नाथूराम)
अध्यक्ष ने शिकायत की थी, वन विभाग ने उसको नहीं सुना तो एण्टीकरप्शन को दी गई। मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि करोड़ों की वन सम्पदा नष्ट की जा चुकी है, केसरीचन्द ने यह शिकायत की थी उसका क्या परिणाम रहा ? इस सूची में उसका नाम क्यों नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : 76–77 में आपके पास शिकायतें आई हैं, क्या आपने कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया है और किया है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री श्योपत सिंह मक्कासर (हनुमानगढ़): जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद घोटालों का जिक्र हो रहा है, इसलिये मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि कितने पेड़ लगाये गये, उनमें से कितने मर गये और कितने जिन्दा हैं ? क्या आपने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है या नहीं की है ? इन 15 महीनों के शासन में आपने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा रखी जाय। बांसवाड़ा के तमाम जंगलों को नष्ट कर दिया और

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): मुख्य मंत्री ने कई बार कहा है कि······

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : 15 महीने में क्या कार्यवाही की गई ? क्या आपने एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस में क्यों नहीं देते, गबन और घोटालों के मामले आप क्यों नहीं तय करते हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले मुख्य मंत्री श्री हरि देव जोशी से सम्बन्धित है। उन्होंने जान बूझ कर ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर लाखों रुपये के जंगलात बरबाद किये हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आधे घंटे की चर्चा रखी जाये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : What is your action ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द अवश्य कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री श्योपत सिंह का प्रश्न था, मैं समझता हूं कि यह अधिकांश घोटाला भूतपूर्व शासन के समय का है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोटाला अब का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने भूतपूर्व शासन के बारे में कहा था। शासन से अमूमन गलतियां हुआ करती हैं। गलती करना कोई असाधारण या अजनबी बात नहीं है। इस सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जो भूतपूर्व शासन ने अनियमितता या घोटाला किया है, उसके सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से शीघ्रातिशीघ्र जांच कराये। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पौधे लाखों रुपये खर्च करके लगाये गये थे, उनमें से क्या 5 प्रतिशत पौधे भी जीवित हैं या समस्त नष्ट हो गये ? इसकी जानकारी की जाये। तीसरी बात यह कि "बीती ताहि बिसार दे और आगे की सुधि ले" इस बात को चरितार्थ करते हुए, क्या सरकार अपनी नीति इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए तैयार है ? काबिल काश्त जमीन और लोगों के घरों के पास की जमीन पर खड्डे खोद कर प्लांटेशन नहीं कराया जाये। काबिल काश्त जमीन पर, जहां आदिवासियों के पास जमीन नहीं है, वहां पर जंगलात विभाग आ कर कब्जा कर लेता है तो यह कोई योजनाबद्ध नीति सरकार की नहीं है। यह अत्याचार है। ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार नीति निर्धारित करके अपने कर्मचारियों को आदेश देगी कि काबिल काश्त जमीन पर प्लांटेशन करके जंगलात विभाग कब्जा नहीं करे ?

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : घोटाले की बात को आप जिस तरीके से उठाना चाहें, उठा सकते हैं। सदन की इच्छा हो तो कर सकते हैं। सदन सुप्रीम है।

(व्यवधान)

यह अफारेस्टेशन के नाम से डीफारेस्टेशन और डेस्ट्रक्शन है। इस बात पर बहुत गम्भीरतापूर्वक सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। चाहे इधर की सरकार हो, चाहे उधर की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यह जन हित का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय, निष्पक्ष जांच करवायें, तो मैं साबित कर सकता हूं कि कहां कहां पहले जंगल था और वह साफ हो गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने कितनी शिकायतें कीं इससे पहले ?

श्री रतनलाल वर्मा : सैकड़ों शिकायतें की हैं। पहले भी की हैं और अब भी कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा नहीं होगी। स्थान ग्रहण करें।

श्री जीथिंग !

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि शासन के द्वारा जिस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है : आदिवासी क्षेत्र में आप वन की तरफ देखें तो सारे वन खतम होकर मरुस्थल बनते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय, सरकार की नीति इसी सत्र में व्यक्त करें तो ठीक होगा।

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर) : यह सारा भ्रष्टाचार का प्रश्न है । वन विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ?

(व्यवधान)

आप की आयोगों की सरकार है, आप इसकी जांच के लिये भी एक आयोग बिठा दीजिये ताकि जांच कर ली जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

मंत्री महोदय ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में चर्चा करने के लिये अगर कोई समय रख दें तो मैं तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारा प्रश्न आधे घंटे की चर्चा में लिया जाय । मैं तो कहता हूं कि इधर के और उधर के, दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय से खुल कर इस बारे में बहस करें तो सरकार को भी पता लगे कि क्या हो रहा है । सरकार को जानकारी देने के पश्चात् सरकार अपनी नीति निर्धारित करे ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही आगे चलने दें । बहुत कह दिया, अब क्या बाकी रह गया ?

श्री बहादुर सिंह ।

राज्य के बजट का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा

166. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के बजट का 40 प्रतिशत रुपया 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिये तथा 60 प्रतिशत रुपया 20 प्रतिशत शहरी जनता के लिये खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह ग्रामीण जनता के साथ असमानता का बर्ताव नहीं है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस असमानता को कब तक समाप्त कर देगी ?

(2) क्या राज्य सरकार नगर पालिकाओं के समान ही पंचायतों को भी प्रति व्यक्ति एक समान अनुदान देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) बजट खर्च का ब्यौरा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का अलग अलग नहीं रखा जाता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) अभी नहीं । पंचायतों को वर्ष 1977-78 तक 25 पैसे प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान दिया जाता था, अब इसको बढ़ा कर इस वर्ष दो रुपया पचास पैसा प्रति व्यक्ति कर दिया गया है ।

श्री बहादुर सिंह : हमारी सरकार ने एलान किया था कि हम ग्रामीण जनता की उन्नति के लिये कार्य करेंगे । मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या यह घोषणा झूठी है और पब्लिक के साथ धोखा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका

(श्री बहादुर सिंह)
स्पष्टीकरण किया जाये। हमारी सरकार ने बार-बार कहा है कि हम ग्रामीण जनता की उन्नति करेंगे, तो फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है ?

स्वायत्त शासन संस्थाओं का जहां तक प्रश्न है, ग्राम पंचायतों को आप अनुदान नहीं देते, कृषि पैदावार सारी की सारी शहर में जाकर बिकती है और उस पर टैक्स शहरों को मिलता है। इस तरह गांव और शहर की जनसंख्या में आप भेदभाव करते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि बजट में गांवों की जनसंख्या वाले····

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। माननीय सदस्य, आप बाद में बोलिये। पहले श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि चुनाव हुये 4–5 महीने हो गये अभी तक अनेक पंचायत समितियों को अनुदान नहीं दिया गया। सारे विकास कार्य बन्द पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहले आप····

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश कुमार।

श्री हरीश शर्मा : ग्रामीणों के नाम पर सारा बजट शहरी जनता को दे दिया है और शहरी जनता के लिये गांवों में कर लगाये गये हैं····

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछ रहा हूँ। क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान के अन्दर टोटल बजट का 10 फीसदी गांवों में लगा और 90 फीसदी शहरों में लगा ? इसका जवाब दें।

दूसरा 77–78 के अन्दर आपने पंचायतों को कितना पैसा दिया ?

इस वक्त 78–79 है। आपने 77-78 में कुल कितनी राशि दी ?

श्री दूलाराम : मेरा एक प्रश्न है। क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे····

(व्यवधान)

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : 80 प्रतिशत··

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वित्त मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे····

श्री कौशलकिशोर जैन : 235 करोड़ रुपयों में से कितना खर्चा हुआ है यह बताने की कृपा करें ?

श्री दूलाराम : भूतपूर्व सरकार ने 25 पैसे प्रति व्यक्ति अनुदान पंचायतों को देने के लिए पहले तय कर रखा था और उसके बाद इस सरकार ने प्रति व्यक्ति 2–50 तय किया।

(श्री दूलाराम)
यह राशि विकास कार्य बन्द करके दी गई है, क्या यह सही है····

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब की व्यवस्था करायें। मेरा डाइरेक्ट एलीगेशन है। 10 प्रतिशत गावों में लगा है।

श्री रतनलाल वर्मा : पंचायत समितियों के कर्ज में जमा कर लिया गया है, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को और नगरपालिकाओं को अनुदान देने में किस आधार पर फर्क रखा जाता है ? सरकार बार-बार एलान कर चुकी है कि बजट का 60 प्रतिशत गांवों में और 40 प्रतिशत शहरों में खर्च किया जायगा किन्तु आज मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि भेद नहीं मिटाया जा सकता। 80 प्रतिशत जनता के लिए 20 प्रतिशत बजट और 20 प्रतिशत जनता के लिए 80 प्रतिशत बजट, यह 16 गुना फर्क क्यों है ? ग्रामीण और शहरी जनता के बीच में यह फर्क किस आधार पर रखा जाता है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष श्री किशन सिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : इन सप्लीमेन्ट्री के साथ मैं भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। वित्त मंत्री ने बताया कि शहरों और ग्रामों के अलग-अलग आंकड़े नहीं होते। तो जो बहादुरसिंह जी ने प्रश्न पूछा है पर्सेन्टेज निकाल कर, क्या मंत्री महोदय उसको डिनाई करते हैं ? दूसरा, जैसा वन विभाग के मामले में किया वैसे ही इसके लिए भी आधे घंटे की चर्चा चाहे आगे रख लें। जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में भी है कि ग्रामीण और शहरी अन्तर को मिटाया जायगा। आंकड़े निकाल कर नवम्बर तक रख लें। हम इस पर डिबेट चाहते हैं। यह बड़ा वाइटल इश्यू है। इस पर आधे घण्टे की चर्चा आगे रखें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्होंने घोषणा-पत्र में रखा है···

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर सुनिये।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई प्रकार से प्रश्न किये। मैं इस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक यानि 77–78 तक पंचायतों को प्रति व्यक्ति 25 पैसा अनुदान दिया जाता था वह अनुदान 78–79 में 25 पैसे के स्थान पर 2.50 रुपये कर दिया है·····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डवलपमेंट का रुपया काट दिया····

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : इसके अतिरिक्त इस वर्ष के बजट में, यानि 78–79 के बजट में योजना तथा योजना-भिन्न विकास व्यय में लगभग 64.4 पर्सेन्ट ग्राम विकास पर खर्चा किया जा रहा है। विभागवार भिन्न व्यय का इस प्रकार का ब्यौरा इस समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अभी तक पता नहीं है कि प्रत्येक तहसील, थाना में कितने

(श्री आदित्येन्द्र)

विभाग हैं, कितना खर्चा गांवों की जनता पर किया जा रहा है या शहरों की जनता पर किया जा रहा है···

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 64.4 प्रतिशत का जो यह आंकड़ा दिया है, वह किस आधार पर दिया है····

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर: आपने जो यह उत्तर दिया कि हमको पता नहीं कितना लगता है वह सही था या···

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): 80 प्रतिशत····

श्री किशनसिंह भाटी: मास्टर जी ने पहले बताया ग्रामों और शहरों के अलग आंकड़े नहीं हैं उसके बाद डेढ़ मिनट में 64.4 प्रतिशत के आंकड़े तो आ गये। मैंने इसके लिये सुझाव दिया था कि इस पर चर्चा नवम्बर में रख दी जाये····

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है और वह सवाल बहुत स्पष्ट है। मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा और अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों को प्रति व्यक्ति 25 पैसे से बढ़ाकर आपने 2 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। मैं, मान्यवर, प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को विकास के नाम पर लोकल डवलपमेंन्ट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और दूसरे कामों के लिये प्रति पंचायत समिति लगभग अनुमानतः 3 लाख रुपया राज्य सरकार ने दिया था वह रकम आपने काट-कर पंचायतों को दो रुपये पचास पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने की योजना बना दी और उस रकम का समायोजन कर दिया। आपने अपने बजट में से एडीशनल कुछ नहीं दिया, पंचायतों की सारी रकम काट दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): इम्पार्टेन्ट सवाल है, इसका जवाब दिलवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, 64.4 पर्सेन्ट में बिजली का खर्चा बताया है तो क्या सारी बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च हो रही है? आपने गलत बताया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जनता सरकार की जहां गांवों को स्वावलम्बी बनाने की योजना है वहां इस वर्ष पंचायतों का उत्थान करने की भी योजना है। योजना के द्वारा गरीब परिवारों को आगे ला रहे हैं तो कितने गरीब परिवारों

(श्री अब्दुल अजीज)
को अब तक इस योजना के अनुरूप बना दिया है और पूर्ण रूप से कब तक बना देंगे ?

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : पंचायत मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से यह जाहिर है कि गलत कह रहे हैं। 2.50 पैसा प्रति व्यक्ति पंचायत को अनुदान दिया है, यह गलत है। यह विकास का पैसा काट कर दिया है, ऐसा पंचायत मंत्री जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने ऐसा माना है कि पंचायतों की बकाया काट कर दिया है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जीत मल।

कई माननीय सदस्य : माननीय पंचायत मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं।

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ विधायकों की ओर से जो पंचायतों के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं, मैं स्थिति साफ करना चाहता हूं। पहले वाली सरकार 25 पैसे अनुदान देती थी और अब 25 पैसे के बजाय दो रुपये पचास पैसे देना प्रारम्भ कर दिया गया है– यह स्थिति है आज अनुदान की। दूसरे मिसलेनियस डवलपमेंट काम करने के लिये 30 करोड़ के काम का अलाटमेंट हुआ है···

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जवाब तो सुनिये।

श्री दूला राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं···

(व्यवधान)

बहुत गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक स्थिति बताना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता···

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मंत्री महोदय, का उत्तर सुनिये।

श्री दूला राम : गलत जवाब देना चाहते हैं इसलिये कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : पहले जवाब सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ग्रामीणों पर चर्चा हो रही है तो इसे भी सुन तो लीजिये।···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह पुरानी बकाया इसमें से काट ली। मंत्री

(श्री मूलचन्द सामरिया)
महोदय स्टेटमेंट गलत तरीके से दे रहे हैं.।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण पहले मेरा निवेदन सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये। अगर सुनने के लिये आप तैयार नहीं हैं तो मैं अगला प्रश्न ले लूं। एक मिनट मंत्री महोदय, आप कह दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय नेता चौधरी साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के जो आंकड़े दिये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये विकास के आंकड़े उस समय के हैं जब पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुई थी और जिला परिषदों से विकास के धीरे-धीरे सभी काम छीन लिये थे। जब जनता सरकार को राज्य मिला तो उसके बाद···

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अशोक मेहता कमेटी का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार पंचायतों को जनतंत्र का आधार मानकर अधिक से अधिक विकास के कामों में भागीदार बनाना चाहती है। अब पंचायतें पांच हजार की राशि तक के काम बिना ऊपर की किसी स्वीकृति के करा सकेंगी जब कि कांग्रेस राज्य में दो हजार तक के काम ही करा सकती थीं और उसमें भी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास के कार्य···

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विरोधी दल के माननीय नेता महोदय को और जितने नेता हैं उनको जैसी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, हम चाहते हैं ग्रामीण विकास के लिये पंचायतों को और जिला परिषदों को कौन-कौन से काम दिये जाएं इसमें हम आपके अनुभव को भी लेंगे ताकि कोई गलती न हो और आगे विकास के काम में जनतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार पंचायतें भली प्रकार भागीदार बन सकें। यह हम प्रयत्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बस अब चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

No more माननीय सदस्य। No more

श्री जीत मल।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा एक स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको बाद में पूछता हूं···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य नहीं, नहीं, नहीं।

श्री दूला राम : माननीय मंत्री महोदय गलत जवाब दे रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें।

श्री दूला राम : पांच हजार पहले मैंने बंटवाये थे मीटिंग में बैठकर, माननीय मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं· · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपने उत्तरदायित्व को समझें। खेद का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री जीत मल।

अरावली स्वचालित वाहन, अलवर

167. **श्री जीत मल जैन (अलवर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर में अरावली स्वचालित वाहन (जिसमें स्कूटर बनते हैं) उद्योग का उद्घाटन कौन से दिन हुआ है ?

(2) उस पर उद्घाटन से लेकर दिनांक 30 जून, 1977 तक कितना खर्चा किया गया है ?

(3) इसमें निम्न मदों पर उद्घाटन के दिन से 30 जून, 1977 तक कितना खर्चा आया :—

(क) उद्योगों के लिये भवन तथा अन्य भवनों पर।

(ख) उद्योगों की मशीनरी पर।

(ग) वेतनों, टी. ए. व डी. ए. पर।

(घ) कच्चे माल पर।

(ङ) अन्य उद्योगों से खरीदे हुए सामान पर।

(4) यह खर्चा यानि लागत किसने लगाई ?

(5) 30 अगस्त, 1978 तक कितने स्कूटर तैयार हुए और कितना लाभ मिला ?

(6) इस समय प्रति माह कितने स्कूटर तैयार होते हैं ?

(7) स्कूटर के कौन से पार्ट्स इस कारखाने में तैयार होते हैं और कौन से खरीदने पड़ते हैं ?

(8) एजेन्टों से कितनी रकम डिपोजिट कराई गई है ?

(9) उस फैक्ट्री पर कितना कर्जा है ?

(10) निष्क्रियता या घोटालों की कभी जांच कराई गई और किसी आफिसर को दण्डित किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड के स्कूटर निर्माण का उद्घाटन शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी, 1977 को किया गया।

(2) 14 जनवरी, 1977 से 30 जून, 1977 तक कुल खर्चा लगभग 30 लाख रुपया हुआ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उद्घाटन में 30 लाख का खर्चा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उद्घाटन में नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो उन्होंने किया होगा।

(व्यवधान)

आप पहले जवाब सुन लें।

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

(3) उद्घाटन के दिन अर्थात् 14-1-77 से जून 30, 1977 तक प्रश्नानुसार निम्न मदों पर खर्चा निम्न प्रकार से रहा है:—

(क) उद्योग के लिए भवन तथा अन्य भवनों के लिए कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। भवन का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका था।

(ख) उद्योग की मशीनरी पर इस दौरान कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। मशीनें पूर्व में ही क्रय की जा चुकी थीं।

(ग) वेतन, टी. ए. व डी. ए. पर खर्चा 14-1-1977 से 30 जून, 1977 तक इस प्रकार है:—

वेतन	–	8.00 लाख रुपये
टी.ए. व डी. ए.	–	0.50 लाख रुपये

(घ) कच्चे माल पर 5.50 लाख रुपये।

(ङ) अन्य उद्योगों से खरीदे गये माल पर कुल खर्चा 12.00 लाख रुपये जिसमें कच्चा माल 5.50 लाख रुपये का शामिल है।

(4) प्रश्नोत्तर संख्या (2) के अनुसार कुल खर्चा 30 लाख रुपये निम्न प्रकार लागत हेतु प्राप्त हुए :—

1. पंजाब नेशनल बैंक से 14 लाख रुपया।

2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से 5 लाख रुपये।

3. स्कूटर की बिक्री, धरोहर राशि व अग्रिम से प्राप्त 11 लाख रुपये।

(5) 30 अगस्त, 1978 तक कुल 1,368 स्कूटर तैयार हुए और कुल हानि लगभग 73 लाख रुपया हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर: लाभ ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : लाभ में तो कोई छोड़ कर ही नहीं गए।

श्री दूलाराम : आपको छोड़ा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उत्तर सुन लीजिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : रसोई तैयार कर गए हैं, भोजन आप करोगे।

श्री रतनलाल वर्मा : यह कारनामे सुन लो अपने।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (6) गत 6 माह अर्थात् अप्रेल 1978 से सितम्बर, 1978 का औसत उत्पादन 55-56 स्कूटर प्रति माह हुआ।

(7) स्कूटर के लिए कच्चा माल खरीदना पड़ता है और तत्पश्चात् कारखाने के विभिन्न कार्य स्थलों पर लगभग 150 कम्पोनेन्ट्स पर भिन्न-भिन्न तरह से कार्य होते हुए अन्तिम विधि तक पहुंच कर पक्के माल के रूप में स्कूटर का निर्माण होता है। इस कारखाने में तैयार होने वाले स्कूटर के कुछ पार्ट्स निम्न प्रकार हैं :–

1. फोर्जिंग्स:–किक स्टार्ट पैंडल, मैन गेयर, ग्रुप, ले-साफ्ट, लीवर गेयर चैंज, कन्ट्रोल लीवर, साफ्ट किक स्टार्ट इत्यादि।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

2. कास्टिंग्स:-क्रेंक केश, क्रेंक केश कवर, हैन्डल वार, फ्लन्ज, सिलेन्डर हैड आदि।

3. वार कम्पोनेन्ट्स:-बुश, स्प्रोकेट, साफ्ट क्लच लीवर, पिस्टन किक, किक स्टार्ट, स्टेरिंग इत्यादि।

4. सब-असेम्बली :-क्रेंक साफ्ट असेम्बली, सोकेट असेम्बली, हाउसिंग असेम्बली, ब्रेकेट असेम्बली, पिस्टन असेम्बली इत्यादि।

5. फेब्रीकेशन :-मेन फ्रेम, मेनवाईप चैंसिस, सपोर्ट प्लेट, फ्यूल बैंक के लिए आदि, आदि।

6. सम्पूर्ण पेंटिंग का काम।

7. सम्पूर्ण इंजिन बनाने का काम।

8. सम्पूर्ण स्कूटर असेम्बली का काम। खरीदे जाने वाले पार्ट्स में निम्नलिखित कुछ पार्ट्स के नाम निम्न प्रकार हैं :-

स्प्रिंग, कोम्प, वाशर, नट, बोल्ट, सिक्स, रबर, सीटमेटल व नाइलोन कम्पोनेन्ट्स, चक्यरिंग, सर्विस कन्ट्रोल, केबिल, रिविट्स, इलेक्ट्रोकल केबिल, स्विच, बल्ब स्टैंड, आइल सील, गास्केट इत्यादि।

(8) अब तक एजेन्टों (डीलर्स) से डिपोजिट कराई गई राशि 1,35,300) रु. है।

(9) 30 सितम्बर, 1978 तक कुल कर्जा लगभग 255 लाख रुपया है।

(10) निष्क्रियता व घोटालों का कोई मामला कम्पनी के सामने नहीं आया है। अगर ध्यान में लाया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओंकार लाल चौहान : ऐसा प्रश्न तो अतारांकित होना चाहिए था।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां): क्या इसमें कभी लाभ होने की सम्भावना है? यदि है, तो कब तक ?

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रति माह कितने स्कूटर का निर्माण करने की योजना थी ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उद्योग को किसी अन्य उद्योगपति को बेचने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस को और कब तक ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम क्षमता के 25 प्रतिशत के लगभग स्कूटर ही प्रोड्यूज कर पा रहे हैं। अभी तक इनका मार्केट पूरी तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। किसी निजी उद्योगपति को इस कारखाने को बेचे जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कलेक्टिव प्रोडक्शन में से अभी तक 25% प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कुल कितना लोस है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बताने की कृपा करें कि जो 73 लाख की हानि हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपने कहा कि निष्क्रियता और घोटाले का कोई सवाल सरकार के सामने नहीं आया तो

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

73 लाख के घोटाले के बाद भी निष्क्रियता और घोटाला, यह दोनों बातें ध्यान में नहीं आई तो आपके ध्यान में लाने का मापदण्ड क्या है ?

श्री **मनोहर सिंह मेहता** : ईमानदारी से काम करने पर तो 73 लाख का घाटा हुआ और अगर बेईमानी से काम करते तो कितने करोड़ का घाटा होता ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री **गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि 255 करोड़ का जो कर्जा है उसका ब्याज कितना होता है? जो स्कूटर बनाते हैं उस पर टोटल कीमत कितनी आती है और उसका ब्याज और टोटल रकम में क्या तालमेल रहता है ?

श्री **हरिकृष्ण** : मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि सरकार की तरफ से कितना पैसा कर्ज में लिया हुआ है ?

श्री **भंवरलाल ऐरन** (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि कुल मिला कर यह योजना कितने की थी ?

श्री **अब्दुल अजीज** : मंत्री महोदय यह बतायें··

श्री **अध्यक्ष** : उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बजरंगलाल जी ने जो प्रश्न उठाया है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जानकारी फैक्ट्री के सम्बन्ध में मैंने प्राप्त करने की चेष्टा की है और जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार क्योंकि प्रारम्भ में यह काम हुआ है, प्रारम्भ में इन्फेंसी पीरियड है, किसी भी इंडस्ट्री में इन्फेंसी पीरियड में घाटा होना अनिवार्य होता है। यह जो 73 लाख की रकम है इसमें अधिकांश पैसा ब्याज का है। माननीय श्री बजरंगलाल जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पूरा का पूरा चार्ट, अब तक की बैलेंस शीट, सारा का सारा अकाउण्ट बताने को तैयार हूं··

(व्यवधान)

श्री **ओंकारलाल चौहान** : सदन की मेज पर रख दें।

श्री **मंजूर अली** (सवाई माधोपुर) : 25 पर्सेन्ट प्रोडक्शन से केलकुलेटेड घाटा कितना बैठता है ?

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा भी माननीय सदस्य चाहें और आप निर्देश दें मैं उसके लिए तैयार हूं।

इसको जहां तक प्रोफिट में लाने की सम्भावना का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने स्तर पर इसका प्रयास किया है और सम्भावनाओं को जानने की कोशिश की है। कुछ इस प्रकार की भी चेष्टा में हैं कि अगर अरावली स्कूटर मार्केटेबल कमोडिटी नहीं बनता है तो डाइवर्शन के प्रासीजर को अपनाया जाये। इस तरह की योजना है। हमारे आर.आई.एम.डी.सी.

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
के चेयरमेन और मैनेजिंग डाइरेक्टर इसके लिए काफी प्रयत्नशील हैं। कुछ लोगों से बात भी की है और नौ हाऊ भी लेने की कोशिश की है।

जहां तक प्रोडक्शन के प्रतिशत का सवाल है निश्चित रूप से जो ब्लाक केपिटल है उस पर जो ब्याज लग रहा है वह अपनी जगह है। इसके अलावा सुपरवीजन की कास्ट भी कम नहीं की जा सकती, जब तक कि फैक्ट्री चालू है इसके अन्दर घाटे में कुछ कमी हो हम इसके लिए प्रयत्नशील तो हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएं ऐसी सम्भावना मुझे नजर नहीं आता। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मेक्सीमम लिमिट पर ले जाना इसलिए लाभप्रद नहीं है क्योंकि स्कूटर मार्केट के अन्दर अभी नहीं बिक रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : घाटा ही कम करने की बात है या मुनाफा भी करने की बात है ?

श्री मंजूर अली : हम स्कूटर की अभी 25 प्रतिशत ही पैदावार कर रहे हैं क्योंकि खपत नहीं है और यह फैक्ट्री लास में जा रही है तो मौजूदा हालात में साल भर का केलकुलेटेड लास कितना है ? केलकुलेटेड लास के आधार पर गवर्नमेन्ट सोचे कि इस कारखाने को चालू रखा जायें या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकारी उत्तर पर्याप्त है।

नैक्स्ट स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-10-78)

गुलाबपुरा सहकारी स्पिनिंग मिल के बोर्ड के गठन का मामला

43. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गुलाबपुरा सहकारी स्पिनिंग मिल जिला भीलवाड़ा के बोर्ड का पूर्ण गठन अब तक क्यों नहीं किया गया है ? राज्य सरकार इसका गठन कब तक पूर्ण करेगी ?

(2) चैयरमेन के अतिरिक्त केवल मात्र बोर्ड के एक ही सदस्य का मनोनयन राज्य सरकार ने किस हेतु किया है ?

(3) क्या बोर्ड में मान्यता प्राप्त मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि बोर्ड का डायरेक्टर होता है ? यदि हां, तो अभी तक उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

(4) सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कितने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स रहते हैं ?

(5) समान क्षेत्र में ही कार्यरत क्या कोई उद्योगपति इस सहकारी मिल का डायरेक्टर हो सकता है ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के बोर्ड का गठन दिनांक 20-3-78 को मनोनयन द्वारा किया जा चुका है।

(2) यह सही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चैयरमेन के अतिरिक्त सात सदस्यों का मनोनयन किया गया है।

(श्री कैलास मेघवाल)

(3) मनोनीत संचालक मण्डल में आवश्यक नहीं है।

(4) मनोनीत संचालक मण्डल में आवश्यक नहीं है।

(5) कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि पूर्ण बोर्ड में, संचालक मण्डल में कितने सदस्य होते हैं ? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर टाल दिया है, उन्होंने उत्तर दिया कि 7। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि संचालक मण्डल में कितने सदस्य होते हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि 1½ साल के अन्दर एक पूंजीपति, जो कि पांच-पांच स्पिनिंग मिल का मालिक है, को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में नियुक्त कर दिया गया और दूसरी ओर मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करके मजदूरों का डाइरेक्टर नियुक्त नहीं किया गया ?

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि 1½ साल पहले के संचालक मण्डल के अन्दर एक सार्वजनिक कार्यकर्ता और एक मजदूरों का डायरेक्टर था ? क्या यह सत्य है कि गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल के चैयरमेन राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हैं और उन्होंने किसी निहित स्वार्थ के कारण श्री लक्ष्मीनिवास झुंझुनूं वाला, जो कि मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, को संचालक मण्डल का सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया, यही कारण था कि आपने उनको संचालक मण्डल का सदस्य बनाया ? इन सब बातों का उत्तर देने की कृपा करें। यह मेरे चार बड़े स्पेसिफिक प्रश्न हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा: माननीय मंत्री महोदय, सरकार ने नामजद तो किया लेकिन क्या कानून में ऐसा प्रावधान है ? यदि है तो कौन सा है जिससे पूरा संचालक मण्डल भी नामजद किया जा सकता हो ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा सहकारी स्पिनिंग मिल लि. के जो उप नियम हैं, उप नियम 34 के अन्तर्गत पूरे संचालक मण्डल की रचना होती है। उप नियम 34 के अन्तर्गत 13 सदस्यों का संचालक मण्डल बनाया जाता है जिसमें अलग-अलग श्रेणी के लोग, अलग-अलग तरह के निर्वाचित मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। वर्तमान संचालक मण्डल सहकारी स्पिनिंग मिल लि., गुलाबपुरा के उप-नियम 33 के अन्तर्गत बनाये गये हैं। उप-नियम 35 को मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि कई तरह की भ्रांतियां दूर हो जाएं :–

"35– इन उप-नियमों में वर्णित कोई भी प्रावधान होते हुए भी प्रथम संचालक मण्डल की नियुक्ति राज्य सरकार 5 वर्ष के लिए कर सकेगी तथा ऐसी नियुक्ति को ऐसे समय तक बढ़ा सकेगी जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे। राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि इस प्रकार नियुक्त किये हुए संचालक मण्डल के किसी भी सदस्य के स्थान पर किसी भी समय अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भी नियुक्त करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होगा।"

इस उप-नियम के तहत 8 सदस्यों का संचालक मण्डल दिनांक 20-3-78 को राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक का दूसरा प्रश्न था कि मजदूरों का प्रतिनिधि इस संचालक मण्डल में मनोनीत नहीं किया गया यह सत्य है। पिछला जो संचालक मण्डल भूत-पूर्व शासन का गठित किया हुआ था उसमें मजदूरों का प्रतिनिधि लिया गया था लेकिन जिस समय 20-3-78 को इस संचालक मण्डल का गठन किया गया, उस समय मजदूरों का प्रतिनिधि कौन हो, इस बात पर एक विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए जो लेबर लॉ के अन्तर्गत प्रक्रिया होती है कि कौन सी यूनियन का बहुमत है उस बहुमत वाली यूनियन के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करके पिछले दिनों महीने डेढ़ महीने पहले, माननीय विधायक, जो भीलवाड़ा से आते हैं, जानते हैं, कि वहां चुनाव हुए। बहुमत पक्ष के गुमानसिंह शेखावत हैं, वह प्रतिनिधि के रूप में सामने आये हैं। उनकी ओर से प्रार्थना-पत्र भी आ चुका है। राज्य सरकार स्वयं भी बोर्ड में लेने के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है क्योंकि राज्य सरकार उप-नियम 33 के अन्तर्गत सक्षम है।

माननीय विधायक भीलवाड़ा से आने वाले का प्रश्न संख्या तीन है कि एक ही व्यक्ति पांच-पांच कम्पनी के मालिक श्री झुंझुनूं-वाला को लिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में यह प्रयोग है। इसमें विशेषतः इस क्षेत्र की और टेक्निकल बातों की जानकारी रखने वाले को मनोनीत करने का राज्य सरकार का इरादा था। इसमें अच्छा गाइडेन्स मिल सके, हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें, इसलिये उसी के तहत श्री झुंझुनूं-वाला के अनुभवों और ज्ञान का लाभ लेने के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। उनके मनोनीत किये जाने के बारे में कोई बाधा नहीं है।

श्री **कौशल किशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिन श्री लक्ष्मी निवास झुंझुनूंवाला के व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग लेना चाहते हैं वह पिछले बोर्ड में थे और 10 साल से थे। यही कारण है तो जो श्री उम्मेदसिंह आजाद और मोहम्मद सद्दीकी थे उनको क्यों हटाया गया? अगर हटाया गया तो मजदूरों का प्रतिनिधि क्यों नहीं नियुक्त किया गया?

मेरे चौथे प्रश्न का उत्तर नहीं आया इसलिए कि चेयरमैन गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट झुंझुनूंवाला के हैं और इसी कारण उनको बोर्ड में लिया।

श्री **रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूंवाला के अनुभवों का लाभ उठाने का मंत्री महोदय ने कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या घटिया किस्म की रूई खरीद कर बढ़िया रूई के नाम पर ली गयी और उसकी शिकायत मंत्री महोदय को की गयी? मंत्री महोदय क्या इसकी तत्काल जांच करवाने के लिए तैयार हैं? मैं साबित करवाने के लिए तैयार हूँ। अभी भी रूई की गांठें मिल में पड़ी हैं।

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें पूछना चाहता हूँ। जैसे झुंझुनूंवाला के एक्सपीरियेन्स का लाभ लेने का प्रयोग सरकार ने किया है तो कितने ऐसे उद्योगपति राज्य सरकार के ध्यान में है जिनका वह लाभ लेना चाहती हैं

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
को आपरेटिव सेक्टर में ? दूसरे, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि एक फैसला हो रखा है, सहकारी बाजार के बारे में कि बिना एक्ट में प्रावधान किये बोर्ड को नामजद करना गैर कानूनी है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा प्रश्न भी है। अगर सहकारिता को बचाना है तो इसे राजनीति से दूर करना होगा। आप जो नियुक्ति अध्यक्ष की करते हैं वह राजनीति के आधार पर करते हैं या योग्यता के आधार पर करते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने पहला मुद्दा यह उठाया कि भूतपूर्व संचालक मण्डल में श्री उम्मेदसिंह आजाद थे और मोहम्मद सद्दीकी थे, मैं एक स्पष्टीकरण दे चुका हूँ कि मोहम्मद सद्दीकी मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में थे। यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनके साथ मजदूरों का बहुमत नहीं है। तो मान्यता प्राप्त बहुमत किस के साथ है, उसके लिए चुनाव हुए और बहुमत सद्दीकी के बजाय गुमानसिंह शेखावत की यूनियन को प्राप्त हुआ। शेखावत ने मजदूरों के बहुमत के आधार पर मान्यता प्राप्त की है, उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

श्री उम्मेदसिंह आजाद के बारे में भी यहां पर प्रश्न किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री उम्मेदसिंह आजाद वहां की स्थानीय पंचायत समिति के एक प्रधान के रूप में थे और प्रधान के रूप में, जन प्रतिनिधि के रूप में उनका मनोनयन किया गया था। राज्य सरकार ने सब प्रधानों को हटा दिया है और अभी उनका निर्वाचन नहीं हुआ है। इसलिए जन प्रतिनिधि किसको माना जाए, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसलिए ही सार्वजनिक क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि अभी नहीं लिया गया है।

तीसरा जो प्रश्न भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा वह चेचानी के बारे में है। वह आडिटर है। इसके बारे में मुझे अभी कोई सूचना नहीं है इसलिए मैं कुछ भी निवेदन नहीं कर सकूंगा।

बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं। इस सम्बन्ध में जो फैसला है, बेशक मैं स्वीकार करता हूं कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि कितने उद्योगपतियों की इसी तरह से राय ली जाएगी। यथासम्भव जहां जहां पर राजस्थान के औद्योगिक सहकारी क्षेत्र हैं, उनमें इस तरह के अनुभवी उद्योगपतियों का लाभ लिया जाएगा उनकी पात्रता और योग्यता को मद्देनजर रखते हुए इतना ही इस समय कह सकता हूं।

माण्डल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि इस तरह की योग्यता और पात्रता के आधार पर ही नियुक्तियां की गई हैं, नियुक्तियां की जाएंगी। विवेक में कहीं कोई गलती हो सकती है तो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी राय दें, हमें कोई एतराज नहीं है।

Page No 22

(22)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

No more discussion.

आसन पैरों पर है।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका एवं नगर परिषदों के चुनाव का मामला

126. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के चुनाव कब तक करवा दिये जाएंगे ?

(2) नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों के चुनाव अब तक नहीं करवाने के क्या-क्या कारण थे ?

(3) जिला जालौर की नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(4) अगर नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना जल्दी संभव नहीं था तो 40 नगरपालिकाओं के बोर्ड क्यों भंग किये गए जब कि उनकी अवधि बाकी थी ?

(5) क्या राज्य सरकार ज्यादा समय तक नगर परिषदों में प्रशासक रखना उचित समझती है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिकाओं के आम चुनाव यथा शीघ्र करवा दिये जावेंगे।

(2) चुनाव अधिनियम में संशोधन एवं प्रक्रिया में समय की आवश्यकता होती है।

(3) चुनाव यथा शीघ्र सम्पूर्ण करवा दिये जावेंगे।

(4) इन पालिकाओं के चुनाव आपातकालीन स्थिति में कराये गये थे जबकि सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाये थे इस कारण चुनाव पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होने के कारण सरकार ने इन पालिकाओं को भंग किया था।

(5) जी नहीं।

आबकारी विभाग के सहायक जन अभियोक्ता एवं निरीक्षक

127. श्री गुलाब चंद कटारिया (उदयपुर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सहायक जन अभियोक्ता, आबकारी के स्वीकृत पद 23 हैं एवं आबकारी निरीक्षकों के प्रथम श्रेणी के पद 25 हैं, जो कि पद में, वेतन श्रृंखला में समान हैं एवं एक ही विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हैं फिर क्यों कर सहायक आबकारी अधिकारी पद पर दोनों को समान रूप से पदोन्नत नहीं किया जा रहा है, जबकि सहायक जन-अभियोक्ता ज्यादा शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) राजस्थान में कितने आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी वांछित 5 वर्ष का अनुभव एवं योग्यताएं पदोन्नति हेतु पूर्ण करते हैं ? यदि हां, तो कितने एवं यदि नहीं, तो कब तक एवं साथ ही कितने सहायक जन-अभियोक्ता आबकारी वांछित पांच वर्ष का अनुभव एवं योग्यताएं रखते हैं ? यदि हां, तो कितने एवं यदि नहीं तो कब तक ?

(3) सहायक जन-अभियोक्ताओं, आबकारी द्वारा राज्य सरकार एवं आबकारी आयुक्त को समय-समय पर समान पदोन्नति बावत निवेदन किया गया परन्तु अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है सो क्या कारण हैं एवं हुई हो, तो दर्शाया जावे ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु पद समान नहीं है। सहायक जन अभियोक्ताओं एवं आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी दोनों पदों से सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों में वर्तमान प्रावधान के अनुसार इन्हें उक्त पद के लिये विचारे जाने हेतु नियमों के परिशिष्ट–2 के अनुसार एक क्वालीफाईंग परीक्षा पास करना अनिवार्य है जो अभी तक आयोजित नहीं की जा सकी है। नियमों में से इस परीक्षा सम्बन्धी प्रावधान को हटाये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) सहायक जन-अभियोक्ता, आबकारी के वर्ग में से 3 ही व्यक्तियों को सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति का नियमों में प्रावधान है, इस कारण समान पदोन्नति नहीं हो सकती है।

(3) आबकारी विभाग में 4 प्रथम श्रेणी आबकारी निरीक्षक एवं 14 सहायक जन-अभियोक्ता 5 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हैं। पदोन्नति के लिये क्वालीफाईंग कम विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अभी तक कोई विभागीय क्वालीफाईंग परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। अतः निर्धारित योग्यताएं प्राप्त केन्डीडेट उपलब्ध नहीं हैं।

बिक्री कर की समाप्ति बावत योजना

128. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बिक्री कर समाप्ति के लिये राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? योजना कब से चल रही है और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(2) बिक्री कर पूर्णतया कब समाप्त हो जायगा तथा उसकी जगह कौनसा कर वसूल किया जाकर इसकी पूर्ति की जायगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बिक्री कर छोड़ने से जो राजस्व की हानि होगी उसे कैसे पूरा किया जाय, इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इस आय का जब तक कोई अन्य विकल्प प्राप्त नहीं हो जाय, बिक्री कर को समाप्त करना सम्भव नहीं है।

निदेशक, राज्य बीमा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव का बर्ताव

129. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री माणक चन्द मोदी, निदेशक, राज्य बीमा विभाग, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अधिकारी को श्री मोदी द्वारा परेशान एवं हरेसमेन्ट करने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि श्री मोदी ने राजकीय बीमा अधिकारियों के सामुहिक भोज में अनुसूचित जाति के अधिकारी को इस वजह से आमन्त्रित नहीं किया कि वह अछूत है?

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है कि श्री मोदी निदेशक, राज्य बीमा विभाग, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस विभाग में आरक्षित पदों का प्रतिशत पूर्ण है । इस विभाग में केवल एक ही अनुसूचित जाति का अधिकारी है एवं उसने निदेशक, बीमा विभाग द्वारा परेशान करने के संबंध में राज्य सरकार को कोई शिकायत नहीं दी है ।

(2) यह सत्य नहीं है कि अखिल भारतीय राजकीय बीमा अधिकारियों की बैठक में जो सामुहिक भोज इस विभाग द्वारा आयोजित किया गया था उसमें अनुसूचित जाति के अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है । सामुहिक भोज का आयोजन सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने आर्थिक योग से किया था जिसमें अनुसूचित-जाति एवं जन जाति के अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित थे इस सामुहिक भोज में मंत्रीगण, उच्च अधिकारी विभागीय अधिकारी मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सभी जातियों के व्यक्ति) ने एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया । उस समय जारी निमंत्रण पत्र की प्रति संलग्न है ।

पिड़ावा में डेयरी संयंत्र व दुग्ध अवशीतन केन्द्र

130. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिड़ावा में डेयरी संयंत्र व दुग्ध अवशीतन केन्द की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष कब से विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में पिड़ावा तहसील के पशुधन व दुग्ध उपलब्धि की संभावनाओं का सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो कब तक कराने का इरादा है ?

(3) क्या राज्य सरकार झालावाड़ जिले की उपेक्षित तहसील, पिड़ावा में इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में कोई योजना लागू करेगी ।

उत्तर

(1) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी नहीं, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी नहीं।

सांचोर का राजकीय पशु चिकित्सालय

131. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर के राजकीय चिकित्सा भवन एवं भवन के चारों तरफ बने 'अहाते' की मरम्मत राज्य सरकार द्वारा काफी समय से नहीं करवाई जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) अब उक्त पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत एवं उसके चारों तरफ 'अहाते' का निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पशु चिकित्सालय भवन के चारों तरफ 'अहाते' का निर्माण नहीं होने से पशु चिकित्सालय भवन की जमीन पर नाजायज कब्जा होने का पूरा-पूरा खतरा है ? अगर हां, तो उक्त अहाते का निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार सांचोर पशु चेक पोस्ट की इमारत की विशेष मरम्मत शीघ्र करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक कितनी धनराशि मंजूर की जाकर पशु चेक पोस्ट भवन की विशेष मरम्मत करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्षों में धन अभाव के कारण राजकीय पशु चिकित्सा भवन सांचोर की मरम्मत नहीं करवाई जा सकी। भवन के चारों तरफ अहाता नहीं है यह तथ्य प्रश्न के खण्ड 2 व 3 से भी स्पष्ट होता है अतः अहाते की मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) पशु चिकित्सालय भवन सांचोर की मरम्मत एवं उसके चारों तरफ अहाते का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने हेतु तखमीना के अनुसार 20,000.00 की राशि का आवंटन जिला पशु पालन अधिकारी जालौर को किया जा चुका है।

(3) पशु चिकित्सालय भवन की जमीन पर नाजायज कब्जा होने की सम्भावना है इस हेतु वहां पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सजग हैं। अहाते का निर्माण कार्य इसी वर्ष कराये जाने हेतु आवश्यक राशि आवंटित की जा चुकी है।

(4) सांचोर पशु चेक पोस्ट की इमारत की मरम्मत हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। अब इस क्रम में जिला अधिकारी से जानकारी उसके मरम्मत हेतु आवश्यक तखमीने मांगें जा रहे हैं। इनके प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हुआ तो मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष का प्रोग्राम

132. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) पिछले वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा जन प्रतिनिधियों के द्वारा कराने बाबत राज्य सरकार का क्या इरादा है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की आगामी वर्ष में अन्त्योदय परिवारों को निम्न लिखित रूप से चयन कर लाभान्वित करने की योजना है।

1. 500 तक की आबादी वाले ग्राम से तीन परिवार।

2. 501 से 1000 तक की आबादी वाले ग्राम से पांच परिवार।

3. 1001 से 1999 तक की आबादी वाले ग्राम से सात परिवार।

4. 2000 से अधिक आबादी वाले ग्राम से दस परिवार।

(2) अभी तक राज्य सरकार का जन प्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों की समीक्षा कराने का कोई इरादा नहीं है।

कृषि उपज मंडी सुमेरपुर के कर्मचारी की पदोन्नति का मामला

133. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री दिगम्बर लाल व्यास, कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति नियमानुसार 1971 की बजाय पांच वर्ष बाद सन् 1975 में हुई ? यदि हां, तो कारण क्या हैं ? इनकी सक्षम विभाग की विधिवत स्वीकृति होते हुए भी सन् 1975 में आपातकालीन आदेश आते ही पदोन्नति क्यों नहीं हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठतम होते हुए भी 13 लोगों की पदोन्नति इससे पूर्व हुई ?

(3) सुपरवाइजर पद पर वरिष्ठता सूची में इन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

(4) केन्द्रीय प्रशिक्षण प्राप्त मण्डी सचिवों का क्या कोई भविष्य है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सात साल तक कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर चुकने के पश्चात् श्री दिगम्बर लाल व्यास 1971 में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के योग्य हो गए थे। किन्तु मण्डी

(कृषि मंत्री)

समिति ने जो कि पदोन्नति के लिये निर्णय लेने में सक्षम थी इनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 9-1-74 को ही प्रस्ताव पारित किया । इसकी स्वीकृति उप निदेशक, कृषि जोधपुर ने जो कि पदोन्नति के अनुमोदन करने हेतु उस समय सक्षम थे दिनांक 18-7-75 को पदोन्नति करने की स्वीकृति प्रदान की । किन्तु तत्पश्चात् भी समिति के द्वारा पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गए । उपरोक्त परिस्थितियों के कारण श्री व्यास की पदोन्नति 1971 में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा 1975 में स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् भी नहीं हो पाई ।

(2) व (3) समिति कर्मचारी सेवा नियम फरवरी 1976 से लागू हुए थे तत्पश्चात् ही एकीकृत वरिष्ठता सूची बनाई जाकर जारी की गई । इससे पूर्व समिति कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं थी । प्रत्येक समिति अपने में अलग से एक सक्षम इकाई थी जो अपने यहां के कर्मचारी की पदोन्नति करने हेतु सक्षम थी । श्री व्यास 1976 की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठतम हैं जबकि उससे पूर्व यह स्थिति नहीं थी क्योंकि प्रत्येक मण्डी समिति अपने में एक अलग इकाई के रूप में कार्य करती थी ।

(4) वरिष्ठ लिपिकों को नियमों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है । जिसके अनुसार श्री व्यास को वरिष्ठता के आधार पर सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा । केन्द्रीय प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों के अवसर नियमानुसार प्राप्त होते रहेंगे ।

कपासन विधान सभा क्षेत्र के अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार

134. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं ? इसमें से कितने परिवारों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया ?

(2) चयनित परिवारों में कुल कितने परिवार किस प्रकार से लाभान्वित हुए ?

(3) अगर लाभान्वित कम हुए तो इसका दोष किसका है और चयनित परिवार अधिक से अधिक लाभान्वित हो, इसके लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में कुल 253 गांव हैं । इन गांवों में 1121 परिवारों का अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है ।

(2) कुल चयनित परिवारों में से 875 परिवार निम्न रूप से लाभान्वित हुए हैं :–

1.	वृद्धावस्था पेंशन	32
2.	भूमि आवंटन	269

(कृषि मंत्री)

3. रोजगार	8
4. ऋण वितरित	355
5. ऋण स्वीकृत किन्तु अवितरित	195
6. अन्य (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड)	16
कुल–	875

(3) चूंकि लाभान्वित पर्याप्त हैं अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी बचे चयनित 246 परिवारों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति करवा कर एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर लाभान्वित किये जाने की योजना है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति का मामला

135. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जनवरी, 1978 से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुछ जूनियर इन्जीनियर्स का चयन किया गया? यदि हां, तो कब कब व कितने? सूची मय नाम पते के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त चयन हेतु कितने अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया एवं उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या-क्या थीं? सूची मय मेरिट एवं तजुर्बा दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त सभी बुलाए गए अभ्यार्थियों में से कितनों का चयन किया गया एवं उन चयनित व्यक्तियों में से ऐसे कितने व्यक्ति थे जो पहले से ही डिपार्टमेन्ट में अस्थाई तौर पर कार्यरत थे? इसी प्रकार के ऐसे कितने व्यक्ति थे जिनको साक्षात्कार में बुलाया गया लेकिन वे पहले से ही कार्य कर रहे थे और उनका चयन इसके तहत नहीं किया गया? क्या इस प्रकार के अचयनित व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता कम थी या फिर उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं था या मेरिट में सबसे नीचे आते थे? उपरोक्त किन कारणों से उनका चयन नहीं किया गया या और भी कोई कारण हो तो कृपया बताने का कष्ट करें।

(4) क्या उपरोक्त चयन में कोई गड़बड़ियां हुई थीं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो फिर इस प्रकार के तजुर्बेकार इन्जीनियर्स को जो कि पहले से ही विभाग में एक-एक साल, छः छः माह की सेवा कर चुके हैं उनका सलेक्शन नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार उन्हें अब तुरन्त सलेक्शन करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) उपरोक्त विषय बाबत चयनित एवं अचयनित अभ्यार्थियों की सूची मय मेरिट लिस्ट के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) नियम 23 भाग-4 राजस्थान सबोर्डिनेट (बिल्डिंग व रोड ब्रांच) सर्विस रूल्स, 1973 के अनुसार मई 1978 में साक्षात्कार किया गया। इसके अनुसार चयनित व्यक्तियों की सूची "ब" मय पते के संलग्न है।

Page No 29

(२९)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) साक्षात्कार हेतु 102 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जिनमें से 32 उपस्थित नहीं हुए 70 उपस्थित हुए जिनमें से अभी तक 54 चयनित किये गये हैं। साक्षात्कार हेतु बुलाए गये-सूची "अ"।

(3) सूची "ब" में दर्शित है। अचयनित व्यक्ति प्रिफरेन्स व मेरिट लिस्ट में नीचे होने के कारण या उपयुक्त नहीं होने के कारण अचयनित रहे।

(4) जी नहीं, चयन नियमानुसार विज्ञप्ति द्वारा आवेदन पत्र मांग कर साक्षात्कार के परिणामस्वरूप किया गया है।

पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों की नियुक्ति केवल अल्पावधि, पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर की जाती है जो केवल सीमित समय या नव स्थाई चयनित व्यक्ति प्राप्त नहीं हो तब तक के लिए की जाती है।

चयन, पद या रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति साक्षात्कार के पश्चात् प्रिफरेन्स या मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका ही चयन किया जाता है।

(5) सूची "अ" व "ब" में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सांचौर क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य

136. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गरडाली-गोलासण सिलू (गुजरात सरहद तक) सड़क अभी तक पूरी नहीं बनाई गई है ? अगर हां, तो यह सड़क कितनी बनाना बाकी है ? इसको पूर्ण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि डेडवा-जाखेल-हरियाली सड़क का निर्माण कार्य, इंडियन नेचुरल गैस कमीशन द्वारा, हाथ में लिया गया था ? अगर हां, तो कब एवं उसमें कितना खर्चा किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कमीशन ने बाकी सड़क को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण करवाने का आग्रह किया था ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कमीशन ने अपना रोड मेटिरियल राज्य सरकार को बिना कीमत देने की प्रार्थना की थी ? राज्य सरकार ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक उक्त सड़क की कुटाई एवं डामर करने का काम हाथ में नहीं लिया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब राज्य सरकार उक्त सड़क को कब तक पूरी करवा सकेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि सिवाड़ा, चीतलवाना सड़क, सिवाड़ाभाटा सड़क एवं वांवलियापुर-धाणका सड़क एवं खारा-गुदाऊ-सांकड़-सुरावा-दुगावा सड़क भी अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो उक्त महत्वपूर्ण सड़कों को कब तक राज्य सरकार पूरी करवाना उचित समझेगी ? उक्त सड़कों में

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
से न्यूनतम कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी सड़कें आती हैं एवं उनको कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि हाली वाव-केरिया–गांधव सड़क भी अभी तक अपूर्ण है ? अगर हां, तो उसको न्यूनतम कार्यक्रम के तहत ली जाकर कब तक पूर्ण करवा दी जावेगी ?

(7) क्या यह भी सही है कि माकु-पुरा–वीरोल (गुजरात सरहद तक) अकाल सहायता कार्य में पक्की डामर सड़क बनाई गई थी ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ने उसको विभागीय मरम्मत सूची में शामिल कर लिया है ? अगर हां, तो कब ? उसकी अब तक मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई है ? अब क्या राज्य सरकार उसकी शीघ्र मरम्मत करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या यह भी सही है कि सांचौर से हाडेचा एवं सांचौर से चोतलवाना पुरानी ग्रेवल सड़कें है ? क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों सड़कों को पक्की डामर करवाना जरूरी है ? अगर हां, तो उनको पक्की डामर सड़क कब तक बनवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

गरडाली–गोलासन–सिलू सड़क 11 कि. मी. लम्बी है, जिसमें 4 कि. मी. डामर, 1 कि. मी. मेटल्ड, 4 कि. मी. ग्रेवल और 2 कि. मी. कच्ची सड़क है। अतः शेष कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कर दिया गया है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। अतः कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां।

डेडवा–चोरा सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई है।

(5) जालोर जिले में 1500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें प्रस्तावित की गई हैं, उनकी सूची (अ) में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) केरिया से हालीवाव सड़क पूर्ण हो चुकी है।

(7) जी हां।

इस सड़क को वर्ष 1977 में विभाग की मरम्मत सूची में शामिल कर लिया गया है और प्रत्येक वर्ष इसकी मरम्मत कराई जाती है।

(8) जी हां।

इन सड़कों को सूची (अ) में दर्शाया गया है जो सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

आकोली नदी की रपट एवं बरूडी नदी का पुल

137. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आकोली नदी पर रपट बनाने एवं बरूडी नदी पर पुल बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा इस साल शुरू किया गया था ? अगर हां, तो इस कार्य हेतु कितनी कितनी मंजूरी कब कब दी गई थी एवं कार्य कब कब शुरू किये गए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य वर्षा के पूर्व पूर्ण नहीं किए जा सके एवं नदियों में पानी आने से राज्य सरकार को लाखों रुपयों की हानि उठानी पड़ी ? अगर हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए जाने केक्या क्या कारण थे ? अब वह दोनों कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि बरूडी नदी पुल निर्माण कार्य जालोर से सिरोही खण्ड में हस्तान्तरित कर दिया गया ? अगर हां, तो किसके द्वारा एवं क्यों ? क्या सिरोही जिले में उक्त कार्य ट्रांसफर किये जाने से कार्य करने में देरी नहीं हुई एवं प्रशासनिक कठिनाइयां ज्यादा उठानी पड़ी ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि अब बरूडी नदी पुल निर्माण सब-डिवीजन वापस जालोर खण्ड में राज्य सरकार ट्रान्सफर करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि जेतपुरा नदी पर अभी तक पुल निर्माण कार्य मंजूर नहीं किया गया है, जिससे आबूरोड-रानीवाड़ा मार्ग वर्षा में अवरुद्ध हो जाता है ? अगर हां, तो अब उक्त मंजूरी कब तक दी जाकर कब तक कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बाण्डी नदी/बरुडी के पुल के पुनः निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार ने राशि रुपये 200000/- उनके पत्र क्रमांक आर. सी. प्लान/77–78/12908/85 दिनांक 29-11-77 के द्वारा बाढ़ग्रस्त कार्यों के अन्तर्गत प्रदान की है। बान्डी/बरुडी नदी के पुल निर्माण का कार्य दिनांक 28-2-78 से प्रारंभ किया गया है।

(2) बरुडी नदी के कार्य को पूर्ण करने की तिथि दिनांक 27-2-79 है अतः इस वर्ष की वर्षा ऋतु के पूर्व इस कार्य को पूर्ण करवाये जाने का तो प्रस्तावित नहीं था। सम्भवतः इस कार्य के अपूर्ण रहने से राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई। न ही इस हेतु किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(3) बान्डी/बरुडी नदी के पुल निर्माण कार्य को पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 27–2–79 है।

(4) हां, यह सही है कि बान्डी नदी के पुल का कार्य जालोर खण्ड से सिरोही खण्ड को मुख्य अभियन्ता सा. नि. वि. भवन व

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
पथ, जयपुर के आदेशान्तर्गत हस्तान्तरित किया गया। इस खण्ड को यह कार्य हस्तान्तरित करने से कार्य के निर्माण में कोई देरी नहीं हुई। व न ही कोई प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ीं। जालौर जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य का दबाव जालौर जिले में अधिक होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से यह कार्य सिरोही खण्ड द्वारा कराया जाना उचित समझा गया।

(5) अभी कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो इसे जालौर खण्ड में स्थानान्तरित करने का विचार किया जावेगा।

(6) जी हां। इस पुल का निर्माण कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है।

कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा सड़क का निर्माण

138. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा जहां का रास्ता बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ व पथरीला है, में मंगला मार्ग-रोड (ब्रह्मपुरी) जयपुर से केवल लगभग एक किलोमीटर सड़क की कमी के कारण वहां के लगभग 700 निवासियों को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है तथा कृषि की पैदावार को शहर में लाना भी वर्षा ऋतु में लगभग असंभव हो जाता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उपरोक्त लगभग एक किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह प्रस्तावित सड़क नगरपालिका के क्षेत्र में है और अभी इस विभाग द्वारा ऐसी सड़कों को बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति

139. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं): क्या बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ? अब तक बाढ़ सहायता में कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

(2) सम्पूर्ण राज्य में सर्वाधिक नुकसान किस जिले में हुआ? जिलेवाइज सहायता एवं नुकसान दोनों का ब्यौरा देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कुल लगभग 36.28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 2.30 लाख रुपये विभिन्न जिलाधीशों को विभिन्न मदों में व्यय करने हेतु राशि का आवंटन किया जा चुका है। इस राशि में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, नकद सहायता इत्यादि हेतु 1.35 करोड रु. दिये गये हैं। वास्तविक व्यय की सूचना अभी जिलों से आनी अवशेष है क्योंकि सहायता वितरण का कार्य चल रहा है।

Page No 33

(बाढ़ सहायता मंत्री)

(2) राज्य के बाढ़ग्रस्त जिलों में से सबसे अधिक नुकसान चूरू जिले में हुआ है। जिलेवार सहायता एवं नुकसान का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

रायपुर नदी पर निर्माण कार्य

141. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में रायपुर तहसील में रायपुर ग्राम के व भूंठा ग्राम के बीच रायपुर नदी पर निर्माण कार्य की स्वीकृति इस वर्ष हुई ? यदि हां, तो कब व कितने रुपयों की व किस कार्य हेतु ?

(2) उक्त काम की स्वीकृति आदेश, पाली के एक्स. ई. एन. के पास कब पहुंचे व काम कब शुरू हुआ ?

(3) उक्त योजना पर 31-7-78 तक कितने रुपयों का कार्य हो चुका है व अब उक्त काम की क्या स्थिति है ? अब कितनी राशि और लगाने पर यह काम पूरा होगा ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले कई सालों से इस नदी में अधिक पानी आने से यातायात बन्द हो जाता है व सड़क टूट जाती है ? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में इस नदी पर प्रत्येक वर्ष में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि जानबूझ कर अधिकारियों की लापरवाही से सालों साल सार्वजनिक धन की बरबादी होती है ?

(6) क्या प्लान को एग्जीक्यूट करने में वर्षों से होने वाले सम्भावित खतरे का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया जिससे सब किया कराया काम साफ हो गया ?

(7) इस कार्य को वर्षा के पूर्व पूर्ण क्यों नहीं किया गया ? क्या अधिकारी इस सम्भावित खतरे के प्रति जागरूक नहीं थे ? इस कार्य को वर्षा के बाद शुरू क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 77–78 में अजमेर पाली, सिरोही सड़क पर बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनरुद्धार हेतु रु. 4.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसमें रायपुर नदी की रपट के मरम्मत व पुनरुद्धार का कार्य शामिल है।

(2) स्वीकृति के अभाव में प्रश्न ही नहीं उठता। लूनी नदी के काजवे के पुनरुद्धार का कार्य गत वर्ष 8–2–78 को चरण संख्या एक में दर्शाई गई धनराशि आवंटन के अन्तर्गत प्रति शुरू करवाया गया।

(3) चरण संख्या 2 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य पर 31–6–78 तक रु. 178357/– का काम हुआ है। किए गए कार्य में से स्वीकृत तकमीने के अनुसार पाईप लगाने व सड़क पर पत्थर का खरन्जा लगने का कार्य शेष है।

(4) जी हां। यातायात बन्द रहने की सूचना व क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनरुद्धार पर पिछले वर्षों में हुए काम के आंकड़े तालिका 'अ' में संलग्न हैं।

(5) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(6) जी नहीं ऐसा नहीं हुआ रिपेयर व पुनरुद्धार का कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ किया गया।

(7) स्वीकृत होने पर क्षतिग्रस्त पुनरुद्धार कार्य 8-2-78 को शुरू किया गया। सीमेन्ट की प्रान्तव्यापी कमी व सीमेन्ट पाईप के अभाव से कार्य प्रगति धीमी अवश्य रही।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

भीलवाडी से कनवाड़ा सड़क पर डामर

142. **श्री निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) भीलवाड़ा से कनवाड़ा सड़क पर कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा ?

(2) झालावाड़ से दुर्गपुरा सड़क पर कब तक डामरीकरण कर दिया जायगा ?

(3) पाटन से सुनेल सड़क को कब तक डामरीकरण कर दिया जायगा ?

(4) क्या इन सड़कों पर अनाज के बदले काम की योजना में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता ?

(5) यदि हो सकता हो, तो मंजूरी देने की क्या राज्य सरकार व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ी से कानवाड़ा मेटल्ड सड़क पुरानी बनी हुई है। जनसंख्या के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में इस सड़क पर डामर कराने का अभी कोई स्थान नहीं है।

(2) दुर्गपुरा ग्राम झालावाड़ भवानी मण्डी मुख्य सड़क से लगभग 3 कि. मीटर दूर है। जनसंख्या के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना में अभी इस सड़क पर डामर कराने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) पाटन से सुनेल सड़क पर छठी पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क बनाने का प्रस्ताव है।

(4) अनाज के बदले काम की योजना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्ताविक सड़कों में से ही कार्य साधारणतया लिये जाते है। प्रस्तावित सड़कों पर महत्व होने पर विचार किया जा सकता है।

(5) प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जावेगा।

केमिकल ग्रेड का लाइम स्टोन

143. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही कि सोजत, बिलाड़ा के बीच में मंडला, रूंदिया, अटपटा वरना में केमिकल ग्रेड का लाइम स्टोन काफी अच्छी मात्रा में मौजूद है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में जो जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस क्षेत्र में उक्त खनिज को खनन् के लिए कितनी लीज किन-किन पार्टी को दी हुई है तथा यह लीज कब समाप्त होगी ? नक्शे पर अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री माधव सिंह दीवान)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि 1 वर्ग किलो मीटर की लीज दी जाय ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को फ्री होल्ड डिक्लेयर कब तक कर दिया जायगा ? आज तक क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सोजत बिलाड़ा क्षेत्र में रूदियां, अटपटा मंडला, वरना इत्यादि स्थानों पर लाइम स्टोन के काफी अच्छे भंडार हैं तथा इनमें काफी मात्रा में केमीकल ग्रेड का लाइम स्टोन उपलब्ध है। केमीकल ग्रेड के अतिरिक्त निम्न श्रेणी का लाइम स्टोन भी इस क्षेत्र में उपलब्ध है जिसका विवरण भारतीय भूगर्भ-सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वे की संलग्न सारांश रिपोर्ट में दिया गया है।

(2) इस क्षेत्र में वर्तमान में चार खनन पट्टे दिये हुए है जिनका विवरण संलग्न स्टेटमेंट में है इन चारों लीज क्षेत्रों के नक्शे संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार की एक वर्ग कि. मी. के क्षेत्र लीज पर देने की नीति है जो उन क्षेत्रों पर लागू होगी जिनमें लाइम स्टोन उपलब्ध है किन्तु जिन पर वर्तमान में कोई खनन पट्टे दिये हुये हुए नहीं हैं। पूर्व में जो खनन पट्टे दिये हुए थे उनका प्रत्येक का क्षेत्र 10 वर्ग मील था जिसे राज्य की संशोधित नीति के अनुरूप घटा कर 15 वर्ग कि. मी. किया गया। इन पट्टों के क्षेत्रफल कम करने की नीति के फलस्वरूप जो अधिक क्षेत्र पट्टाधारियों ने अभ्यर्पित किया है तथा इसमें जहां जहां भी लाइम स्टोन उपलब्ध है वहां भी एक वर्ग कि. मी. के पट्टे देने की नीति निर्धारित की गई है तथा इनकी भू-गर्भिक जांच के उपरान्त इन्हें रिक्त घोषित कर दिया जायगा। एक वर्ग कि. मी. के क्षेत्र देने की नीति के क्रियान्वयन की दिशा में बिलाड़ा तहसील में रणसी गांव बोरूंदा के बीच 1 वर्ग कि. मी. के 128 प्लाट बनाये गये जिनको रिक्त घोषित कर दिनांक 6-2-78 को राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है। इनमें कई प्लाटों के लिए आवेदन-पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं तथा इन आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

(सारांश प्रतिवेदन व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायत सिणला के सरपंच को चार्ज देने का मामला

144. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिणला, पंचायत समिति खारची, जिला पाली के भूतपूर्व सरपंच ने अभी तक पंचायत का पूरा चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सा ?

(2) पंचायत ने विकास अधिकारी खारची को भूतपूर्व सरपंच से उक्त चार्ज दिलाने बाबत कब-कब लिखा व अब तक चार्ज न दिये जाने व दिलाये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या पंचायत अधिनियम में पंचायत का चार्ज नहीं देने की हालत में उसका प्रोसीक्यूशन करने का प्रावधान है

(श्री खंगार सिंह चौधरी)
यदि हां, तो आज तक उस प्रावधान के तहत कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है व अब क्या राज्य सरकार उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कितने समय में ?

उत्तर

(1) श्री चैनसिंह पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत का चार्ज दि. 31-12-77 को पंचायतों के भंग होने के कारण ग्रुप सचिव को दे दिया था किन्तु कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 1-9-68 से 6-5-71 व म्यूटेशन रजिस्टर एवं संबंधित अपील का रेकार्ड नहीं दिया। रेकार्ड तहसीलदार खारची द्वारा कार्यवाही के संबंध मे चाहने पर दिनांक 7-9-78 को दे दिया गया है।

(2) पंचायत ने विकास अधिकारी खारची को क्रमशः दिनांक 13-6-78, 24-6-78 एवं 19-9-78 को चार्ज दिलाने हेतु लिखा तथा अब रेकार्ड कार्यवाही के संबंध में दिनांक 7-9-78 से तहसीलदार खारची के पास है। अत उक्त रेकार्ड पंचायत को दिलाया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां। श्री चैनसिंह पूर्व सरपंच के पास पंचायत का चार्ज बकाया नहीं है। अतः प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

जून, 77 से अब तक राज्य में सरपंचों के निलम्बन का मामला

146. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ सरपंचों को निलम्बित किया है ? यदि हां, तो दिनांक 1-6-77 से लेकर अब तक निलम्बितों को, किन किन आरोपों में कब कब निलम्बित किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उनमें से किन्हीं को वापिस बहाल भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब, किन-किन कारणों से ? जिलेवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि हल्फनामों के आधार पर भी सरपंचों को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो किन किन को कब-कब, किन-किन अपराधों में और उनमें से किन को वापिस बहाल किया है, तो किन-किन कारणों से कब-कब ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) किसी सरपंच को निलम्बित करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिये और क्या अपनाई गई है तथा क्या अपनाई जा रही है ?

(5) सरपंचों को निलम्बित करने के मामलों में पंचायत मंत्री व पंचायत डायरेक्टर के बीच क्या क्या मतभेद उत्पन्न हुये थे ?

(6) इस समय इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जा रही है तथा इस समय कितने सरपंच कब-कब से निलम्बित हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रक्रिया राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप धारा (4–का) में वर्णित है। प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई है तथा अपनाई जा रही है।

(5) जी नहीं।

(6) नीति नियमानुसार अपनाई जा रही है। निलम्बित सरपंचों की सूची मय निलम्बन दिनांक के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान

147. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)– क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से फरवरी 78 के पूर्व 0.25 पैसा प्रति यूनिट का ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता है? यदि अनुदान दिया गया तो वह किस मद में खर्च हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अनुदान सहायता ग्राम पंचायतों को दिया गया था परन्तु इस राशि का उपयोग पंचायत समिति हा करती आ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायतों को राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान 2.50 रु. प्रति व्यक्ति है ? क्या यह अनुदान पंचायतों को दे दिया गया ?

(4) पंचायत समितियों को कुल कितनी राशि सन 1977–78 में दी गई है ? सदन के पटल पर निम्न प्रोफार्मा में सूची रखने की कृपा करें:–.

क्र. सं.	पंचायत का नाम
अनुदान राशि	उपयोग

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। पंचायतों को वर्ष 76-77 तक 20 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से 1971 की जनगणना के आधार पर अनुदान दिया जाता था। यह वर्ष 77–78 को समाप्त कर दिया गया। यह विकास कार्यों हेतु खर्च हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वर्ष 77–78 की पूर्ण राशि में से पंचायत समितियों के विरुद्ध दिनांक 31–3–77 को बकाया अल्पकालीन ऋण की राशि का 1/3 भाग काट कर शेष राशि, एवं 78–79 के लिये दो किश्तों के वितरण हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(4) पंचायत समितियों को वर्ष 77–78 में रु. 52,95,250/– भू-राजस्व के बदले में अनुदान दिया गया। तत्पश्चात् मंत्री मण्डल के निर्णय के अनुसार 4,76,57,250/– अनुदान की स्वीकृति दी गई। कुल 5,29,52,500/– दिया गया। इसमें से पंचायत समितियों के विरुद्ध 31–3–77 को बकाया अल्पकालीन

(पंचायत मंत्री)
ऋण का 1/5 भाग काटकर शेष राशि रु. 1,68,15,550 पंचायत समिति के निजी विशेष खाते में जमा करायी गई एवं इस राशि को पंचायतों को वितरित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बनोकड़ा, सेवन्त्री, पंचायत समिति कुम्भलगढ़ के सरपंचों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

148. श्री गोविन्दसिंह रावतावत (कुम्भलगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ में बनोकड़ा, सेवन्त्री के सरपंचों के खिलाफ वहां की जनता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उनकी जांच हेतु क्या प्रयास किया है ?

(2) अगर जांच पूर्ण नहीं हो पायी है तो क्या दुबारा पंचायतों के चुनाव होने से पूर्व इसकी जांच हो पायगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बनोकड़ा के सरपंच के विरुद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत सेवन्त्री के सरपंच के विरुद्ध दो शिकायतें राज्य सरकार को क्रमशः 22-5-78 एवं 22-8-78 को प्राप्त हुई हैं।

(क) दिनांक 22-5-78 को प्राप्त शिकायत पर अति. जिलाधीश उदयपुर को जांच करने हेतु दिनांक 23-6-78 को निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 5-10-78 को जांच पूर्ण नहीं होने के कारण दूसरी दिनांक 17-10-78 जांच हेतु निश्चित की है।

(ख) 22-8-78 को प्राप्त शिकायत पर जिलाधीश, उदयपुर को जांच कराने हेतु दि. 1-9-78 को निर्देश दिये गये। जिलाधीश द्वारा इस मामले में प्रारम्भिक जांच करने हेतु 15-9-78 को तहसीलदार, कुम्भलगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा इस मामले में जांच करने हेतु दि. 13-10-78 निश्चित की है।

(2) जांच में तत्परता बरती जा रही है तथा जांच की कार्यवाही माह नवम्बर, 78 तक पूर्ण होने की संभावना है।

झालावाड़ में शिक्षा कर की राशि द्वारा प्राथमिक शाला भवनों की मरम्मत

149. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में अब तक एकत्रित शिक्षा कर की राशि का कितना भाग खर्च नहीं किया गया है ? पंचायत समिति वार विवरण देने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार यह रुपया उच्च प्राथमिक शालाओं के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत व निर्माण में खर्च करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की पंचायत समितियों द्वारा जो शिक्षा कर की राशि

Page No 39

(39)

(पंचायत मंत्री)
अब तक खर्च नहीं की गई है उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। केवल जिन ग्रामों में माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला सम्मिलित रूप से चलाई जा रही हैं और वहां से शिक्षा कर वसूल किया जाता हो तो ऐसे स्कूल के भवनों के मरम्मत के लिए शिक्षा कर की राशि खर्च की जा सकती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ठ 7 देखें)

पंचायत समिति लाड़पुरा के शिक्षकों की बकाया

150. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाड़पुरा के अध्यापकों को कई वर्षों से एरियर तथा चिकित्सा की राशि का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) पंचायत समिति लाड़पुरा के किन किन अध्यापकों की कितनी-कितनी राशि, किस हेतु की अभी चुकाना बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त बकाया राशि के शीघ्र भुगतान करने हेतु आदेश प्रदान कर शिक्षकों का हित करेगी? यदि हां, तो कब तक उक्त राशि का भुगतान हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लाड़पुरा की निजी आय घाटे में होने से चिकित्सा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दिनांक 27-7-78 को रिवाइज्ड फिक्सेशन होने के कारण 14 अध्यापकों के एरियर का भुगतान शेष हैं, जिसका भुगतान इसी माह में कर दिया जावेगा।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 14 अध्यापकों के फिक्सेशन एरियर का भुगतान इसी माह में कर दिया जावेगा। वर्ष 77-78 के मेडिकल बिल तादादी रुपया 3784-27 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। चिकित्सा राशि के बिलों का भुगतान पंचायत समिति की निजी आय में ही किये जाने का प्रावधान है। उक्त शेष चिकित्सा बिलों की राशि का भुगतान पंचायत समिति की निजी आय में घाटे की स्थिति में सुधार होने पर यथा शीघ्र कर दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सराड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत पुराने कुओं की मरम्मत का मामला

151. श्री गंभीरलाल मीणा (सराड़ा)- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1965 से मार्च सन् 1977 तक सराड़ा पंचायत समिति के कुल कितने पुराने कुओं की मरम्मत कराई गई व कितने नए कुओं को खुदवाया?

(2) उक्त कुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई?

(3) आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च हुई?

(श्री गंभीर लाल मीणा)

(4) कितने कुए अब पेयजल के उपयोग में आ रहे हैं ? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ?

(5) क्या राज्य सरकार उन सरपंचों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रही है जिन्होंने जल कुओं के लिए धन राशि आवंटित करा कर उसका दुरुपयोग किया ?

उत्तर

(1) सन् 1965 से मार्च 77 तक सराड़ा पंचायत समिति में कुल 239 पुराने कुओं की मरम्मत एवं 39 नये कुओं को खुदवाने के लिए राशि आवंटित की गई ।

(2) उक्त कुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,07,688.40 की राशि आवंटित की गई ।

(3) आवंटित धनराशि में से कुल 99637.40 रुपये की राशि खर्च की गई ।

(4) 154 कुओं का कार्य पूर्ण होकर उपयोग में आ रहे हैं ।

(5) जिन सरपंचों ने राशि का उपयोग नहीं किया है उनसे राशि वसूली की कार्यवाही जारी है ।

ग्राम पंचायत चूड़ीमियां के भूतपूर्व सरपंच व सचिव के खिलाफ भूमि हड़पने की जांच

152. श्री भवणलाल (हिण्डोन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चूड़ीमियां, पं.स. फतेहपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के भूतपूर्व सरपंच श्री कालूराम एवं भू. पू. सचिव श्री रामकुमार सिंह के खिलाफ भूमि हड़पने संबंधी जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा इन्होंने कौन कौन सी भूमि हड़पी है ?

(3) उपरोक्त आरोप सही हैं तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । भूमि हड़पने, आबादी भूमि के विक्रय करने लूंग व पूलों को सालाना नीलामी तथा सांड की चराई के संबंध में शिकायतों की जांच जिलाधीश सीकर के यहां विचाराधीन है ।

(2) उक्त सरपंच के विरुद्ध पद के दुरुपयोग की शिकायत है । जिसकी जांच विचाराधीन है ।

(3) आरोपों की जांच जिलाधीश, सीकर द्वारा की जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि आरोप सिद्ध हो जावेंगे तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य मार्ग नं. 8 पर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से ली गई जमीन

153. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर से शाहजहांपुर राज्य मार्ग नं. 8 पर कितना कितना हिस्सा निर्माण

Page No 41

(५१)

(श्री रामकरण सिंह)
विभाग से रोड साइड में पेड़ लगाने के लिए वन विभाग ने कब से अधिकार में लिया ?

(2) इसमें पेड़ लगाने से हुए खर्च का क्या लेखा जोखा है ? किस-किस मद में क्या क्या खर्च हुआ ?

(3) रोड साइड में लगाने के लिए कितने लोहे के ऐंगल किस-किस साइज के कितने के खरीदे गये ?

(4) तार किस तरह के कहां से उपलब्ध किये गये ?

(5) लकड़ी की बल्ली के डण्डे तारों को बांधने के, किससे कितने में किस नाप के खरीदे गये ?

(6) यदि उपरोक्त किसी से टेन्डर लिये जाकर खरीदे गये और ठेके पर लगवाये गये तो ठेके की पूरी शर्तों का विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर से शाहजहांपुर राज्य मार्ग नं. 8 पर निर्माण विभाग से रोड साइड में पेड़ लगाने के लिये वन विभाग से कोई क्षेत्र अधिकार में नहीं लिया है अलबत्ता वन विभाग द्वारा 1976 में से 60.3 किलोमीटर अर्थात् 456 पंक्ति किलोमीटर में रोड साइड प्लान्टेशन किया गया है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) उक्त रोड साइड प्लान्टेशन की फेंसिंग करने हेतु 35×35×5 एम.एम. साईज के लोहे के लगभग 4,723 ऐंगिल आईरन पोस्ट लगाए गए हैं जिसमें से 2000 ऐंगिल आयरन बीकानेर वन मण्डल के पुराने प्लान्टेशनों से वर्ष 1976 में प्राप्त कर उपयोग में लिये गये एवं शेष 2,723 ऐंगिल आयरन पोस्ट वर्ष 1977 में क्रय किए गए। इसके अतिरिक्त 25×25×3 एम. एम. साईज से 5000 ऐंगिल आयरन पोस्ट वर्ष 1977 में क्रय कर लगाए गए।

(4) उक्त प्लान्टेशन की फेंसिंग द्वारा सुरक्षा हेतु लगभग 8 मेट्रिक टन कांटेदार पुराना तार बीकानेर वन मण्डल के पुराने प्लान्टेशनों से वर्ष 1976 में प्राप्त करके उपयोग में लिया गया, 4 मेट्रिक टन कांटेदार तार वर्ष 1977-78 में क्रय करके उपयोग में लिया व वर्ष 1978–79 में 2 मैट्रिक टन कांटेदार तार क्रय करके उपयोग में लिया गया। इसके अतिरिक्त 5 मेट्रिक टन बी. आई. सादा तार वर्ष 1977-78 में क्रय किया जाकर उपयोग में लिया गया।

(5) लकड़ी की बल्ली के डण्डे (धोक की लकड़ी के फेंसिंग पोस्ट) विभागीय स्तर पर उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर से 1976–77 व वर्ष 1977–78 में क्रय करके लगाये गये। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977–78 में लगभग 375 लकड़ी के फेन्स पोस्ट विभागीय प्लान्टेशन से प्राप्त इमारती लकड़ी को चिरवाकर तैयार कर उपयोग में लिया गया।

(6) उक्त समस्त फेंसिंग व वृक्षारोपण कार्य विभागीय स्तर पर ही करवाया गया है। कोई भी कार्य ठेके के माध्यम से नहीं करवाया गया। अतः ठेकों की शर्तों के विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सुरक्षित वन से लकड़ी काटने के ठेकों का मामला

154. श्री हनुवंत सिंह (बाली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम बेड़ा तहसील बाली में सुरक्षित वन में किसी ठेकेदार को पूरी लकड़ी काटने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कितने में ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम की मवेशी को चराने की उच्च न्यायालय से स्वीकृति है ? यदि हां, तो पूरे जंगल की कटाई के बाद मवेशी कहां चरेंगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष बेड़ा ग्राम में सुरक्षित वन की दीवार को तोड़ने के लिए किन्हीं स्वार्थी लोगों ने भीड़ को उकसाया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, राजाज्ञा सं. 26771 एफ. 19 (11) राज।54।दिनांक 25 जनवरी, 1957 द्वारा राज्य सरकार ने भूतपूर्व बेड़ा जागीर वन की कटाई की अनुमति श्री बृजलाल अब्दुल रहमान ठेकेदार को 51000 रु. की लीज राशि चुकाये जाने की शर्त पर दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में यह प्रकरण बेड़ा पंचायत की रिट याचिका एवं ठेकेदार द्वारा स्थगन आदेश के विरुद्ध याचिका के कारण विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने उक्त भूतपूर्व जागीर क्षेत्र (खसरा नं 2332) वन विभाग के अधीनस्थ रखते हुए कटाई के कार्य के स्थगन आदेश को रोककर ठेकेदार को पूर्व आदेशानुसार कटाई कार्य की अनुमति दी जिस पर राज्य सरकार ने दिनांक 5-2-74 को उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में पुनः अनुमति प्रसारित की है।

(2) उच्च न्यायालय द्वारा ठेकेदार को पाबन्द किया गया है कि वह ग्राम वासियों की मवेशियों के चराई के मौजूदा हक हकूकों में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगा।

कटे क्षेत्र को चराई के लिए नियमानुसार बन्द किया जावेगा व शेष क्षेत्र ग्रामवासियों की मवेशियों के लिए चराई हेतु खुला रहेगा।

(3) यह सही है कि इस वर्ष बेड़ा ग्राम में 100 हैक्टर सुरक्षित वन की दीवार दिनांक 6-7-78 को तोड़ दी गई जिसकी सूचना पुलिस में उसी रोज कर दी गई। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

विराटनगर रेन्ज के वनपाल के निलम्बन का मामला

155. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा-रामगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या विराटनगर रेन्ज के वनपाल मदनसिंह को गत समय निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो उनका पुनः किस स्थान पर पदस्थापन किया गया है ?

(श्री रामेश्वर प्रसाद)

(3) क्या यह सही है कि किसी को निलम्बित होने पर दोष मुक्त हो जाने पर उसे पुनः यथास्थान ही नियुक्त किया जाता है? यदि नहीं, तो पुनः उसी जगह पर उनका पद स्थापन कैसे किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां, विराटनगर रेन्ज के विराटनगर नाके पर पद स्थापित वनपाल, मदनसिंह को दिनांक 16-3-78 को निलम्बित किया गया था। उन्हें अभी दोष मुक्त नहीं किया गया है तथा विभागीय जांच जारी है।

(2) इनका पदस्थापन रेन्ज आमेर के नाका अचरोल पर किया गया।

(3) श्री मदनसिंह वनपाल को पुनराधिष्ठापित करके कुछ समय के लिए रेन्ज कार्यालय में लगाया गया था तथा अब इनका पदस्थापन अचरोल नाके पर किया जा चुका है।

वन विभाग से काबिल काश्त भूमि का राजस्व विभाग में स्थानान्तरण

156. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने चालू वर्ष में कितनी काश्त काबिल जमीन वन विभाग से निकाल कर रेवेन्यू विभाग को दी है तथा किस किस जिले में कितनी जमीन दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बेगूं तहसील के अन्तर्गत भी कोई जमीन वन विभाग द्वारा रेवेन्यू विभाग को दी गई है? अगर हां, तो किस किस गांव में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष में वन विभाग से राजस्व विभाग को कृषि हेतु हस्तान्तरित की गई भूमि की जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सूची संलग्न है।
(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील खारची जिला पाली की सीलिंग के तहत आई जमीन का मामला

157. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला पाली तहसील खारची के श्री सोहनराज पुत्र श्री जोधराज ओसवाल ने राजस्थान अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण के तहत प्रपत्र संख्या चार भरा? यदि हां, तो उसमें उसने किस किस गांव में कितनी भूमि उसकी खातेदारी की बताई? सूची गांववार खसरे मय रकबे व किस्म भूमि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सीलिंग के उक्त मुकदमें का फैसला कब हुआ व क्या हुआ?

(3) क्या प्रश्न के भाग 1 में बताई गई भूमि में ग्राम जैतपुरा तहसील खारची व ग्राम सालरिया तहसील देसूरी की भूमि बताई गई हैं? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने इस मामले को री-ओपन किया है।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(4) क्या गलत सूचना देने की हालत में पेनल क्लाज का प्रावधान है ? क्या उसका उपयोग इस मामले में किया जायेगा ?

उत्तर

(1) श्री सोहनराज पुत्र जोधराज ओसवाल नि. खारची तहसील द्वारा राज. अधिकतम सीमा निर्धारण के तहत प्रपत्र संख्या नहीं भरा न प्रस्तुत किया।

(2) श्री सोहनराज द्वारा प्रपत्र 4 भरकर पेश नहीं किया गया। उसके विरुद्ध सीलिंग कानून के तहत कोई मुकदमा होना दर्ज होना नहीं पाया जाता।

(3) श्री सोहनराज द्वारा राजस्थान अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण के अन्तर्गत प्रपत्र 4 भरकर पेश ही नहीं किया गया, न उसके विरुद्ध कोई सीलिंग मुकदमा ही दर्ज किया जाकर फैसला किया गया है। अतः रि-ओपन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) गलत सूचना देने की हालत में पेनल क्लाज का प्रावधान है। इस मामले में कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ।

तहसील सोजत के ग्राम धीनावास का खालसा की जमीन बंदोबस्त व नवीनीकरण का मामला

158. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली तहसील सोजत के ग्राम धीनावास का खालसा का गत बंदोबस्त कब हुआ व नवीनीकरण (री-सेटिलमेंट) कब से लागू किया गया ?

(2) ग्राम धीनावास के खालसा के गत बन्दोबस्त के खाता सं. 200 व 202 के कौन कौन कृषक हैं व उसका कितना लगान है व प्रत्येक कृषक का कितना कितना हिस्सा है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 2 में बताई गई जोत पर भू-राजस्व अधिभार अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, अधिभार देय नहीं होता है ?

(4) प्रश्न के भाग 2 में बताई गई जोत का जमाबन्दी सं. 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017 में क्या इन्द्राज है व उक्त वर्षों में जमाबन्दी के खाता नं. 5 में किस किस वर्ष में इन्द्राज में भिन्नता है ? वह भिन्नता क्यों है ? उक्त इन्द्राज के लिए कौन दोषी है व यह बात सर्व प्रथम तहसीलदार के ध्यान में कब आई व तहसीलदार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जोत का इन्द्राज जमाबन्दी के खाता संख्या 5 में गलत होने से कृषकों से गैर कानूनी भू-राजस्व अधिभार वसूल किया गया व किया जा रहा है ? यदि हां, तो उन कृषकों से कितना भू-राजस्व अधिभार वसूल किया गया व कब किया गया व अब इस तरह की नाजायाज मांग कितने रुपयों की है व उसे रद्द क्यों नहीं किया गया व अब उक्त मांग को कब तक रद्द कर दिया जावेगा ?

(6) कृषकों से प्रश्न के भाग 5 में नाजायज वसूल किया गया अधिभार का तथ्य राजस्व अधिकारियों के ध्यान में कब आया व कृषकों ने उसकी वापसी की मांग कब की ? कृषकों की उक्त मांग पर जि

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

प्रशासन ने क्या आदेश दिये, कब दिये व अब तक उक्त राशि वापस न दी जाने के लिए कौन दोषी है ?

(7) राज्य सरकार अब उक्त राशि कब तक लौटा देगी व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व बदनीयति से किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील सोजत के ग्राम धीनावास का गत बन्दोवस्त सम्वत् 1997 में हुआ। नवीनीकरण (रिसैटिलमेंट) सम्वत् 2033 से लागू किया गया, जो जारी है।

(2) ग्राम धीनावास खालसा के गत बन्दोवस्त के खाता संख्या 200 व 202 में कृषक निम्न प्रकार हैं :–

खाता सं. 200

नाम कृषक		लगान	प्रत्येक का हिस्सा
माधो बेटो हजारीरो	1/4	350	87–50
लालो बेटो पीथारो	1/4		87–50
किशनो बेटो डाया	1/4		87–50
रो, जोरो बेटो जीवा	1/9		43–75
केसीयो बेटो लूंबारो	1/8 1/4		43–75
जातरा सीखावों वासी गांवरा			
			350–00

खाता सं. 202

रंगो बेटो सेरारो	1/3	14–94	4–98
डूंगो बेटो वीजारो	1/3		4–98
मोटू बेटो कुमारो	1/2		
चैनो बेटो गणेशरो	1/2		
टीकमा, खारता, बेटा			
पुरखारी	1/3		4–98
नेना बेटो मनभरी			
चुतरो बेटो गंगारो व			
हिसाब जातरासीवों			
खुडाला			
			14–94

(3) कानूनी प्रश्न है। उस पर विचार किया जा रहा है।

(4) जमाबन्दी सम्वत् 20/12 से 20/15 तक में इन्द्राज मिसल बन्दोवस्त के अनुसार ही है। सं. 20/16 व 20/17 में जमाबन्दी तैयार नहीं की गई व सं. 20/18 से 2021 की जमाबन्दी के खाता नं. 5 खातेदार के हिस्से का शेष में से इन्द्राज नहीं किया गया। खातों में भिन्नता के बारे में जांच की जा रही है। किसी कर्मचारी पर दोष जांच के बाद ही निश्चित करना सम्भव होगा।

(5) गलत या सही इन्द्राज के बारे में मामला अनिर्णित है।

(6) मामला अनिर्णीत है। पूरी जांच के बाद ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(7) जांच के बाद नियमितता पर निर्णय देना सम्भव होगा।

तहसील भीनमाल से पाक शरणार्थियों को काश्त हेतु अलाट की गई जमीन

159. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने ग्राम जिरण तहसील भीनमाल एवं ग्राम धाणसा तहसील

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
भीनमाल में पाक शरणार्थियों को गोचर जमीन काश्त हेतु आवंटित की थी ? अगर हां, तो कब एवं प्रति व्यक्ति कितने बीघे जमीन किन-किन को आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ग्रामों की गोचर जमीन प्रति व्यक्ति 50) बीघा के हिसाब से किन नियमों के तहत किसके द्वारा आवंटित की गई ?

(3) क्या ग्रामवासियों द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं उनके बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या आवंटित भूमि का पाक शरणार्थियों को कब्जा दे दिया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों की गोचर जमीन का आवंटन रद्द करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो उक्त गोचर जमीन का आवंटन कब तक रद्द कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार पाक शरणार्थियों को राष्ट्रीयता प्रदान कर, उनको राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन ग्रामों की गोचर भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित करने के पश्चात् पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को आवंटन किया गया था। आवंटियों की सूची संलग्न है।

(2) भूमि का आवंटन जिलाधीश के द्वारा किया गया है।

(3) इस आवंटन के विरुद्ध ग्रामवासियों ने आपत्ति की थी। परन्तु आवंटन शरणार्थियों को बसाने के लिये जरूरी समझा गया। अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया।

(4) आवंटन पुनर्वास हेतु किया गया है ऐसी दशा में इसे रद्द करना राज्य सरकार उचित नहीं समझती।

(5) राजस्थान नहर क्षेत्र में भी कुछ शरणार्थियों को बसाया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में चराई की समस्या का समाधान

160 श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में चराई की समस्या का उचित समाधान निकाल लिया गया है जिससे कि भविष्य में जन व धन की हानि को रोका जा सके ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार इस समस्या के स्थाई हल हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) मौजूदा हालत में राज्य सरकार द्वारा जिलाधीशों को क्या आदेश दिये हुये हैं, जिससे झगड़े व फसलों का नुकसान ना हो ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) पशुओं की चराई की उचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1957 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि जिन ग्रामों में पर्याप्त चरागाह भूमि उपलब्ध न हो उनमें गांव की कुल पशु संख्या को देखते हुए उनमें आधा बीघा प्रति पशु के हिसाब से चरागाह की कायमी की जा सकती है। ऐसा करने से पशुओं की संख्या खाली सरकारी भूमि, कृषि मय क्षेत्र एवं कृषि प्रयोजन हेतु भूमि की उपलब्धि आदि को भी देखना पड़ता है।

भूमि की उपलब्धि की अवस्था को देखते हुए चरागाह की कायमी की जाती है परन्तु जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध न हो वहां इस माप दण्ड के आधार पर पर्याप्त चरागाह स्थापित करना सम्भव नहीं रहता। जिन ग्रामों में इस आधार पर पर्याप्त चरागाह नहीं हैं उनमें पशुओं की चराई के लिए कृषकों को न्यूनाधिक मात्रा में अपने साधनों पर ही निर्भर करना होगा।

(2) चरागाह कायमी के लिए प्रावधान नियमों में है जिलाधीश इनके तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। जहां तक चरागाह पर होने वाले अतिक्रमण का प्रश्न है राज्य सरकार ने 7 जुलाई 1977 को इस बाबत सख्त आदेश जारी किये थे, इसकी प्रति संलग्न है।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री !

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बाद में दूंगा।

शासकीय वक्तव्य

(1) जगर बांध में नाव दुर्घटना

(2) उदयपुर में दशहरा उत्सव में भीड़ से कुचले जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख और अफसोस है कि आज इस सदन को मैं इस प्रकार की सूचना दे रहा हूं जो बहुत ही खेद और अफसोस की बात है।

जगर बन्ध जिला सवाईमाधोपुर में नाव दुर्घटना में 26 व्यक्तियों की मृत्यु

दिनांक 10 अक्टूबर की शाम को ग्रामवासी अपने खेतों पर काम करने के पश्चात् जगर बन्धे में एक नाव के द्वारा अपने गांव को लौट रहे थे। उस नाव में करीब 40 व्यक्ति सवार थे। उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब नाव बन्ध के बीच में पहुंची तो नाव में यकायक पानी आने लगा, जिससे उसमें बैठे हुए व्यक्ति भयभीत होकर घबराने लगे, जिस पर नाव का सन्तुलन बिगड़ गया और नाव उलट गई। इस दुर्घटना में 26 व्यक्ति, जिनमें औरतें और बच्चे भी

(48)

(श्री सम्पत राम)

शामिल हैं, पानी में डूब गये और उनकी मृत्यु हो गई। इन सभी मृतकों की लाशों को ग्रामवासियों की सहायता से निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्राम में पहुंचे। शव परीक्षण के बाद सभी मृतकों का अन्तिम संस्कार करा दिया गया। इस प्रकार नाव से आने जाने का प्रबन्ध ग्राम-पंचायत एवं ग्रामवासियों ने उनके स्तर पर ही ग्रामवासियों की सुविधा हेतु किया गया था। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही मुख्य मंत्री महोदय घटनास्थल के लिए दिनांक 11 व 12 की मध्य रात्रि को ही रवाना हो गये।

इन मृतकों के लिए अभी पांच हजार की सहायता भेजी गई है। सारी जानकारी मिलने के बाद कि यह सहायता कितनी कम है और ज्यादा सहायता की आवश्यकता होगी तो मुख्य मंत्री महोदय से विचार-विमर्श के बाद और सहायता की घोषणा करूंगा।

दूसरी घटना भी अध्यक्ष महोदय, दुखद घटना है जिसकी सूचना भी आज सदन को दे रहा हूं।

उदयपुर में 11-10-78 को दशहरा के अवसर पर हुई दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 11-10-78 को भंडारी दर्शक मण्डप, स्टेडियम में प्रति वर्ष की भांति रावण दहन का समारोह बिलोचिस्तानी सनातन धर्म समिति द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर दर्शकों में करीब तीस हजार से अधिक पुरुष, स्त्री व बच्चे एकत्रित हुए थे तथा स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सायंकाल करीब सवा सात बजे रावण दहन के बाद जब दर्शक वापस लौटने लगे तो भीड़ के दबाव के कारण पूर्वी द्वार की ओर वाले निकास द्वार पर कुछ व्यक्ति नीचे गिर गये तथा पीछे से आ रही भीड़ दबाव के कारण इन गिरे हुए लोगों पर चढ़ गई जिसके कारण कई लोग नीचे दब गये। मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने तत्काल भीड़ को रोका और दबे हुए व्यक्तियों को नीचे से निकाल कर उसी समय अस्पताल पहुंचाया।

इस दुर्घटना में करीब 32 व्यक्तियों के चोटें आई, जिनमें से तीन व्यक्तियों की अस्पताल पहुंचते ही मृत्यु हो गई जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्री भगवत लाल ड्राइवर, डीजल इन्जन, रेल्वे ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट उदयपुर। श्री बिहारीलाल वर्मा, निवासी पंचवटी, उदयपुर। कुमारी सरवन, वार्ड कैन्टेन, टी. एम. एस. माही, प्रथम महार रेजीमेन्ट। उक्त व्यक्तियों के पोस्ट मार्टम के पश्चात् शव उनके सम्बन्धियों को दे दिये गये हैं।

घायल व्यक्तियों में से 16 को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया है जिनमें से एक की हालत गम्भीर है। एक व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया है एवं 14 व्यक्ति चिकित्साधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय, पांच हजार की आकस्मिक राहत भेजने की जो बात पहले मैंने कही है, वह पांच हजार नहीं बल्कि 25 हजार है। ये तथ्य मैंने सदन के सामने रखे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : जिनकी लापरवाही हुई है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। एक एक करके, माननीय सदस्य।

श्री राम नारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय गृह मंत्री ने जो स्टेटमेन्ट पढ़ा है उसको सरकार का स्टेटमेन्ट माना जाएगा इसलिए इसके ऊपर बहस होगी। यह जो घटनाएं हुई हैं यह सरकार की बदइन्तजामी, लापरवाही और अधिकारियों की कर्तव्यहीनता, धांधली के कारण हुई हैं। यह विषय लॉ एण्ड आर्डर की बदइन्तजामी का है, यह सब इस बात का द्योतक है। हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने के पूर्व सदन के समक्ष गृह मंत्री को स्टेटमेन्ट देने का मौका दिया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस स्टेटमेन्ट को सरकार का स्टेटमेन्ट मान कर हमें भी, जनाबवर, अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बाबत स्थगन प्रस्ताव भी दिया है।

श्री मथुरालाल माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेन्ट होम मिनिस्टर ने दिया है, आप इस बात की घोषणा करें कि इस पर बहस होगी। अगर समय निश्चित होता है तो बहस आज होनी चाहिए। समय निर्धारित कर दिया जाए क्योंकि यह बहुत अहम मसला है। खास तौर से हिण्डौन में लोग मरे हैं, किस किश्ती में मरे हैं, तो चन्द प्रश्न उठ खड़े होंगे, वह किश्ती किस की थी? सरकार का इन्स्पेक्शन होता था या नहीं? ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो रामनारायण चौधरी ने प्रस्ताव रखा है, उस पर बहस होनी चाहिए। यह एक अहम मसला है। सरकार भी इसको अहम मसला मानती है। मुख्य मंत्री हिण्डौन गये हैं। आप भी इसको अहम मसला मानते हैं। सदन भी इसको अहम मसला समझता है इसी कारण से होम मिनिस्टर ने इस हाउस में वक्तव्य पढ़ा है। इसलिए आज बहस होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। उनके परिवारों को मदद की जाए। इस पर आज बहस होनी चाहिए।

दूसरे उदयपुर में जो घटना हुई है, वह क्लियर कट पुलिस की इनएफीसिएन्सी को बताती है। यह घटना पुलिस फेल्योर के सिवाय हो नहीं सकती। पुलिस डिपार्टमेन्ट ने वहां पर माकूल इन्तजाम नहीं किया। इस बात का सबूत तो यह है कि यह समाचार साथ में दिया गया कि वहां पर पुलिस का माकूल इन्तजाम था। अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर आज बहस नहीं होगी, इसलिए इन दोनों के ऊपर प्रायोरिटी पर विचार होना चाहिए। पुलिस की इन्कॉम्पीटेन्सी से आदमी मर जायें, यह राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है आदमी मर जायं, घायल हो जायं और इतने आदमी मर जायं, यह कंपलीटली ट्रैफिक फेल्योर हैं, पुलिस की इन्कॉम्पीटेन्सी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आप को समय दूंगा। यह सारी घटना खेदजनक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा हो और अभी हो। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि विरोधी दल के नेता 5–10 मिनट के लिये चर्चा करें। आधे घंटे का समय देने को तैयार हूं। गुलाबचन्दजी कटारिया को भी समय दूंगा

(श्री अध्यक्ष)
क्योंकि उन्होंने उदयपुर की दुर्घटना के संबंध में मुझे परिचय दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने आपकी सेवा में आज ही स्थगन प्रस्ताव दिया है और पहले दिया है, ठीक दस बजे...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के सम्बन्ध में उसको सबसे पहले देखूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक निवेदन कर रहा था। ऐसी घटना हुई है उसके बारे में आपने चर्चा का अवसर दिया, मगर संवेदना तो उनको सदन की तरफ से जानी चाहिये, आपकी तरफ से जानी चाहिये। आपको सक्षम अधिकार है। आप सदन की तरफ से उन परिवारों को संवेदना भेजें।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मेरा यह निवेदन है कि माथुर साहब ने जो प्रस्ताव रखा कि उनके परिवारों को संवेदना का प्रस्ताव, जो भी आप उचित समझें, भेजें। यह घटना आप जानते हैं कि बड़ी दुखपूर्ण घटना है सारे सदन को बड़ा दुःख है। मेरा सुझाव यह है कि इसे कल आधे घंटे के लिये रखें। माननीय मुख्य मंत्री जी मौके पर होंगे तो उचित भी होगा और ठीक रहेगा। बाकी जैसा आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री का जो सुझाव है वह मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य है।

श्री रामनारायण चौधरी : गृह मंत्रीजी ने जो आज वक्तव्य दिया इससे एक तरफ तो गृह मंत्री जी का वक्तव्य प्रसारित होगा और दूसरी तरफ राजस्थान की आम अवाम, एक करोड़ जनता को पता नहीं चल सकेगा, वास्तविकता का। सरकारी पक्ष बचाव, प्रोटेक्शन चाहता है। मान्यवर, या तो उनको मौका देना नहीं चाहिये और अगर मौका दिया तो आपकी जो पूर्व व्यवस्था है इसके अनुसार आधे घंटे की चर्चा का मौका दे दिया जाय, ताकि हमारे पास जो जानकारी है वह हम गृह मंत्री जी को दें।

मान्यवर, यह जो सारी घटना घटी है इसके पीछे राजस्थान सरकार और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही है और यह कर्तव्य में निष्ठा न होने का प्रतीक है। इसको अगर आप कल लेना चाहते हैं तो इसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे से पूर्व वक्ता माननीय माथुर साहब ने जैसा फर्माया कि लॉ एंड आर्डर बिगड़ने की यह हद है। दशहरे के अवसर पर 3-3 आदमियों के मर जाने पर भी और सैंकड़ों के घायल हो जाने पर भी...

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : यह भाषण बाजी बन्द करें। इसको राजनैतिक रंग दिया जा रहा है जो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। गृह मंत्री जी का जो सुझाव है मेरे ख्याल में उचित है। मुख्य मंत्रीजी भी कल यहां आ जाएंगे। बहस को सार्थक बनाने के लिये उनकी उपस्थिति में बहस होगी जो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक होगा। वैसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से इस संबंध में सार्थक रूपेण चर्चा मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में होती तो ठीक रहता। अतएव मेरा निवेदन है कि इस बारे में कल चर्चा हो।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस कल रखने के लिये गृह मंत्री जी के सुझाव पर आपने जो राय दी, मैं यह मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है और मुख्य मंत्रीजी हों तभी चर्चा सार्थक होती है · · ·

(व्यवधान)

मेरा यह निवेदन है कि फिर कल मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी, जो कोई हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके लिये तैयार होकर आवें। आकर यह नहीं कह दें कि हम तैयार नहीं है, हमें तो मालूम नहीं कि किसको लाइसेंस दिये गये थे, टेक्निकल इंतजाम कब हुआ, कौन इन्सपेक्टर है। सभी प्रश्न के लिये तैयार होकर आवें।

श्री अध्यक्ष : भूमिका आदि सब बन चुकी है, जानकारी दीजिये, चर्चा हो जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा यह निवेदन है कि दो एक्सीडेन्ट्स हुए हैं, गंभीर एक्सीडेंट्स हुए हैं, जानें गई हैं। सदन को आज ही संवेदना भेजनी चाहिये थी मगर हम इसी बात को महत्व दे रहे हैं और लॉ एंड आर्डर में फंसा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जैसे सरकार कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगी। मैं फिर कहता हूं ये एक्सीडेन्ट्स आपके राज में भी हुए हैं और होते हैं। जब यह तय हो गया कि कल आधे घंटे के लिये बहस होगी तो फिर दिक्कत क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट पढ़ कर सुना दिया। उसके बाद में आपने भी फर्मा दिया कि बहस कल होगी, मुख्य मन्त्री जी के रूबरू होगी। इसका मतलब यह हुआ कि गृह मन्त्री जी कोम्पीटेन्ट नहीं हैं या उनको डर है कि मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं है और वे ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण के रूप में, जहां तक आसन का उत्तरदायित्व है, कहना चाहूंगा · · · ·

श्री राम नारायण चौधरी : आपका स्पष्टीकरण महान् और अंतिम होगा लेकिन इनको भी तो सदन के सामने · · · ·

(व्यवधान)

मान्यवर, गृह मन्त्री जी उस रोज नाराज हो रहे थे, उग्र हो रहे थे। मि. आर. के. दास गुप्ता ने कह दिया था कि This Government is a Government of impotents. अगर आपमें मर्दानापन है, आपमें स्वयं में पोटेंसी है तो आज बहस करायें लेकिन potent force of the Government is not here today. The force of the impotent Government is here.

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : गृह मंत्री जी यह कहते हैं कि · · ·

(व्यवधान)

माननीय सदस्य डिस्टर्ब करते हैं। इतने वरिष्ठ सदस्य होते हुए · ·

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : यह पालिटिकली इम्पोटेन्ट थे, यह कहा था। आपने नहीं माना तो विधान सभा में इनको इम्पीटेन्ट कह दिया। This is unparliamentary.

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : जो कुछ दुखद घटना हुई है, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उसको राजनैतिक रंग देने की बात नहीं है। मैं यह कहता हूं जिस पक्ष का दोष हो उसको दण्ड दिया जाये।

माननीय खेतसिंह जी ने और माननीय राम नारायण चोधरी ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : कहिए, कहिए।

श्री सम्पतराम : जो कोई दोषी व्यक्ति होगा उसको दण्ड देने के लिए तैयार हैं। मैं यह निवेदन करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी खुद मौके पर गये हैं।

(व्यवधान)

सदन के नेता मौके पर जायें यह सबसे बड़ी और सही सूचना देने की बात होगी। इसलिए सदन के हित में और निर्णय के हित में मेरा यह सुझाव है। अगर माननीय सदस्यों का सुझाव अभी चर्चा करने का है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : Ready today···

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी ऐसी बात होती है तो यह आंसू पोंछने के लिए रोने लगते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आपके आंसू देखकर रो रहे हैं।

श्री भाकोसिंह : यह लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति हो रही है। माननीय सदस्य की 3400 रु. की चोरी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जैसा कि कहा है, एक माननीय विधायक के चोरी हो गई है। वह आपका जुरिस्डिक्शन है। वह असेम्बली में पार्टीसिपेट करने के लिए आयें और पीछे से विधायक निवास में चोरी हो जाये तो इसके बारे में पुलिस को इत्तिला करके कार्यवाही की जाये। वह गम्भीर प्रश्न है कि एम. एल. ए. के मकानों पर चोरी हो। अभी तो एम. एल. ए. के मकानों पर चोरी हो रही है फिर आपके मकान पर भी शुरू हो जाएगी। इसलिए होम मिनिस्टर साहब बयान दें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है, माननीय सदस्य अपने काम को अन्जाम देने के लिए विधान सभा में आयें और पीछे से उनके घर में चोरी हो जाये तो माननीय सदस्य किस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही में अपना

(श्री रामनारायण चौधरी)

सहयोग दे सकेंगे। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है। जब हम यहां आये हैं तो पीछे से हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। माननीय सदस्य के घर से चोरी कर ली गई। आप गृह मंत्री जी को सही प्रकार की व्यवस्था करने के लिए कहिए। वह इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि माननीय सदस्य निर्भीक होकर अपने काम को अन्जाम देने के लिए आयें।

श्री माधोसिंह : जो पक्ष में हो जाते हैं, उन्हीं की चोरी हो जाती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो लोग खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं उनके घरों पर चोरी हो जाती है तो उनकी भी जिम्मेदारी सरकार की है। क्या उनके लिए कोई विशेष प्रबन्ध किया जाएगा? अगर आपके लिए कोई विशेष इन्तजाम किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : लॉ एण्ड आर्डर के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। लोग जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बोलने नहीं दिया गया। जब बहस का समय आएगा तो इस पर बहस होगी। लॉ एण्ड आर्डर पर आज बहस होने की व्यवस्था कहां है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब कोई भेद भाव नहीं करते हैं चाहे वह एम.एल.ए. हो या कोई और व्यक्ति हो। अगर आपके पीछे से चोरी हो जाती है तो वह आपके पीछे भी व्यवस्था कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : 3400) रु. या 3500) रु. की चोरी हो जाती है। आप उन रुपयों को जेब में रखा करिये। वहां घर पर क्यों रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग यहां पर आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह चोरी का प्रश्न नहीं है। चोरी अगर किसी व्यक्ति के घर होती है तो वह अलग से प्रश्न है। जब हम असेम्बली की प्रिमिसेज में रहते हैं और वहां चोरी होती है तो यह तो आपका जुरिस्डिक्शन है। लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था तो रहनी चाहिये। हमारे घर चोरी हो जाये तो यह दूसरा प्रश्न हो जाता है। अगर आपकी प्रिमिसेज में चोरी होती है तो यह हमारा प्रिविलेज है कि इसके लिए माकूल इन्तजाम होना चाहिये। वहां पर अगर कोई नहीं रहता है तो यह आपको इन्तजाम करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरी बात अधूरी रह गई है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात क्या अधूरी रह गई है। दुखी दुखी की बात जानता है। आपके यहां चोरी हुई है और मेरे यहां भी चोरी हुई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तानों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) सर्व श्री रघुनाथ विश्नोई, वृद्धिचन्द जैन व जेठमल बरबड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, सांचौर के विद्यार्थियों के दो गुटों में झगड़ा होने के फलस्वरूप एक हरिजन लड़के की पिटाई के विषय में।

इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य कानून और व्यवस्था पर इस सदन में होने वाली चर्चा के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

(2) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं के विषय में,

(3) श्री सूरजपालसिंह व श्री रतना राम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील भीनमाल के ग्राम जुझाजी के आसपास के गांवों में मवेशियों को चराने से रोकने की घटना के विषय में,

(4) श्री रणमलसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के किसानों से विद्युत् बोर्ड द्वारा गलत वसूलियां किये जाने के विषय में,

(5) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से चुनाव विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मकराना, बीकानेर व अन्य नगरपालिकाओं के वार्डों के पुनर्गठन के विषय में,

(6) सर्वश्री नूरा व प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जेल अधिकारियों द्वारा जयपुर सेन्ट्रल जेल के प्रहरियों की हड़ताल के विषय में,

(7) श्री रामरघुनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेड़ता सिटी पुलिस के थानेदार द्वारा की गई गलत कार्यवाहियों के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है।

(8) श्री समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भारत सरकार के रेल मन्त्रालय द्वारा आगामी 1 नवम्बर से चेतक एक्सप्रेस गाड़ी को बन्द करने के निर्णय के विषय में।

यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य चाहें तो इसे सदन के नेता के ध्यान में ला सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वतन्त्रता सेनानी आचार्य नन्दलाल शर्मा के मकान को तोड़फोड़ किये जाने के विषय में।

(10) सर्वश्री रामनारायण चौधरी, रामचन्द्र व दुलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 सितम्बर को उपजिलाधीश, दौसा के आदेशों से तहसीलदार, दौसा द्वारा कुछ हरिजन परिवारों को बेघरबार करने के विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के 10 साल के इतिहास में पहली बार मैंने, मान्यवर, व्यवस्था देने के सम्बन्ध में और एडजोर्नमेंट मोशन को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में एक डिपार्चर देखा है। मैं, मान्यवर, आपकी व्यवस्थाओं और निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकता और न ही मुझे यह अधिकार है। आप सक्षम हैं जिस प्रकार चाहें इस सदन को रेगुलेट कर सकते हैं। मान्यवर, बन्धन तो दो ही हैं, एक तो जो नियम बने हुए हैं और दूसरा जो महान परम्परायें इस सदन में पिछले 25 साल से कायम हो चुकी हैं। उन परम्पराओं का आदर करते हुए और नियमों का ध्यान रखते हुए ही इस सदन की कार्यवाही का संचालन होता रहा है और हो सकता है। मान्यवर, आज मैंने पहली बार उनसे डिपार्चर देखा। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह सही है कि इस मुद्दे का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं था। लेकिन इस मुद्दे को लेकर विदेशों में और इस देश में चिन्ता थी इसलिए यह मुद्दा मैंने उठाया था और इसका जिक्र संक्षेप में मैंने आपके कक्ष में भी किया था। आपने जो व्यवस्था दी, मान्यवर, उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपने उसको रिजेक्ट किया या अपने पास रख लिया, इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह हो गया, वहां वह हो गया, इस प्रकार की छोटी-छोटी बातें तो उठाते रहें लेकिन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों, जिनका सम्बन्ध देश की सुरक्षा, देश की आजादी और देश की शान से है, के लिये यहां पर एक मिनट का समय भी नहीं दिया जा सकता, उन पर एक मिनट भी नहीं कह सकते। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप निर्णय फर्मायें ? मान्यवर, यही नहीं इसके पीछे पालिटिक्स काम करती है, यह मुझे यहां आने के बाद मालूम हुआ। मैंने पहले दिन ही राज्य सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव, जो कान्तिभाई देसाई के सम्बन्ध में था और पोकरण में अणु विस्फोट का जिक्र किया था। संक्षेप में मैंने उनके बारे में कहा था। इन दोनों बातों का जिक्र, मान्यवर, देश के प्रधान मन्त्री के पास जायगा तो उनको यह मालूम होगा कि राजस्थान की विधान सभा में उनके पुत्र के खिलाफ और उनकी अणु विस्फोट नीति के खिलाफ चर्चा हो रही है। इसमें बाहर से भी हस्तक्षेप हो रहा है। मान्यवर, राजस्थान पत्रिका में कोई बात छप जाय तो प्रिविलेज मोशन रख दिया जाता है इसी प्रकार से, मान्यवर यह एक गम्भी

Page No 56

(56)

(श्री रामनारायण चौधरी)
प्रश्न है और हो सकता है कि हमको भी उन लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाना पड़े जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं···

श्री अध्यक्ष : यह विषय सदन के कार्य-क्षेत्र से बाहर है इसलिए मैंने यह उचित समझा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाय। आपको चर्चा उठानी है तो 5 मिनट के लिए कह दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैंने आपके चैम्बर में भी इसका जिक्र किया था। मुझे एक पत्र मिला है अमेरिका से कान्स्टीट्युएन्सी के मित्र हैं वे केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 25 जून को पत्र लिखा, उसमें यह लिखा,

"प्रिय रामनारायण, अपने देश के प्रधान मंत्रीजी आये थे, टेलिविजन के ऊपर हमने उनको अपनी आखों से देखा। जो भूमि चीन ने 14 हजार वर्गमील दबा रखी है उसके बारे में प्रधान मन्त्री ने कहा कि चीन के साथ समझौता बैठता है तो भारत यह दबी हुई भूमि, जो चीन के कब्जे में है, छोडने को तैयार है।"

इसके अलावा, मान्यवर, एक दैनिक पत्र, जो हिन्दुस्तान का लीडिंग पत्र है, का उद्धारण मैं आपके सामने पढ़ कर सुना रहा हूं–

"अमेरिका में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने एक भेंट में इशारा किया कि चीन के साथ समझौता····

(व्यवधान)

भारतवर्ष की भूमि पर जो चीन के कब्जे में है, उसको छोड़ देंगे।"

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : यह पत्र कब का है ?

श्री रामनारायण चौधरी : 9 फरवरी 78 का।

श्री मदनसिंह दांता : फिर तो कब मरी सासू और कब आये आंसू।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो डेड इश्यू है।

श्री राम नारायण चौधरी : डेड नहीं लीविंग इश्यू है, मेरी बात को सुनिये आप।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इनको तो थोड़ा सा बहाना चाहिए प्रधान मंत्री के खिलाफ कहने का···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामेंट में डिस-कस हो चुका है पचास बार···

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के राज में जमीन ली है और···

श्री रामनारायण चौधरी : बात तो सुन लीजिये आप, यह क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब विरोधी दल के माननीय नेता बोल रहे हों तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हैं, आप चाहे उन्हें इजाजत दें या नहीं, बोलते जाते हैं। यह क्या है ? आप व्यवस्था तो दें। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। क्या आइन्दा के लिए हर सदस्य अपने अपने स्थगन प्रस्ताव पर आपके बगैर कहे शुरू कर दें ? आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : आज टाइम्स आफ इंडिया में··

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : माननीय सदस्य हमारा समय बरबाद कर रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं। इसके लिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में माननीय सदस्य ने मेरे कक्ष में चर्चा की थी। दो मिनट के लिए उनको बोलने दिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी बड़ी कृपा।

मैंने अमेरिकन मित्र के पत्र का जिक्र किया और हिन्दी अखबार का भी जिक्र किया। आज जो एक समाचार अखबार में प्रकाशित हुआ है, वह इस बात का संकेत देता है कि कुछ जबर्दस्त चीज होने जा रही है जो भारत की स्वतंत्रता व स्वाभिमान पर आघात पहुंचा सकती है। भारतीय संसद ने 1962 में जो प्रस्ताव पास किया था कि चीन ने हमारी जिस भूमि को दबाया है, उस एक एक इंच भूमि को हम खाली करवायेंगे। इस संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह बड़ा अलार्मिंग है, चिन्ता पैदा करने वाला है। 'China seeks concrete proposals.' हमारे विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ से लौटे, वहां पर इंडोनेशिया कक्ष में चीन के विदेश मंत्री व हमारे विदेश मंत्री के बीच में वार्तालाप हुआ, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने हमसे कान्क्रीट प्रपोजल्स मांगे हैं। भारत जो प्रभुता संपन्न देश है चीन उसकी भूमि दबाए बैठा है। वह हमसे प्रस्ताव मांग रहा है कि हमें कान्क्रीट प्रपोजल्स दीजिए। क्या कांक्रीट प्रपोजल्स आप देंगे ? भारतीय संसद का 1962 का प्रस्ताव मौजूद है उससे जाहिर होता है कि कुछ होने जा रहा है। 14 हजार वर्गमील भूमि चीन ने दबा रखी है, उस पर कुछ सुलह होने वाली है, भारत छोड़ने वाला है।

इतना ही नहीं, अभी सुब्रह्मनियम स्वामी भारत के विदेश मंत्री के दूत के रूप में चीन गए और भारत के विदेश मंत्री ने सारा उनके आने-जाने का खर्चा उठाया। उन्होंने वहां पर वहां के नेताओं से भेंट के दौरान यह कहा कि किसी भी देश की सीमा वह होनी चाहिये जिस सीमा की वह देश रक्षा कर सकता है। इसकी लिंक कहां बैठती है ? मोरारजी ने अमरीका में दूरदर्शन से भेंट के दौरान कहा कि भारत देश के उस भूभाग को छोड़ने के लिए तैयार है जो चीन के कब्जे में है। उसकी रक्षा करने के अन्दर समर्थ नहीं है तो सुब्रह्मनियम स्वामी ने कहा कि किसी भी देश की सीमा वह होनी चाहिये जिसकी वह रक्षा कर सकता है। यह ऐसा गम्भीर प्रश्न है जिसकी ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री के एवज में यहां गृह मंत्री बैठे है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे सारे मामले का स्पष्टीकरण करें।

Page No 58

(58)

(श्री रामनारायण चौधरी)

इस सदन का यही काम नहीं है कि गृह मंत्री ने हिंडौन के मामले में सूचना दी, हमने सुन लिया। वह 5 हजार रुपये की सहायता की घोषणा करें वह हम सुन लें। यह राजस्थान की तीन करोड़ जनता का फोरम है, यहां पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिये, होती रही है और होगी। उनका जवाब आप देंगे। प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं किन्तु जनता पार्टी का राज प्रदेश व केन्द्र में है, आप जनता पार्टी के शासन के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, यहां पर मुख्य मंत्री के रूप में बैठे हैं, वहां पर प्रधान मंत्री के रूप में बैठे हैं। आप इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह महत्वपूर्ण सवाल है। विरोधी दल के नेता ने जो सवाल उठाया वह इस सदन से ताल्लुक नहीं रखता। जब आपने इजाजत दी तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी बात कहना चाहेंगे क्योंकि जब से विधान सभा का सत्र शुरू हुआ है तब से विरोधी दल के नेता ऐसे प्रश्न उठाते रहे हैं। इनको तो संसद में जाना चाहिये था, बदनसीबी से वह यहां आ गए। हमारे इन नेता का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर है। आखिरकार मुद्दा क्या है? मेरी समझ में यह नहीं आता कि विरोधी दल के नेता द्वारा ऐसे प्रश्न उठाने के पीछे क्या कारण हैं? यहां कह कर खाली प्रोपेगन्डा कर रहे हैं। इन्दिरा गांधी ने भी चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुझे याद है, हमने 1964 में यह स्टेण्ड लिया था। हमें इसलिए अन्दर रखा कि हमने कहा था कि दोनों देशों को सीमा के झगड़े पर बात करनी चाहिये।

(व्यवधान)

हम 19–19 महीने जेलों में रहे। हमारी पार्टी के नेताओं को और हमारे 1500 लोगों को इसी बात को लेकर जेल में डाल दिया। उस समय गृह मंत्री नंदा थे। हमारा कसूर यह था कि हमारी पार्टी ने स्टेन्ड लिया था कि दोनों देश पड़ोसी हैं, एशिया के बड़े मुल्क हैं, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन दोनों देशों में रहती है। दोनों उपनिवेशवाद के शासन के शिकार रहे हैं इसलिए दोनों देशों की दोस्ती होनी चाहिये। 14 साल बाद 1976 में इन्दिरा गांधी ने पिंग पांग सम्बन्ध शुरू किया। आज कहां आपको परेशानी आ रही है? मैं जानता हूं परेशानी कहां से आ रही है। 14 साल आपको कोई इस बात का सवाल नहीं आया? आपके नेताओं ने जरूरी समझा कि हम चीन से लड़ाई के जरिये जमीन छीन नहीं सकते, बैठ कर बात करनी चाहिये, वह न तो इन्दिरा गांधी की नीति है न जनता पार्टी की। आपको तो पार्लियामेन्ट में जाना चाहिये था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : अभी श्योपतसिंह जी ने एक गलत बात कही। कभी भी देश के प्रधान मंत्री, चाहे इन्दिरा गांधी हो चाहे मोरार जी भाई हो, ने यह नहीं कहा कि बल पूर्वक हमारी सेनायें वापस नहीं ले सकती। ऐसा कहना हमारी सेनाओं के मोरल को गिराना है। 1964 में सी.पी.एम. के नेताओं को इसलिए जेल में डाला गया था कि उन्होंने कहा था कि चीन का कहना है कि मैकमोहन लाइन उसके हिस्से में है।

(व्यवधान)

इस सदन में ऐसी बातें, जो देश के हित के विपरीत हैं, नहीं कहनी चाहिए। विरोधी दल के नेता ने जो कुछ कहा अगर सही है,

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
प्रधान मन्त्री ने अमरीका में कहा है, सुब्रह्मनियम स्वामी ने कहा है तो निंदनीय और दुखदाई है। सदन को मांग करनी चाहिये कि हमारी एक इंच भूमि भी चीन को नहीं मिलनी चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूंकि विरोधी दल के नेता ने चीन का प्रश्न उठाया है, इसमें हमारे प्रधान मंत्री को भी घसीटा है, आज के अखबार का जिक्र किया है इसलिए मैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इस सदन का बहुत संक्षेप में ध्यान आकर्षित करूंगा। इस बात की तो मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति के, जिस दल के शासन काल में यह जमीन किसी अन्य देश ने हड़पी; उनका शासन खतम होने के पश्चात् जमीन के बारे में उनकी चिन्ता बढ़ गयी। मै यह विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जरा अपने दिलों को टटोलिये। आपके शासन काल में इस देश का क्या चेहरा और क्या मुखड़ा आपने दुनियां के सामने रखा है. . .

(व्यवधान)

आपको सुनना पड़ेगा।

श्री बूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब तो छवि गिर गयी देश की। आप लोग और भी गिरा देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठिये।

मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। इस हाउस की स्वस्थ परम्परा यह है कि जब मंत्री जी अपने विचार रख रहे हों तो उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की सीमा रेखा क्या है इसका निर्णय 14 अगस्त, 1947 को जिस समय जितनी जमीन इस देश को अंग्रेज संभला कर गये उस दिन हो गया। भारत की लोक सभा, जिसमें आपका प्रभुत्व, में आपके दल का प्रभुत्व था आपके प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि इस देश की सीमा रेखा वह है जो कि 15 अगस्त के दिन अंग्रेज हमें संभला कर गए। वह महत्वपूर्ण रेखा...

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौनसी तारीख को श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इतिहास का अध्ययन करो, डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : आप बता दीजिए मुझे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भारत के सामने इतिहास है। आप जैसे देशद्रोही आज तक पैदा नहीं हुए। आप भारत की जमीन चीन के सुपुर्द करते हैं और हम उसको वापस लेना चाहते हैं, आप रोड़ा अटकाना चाहते हैं, आप तरह तरह का रूप दे रहे हैं। आपकी औकात है कि आप उस प्रश्न को उठायें। आप क्या झक मार रहे थे 25 साल तक ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. . .

श्री दूलाराम : आप क्या कह रहे हैं ? यह अनपार्लियामेंट्री शब्द है। आप भी झक मार रहे हैं। शर्म की बात है। देश के गद्दार और झक मारना पार्लियामेंट्री शब्द नहीं होते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दूलाराम : मान्यवर, इनसे पूछिये कि क्या इनके देश का प्रधान मंत्री झक मार रहा है ? क्या मुख्य मंत्री झक मार रहा है। शर्म की बात है मंत्री महोदय के लिए। ऐसे मंत्री, जो कि बहुत पुराने राजनीति में हैं, झक मारने वाली बात कहते हैं। आपके लिए शर्म की बात है। डूब मरने वाली बात है कि जवाहर लाल नेहरू के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दूलाराम : झक तो आप मार रहे हैं। आपकी पार्टी झक मार रही है झक मारना कैसे कहा ? आपने 60 करोड़ जनता के दिलों पर चोट पहुंचाई है और जवाहर-लालजी नेहरू को धोखा देने के लिए कहा है। जवाहर लाल नेहरू को देश मानता है और सब पार्टीज मानती है। मंत्री महोदय ने कैसे कह दिया ?...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सबसे ज्यादा देश द्रोही आप हैं। ऐसा कैसे कहा ?

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुनने की क्षमता रखें। अपने कुकर्मों को सुनें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दूलाराम : प्रश्न एक आदमी का नहीं है। प्रश्न सदन का नहीं है। प्रश्न तो 60 करोड़ जनता का है। आपने जवाहर लाल नेहरू के लिए यह शब्द इस्तेमाल किये। झक तो आप मार रहे हैं वह नहीं मार रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पक्ष की बात शासन पक्ष ने सुनी। आपका भी कर्तव्य है कि इस पक्ष की बात को भी आप सुन लें।

श्री दूलाराम : झक मारने का शब्द यह नहीं कह सकते।

श्री मूलचन्द डागा : जो जवाहर लाल जी नेहरू के लिए देशद्रोही कहते हैं वह देश-द्रोही खुद हैं।

श्री अध्यक्ष : अपनी अपनी विचारधारा है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : यह गद्दार हैं, देशद्रोही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह सामान्य बुद्धि की बात है कि किसी के शासन में भारतवर्ष की जमीन चीन ने छीन ली। अगर कोई बात शासन पक्ष की आती है

(श्री अध्यक्ष)

तथ्य के साथ, तो विरोधी पक्ष को सुननी चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : पंडित नेहरू को देशद्रोही कहा···

श्री रतन लाल वर्मा : सबसे बड़ा देश का गद्दार था। उसने देश के दो टुकड़े किये···

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैंने कह दिया साबित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूं·····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक बात बहुत मुद्दे की है कि राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल जी नेहरू को देशद्रोही नहीं कह सकते। यह कह सकते हैं कि उनकी नीतियां गलत हैं। उनको देशद्रोही कहना 60 करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं समझता हूं जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, वे शब्द वापस लें···

श्री रामनारायण चौधरी : इससे ज्यादा कहा है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय पालियामेंट, जिसमें भूतपूर्व मिनिस्टर्स थे और भी नेता थे, ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि भारत की दबाई हुई, एक एक इन्च भूमि खाली करवाई जायेगी····

श्री रतनलाल वर्मा : क्यों नहीं करवाई ?

(व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं किसने मना किया था ?

श्री रामनारायण चौधरी : अमरीका के दलाल इस सदन में बैठे हुए हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने दीजिये···

श्री भंवरलाल ऐरन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 1 बजकर 10 मिनट एक ही विषय पर हो गये। जीरो आवर तो समाप्त हो चुका है। आप मुझे सहयोग दें।

श्री भंवरलाल ऐरन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आप मंत्री महोदय से कृपया यह निवेदन करें कि कांग्रेस और भारत के इतिहास को काला किये जाने की जो घटना हुई···

श्री मूलचन्द डागा : यह पाइन्ट आफ आर्डर है। There is no point of order.,

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा तो समाप्त होनी चाहिये। मंत्री महोदय को सुन लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : जवाहरलाल नेहरू को···

दूलाराम : देशद्रोही का शब्द माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, इनको सदन से माफी मांगनी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की·····

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने····

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुनते नहीं। You should sit down.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर निकाल दीजिये, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : भावना को ठेस लगी है

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, शासन पक्ष के मंत्री को बोलना लाजमी है तो माननीय सदस्यों को बोलने दें। आपको विचार करना चाहिये..

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेरी बात सुन लीजिये···

श्री मदनसिंह दांता : यह व्यवस्था नहीं है। सुनना पड़ेगा··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कहा, गलती करते हैं। मैं तीन दिन से स्टडी कर रहा हूं, आप आसन की तरफ देखते नहीं और आसन की प्रतिष्ठा की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं। मेरे खयाल से यह मैं एक हद तक सहन कर सकता हूं। आगे आप स्वयं बुद्धिमान हैं···

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब यह भाषण देते हैं तो कुछ ऐसे स्टाइल से खड़े होते हैं···

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं तो सिर्फ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं···

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे क्या जवाब देंगे हमको····

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : आपके पास ऐसे जरिये हैं जहां तालीम होती है, वहां भेज दें··

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं··

श्री अब्दुल अजीज : ऐसे बाप और बेटे देखें हैं जो बाप के सर पर जूते लगाते हैं। पुराने लीडरों के लिये यहां कुछ कह दिया तो कोई ताज्जुब नहीं.........

Page No 63

(63)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं विनम्र शब्दों में कह रहा था··

मेजर श्री फतेह सिंह : मैं भी एक शब्द कहना चाहता हूं। मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा। कांग्रेस से सदा मतभेद रहा लेकिन पण्डित जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही कहना·····

(व्यवधान)

निर्णय गलत हो सकते हैं, यह बात दूसरी है। उन्होंने देश को प्रिपेयर्ड नहीं रखा। कोई कहे कि जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही था तो मैं समझता हूं यह समझदारी का विषय नहीं हो सकता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Three cheers, मेजर साहब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : छोड़ जाओ यह सरकार। शर्म आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो इनका करेक्टर है।

श्री मदनसिंह दांता : आपने व्यवस्था दे दी है कि इन शब्दों के संबंध में अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय देंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप कानून मंत्री हैं। सरकार की जिम्मेदारी संयुक्त है, तो क्या राजस्थान सरकार का विचार है कि नेहरू देशद्रोही है या राजस्थान सरकार के विचार नहीं हैं, लॉ मिनिस्टर के व्यक्तिगत विचार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब तक मंत्री महोदय माफी नहीं मांगते··

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, मैं 15 साल तक विपक्ष में बैठा हूं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही कहा हो। मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में किसी माननीय सदस्य के मुंह से आज तक नहीं सुना कि वे देशद्रोही थे··

(व्यवधान)

आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : जवाहर लाल नेहरू तो वह नेता था····

(व्यवधान)

श्री दूला राम : आपने खिलाफ बात कही है। नीचता की बात कही है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : जवाहर लाल नेहरू हिन्दुस्तान का वह नेता था···

(व्यवधान)

श्री दूला राम : वे खुद देशद्रोही हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अपनी गद्दी छोड़ें····

(व्यवधान)

श्री बूला राम : एक राष्ट्रीय लीडर को देशद्रोही कहा है। गांधी जी की समाधि पर शपथ लेने वालों को शर्म आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं, 15 मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.21 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

(1.42 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि सदन में व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय सदस्य विचार विमर्श कर रहे हैं अत: 15 मिनट के लिए और सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.44 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

(2.05 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर म.प. 2.05 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए पुनः स्थगित हुई।)

(2.21 म.प.)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे गलत समझा गया है। मैंने आज के दिन श्री जवाहरलाल नेहरू को सदन में कभी देशद्रोही नहीं कहा, न मेरा इरादा था। अगर माननीय सदस्यों को दु:ख पहुंचा है तो, उसके लिए मुझे बहुत खेद है।

मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रव्यापी विषय, जो इस सदन से सम्बन्धित नहीं हैं, सीधे लोक सभा या राज्य सभा से सम्बन्धित हैं, नहीं उठाने चाहिए लेकिन अगर शासन इस प्रकार की अनुमति देता है तो निश्चित रूप से जो सरकारी पक्ष है वह भी आना चाहिए। उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय मैंने निवेदन किया था कि जो चीन से जमीन आज हम वापस लेना चाहते हैं, वह किसके शासनकाल में चीन के यहां गई ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक गांव है मुनसर, उसका हिस्टोरीकल रिकार्ड है। वह हिन्दुस्तान का गांव माना जाता था लेकिन उस गांव के संबंध में लोक सभा की कार्यवाही देखें तत्कालीन सरकार ने यह स्टेंड उस समय उस गांव के लिए लिया कि not a blade of grass grows over there इसलिए चीन ने भी उसे ले लिया तो हर्ज की क्या बात है। जिस सरकार का यह रुख रहा हो निश्चित रूप से, उस सरकार के प्रतिनिधि या उस सरकार के उत्तराधिकारी आज कोई हक नहीं रखते कि हमें देश भक्ति का पाठ पढ़ायें या मोरारजी भाई या अटल बिहारीजी पर शंकायें करें। अटल बिहारीजी, मोरारजी भाई और जनता पार्टी का संकल्प है कि जो कुछ भूमि इस देश की चीन ने

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

हड़पी है, हम उसको वापस ले लें। इन्दिरा गांधी के शासन के जमाने की बात है, जो एम्बेसेडोरियल पोस्ट पुनः भरी गई, राजनैतिक संबंध जोड़े गए, जो शून्य काल पैदा हो गया दोनों देशों के संबंधों में, वह आपके ही शासन काल में समाप्त किया गया। उन तीन वर्षों में श्री नारायण राजदूत बनाए गए थे। चीन ने पहले अपना राजदूत नहीं भेजा, आपने पहले भेजा, तब आपकी प्रेस्टिज समाप्त नहीं हुई, इस देश की गरिमा समाप्त नहीं हुई ?

तो मैं पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रामनारायणजी बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं, विरोधी दल के नेता हैं, आज उनका दल दूसरे नंबर का दल है कई जगह उनकी सरकारें हैं, लोक सभा व राज्य सभा में उनका मान्यता प्राप्त दल है इसलिये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश के ऐसे मसले आते हैं तो इन पर कम से कम इस प्रकार का वातावरण देश में पैदा नहीं होना चाहिए जिससे देश को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। मेरे कहने की यह मन्शा थी कि नसीहत देना छोड़ दें, अपना पुराना इतिहास देखें और दिल पर हाथ रखकर नतीजा निकालें। आखिर देश में ऐसी परिस्थितियां किसने पैदा कीं ? 1962 में तीन दिन में 30 मील की रफ्तार से सेना को भागना पड़ा, चीन हमारी सीमा में पहुंच गया। किसके शासनकाल में सारी की सारी चीजें हुई ? कभी भी आपने उस भूमि को वापस लेने की बातचीत की ? उसके दो ही तरीके हो सकते हैं या तो रण क्षेत्र पर चल दें यानि युद्ध के जरिए से लें या नेगोसिएशन्स से उस जमीन का लें। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई दूसरी प्रक्रिया सरकार अपना सकती है। अटल बिहारी जी कोई वक्तव्य देते हैं, अपना इरादा जाहिर करते हैं तो उनके इरादे पर शक कैसे करते है ? अटल बिहारीजी और हमारे दल के लोगों ने हिमालय का आन्दोलन चलाया और प्रतिज्ञा की कि जो भूमि चीन ने हड़पी है उसको वापस लेंगे। मुझे खेद है कि सदन का काफी समय इस मिस अंडरस्टेंडिंग के कारण गया।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपना कर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर अपने विचार प्रकट करें अन्यथा हम लोग सरकार और देश की स्थिति को दिक्कत में डालेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत बड़ा अहम् प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया गया और सरकार की तरफ से इसका उत्तर भी मिला, मैं इतना इस समय कहना जरूरी समझता हूं कि जितनी जनता पार्टी हुब्बलवतन है, हम लोग, जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, भी हुब्बलवतन किसी से कम नहीं हैं। हमारी भी यही भावना है कि चीन से एक एक इंच, एक-एक चप्पा भूमि वापस लेनी चाहिए नेगोसिएशन्स के जरिए। जितने पड़ौसी राष्ट्र हैं उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यह विदेशी नीति जो कांग्रेस की रही और है, यही नीति जनता पार्टी की भी चल रही है। अगर नेगोसिएशन्स के जरिए जमीन हम सरेंडर करते हैं तो विरोधी दलों का फर्ज है कि वह सरकार को आगाह करें कि कोई ऐसी हरकत न हो जिससे अपनी जमीन उनके पास

(श्री मथुरादास माथुर)

चली जाए। इसी भावना से यहां पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए यह प्रश्न उठाया गया, आपने इजाजत दी, इसलिए चर्चा हुई। हम जनता पार्टी के सदस्यों व नेताओं से कहना चाहते हैं चाहे वे इस सदन में बैठते हों या लोकसभा या राज्य सभा में हों, किसी कोने में हों, चीन द्वारा हड़पी हुई भूमि जो भारत की है, वह भारत को वापस मिलनी चाहिए। अगर चीन व भारत मित्र राष्ट्रों की तरह जिन्दा रहना चाहते हैं, हिंदी चीनी भाई-भाई की तरह रहना चाहते हैं, तो हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। कोई मतभेद नहीं है, आप भी अभी अपने स्तर पर दबाव डालें, हम भी आगाह करते हैं कि कोई ऐसी हरकत न हो कि वह भूमि चीन के कब्जे में रह जाय और देश का स्वाभिमान चला जाए। अभी विधि मन्त्री सरकार की तरफ से बोल रहे थे उनसे कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, चीन द्वारा हड़पी हुई भूमि वापस लेने के लिए चाहे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक दो मिनट लूंगा।

मैं और मेरा दल चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि भारत और चीन की मित्रता हो। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमारे दल के शासनकाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो मित्रता की शुरुआत हुई थी उसको जनता पार्टी का शासन आगे ला रहा है, मैं इससे इंकार नहीं करता। मैंने, मान्यवर, शुरू में ही टेलीविजन की भेंट का जिक्र किया था, कोई कन्ट्रोवर्शल बात नहीं कही थी, कोई गलत बात नहीं कही थी। दूरदर्शन भेंट के बारे में मैंने अपने मित्र के पत्र का जिक्र किया एक जर्नलिस्ट ने भी पूछा था वह जर्नलिस्ट हिंदुस्तान का था, उसके बाद नवभारत टाइम्स में खबर छपी, वह पढ़कर बताई। उसके बाद आज अखबार में आया कि हमारे देश से चीन के विदेश मन्त्री ने कान्क्रीट प्रपोजल्स मांगे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं चाहता हूं इनके लिए सदन में कहा जाए, भारत की एक एक इंच भूमि हमारे पास रहे और 1962 में जो प्रस्ताव संसद ने सर्वसम्मति से पास किया था, वह अब भी कायम रहे। जो देश की विदेश नीति रही है आज उसमें परिवर्तन आ रहा है उसका जिक्र कर रहा था। मैं कांग्रेस दल के माननीय नेता महोदय से सहमत नहीं हूं कि आज भी देश की विदेश नीति वही है। आज जनता पार्टी नीति बनाने जा रही है उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश की भूमि, जो कि चीन ने हड़पी है, को 1962 के पार्लियामेन्ट के प्रस्ताव के मुताबिक हम वापस लें, समझौते से लें या बातचीत से लें। वह जमीन नहीं जानी चाहिए। यही आशय था और इसी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया था। माननीय सदस्य बहुत उग्र हो गए। जहां भी मोरारजी भाई का नाम आता है तो उछल पड़ते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने उछलने की बात कही, मेरा निवेदन है कि जिसने इस देश को श्रीमती गांधी जैसी चीज दी उससे आप अन्दाजा लगा लीजिए इतिहास यह मूल्यांकन करेगा कि देश को वह इस तरह की चीज देकर गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इसके बारे में माननीय सदस्य चर्चा नहीं होगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उछलने की बात थी इसलिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। अब इसके बारे में चर्चा नहीं होगी।

स्थगन प्रस्तावों के लिए 15 मिनट का समय मैं देता हूं। जिन्हें खड़े होकर बोलना हो वह बोल सकते हैं। 15 मिनट से ज्यादा का समय मैं नहीं दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 4 अक्टूबर को पेश किया था···

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि 32 हरिजनों की झोंपड़ियां 27 सितम्बर को तहसीलदार ने मौके पर जाकर तहस-नहस करके जला दीं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जहां आज गृह मंत्री जी ने उदयपुर वाली घटना के लिए और नौका में डूबने वाले लोगों के लिए कहा···

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सांचौर में हायर सैकन्डरी स्कूल के लड़कों में एक झगड़ा हुआ उस झगड़े का कारण यह था कि एक हरिजन लड़का जो वहां रहता था उसे तीन चार बार पीटा गया। इसलिए उसने वह स्कूल छोड़ कर सांचौर हायर सैकन्डरी स्कूल में दाखिला लिया। वह अनुसूचित जाति छात्रावास में रहता था। उसको एक लड़के, जो कि राजपूत लड़का था, ने फिर पीटा। बहुत बुरी तरह से पीटा। उसने आकर दूसरे लड़कों, जो कि छात्रावास में रहते हैं, को कहा कि मेरी बुरी तरह से पिटाई की गई है। इस चीज को लेकर लड़कों में उग्रता पैदा हो गयी। उस लड़के ने हैड मास्टर को दरख्वास्त दी कि मुझे बिना कारण लड़कों ने पीटा है और पिटने के डर से मैंने सांचौर में दाखिला लिया है। इस चीज को लेकर बात बढ़ी। जब हैड मास्टर को शिकायत की तो हैड मास्टर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो झगड़ा शुरू हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जितने लड़के थे वह सांचौर के दरबार चौक में पुलिस थाने के पास इकट्ठे हुए और दो घन्टे तक जम कर लड़ाई हुई। इस लड़ाई को सांचौर की सारी जनता ने देखा। पुलिस हैड कान्सटेबल श्री नरपतसिंह, जो कि वहां उस समय खड़ा था, शांति कराना तो दूर रहा उल्टे वह थाने में चला गया और झगड़े को प्रोत्साहन दिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक लड़के के बहुत गम्भीर चोटें आई। वह अभी तक दवाखाने में भर्ती है। उसके तीन चोटें आई हैं सिर पर और कंधे पर। उसका मुकदमा थाना सांचौर में दर्ज है। तीन चार महीने पहले भी वहां झगड़ा हुआ। पुलिस ने लड़कों की जमानतें भी और बीच में कुछ आदमियों को डाल कर शांति स्थापित करने की कोशिश की। अब उस मुकदमे को खतम किया जा रहा है और लड़कों को दबाया जा रहा है। हैड मास्टर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से आग्रह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कहूंगा कि आप एस. पी. जालौर को रिपोर्ट देने के लिए लिखें। वह इस मामले की रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हों उनको दण्ड दें। सांचौर थाने के जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने झगड़े को प्रोत्साहन क्यों दिया? इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें और शांति स्थापित करें नहीं तो और भी झगड़ा हो सकता है। शांति स्थापित करने का आपका दायित्व है। इस घटना से वहां की सारी जनता दुखी है। करीब दो घंटे तक लड़कों में लड़ाई होती रहे और कोई बीच-बचाव नहीं करे, यह क्या तमाशा है?

श्री दूलाराम : मेरा भी एक क्वेश्चन है। दोनों का एक साथ ही जवाब दे दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इतने वर्षों की आजादी के बाद सामाजिक व्यवस्था जिस स्तर पर आनी चाहिए थी वह उस स्तर तक नहीं आई है। जगह जगह ऐसी घटनायें पहले भी हुई हैं और कुछ अब भी हो जाती हैं। यदि कास्ट कन्सीडेरेशन के कारण या और किसी कारण से झगड़ा हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैं अधिक तो क्या कहूं मैं यह जरूर व्यवस्था करूंगा कि उस इलाके से संबंधित किसी अधिकारी, जो कि डी. एस. पी. रैंक से कम नहीं हो, को यह जांच दे दूंगा और वह देख लेंगे। यदि माननीय सदस्य को इससे भी सन्तोष नहीं हो तो मैं स्वयं भी देख सकता हूं।

जहां तक पुलिस के बारे में आपने कहा, इस जानकारी के लिये भी मैं डी. आई. जी. से कहूंगा कि वह जांच करें। अगर पुलिस की नेगलीजेन्स रही है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने मुझे इजाजत दी थी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये से बहुत ही गम्भीर मुद्दा उठाया है कि किस प्रकार से आज नौकरशाही सरकार पर हावी होती जा रही है। आपातकाल में सरकार की नीतियों का अधिकारियों ने धींगा-मस्ती करके, अत्याचार करके और कानून को हाथ में लेकर एग्जीक्यूशन किया उसी तरह से गंगानगर जिले के जो जिलाधीश हैं वह अन्त्योदय योजना का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को खातेदारी के अधिकार दिये गये उनसे रंजिश या राजनैतिक कारणों से उनको कैंसिल करके उस जमीन को रिज्यूम करके सरकार के रेवेन्यू कमिश्नर के आदेशों के विपरीत अन्त्योदय के नाम पर उन लोगों को जमीनें अलाट कीं जिनके पास पहले से 40 बीघा जमीन थी। श्रीमान्, यही नहीं, हाईकोर्ट के स्टे आदेश आने के बाद में भी पटवारी से कह कर पीछे की तारीख में सरकारी रिकार्ड में हेरा-फेरी करके उनको कब्जा देने की कार्यवाही की गई है कागजों पर। जिलाधीश महोदय जयपुर के सर्किट हाउस मे ठहरे हुए थे 28-11 से लेकर 2-12 तक, परन्तु 30-11 को

Page No 69

69

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

तारीख में गंगानगर में होना बताया गया। जिलाधीश महोदय सर्किट हाउस जयपुर में ठहरे हुये थे और गंगानगर से आदेश जारी कर दिया। जिस प्रकार से सरकारी रिकार्ड में फोर्जरी करके पीछे की डेट में राजस्व रिकार्ड में एन्ट्री की गई है यह कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के अलावा सबसे गम्भीर मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, जनता इस हाउस का प्रोटेक्शन चाहती है। राजस्व मंत्री महोदय को उन लोगों ने शिकायतें कीं। जांच का आश्वासन दिया गया परन्तु कोई जांच नहीं की गई। एक ऐसा ही उदाहरण है कि जो आदमी जेल में सजा काट रहा था, जो 28–11 को जेल के अन्दर था, उसको जमीन का वास्तविक कब्जा दिया जाना बताया गया है। 28–11 को पटवारी ने जिलाधीश के आदेश से जमीन का कब्जा दिया बताया जब कि वह राज्य सरकार की कैद में बन्द था। जिलाधीश में सम्पूर्ण शक्तियां निहित हैं। वह राजस्थान सरकार की शक्तियों का प्रतीक है। जिस तरह से परिवार नियोजन में अधिकारियों ने धींगा मस्ती की उसी तरह से गंगानगर के जिलाधीश महोदय ने अन्त्योदय योजना के एग्जीक्यूशन में की। वे लोग रेवेन्यू कमिश्नर से मिले हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले हैं लेकिन कोई रिलीफ नहीं····

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

यही नहीं, उन अधिकारियों का कितना इन्फ्लूएन्स····

श्री परसराम मदेरणा : जमीन सिंचित है, असिंचित है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सिंचित है··

श्री परसराम मदेरणा : कालोनी का मामला है, इसका सम्बन्ध कोलोनाइजेशन मिनिस्टर से होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस जिलाधीश के खिलाफ जांच हो रही है। इन्होंने झूठे जागीरदार बन कर सरकार से जमीन एलाट करवा ली। उस जांच को इसलिए नहीं होने देते क्योंकि इनका इन्फ्लूएन्स है। फाइल जहां की तहां दबी पड़ी है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

भ्रष्टाचार से कमाये पैसे नाक और मुंह से निकालने का दावा करने वाली सरकार··

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बाढ़ के प्रकरण में कहा कि यह खुशी की बात है कि इस हाउस में भ्रष्टाचार के बारे में कोई आरोप नहीं लगे।

मैं निवेदन करूंगा कि पिछले 15 महीनों से वे लोग राज्य सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं कि जिलाधीश के खिलाफ जो जांच जारी की थी वह पूरी की जाये। झूठे जागीरदार बन कर लोगों की जमीनें ले लीं, इसकी जांच की जाये। खातेदारी की जमीनें रिज्यूम करके अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अलाट की गई, इसकी जांच की जाये। उन जिलाधीश महोदय ने इतना अत्याचार किया कि पुलिस अधिकारी को आदेश दे दिये कि इनकी सुनवाई न हो। रिपोर्ट की जांच न हो। इस प्रकार की धींगा मस्ती, इस प्रकार के अत्याचार अगर जनता सरकार ने शुरू में ही नहीं रोके तो निश्चित रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो हस्र

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
हुआ वही अन्त्योदय योजना का होगा। जनता के अन्दर जनता सरकार के प्रति आक्रोष पैदा होगा। जो अधिकारी उस समय सत्ता के पास थे आज भी सत्ता के पास पहुंच गये हैं और इस सत्ता को बदनाम करने में लगे हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मेरे जिले से ताल्लुक रखता है। माननीय सदस्य को कुछ फैक्ट्स गलत बताये गये हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिन्होंने फर्जी कब्जे किये थे उनसे जमीन लेकर बड़ा ही बहादुरी का काम किया है उस कलेक्टर ने··

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : जिस जमीन का हवाला माननीय सदस्य, जो कोलायत से आये हैं, ने दिया अध्यक्ष जी, 300 बीघा जमीन शामलात की थी। 75-76 में उन जमीनों को एग्रीकल्चर लैन्ड डिक्लेयर किया गया। नेचर बदली गई और जमीन का अलाटमेंट उन लोगों को हुआ जो बाहर के लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के नहीं हैं, जो सर्वेन्ट्स के रूप में थे। इसलिए उसको कैंसिल करके रिज्यूम की गई है, गांव वालों के हित में रिज्यूम की गई है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : तू····

श्री मूलचन्द डागा : These words should be expunged. It is derogatory

श्री अध्यक्ष : पहले ही कहा था अंकित न हो।

श्री मदनसिंह दांता : अंग्रेजी में 'you' की क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष : 'you' का मतलब है आप। 'you' का इक्विवलेंट शब्द हिन्दी में आप, तुम और तू। अंग्रेजी में 'you' में सब आ गया।

श्री अब्दुल अजीज : स्थगन प्रस्ताव जो भी आते हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं। आपके माध्यम से मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है नगरपालिकाओं के वार्डों के चुनावों के बारे में····

(व्यवधान)

कृपया मुझे संरक्षण दीजिये ताकि मेरी बात मंत्री तक पहुंच जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव नगरपालिकाओं के हाल ही के चुनावों के बारे में दिया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के विधि मंत्री, चुनाव मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान इस

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अब्दुल अजीज),

बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में जो मकराना, बीकानेर और दीगर मुकामात की नगरपालिकाओं के वार्डों में जो चुनाव हुए हैं उनमें जो अनियमिततायें हुई हैं उनको आप देखेंगे तो इस सरकार के इरादे आपको नजर आयेंगे। मैं मकराना का सबसे पहले जिक्र करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के वार्डों के बारे में अखबारों में छपा है, वार्डों के प्रपोजल राज्य सरकार ने अपने सेक्रेटरीज और एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के मार्फत बड़े राजनैतिक आधार पर किये हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि किसी एक पार्टी को सत्ता में लाने का इरादा है। लोगों की जो हैसियत है काम करने की उसको नजरअन्दाज किया जा रहा है। भारत के आइन में जिस प्रकार भारत के सिटीजन को अधिकार हैं उसको फेल्योर करने के लिये आपने अधिकांश लोगों की इच्छाओं के विपरीत वार्ड बनाये हैं। वार्डों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया है और इस तरह से बनाया गया है ताकि अपनी पार्टी को कामयाबी प्राप्त हो जाय। दो साल पहले इस मामले को लेकर एजीटेशन हुआ था। अगर ये वार्ड बनाने थे तो लोगों की मांग के अनुसार वार्डों के बनाने में क्या दिक्कत थी? अध्यक्ष महोदय, वार्डों के बनाने में एक मोहल्ले की आबादी हो जाय दो हजार, और दूसरे वार्ड की आबादी हो जाय 700 ही तो मैं यह नहीं कहता कि किसी वर्ग विशेष को लाभ नहीं पहुंचे, मैं तो ज्यादा खुश होता राज्य सरकार की उस पालिसी से जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचता और उनका सामूहिक विकास होता लेकिन इसके विपरीत मकराना में एक वार्ड 2100 की आबादी का है और दूसरा वार्ड केवल 700 की आबादी का ही है। इसका जो आधार रखा गया है इसका विरोध जिलाधीश स्तर पर हुआ। एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं उन्होंने राज्य सरकार को सूचना दी और यह कहा है कि जो वार्ड बनाये हैं उनके सम्बन्ध में ऐतराजात आये हैं, जो प्रपोजल आये हैं कि जो वार्ड गलत बनाये हैं उस नोटिफिकेशन की आप जांच करके देखिये, जो मांग कर रहे हैं वह सही है। जिलाधीश ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर ने सूचना दी है। आब्जेक्शन सुनने के बाद मैं मानता हूं जो प्रपोजल पहले थे, वही रहने चाहिये और जो नये प्रपोजल बनाये गये हैं, वह गलत हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात, जो किसी कम्युनिटी विशेष के विपरीत है, नहीं करनी चाहिये। बीकानेर के लोगों ने भी मुख्य मंत्री को लिखा है। मुख्य मंत्री महोदय से मैं मिला हूं। माननीय सूर्य नारायण जी चौधरी, जो इलेक्शन के मंत्री हैं, ने कहा है कि मैं क्या कर सकता हूं? मेरा गला पकड़ा जा रहा है। मैं मानता हूं जो कलेक्टर मानता है वह सही है, लेकिन जो यह कहा गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा गला पकड़ा जा रहा है, तो क्या सत्ता में बैठे हुये मंत्री जी सरकार में इतने भी सक्षम नहीं हैं? कौन-सी शक्ति उनको दबा रही है? अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा कीजिये, इनको कौन बचायेगा। एक तरफ कहते हैं हम माइनोरिटी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आगे लायेंगे और उन्हें हिन्दुस्तान में पनपने का मौका देंगे, उनकी आजादी को कायम रखेंगे दूसरी तरफ इस तरह से वार्ड बना रहे हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अब्दुल अजीज)
इस तरह के वार्ड बनाने से आपके खिलाफ रिट हुई है और रिट में हारेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का वातावरण क्यों राज्य सरकार बनाये जिससे आप लोगों का एतबार खो रहे हैं। आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का विश्वास हासिल करना चाहिये। आप उनकी मदद करें और अपनी घोषणाओं के विपरीत आचरण न करें···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य !

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं अदबपूर्वक निवेदन करता हूं कि कई बार ऐसी घटनाओं से राज्य सरकार को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं आगाह करता हूं आपके माध्यम से अगर आप इन हालातों से सजग नहीं रहे और अपने दिमाग को नहीं बदला तो लोग फसाद खड़ा करेंगे उस फसाद की राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर लिख दें, गलत है उसके बावजूद आपने गजट नोटिफिकेशन में गलत सूचनाएं देने और गलत तरह से वार्ड बनाने का फैसला किया तो यह खेद-जनक है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जीरो आवर समाप्त हुआ।

श्री दूला राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे एक मिनट दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में बात कह दूंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री दूला राम : जो गरीबों की झोंपड़ी जला दी गई हैं, उस बारे में मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक एक माननीय सदस्य को दो दो मिनट दूं तो इसका मतलब है 10 माननीय सदस्यों को दो दो मिनट देने पड़ते हैं अर्थात् 20 मिनट। मेरे लिये सब समान हैं। अतः स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिंह दांता : आप दो दो मिनट दीजिये।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री मदनसिंह दांता : मान्यवर, हम आपके आदेश को कद्र करते हैं लेकिन हमारी भी तो सुन लें। हरिजनों के बारे में है···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री मदन सिंह दांता : आपने हमेशा, अध्यक्ष महोदय, हमारी बात पर ध्यान दिया है। हम जनता से चुन कर आये हैं तो हमें भी उनकी बात को यहां रखने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजियेगा। मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ त्याग भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिये। न अनुशासन है, न त्याग है और न आसन के प्रति सहयोग की भावना है। सदन का संचालन कैसे होगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री) : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब एक शब्द कहने की भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दूलाराम : गरीबों की झोंपड़ी का क्या होगा?

श्री मदनसिंह दांता : आदमी मर रहे हैं उसके लिए आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। दो मिनट लेना चाहता हूं। आपकी रूलिंग से आज हमारे साथ अन्याय हुआ है...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हमारी शक्ति आपको आसन पर बिठा देती है तो हम तो पावरलैस हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पर बैठा हूं आपका सहयोग और विश्वास भाजन होने से। जिस दिन विश्वास नहीं रहेगा तो एक मिनट के लिये भी यहां रहने की इच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : वह पावर आपको दे देते हैं।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का पांचवां व छठा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी जनलेखा समिति, 1978-79 के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति से सम्बन्धित विनियोग व वित्त लेखे 1972-73 एवं वर्ष 1972-73 के लेखों पर अंकेक्षा प्रतिवेदन में कृषि, खनिज एवं भू-गर्भ, पंचायत एवं विकास, यातायात, राजस्व···

एक माननीय सदस्य : पहली कक्षा के विद्यार्थी की तरह पढ़ रहे हैं...

श्री नरेन्द्रपालसिंह : राजस्व एवं शिक्षा विभागों से सम्बन्धित समिति के पांचवें प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) में वाणिज्यिक कर, आबकारी, वन, यातायात और राजस्व विभागों से सम्बन्धित समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में टिड्डी दल का आक्रमण व उस पर नियंत्रण

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूं। राज्य के कृषि विभाग को विदेश में लाल सागर की सरहद से लगते हुए देशों के क्षेत्र में टिड्डी दल...

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, बिजनेस में तो नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांग ली है। डागाजी, शायद आपको जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने खुद ने मेरा नाम लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका सूची में नाम नहीं है, तो आप कह दीजिए कि मुझे इजाजत मिल गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : डागा साहब, आपने सुना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : डागाजी की महिमा ही निराली है।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के कृषि विभाग को विदेश में लाल सागर की सरहद से लगते हुए देशों के क्षेत्र में टिड्डी दल की हलचल एवं भारत में भी टिड्डी दल के आगमन की सूचना केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जून में प्राप्त हुई। तत्काल ही सम्बन्धित जिलाधीशों एवं जिला कृषि अधिकारियों को सजग रहने एवं जिलों की टिड्डी नियंत्रण मशीनरी को गतिशील करने के निर्देश दे दिये गये ताकि टिड्डी हमलों पर समय पर नियंत्रण कार्य किया जा सके। इसके पश्चात् समस्त जिलाधीशों एवं विभागाध्यक्षों को विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों की जानकारी देते हुए उनसे सहयोग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये गये। टिड्डी दलों के आक्रमणों से संभावित जिलों में राजस्थान कृषि कीटनाशी अधिनियम, 1951 के तहत टिड्डी कीट एवं क्षेत्र को आवश्यक नियंत्रण अपनाने हेतु माह जुलाई से घोषित किया गया। टिड्डी हलचल एवं नियंत्रण कार्य के लिये निदेशालय में एक "नियंत्रण कक्ष" (कन्ट्रोल रूम) स्थापित किया गया तथा अन्य टिड्डी प्रकोप से संभावित जिलों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये।

राज्य को टिड्डी नियंत्रण कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार के परामर्श से दो भागों में विभक्त किया गया है:–

(1) निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) निर्धारित खेतीहर क्षेत्र।

निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र का जिम्मा भारत सरकार का है।

निर्धारित रेगिस्तानी क्षेत्र:-झुंझुनूं, सीकर, अलवर (केवल बानसूर एवं बहरोड़ तहसील), बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर (केवल अनूपगढ़, सूरतगढ़, नोहर, भादरा एवं सादुलशहर का कुछ हिस्सा), जोधपुर (केवल जोधपुर, फलोदी, ओसियां और शेरगढ़ तहसील), नागौर (केवल नागौर, डीडवाना एवं नावां तहसील), बाड़मेर, जालौर एवं जैसलमेर।

राज्य में टिड्डी दल के आगमन की प्रथम सूचना दिनांक 10-6-78 को जैसलमेर जिले से, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आता है, प्राप्त हुई। इसके पश्चात् बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, जोधपुर एवं जालौर इत्यादि जिलों के 264 गांवों में टिड्डयों द्वारा अण्डे दिये गए तथा फाके निकले। 264 गांवों में पौध सुरक्षा व उपचार अपना कर फाकों को नष्ट किया गया। नियंत्रण कार्य में बी.एच.सी. 10 प्रतिशत 355 टन एवं तरल रसायन 22970 लीटर प्रयोग में लाया गया। नियंत्रण कार्य स्थल-छिड़काव व हवाई छिड़काव द्वारा किया गया। केन्द्रीय सरकार के 3 हवाई जहाज हवाई छिड़काव हेतु प्रयोग किये गये।

राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र के लिये शक्ति चालित मशीन, विभागीय वाहनों एवं क्षेत्र कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध किया गया। टिड्डी नियंत्रण कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि में से राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों की मांग पर रुपये 1,48 लाख (एक लाख अड़तालीस हजार रुपये) की राशि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त टैंकर्स, वायरलैस सैट्स इत्यादि का भी प्रबन्ध किया गया। बी.एस.एफ. व पुलिस विभाग ने अपने वायरलैस सैट्स को टिड्डी की सूचना भेजने के लिये प्रयोग करने का पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी, फाके के साथ साथ द्वितीय चरण की टिड्डी दल की हलचल दिनांक 3-8-78 से शुरू हुई। द्वितीय चरण की हलचल केवल जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में रही। इन दोनों जिलों के 193 गांवों में अण्डे दिये गये। अधिकतर यह गांव दूर और बीहड़ इलाके में थे। अब तक 185 गांवों में फाके पूर्ण रूप से नष्ट किये जा चुके हैं तथा 8 गांवों में नियंत्रण कार्य प्रगति पर है। नियंत्रण कार्य में अब तक 204 टन बी.एच.सी. 10 प्रतिशत एवं 5200 लीटर तरल रसायन का प्रयोग किया जा चुका है एवं हस्तचालित व शक्ति-चालित मशीनों के अतिरिक्त हवाई जहाज का भी प्रयोग नियंत्रण कार्य में किया गया।

अभाग्यवश पाकिस्तान व भारत में तृतीय चरण में टिड्डी आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में दिनांक 20-9-78 से हलचल शुरू हुई। इसके पश्चात् बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू एवं गंगानगर जिलों में भी टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। इन दलों का आगमन मुख्यत. पाकिस्तान क्षेत्र से है। कुछ जैसलमेर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना

(श्री दिग्विजयसिंह)

कठिन था। वहां आबादी न होने के कारण टिड्डी फाकों पर नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका था। इस समय सामान्यतः हवा की दिशा पश्चिमी होने के कारण बचे हुए टिड्डी दल अरब देशों में चले जाते हैं परन्तु एक तो इस समय में जैसलमेर व अन्य क्षेत्रों में बरसात होने तथा दूसरे हवा का रूख अनिश्चित और अधिकतर उत्तर पूर्व में होने के कारण टिड्डी दल का रुख उपरोक्त क्षेत्रों की तरफ हो गया।

अब तक वर्तमान आक्रमण में राज्य के 9 जिलों में 130 टिड्डी दलों का आक्रमण हो चुका है। अधिकतर यह पाकिस्तान व भारत की सीमा पर बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में स्थिति इस प्रकार रही है:–

जोधपुर:–गांव पीलवा तहसील फलोदी एवं गांव थेब तहसील ओसियां में 7 अक्टूबर को गुलाबी टिड्डी दल देखा गया तथा दिनांक 9 को जोधपुर शहर पर ही देखा गया। 10 को निर्धारित खेतिहर क्षेत्र में भोपालगढ़ पंचायत समिति के झाला-मालिया, मालार और सालवा खुर्द गांवों में टिड्डी दल ने रात को पड़ाव डाला था। इस पर रात्रि में बी. एच. सी. 10 प्रतिशत बुरक कर 42 हैक्टेअर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य कराया गया।

सीकर:–गांव जीनाऽपुरा, सरदारपुरा, थरावटा तहसील फतेहपुर में दिनांक 5 व 6 अक्टूबर को गुलाबी टिड्डी दल देखा गया। गांव तिहारी एवं तिहवा तहसील फतहपुर में दिनांक 7 व 8 अक्टूबर को गुलाबी दल देखा गया। गांव रघुनाथपुरा तहसील पिराली में दिनांक 8 को दल देखा गया।

(3.07 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गांव पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ में दिनांक 8 को देखा गया।

चूरू:–गांव बगावतां और कल्याणपुरा तहसील तारानगर में गुलाबी टिड्डी दल देखा गया। गांव जौहरी मंडी तहसील राजगढ़ व गांव डूंगरगढ़ में गुलाबी टिड्डी दल देखा गया।

जिला झुंझनूं:–गांव ककरेऊ व अलसीसर में गुलाबी पीला टिड्डी दल दिनांक 6 अक्टूबर को देखा गया। झुंझुनूं जिले की सरहद के गांव नांगली में दिनांक 8 को एक गुलाबी दल देखा गया। यह दल नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में गांव तालाड़ी और घोमेड़ा एवं मिसघोर में देखा गया।

श्री गंगानगर में अनूपगढ़ में एक आक्रमण हुआ जो कि हैलीकोप्टर से दवाई डाल कर नियंत्रण में लाया गया।

जयपुर जिले में तारीख 10 को टिड्डी दल ने ग्राम बीलपुर व चीताणु में पड़ाव डाला था व पंचायत समिति क्षेत्र सांभर में भादेला व लालासर गांव में पड़ाव डाला था, इस पर बी. एच. सी. 10 प्रतिशत बुरक कर नियंत्रण किया गया।

तारीख 11 अक्टूबर को जयपुर जिले में टिड्डी दलों ने हस्तेड़ा व अलीसर गांव

(श्री दिग्विजयसिंह)

पंचायत समिति, गोबिन्दगढ़ में पड़ाव डाला था। इसके अलावा आमेर पंचायत समिति के राधाकृष्ण पुरा व जमवारामगढ़ पंचायत समिति में पड़ाव डाला था। इस पर भी बी. एच. सी. 10 प्रतिशत बुरक कर नियंत्रण किया गया।

जिला जालौर : साइला पंचायत समिति में अन्टला गांव में एक टिड्डी दल पाकिस्तान से आया और उस पर नियंत्रण किया गया। वर्तमान में हवा का रुख अनिश्चित होने से टिड्डी दल इधर-उधर जाते हैं किन्तु अब पुनः रुख पश्चिम व उत्तर की ओर होने से बचे हुए दल शायद पाकिस्तान की ओर चले जाएंगे किन्तु सर्वप्रथम प्रयत्न यह है कि इन्हें यहीं पर नियंत्रण में लाया जाए।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : हवा के रुख के साथ कैसे चली जाएंगी ?

श्री दिग्विजय सिंह : हवा के रुख के साथ ही चलती हैं टिड्डियां।

जो ग्रसित जिले रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं वहां का नियंत्रण कार्य दवाइयां, मशीनों एवं धन का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार की टिड्डी निरोधक संस्था द्वारा किया जाता है। जिन जिलों के जिलाधीशों ने राज्य सरकार से दवाई व मशीनों के प्रबन्ध हेतु निवेदन किया है वहां अपने भंडारण से बी. एच. सी. पाउडर, शक्ति चालित मशीनें, मिस्त्री, जीप, फील्ड स्टाफ आदि का प्रबन्ध करा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा बैठे टिड्डी दलों को बी.एच.सी. एवं मेलाथियान रसायन द्वारा बुरकाव व छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। भारत सरकार के पांच हवाई जहाज, एक हैलीकोप्टर तथा अन्य गाड़ियां और यन्त्र राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। भारत सरकार से लगातार सम्पर्क है और उनसे और अधिक यन्त्र एवं दवाई भेजने के लिए प्रयत्न जारी है। राज्य सरकार के स्वयं के साधन भी इस कार्य में पूरी तरह से लगे हैं।

राज्य सरकार ने 200 टन बी.एच.सी. रसायन की व्यवस्था कर ली है और चार जिले, जिनमें टिड्डी दल के आक्रमण की संभावना अधिक है तथा जहां से टिड्डी ग्रसित होने पर जिलों में आसानी से दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं, निम्न मात्रा में रखवा ली गई हैं :

1.	जयपुर	50 टन
2.	अजमेर	70 टन
3.	जोधपुर	50 टन
4.	गंगानगर	30 टन
	योग	200 टन

इसी प्रकार उचित संख्या में यंत्र भी उपलब्ध हैं।

इस समय एफ.ए.ओ. की ओर से दो उच्च अधिकारी एक पाकिस्तान में व एक हिन्दुस्तान में टिड्डी नियन्त्रण कार्य में सहयोग देने एवं दोनों देशों में कार्य के समन्वय हेतु कार्यरत हैं। इस प्रकार का समन्वय इस आक्रमण पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार इससे पूरी तरह से सम्बन्धित है। भारत सरकार एवं

(श्री दिग्विजय सिंह)
राज्य सरकार द्वारा मार्च माह में प्राप्त एफ.ए.ओ. की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् से किये गये प्रबन्ध का काफी अच्छा असर रहा है। इसके कारण समय पर नियन्त्रण कार्य की व्यवस्था की गई एवं टिड्डी पर यथा सम्भव नियन्त्रण किया गया। टिड्डी दलों का आक्रमण केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों के जिलों के साथ-साथ खेतीहर क्षेत्रों के जिलों में भी भयंकर रूप से हुआ था। टिड्डियों का आक्रमण हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश तक रहा।

इस समय विभिन्न देशों में मौजूद टिड्डी स्थिति के आधार पर ऐसी सम्भावना है कि अगले तीन वर्षों में भारत एवं पाकिस्तान में टिड्डियों का आक्रमण हो सकता है जिसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार समय से कदम उठा लेगी।

जिन इलाकों में इस समय टिड्डियों का आक्रमण हुआ है उनमें से अधिक में खरीफ की फसल कट चुकी थी और रबी फसल अभी बोनी बाकी थी। अतः आक्रमण से फसल को कहीं भी विशेष हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सम्बन्धित जिला अधिकारी नियन्त्रण कार्य में व्यस्त थे। उनसे हानि की विस्तृत और अधिकृत सूचना मांगी गई है।

जैसा मैंने पहले कहा, स्थिति नियंत्रण में है। आशा है कि राज्य में जो दल बचे हैं उनका सफाया कर दिया जायेगा। हवा का रुख बदलने से कोई नया टिड्डी दल पाकिस्तान की ओर से नहीं आ पाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : एक व्यवस्था का प्रश्न है।...

उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया और अभी-अभी कृषि मंत्री ने हाउस में एक स्टेटमेंट दिया है। यह जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, वह बड़ा टाइमली है, इसकी आवश्यकता थी। राजस्थान टिड्डियों के आक्रमण की वजह से तबाह हो रहा है। हम भी इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और सरकार को सुझाव देना चाहते हैं। इसलिए इस पर चर्चा का मौका मिलना चाहिये। कल हाउस एडजोर्न हो रहा है और ये सब गायब हो जायेंगे। गवर्नमेंट ने तो अपनी बात कह दी है। टिड्डी दल ने मैदान का मैदान साफ कर दिया है। इसलिये यहां पर चर्चा करने का मौका दें जैसा कि गृह मंत्री महोदय के स्टेटमेंट पर चर्चा करने के लिये कल का समय दिया है। इसलिये इस पर भी चर्चा करने को क्या आप समय देंगे?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 119 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, विशेष चर्चा करने के लिए। यह हमारे इलाके का अहम् सवाल है। मंत्री महोदय ने यहां पर रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी वह बिल्कुल गलत है। टिड्डी दल ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इतना नुकसान हुआ है कि खरीफ की सारी फसल कोलायत तहसील में टिड्डियों ने 99% नष्ट कर दी है। इतनी फसलों की हानि हो चुकी है। माननीय मंत्री महोदय को उनके अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है। इसलिये इसके ऊपर सदन में विचार-विमर्श होना चाहिये। अगर इस पर विचार-विमर्श नहीं होगा तो हम जनता के साथ

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

विश्वासघात करेंगे। अतः इसके लिए समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अहम् मसला है। मेरे इलाके में ज्यादा दिन तक टिड्डियां ठहरी हैं और वहां से मल्टीप्लाय होकर दूसरे जिलों की ओर गई हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिये और हम सबको विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा उससे हमें ऐसा मालूम पड़ा जैसे कहावत है "लपक झपक बहुत दौड़े किन्तु कम्पनी लौट कर नहीं आई"। बोर्डर डिस्ट्रिक्ट पर, पाकिस्तान के बोर्डर पर भारत सरकार आपरेट करती है परन्तु राजस्थान के जो इन्टरनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको राजस्थान सरकार ही आपरेट करती है न कि भारत सरकार। टिड्डियों का दल सात सात मील, दो दो मील तक चल रहा है। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में तो इसका प्रकोप हुआ ही है अब यह टिड्डी दल सीकर, झुंझुनू तक पहुंच गया है और जयपुर तक इसका आक्रमण शुरू हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, कह रहे हैं हवा का रुख बदलेगा और यह टिड्डी दल अपने आप चला जायेगा। हवा का रुख तो जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। इससे टिड्डी दल वापस पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। सवाल यह है कि यह जो टिड्डी दल का आक्रमण हो रहा है इसको कैसे हम खतम करें। भारत सरकार को लिखा है। उसने दवाइयां भेज दी हैं और उससे टिड्डी दल भाग जाएगा, यह आपने आशा व्यक्त की है। इस आशा के अनुसार तो ये टिड्डियां जाने वाली नहीं हैं। टिड्डी दल के आक्रमण से हमें बहुत चिन्ता है। पहले कातरा लग गया, इसके बाद सफेद लट लग गयी, बरसात ज्यादा हो गयी, फ्लड आ गया, इससे फसलों का सत्यानाश हो गया। बची खुची जो फसलें हैं उनको भी टिड्डी खा जाएगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। भारत सरकार के पास जो मशीनें, मोटरें, गाड़ियां और ट्रक पड़े हैं वहां से जब वे आएंगे तब इनको खतम करेंगे, इससे तो यह मरने वाली नहीं हैं। भारत सरकार का आदमी कोचीन से आया, उससे क्या ये टिड्डियां भाग जाएंगी? उससे क्या ये मरने वाली हैं? यह अहम मसला है। इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए समय देना होगा। यह हमारे किसानों की जिन्दगी और मौत का सवाल है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मौत तो हो चुकी है...

(व्यवधान)

श्री रतनाराम : सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में टिड्डी दल आए हैं इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए।...

श्री रघुनाथ विश्नोई : सफाया कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह पब्लिक इम्पार्टेन्स का है इसलिए इस पर चर्चा हो, परन्तु आज समय की कमी है···

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने पढ़ा है, उसमें जो विवरण दिया है उससे यह पता चलता है कि तृतीय चरण में जो हमला हुआ है उसकी जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को बाड़मेर के अन्दर सबसे बड़ा टिड्डी दल 14 किलोमीटर का आया है पाकिस्तान से, क्या उसने हिन्दुस्तान में प्रवेश किया है? यह जो चतुर्थ चरण है इस टिड्डी दल का, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई चर्चा नहीं की है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। हवा का रुख बदलने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है?

तीसरा मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से जब 'लपक झपक कर, के जैसा डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, यह कारगुजारी आपने दिखाई, तो यह टिड्डी दल जयपुर सांभर तक पहुंच गया है, वहां पर आप टिड्डी दल को साफ नहीं कर सके, इसका क्या कारण है?

चौथी बात यह है, बाड़मेर जिले में अभी फसलें काटी नहीं गयी हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि फसलें कट गई हैं और अब जो फसल बोने जा रहे हैं, उसमें नुकसान नहीं हुआ है। यह गलत है। वहां पर तो टिड्डी दल ने फसल को नष्ट कर दिया है, चौपट कर दिया है। एक दाना भी नहीं बचा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा एक निवेदन सुन लीजिये। इस बारे में चर्चा अवश्य होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : कब?

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ कर बता दूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरा एक सुझाव···

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझावों को भी ले लेंगे। आप अपने सुझाव दे दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा सुझाव है कि आज अगर कोई इम्पोर्टेन्ट वर्क है तो उसके लिये हम टाइम बढ़ाने को तयार हैं। मगर यह बहुत ही अहम मसला है। इस पर आज विचार नहीं किया गया तो बहुत डिले हो जाएगी। हम ज्यादा देर बैठने के लिये तैयार हैं। आप इसके लिये इजाजत दीजिये, 1–2 घंटे की बहस के लिये हम तैयार हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आज विधायी कार्य है किन्तु मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान इस बात के लिये व्यग्र हैं कि हमारी विधान सभा क्या कर रही है? मेरा आपसे आग्रह है कि अभी का अभी सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके इस पर विचार किया जाय। सही मायने में फसल अभी कटी नहीं है बल्कि उसको टिड्डी खा चुकी है। अकाल की छाया कम से कम हमारे बीकानेर में छा चुकी है। माननीय मंत्रीजी ने इस पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मैं उनको सही तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि कल इसके ऊपर विचार करके चर्चा होगी। कल भी इतना समय नहीं मिलेगा। इसलिये आज ही हो जानी चाहिये। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद हो तो मार्च-अप्रेल महीने में मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था कि इस वर्ष भारत में टिड्डी आने वाली है, उसके लिये तैयार रहना चाहिये। वह सूचना इसलिये दी गई थी कि जिससे–

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

करोड़ों रुपयों के नुकसान का जो अन्देशा था उस पर पहले से सजग रहा जाता। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा आज ही होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : अब तक इन्होंने दवाइयां मंगाई हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : दवाइयां रोम से आ चुकी हैं।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि झुन्झुनूं जिले में, जिसका मंत्री जी ने विवरण दिया है, आखिर तक यह टिड्डी दल रहा है। वहां पर कोई भी इन्तजाम नहीं हुआ··

(व्यवधान)

इनकी जो मशीनें हैं वे जली हुई मशीनें हैं। इसलिये निवेदन है कि कोई सक्षम कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि वे स्वयं इस बारे में चिन्तित हैं। फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भी पूछ रहा हूं कि क्या आज ही इसको रख दिया जाय। बहुत मुख्य एवं माकूल विषय है इसलिये कार्यवाही के पीछे ले सकते हैं। फिलहाल जो विधायी कार्य है उसको ले लें।

श्री भंवरलाल शर्मा।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की अनुमति है कि नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ व पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्यनारायण चौधरी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ व पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की अनुमति है कि विधान सभा (अधिकारियों व सदस्यों के परिलाभ व पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ व पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978 का पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ व पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

व्यवस्था का प्रश्न

संकल्प की सूचना–संकल्प का रूप–संकल्प पर संशोधन

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा एक बहुत स्टेट्यूटरी पाइन्ट है। आज हमारे विद्युत् मंत्री यह चाहते हैं कि इन्हें 350 करोड़ रुपये की धन राशि का ऋण लेने की परमिशन दी जाय। मेरा पहला सवाल तो यह है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रूल 106 में प्राइवेट सदस्य के लिये 15 दिन रखा है। 15 दिन का टाइम वे ले सकते हैं। आपको अमेण्डमेन्ट करना है तो 112 में है : Amendments, "After a resolution has been moved any member may, subject to rules relating to resolution, move an amendment to the resolution." मुझे कम से कम एक या दो दिन मिलने चाहिये ताकि मैं अमेण्डमेन्ट दे सकूं।

दूसरी चीज यह है, ज्यादा ध्यान इस पर इसलिये दिलाना चाहता हूं कि रिजोल्यूशन की जो लैंग्वेज है वह है "मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत् अधिनियम, 1948 धारा 65 उप-धारा (3) के अधीन तथा परिकल्पित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम सीमा 350 करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।" मैं पहले यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार का प्रस्ताव कैसे बनता है? आपका रिजोल्यूशन क्लियर नहीं है। रूल में साफ लिखा है : "shall clearly be precisely expressed" इसके लिये रूल्स बने हुए हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो रूल्स बने हैं उनमें साफ लिखा है कि आपको इसका

(श्री मूलचन्द डागा)
हिसाब पेश करना पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट्स पेश करनी पड़ेगी। क्या आप इसी तरह से इसे रख सकेंगे? हमें मालूम नहीं है कि सरकार के क्या प्रपोजल्स हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आप किस रूल का हवाला दे रहे हैं, बताइये जरा?

श्री मूलचन्द डागा : That is I am just mentioning.

"(1) Unless otherwise expressly provided in these rules the Board shall not borrow any sum of money except with the previous sanction of the State Government.

(2) While applying for previous sanction of the State Government under sub-section (1) of Section 65, the Board shall furnish all such particulars of the amount, purpose, nature and circumstances of the proposed borrowing as the State Government may require."

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हां, तो यह स्टेट गवर्नमेंट के लिये हुआ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं कब कह रहा हूं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जो आप हमसे रिकमण्डेशन कराने के लिये आये हैं तो हमें आप पर्टीक्यूलर्स नहीं देंगे? हम चाहते हैं पर्टीक्यूलर्स मिलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोक सभा या विधान सभा के प्रोसीजर को कोट कर सकते हैं क्या?

श्री मूलचन्द डागा : यह इस प्रकार है—

"A resolution may be in the form of a declaration of opinion, or recommendation; or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House"

A resolution must contain all the facts ये रीजन्स हैं, यह योजनाएं हैं। लेकिन यह रिजोल्यूशन लेकर आते हैं, साहब, हमको 350 करोड़ रुपया लेने तक की सीमा बढ़ाइये। हम यह जान नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया है? आप चाहते हैं तो आप पास करवा लें किन्तु, श्रीमान्, आप इस बात पर कृपा करके गौर फर्मायें। आज राजस्थान विधान सभा विद्युत् मण्डल को, एक पब्लिक अण्डर टेकिंग को 350 करोड़ रु. का ऋण लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। अब इसके अन्दर हम यह चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट ने क्या रिकमण्डेशन्स की हैं। सैक्शन 65 है, उसमें क्लीयर लिखा हुआ है—

"Rules made by the State Government for the purposes of this Section ...."

यह 63 से लागू होता है। 62 के अनुसार आप हमको ये बातें बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अन्दर न तो अड़चन डालने के लिए खड़ा हुआ हूं और न रुकावट डालने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा तो सवाल यह है कि 350 करोड़ का प्रस्ताव लेकर राजस्थान सरकार आती है तो इन सारे तथ्यों की सदन को और हमको जानकारी क्यों

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं देती है कि हम इस काम के लिए स्वीकृति देते हैं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की मंशा यह है कि किसी हालत में यह रुपया ले ले। पहले यह 10 करोड़ रुपया लेने की बात थी–

'The maximum amount which the Board may, at any time, have on loan under sub-section (1) shall be ten crores of rupees, unless the State Government, with the approval of the State Legislative Assembly, fixes a higher maximum amount."

तो स्टेट गवर्नमेन्ट को मालूम है कि लोन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, वही करो। लेकिन हमारे सामने सिर्फ यह चार लाइनों का रिजोल्यूशन है। आपके होते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन क्या यह कह दे कि 350 करोड़ रुपया ले लो। हमको तो मालूम ही नहीं है कि आपके क्या आंकड़े हैं? आप क्यों लेना चाहते हैं, और किस पर्पज के लिए लेना चाहते हैं? हम इस पर अमेण्डमेण्ट दे नहीं सके क्योंकि आपने हमको टाइम नहीं दिया है।

आगे इसमें रखा है कि विद्युत् मण्डल की मीटिंग होगी, वह इस पर डिस्कशन करेगी।

श्री किशनसिंह भाटी : करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं प्रार्थना करूंगा, उस दिन जिस दिन डिस्कशन पूरा हो जाये, सारा सदन विद्युत् मण्डल की हालत की जानकारी कर ले तब आप 350 करोड़ रुपया तो क्या 500 करोड़ रुपया लोन लेने की भी स्वीकृति मांगें तो सदन देगा। आपने कुछ बताया नहीं। किसी ने कुछ नहीं बताया। हमें तो डर लगता है कि यह तकलीफ हमें देनी होगी, जनता को देनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह रीजन्स आप सदन में रख दें। कल इस पर चर्चा कर लेंगे। उन कारणों को हम आदर से मानेंगे। हमारी भावना को आप पहचानें। नहीं तो हम डार्क में घूम रहे हैं। सदन के सामने न फिगर्स हैं, न फैक्ट्स हैं। केवल सदन के सामने यह रिजोल्यूशन रख दिया है। स्पेसिफिक रिजोल्यूशन रखा है। इसलिए मैंने यह पाइण्ट आफ आर्डर आपकी सेवा में पेश किया है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो यह संकल्प रखा है, 350 करोड़ रुपया ऋण लेने के सम्बन्ध में, हम यह आशा लेकर चलते हैं कि अगर यह सर्क्यूलेट हो जाता तो जो माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं, उन्हें यह पता हो जाता कि यह क्या है, तो यह अच्छा होता। आज 350 करोड़ ऋण लेने की अधिकतम राशि नियत करने की बात है तो हम यह जानना चाहते हैं कि 150 करोड़ रुपये बोरो करने की उच्चतर नियत राशि के अगेंस्ट में हम कितना ऋण ले चुके हैं। आपके जो पेपर्स हैं, वह आपने सर्क्यूलेट क्यों नहीं किये हैं? आप 350 करोड़ लेने की स्वीकृति लेना चाहते हैं तो वह क्यों लेना चाहते हैं? Why only 350 crores? Why not 500 crores, Why not 1000 crores? Why not sky and the moon? यह हमको बताइये कि 350 करोड़ रुपया तक लेने की स्वीकृति मांगी है, उसका क्या मापदण्ड है? जब मापदण्ड देंगे तो हम सोचेंगे

(श्री मथुरादास माथुर)

कि 350 करोड़ तक उच्चतम ऋण राशि नियत की जानी चाहिये। आप सदन को समझा दें कि यह मापदण्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट, 1948 के अन्दर प्रावधान रखा गया है, यह कोई मेलाफाइडी से मैं नहीं कहता हूँ, उसमें यह प्रावधान रख दिया है इसलिए सदन की इजाजत है। हम लोग गवर्नमेन्ट के एक्सचेकर हैं, हम फाइनेंस को कण्ट्रोल करते हैं। ऋण राशि 10 करोड़ से शुरू की है, फिर 72 करोड़ की और फिर 150 करोड़ की। मैं तो कहता हूं आप 500 करोड़ कीजिये, 600 करोड़ कीजिये, हजार करोड़ भी कीजिए लेकिन आपके पास कोई क्राइटेरिया है ? हम को यह भी समझ में नहीं आता है कि क्या योजना है, कौन सी योजना है, किस काम के लिए लेंगे ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लोन ले ले लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपरेशनल चार्जेज के लिए लोन लेना चाहता है तो हम स्वीकृति देने को तैयार नहीं हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय मंत्री महोदय हमको कान्फीडेंस में लें। सदन में आपकी मैजोरिटी है इसलिए हाथ खड़े करके स्वीकार करने की बात है तो दूसरी बात है अन्यथा 350 करोड़ रुपया देने में हम असमर्थ हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह इस बात को साबित करता है कि सरकार केवल रबर स्टाम्प है। यह अपना दिमाग नहीं लगा रही।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी की बात बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मन्त्री जी का जो यह रिजोल्यूशन आया है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह रबर स्टाम्प है या नहीं लेकिन इस लेजिस्लेशन को रबर स्टाम्प नहीं समझें। जो पाइण्ट आफ आर्डर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, वह बहुत वजनी है। यह सैक्शन 65, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 में है वह धारा 65 यह कहती है कि 10 करोड़ तक बोरो करने की सीमा होगी। उससे ऊपर के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेन्ट को देने के लिए हाउस से एप्रूवल लेनी होगी। तो यह बताइये कि 10 करोड़ के बाद कब कब आपने यह राशि बढ़ाई है ? 73 के बाद में 74 से लेकर अब तक आपने क्या किया है ? 64 में गवर्नमेन्ट से अलॉट हुआ है वह 50 करोड़ है या ज्यादा है ? आपकी गतिविधियों से राजस्थान की जनता सन्तुष्ट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उससे लोग परेशान हैं, उसकी क्षमता के बारे में जनता में असन्तोष है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट को यहां पर डिस्कस नहीं किया गया और सदन की आप आथोरिटी लेना चाहते हैं। इसलिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट यह हाउस डिस्कस नहीं कर ले और माननीय मन्त्री महोदय का स्टेटमेन्ट नहीं हो जाय जो कि 13 अक्टूबर के पहले होना चाहिए तब तक केवल एक रबर स्टाम्प लगाकर यह कराना चाहते हैं यह उचित नहीं है। पिछले समय भी सदन में यह मांग रही है कि बोर्ड की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि धारा 65 के तहत जो यह

(श्री परसराम मदेरणा)
संकल्प लाये हैं इनको महत्व नहीं दिया जाय। इसको डेफर करके सदन में इस पर विचार किया जाना चाहिए और फिर आपको सदन से एप्रूवल लेनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गवर्नमेन्ट से बोरो करते हैं वह भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि एक्ट इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहता। एक एडवोकेट की कमेण्टरी है, वह भी हमने देख ली है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार से रुपया लेता है, सरकार प्लानिंग कमीशन से रुपया लाती है उसका इण्ट्रेस्ट देती है इसलिए वह आटोमेटिकली फ्लो नहीं होता है। पचास करोड़ में गवर्नमेन्ट का रुपया भी शामिल है। इसलिए इस बात पर गौर किया जाय, एक्ट की धारा 65 क्लाज (3) में कहीं नहीं लिखा है कि बोरोइंग वह है जो अदर देन दी गवर्नमेन्ट है। यह कहीं नहीं है। शिवलाल गुप्त की कमेण्टरी है उसके कहने से लॉ नहीं बन जाता। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कानून देख लीजिये कि loan by the Government to the Electricity Board is a borrowing or not by the Electricity Board, and whether the limit which you want to fix, that includes the Government loan or not, इसमें वह शामिल है या नहीं? गवर्नमेन्ट से रुपया लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से रुपया ले या कामर्शियल बैंक से...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लें वह भी बोरोइंग है, गवर्नमेंट से भी बोरोइंग है, उसमें भी गवर्नमेंट को इण्ट्रेस्ट चुकाना पड़ता है। इसलिए जो सारी बोरोइंग 350 करोड़ की है इसके लिए सदन से इजाजत लेनी चाहिए। शिवलाल गुप्त की कमेण्टरी कोई कानून नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो या और कोई लॉ हो तो बतायें। In the absence of any other thing, the commentary by Shiv Lal Gupta or any other Advocate has no value.

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेन्ट एडवोकेट के बयान दिलवा दीजिये, हम उनके बयान लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कोई नई बात कहना चाहते हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Only half minute.

उपाध्यक्ष महोदय, 1973 के बाद में इस हाउस से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। कांग्रेस शासन ने लॉ तोड़ा और अब ये भी वही कर रहे है। मैं समझता हूं कि विद्युत मण्डल का जो बजट है उस पर सदन को विचार करने का अधिकार है, उस पर विचार किया जाय। यह बात सही है कि विद्युत मण्डल के बजट को कम नहीं कर सकते। यह कहना कि इस संकल्प को पारित करना आवश्यक है क्योंकि विद्युत मण्डल को इतनी सीमा तक ऋण की आवश्यकता है तो जहां पर 9 सौ करोड़ का बजट पूरा राजस्थान का है वहां पर आप विद्युत मण्डल को 350 करोड़ तक का लोन लेने की छूट देने जा रहे हैं, इस तरह से एक छोटी सी स्टेट पैदा कर रहे हैं–

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
इसलिए इसके सब पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि आज हर आदमी यह समझता है और हम सारे मेम्बर समझते हैं, विद्युत विभाग की गतिविधियों में हमारा गहरा इन्ट्रेस्ट है इसलिये हमारे सुझावों से निश्चित तौर से विद्युत मन्त्री महोदय लाभान्वित हो सकेंगे। मेरा निवेदन है कि केवल अधिकारियों पर डिपेण्ड नहीं करके इस पर विचार-विमर्श किया जाय और फिर यह संकल्प लाया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह वेलिड है, वह इस मायने में कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्ज के लिये··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया उसको वेलिडेट करने के लिये क्या यह जरूरी है कि दूसरा आदमी इसको···

श्री रामनारायण चौधरी : आपने पहले से यह कैसे अन्दाजा लगा लिया···

श्री उपाध्यक्ष : आपने मूलचन्द डागा का रेफरैन्स दिया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए सब कुछ कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका उग्र होना भी वाजिब है—

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप संक्षेप में कहिये।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह 350 करोड़ की स्वीकृति लेना चाहते हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह होगा कि हम जागरूक नहीं हैं—

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजली बोर्ड के द्वारा ऋण लेने की राशि 350 करोड़ नियत करने जा रहे हैं। इसकी आथोरिटी हाउस से लेना चाहते हैं। इस आथोरिटी को सैंक्शन करने के लिये मन्त्री महोदय ने 350 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च तक आपको जितने धन की आवश्यकता हो, उसको खर्च करने की स्वीकृति ले लीजिये। हमको कन्विन्स करिये कि आज आपकी स्थिति यह है और किन किन कामों के लिये आपको लिमिट बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिये विधान सभा की स्वीकृति आवश्यक है। अगर आप कन्विन्स नहीं करेंगे तो हो सकता है बोर्ड उस रकम को दो साल तक खर्च नहीं कर सके। इस तरह से आगे के लिए भी नहीं पूछ सकते और फिर आप नैक्स्ट लेजिस्लेचर को बाउण्ड नहीं कर सकते। आप हमें स्कीम दीजिये कि आपको इसके लिए आवश्यकता हो रही है, इतना रुपया आपने खर्च किया और अब कितने रुपये की आपको आवश्यकता है। आज तक हम इस हाउस से स्वीकृति देने वाले हैं और आप लेने वाले हैं। हमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

कन्विन्स कीजिये ताकि हम आपको दें। माननीय रतनलालजी वर्मा ने कहा कि मंत्री महोदय रेवेन्यू स्टाम्प नहीं हैं तो यह सदन भी रबर स्टाम्प नहीं है, आपको इस हाउस को भी रबर स्टाम्प नहीं बनाना चाहिए। आप 600 करोड़ लीजिये, 1100 करोड़ लीजिये, राजस्थान के विकास के लिए हम पूरे अधिकार देने को तैयार हैं लेकिन रूपरेखा दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस संकल्प पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया उसमें बहुत ही वजन है। सरकार संकल्प लेकर हमारे सामने आई कि हमको इजाजत दी जाय 350 रु. करोड़ का ऋण लेने की। विद्युत् मण्डल हमको कोई रिपोर्ट नहीं देता। लगातार $1\frac{1}{2}$ साल से पिछले सदन की बैठकों के दौरान हमने यह बात जानने की कोशिश की कि विद्युत् मंडल ने क्या खर्चा किया, क्या काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है ? बताइए। यह पैसा हमारी इजाजत से लिया था, हमें पता नहीं क्या खर्चा हो रहा है। हमें विद्युत् मण्डल की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। सदन में विद्युत् मण्डल की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए मौका नहीं दिया गया बावजूद इस बात के कि हमने कहा। अब जब पैसा लेने का सवाल आया तो 4 लाइनें लिख कर कह दिया कि हमें इतना पैसा लेने की स्वीकृति दो। अन्त्योदय योजना में भी विभाग गरीब आदमी को कहता है कि भेड़ लाकर दिखाओ। गरीब भेड़ें दिखाता है तो वह रिजेक्ट की जाती है। विद्युत् मंडल में इतने जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनके दिमाग है...

श्री किशन सिंह भाटी : प्वान ए पाइंट आफ आर्डर। श्री डागा ने पाइंट आफ आर्डर रेज किया। पहले उस पाइंट आफ आर्डर पर डिसीजन देंगे या पाइंट आफ आर्डर के फेवर में 15–20 स्पीकर्स बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंहजी, श्री किशनसिंह भाटी ने जो बात उठाई है उसमें काफी तर्क है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : जितना भी पैसा है, पहले पिछला हिसाब भवकी करो फिर पैसा मांगो। इस पर बहस होनी चाहिए उसके बाद रिपोर्ट आनी चाहिए कि आप कहां खर्च करना चाहते हैं। अगर कल कोई गड़बड़ हो जाए तो देनदारी तो हमारी होगी, एप्रूवल का मतलब देनदारी है, हम इनके जामिन हैं कि रुपया डूबेगा नहीं, इनको उधार दो, डूब जाए तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हिसाब लाओ तब आगे के लिए पैसा लो।

श्री नूरा : बिजली के लिए तो पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही प्लान आना चाहिए कि वह रुपया कहां लगेगा, क्या लाभ होगा। विद्युत् मण्डल, जिसके लिए हमसे मंजूरी मांगी जा रही है, में लाभ तो नजर आता नहीं। कोई प्लान हमारे आगे होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पूर्व कि मैं व्यवस्था दूं विद्युत् मंत्री कुछ कहना चाहेंगे जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है उस बारे में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी अगर नहीं कहना चाहते तो हर्ज नहीं।

Page No 89

(89)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मूलचन्द डागा ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के सैक्शन 65 का रेफरेंस दिया है और उसमें जो आवश्यकता बताई है वह आवश्यकता केवल गवर्नमेंट के लिए है कि सब्जेक्टिव सैटिस्फेक्शन कुछ प्रपोजल्स एप्रूव करने के बाद कहां तक उचित रहता है। इसमें कहीं विधान सभा के लिए आवश्यक नहीं रखा है कि जब गवर्नमेंट रिजोल्यूशन मूव करे तो सर्टेन प्रपोजल्स, फिगर्स, विधान सभा में रखे जाएं। फिर भी विधान सभा में संकल्प रखने से पूर्व, जब उसका मोशन मूव किया जाए, जब चर्चा चले उससे पूर्व मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि जो संकल्प वे लाये हैं वह कहां तक तर्क संगत है। जब तक सदस्यों को संतुष्ट नहीं करवा सकेंगे तब तक संकल्प पारित नहीं करवा सकेंगे। मुझे आशा है, मंत्री महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, के पास जो तर्क होंगे, जानकारी होगी उससे सदन को संतुष्ट करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : एक ही दिन में कारण बता देंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस संकल्प के विषय में कई बातें प्रस्तुत की हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान विद्युत मण्डल के जो बढ़ते हुए कदम हैं और जिन बढ़ते हुए कदमों के कारण हम राजस्थान के पिछड़े प्रदेश में विद्युतीकरण की दृष्टि से छलांग लगाना चाहते हैं जिसके कारण आज वित्त की कठिनाई पैदा हुई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए लोगों के पास जाकर अधिक ऋण ले सकें, इस कारण सरकार ने विधान सभा के सामने अनुमोदन के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है। मंडल की कोई अपनी पूंजी नहीं है और उसका समस्त पूंजी निर्माण राज्य सरकार, जीवन बीमा निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, बैंकों व जनता आदि द्वारा दिये हुए ऋणों से होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 65 के अन्तर्गत विद्युत् मंडल पैसा ले सकता है। इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अन्य स्रोतों से ली जाने वाली अतिरिक्त राशि की सीमा 10 करोड़ निर्धारित की थी।

श्री मथुरादास माथुर : कहां लिखा हुआ है ?

श्री मूलचन्द डागा : kindly quote the rule.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रकार का विरोध प्रकट किया था। मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ, पिछली बार जब यह विषय आया था उन्होंने इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था। विधि की सारी राय लेने के पश्चात् हम उनके ध्यान में लाये थे तब उन्होंने प्रस्ताव वापस लिया था। मैं निवेदन कर रहा था कि धारा 65 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य अधिकरणों से लिये जा सकने वाले ऋण की सीमा 10 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है किन्तु इस सीमा को राज्य सरकार विधान सभा के अनुमोदन से किसी उच्चतम सीमा तक बढ़ा सकती है। विधान सभा ने विद्युत् मंडल की ऋण लेने की सीमा में सर्व प्रथम फरवरी, 1970 में वृद्धि की थी।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
तब इस 10 करोड़ की सीमा को बढ़ा कर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। दूसरी बार दिसम्बर, 1973 में इस सीमा को बढ़ा कर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया।

दिनांक 31 मार्च, 1978 को राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल द्वारा लिए गए कुल ऋण की राशि 366.15 करोड़ रुपये थी जिसमें राज्य सरकार का अंश 236.25 करोड़ रुपये एवं अन्य अधिकरणों से ली गई राशि का अंश 129.90 करोड़ रुपये था। अधिकरणवार विवरण इस प्रकार है :

		करोड़ रुपये
1.	बाजार से ऋण	46.50
2.	जीवन बीमा निगम	37.23
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	43.18
4.	वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा	0.82
5.	ग्रामीण डिबेन्चर्स के द्वारा	0.03
6.	कृषि पुनर्वित निगम योजना के अन्तर्गत राशि ए. एल. डी. सी.	2.14
		129.90

वर्ष 1978–79 में जो विकास कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है उसमें 37.65 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त ऋण विभिन्न अधिकरणों से लेने होंगे। इसमें से पिछले ऋणों की अदायगी का अंश 3.89 करोड़ रुपये निकाल देने पर भी कुल नए ऋण की राशि 33.76 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार 31 मार्च, 1979 तक ही राजस्थान विद्युत् मंडल अपनी वर्तमान अधिकतम स्वीकृत ऋण राशि 150 करोड़ रुपये को पार कर जावेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना, जो सामने आ रही है, के आधार पर विद्युत् उत्पादन एवं वितरण के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयास करना होगा। कोटा थर्मल परियोजना, जिससे 200 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध होगी, 1982 तक पूरी कर लेने का अनुमान है। इसी प्रकार कोटा एक्सटेन्शन से भी 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् शक्ति प्राप्त होगी। इस कार्य को तो वर्ष 1982–83 तक पूरा कर लेने का विचार है। दक्षिण राजस्थान को कृषि एवं उद्योगों के लिए विद्युत् भी उपलब्ध हो सकेगी इसके लिए माही परियोजना से 140 मेगावाट विद्युत सन् 1981–82 में प्राप्त कर लेने का अनुमान है। राजस्थान के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत् प्रसार के लिए पलाना थर्मल परियोजना विचाराधीन है जिसका अधिकांश कार्य सन् 1982–83 तक पूरा हो जायेगा। इससे लगभग 60 मेगावाट विद्युत् प्राप्त हो सकेगी।

ग्रामीण विकास एवं कृषि की प्रगति के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से विद्युतीकरण योजना भी लिए जाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को पूरा करने एवं भविष्य में विद्युत् उपलब्धि में उतार चढ़ाव न हो इसकी व्यवस्था के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक होगा। कानपुर से जयपुर के बीच 400 के. वी. तथा देहर से जयपुर तक एक दूसरी 400 के. वी. लाइन इस अवधि में डालनी होगी ताकि अपने हिस्से की विद्युत् उपलब्धि का पूरा उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश से कोटा–जयपुर भी 400 के. वी. लाइन डालने का कार्यक्रम इस अवधि में लेना पड़ेगा। इस सारी व्यवस्था को करने के लिए

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लगभग 900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसमें से लगभग 600 करोड़ रुपये राज्य सरकार से और लगभग 300 करोड़ रुपये अन्य अधिकरणों से ऋण के रूप में लेने होंगे।

वर्तमान में राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत् ऊर्जा की खपत 81 के.वी.एच. है जब कि राष्ट्रीय औसत 110 के.वी.एच. है। अगले 5 वर्ष में राष्ट्रीय औसत के बराबर होने के लिये हमें भारी प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए पूंजी विनियोजन में प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जीवन बीमा निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम एवं खुले बाजार से ऋण लेने की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिये यह आवश्यक है कि 150 करोड़ रुपये की अधिकतम ऋण सीमा को अविलम्ब बढ़ाया जाकर 350 करोड़ रुपये किया जाये।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसका सदन अनुमोदन प्रदान करे।

श्री मथुरादास माथुर : अब आपकी इजाजत हो तो इस पर चर्चा की जाये।

श्री मूल चन्द डागा : यह जो आपने आंकड़े दिये हैं, मैं आपसे कहूंगा कि मेहरबानी करके वह सदन की मेज पर रख दें। हम कल प्रिपेयर होकर आ जायेंगे। हमें कल तक का टाइम दे दें। यह चाहता हूं कि 1984 तक इतने रुपये का लोन लेने की स्वीकृति ले लें। वैसे हर साल आपको रुपया चाहिये तो साल ही हमारे सामने क्यों नहीं आते?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो आन गोइंग प्लान है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े रखे। जैसा कि सदन के नेता महोदय ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूरे प्रपोजल्स जो आये हुए हैं उसमें यह भी शामिल होगा। उसके ऊपर पूरा एक दिन देकर चर्चा करके लेंगे, यह अभी हमको उन्होंने कहा था। मैं यह कहता हूं कि पूरे एक दिन की चर्चा बाद में हो जाये, आज सिर्फ फिसकल होराइजन में ही चर्चा करें तो हम तैयार हैं, नहीं तो उस दिन हमको कहना पड़ेगा। पूरे दिन चर्चा करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एचीवमेंट के बारे में। आप कैसे यह छलांग लगा रहे हैं, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हैं। वहां सारी बात हो चुकी है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चैयर से रूलिंग चाहता हूं, मुझे चर्चा का समय दिया जायेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको पूरा समय दिया जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप कमिट कर लीजिये हाउस के फ्लोर पर गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वहां तय हो चुका है।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक हाउस में कमिटमेन्ट नहीं हो तब तक कैसे होगा?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज तक तो किसी कमिटमेंट से हम हटे नहीं हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बता दो कि 25 दिन के बाद तो डिस्कशन में आ जायेगा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जरूर आ जायेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा इसमें अमेन्डमेन्ट है ।

शासकीय संकल्प

राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम राशि

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं पहले प्रस्ताव कर देता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उप-धारा (3) के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम राशि 350 करोड़ नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।"

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन प्रस्ताव है, डागा जी ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैंने संशोधन रखा है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पांचवी पंक्ति में अंक व शब्द "350 करोड़" के स्थान पर अंक व शब्द "200 करोड़" प्रस्थापित किये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इजाजत है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पांचवी पंक्ति में अंक व शब्द "350 करोड़" के स्थान पर अंक व शब्द "200 करोड़" प्रस्थापित किये जायें ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह संशोधन है कि संकल्प की 5वीं पंक्ति में अंक व शब्द "350 करोड़" के स्थान पर अंक व शब्द "250 करोड़" प्रस्थापित किये जायें ।

अब मैं इसके ऊपर बहुत सूक्ष्म में चर्चा करूंगा इस एश्योरेन्स के बाद कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर बाद में पूरे एक दिन चर्चा होगी । मंत्री महोदय, यह प्रश्न मेरा और आपका नहीं है, यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है । सैक्शन 65 आफ दी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 आप पूरा पढ़िये उसके सब सैक्शन (3) में यह है :

"The maximum amount which the Board may, at any time, have on loan under sub-section (1) shall be ten crores of rupees, unless the State Government, with the approval of the State Legislative Assembly, fixes a higher maximum amount."

अब मैं फिर वही पाइन्ट रेज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट से जो लोन मिला है वह इसमें शामिल है । पाली के एक छोटे से वकील ने पूरी किताब लिख डाली तो उसी की बात फाइनल थोड़े ही हो गयी । क्या कोई

(श्री मथुरादास माथुर)

कोर्ट की रूलिंग है ? मैं यह कहूंगा कि आप एडवोकेट जनरल को कन्सल्ट कीजिए, लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट कीजिए। पार्लियामेन्ट में क्या है, वह देख लीजिए और स्टेटों में क्या है वह भी देख लीजिए। एक्ट में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक्सक्लूडिंग दी स्टेट गवर्नमेंट लोन है। इसलिए मैंने वह प्रिविलेज मोशन रखा था। फिर क्या हुआ कि सेशन खतम कर दिया गया था और कहा था कि आगे के सैशन में देख लेंगे। मैं आज फिर अर्ज कर रहा हूं। 'Loan' includes all loans, 'Borrowings' means all borrowings, whether they be from the State Government, from the L.I.C. or from consumers—from any source. इसलिये पहले आप इसको साफ कर लीजिये। आप तैयार होकर आयें ताकि आप हमको जवाब दे सकें।

दूसरी बात यह है, मैं प्रिन्सीपली कह रहा हूं, इस सदन को करीब करीब अगले मार्च में दो साल हो जायेंगे और विधान सभा की पांच साल की टर्म है, यह संविधान का अमेंडमेंट पेश हो गया। यह सदन उतने ही कर्ज की स्वीकृति दे सकता है जितना स्कीमों पर अगले साल में आप खर्च कर सकते हैं। आप आगे आने वाले लेजिस्लेचर को बाउंड नहीं कर सकते। इसलिये मैंने उच्चतर अधिकतम राशि 250 करोड़ नियत करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है। स्टेट गवर्नमेंट का लोन 366 करोड़ हो गया। आज तारीख तक जो लोन है उसके आपने आंकड़े दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय ने 31 मार्च तक के आंकड़े दिये हैं। मैं इस महीने के अन्त तक के आंकड़े दे रहा हूं 147 करोड़। आपने हमें 129 करोड़ बताये मार्च तक।

श्री परसराम मदेरणा : Inclusive of Government loan ?

श्री मथुरादास माथुर : No. नहीं, वह अलग है, यह मैं कह चुका हूं।

इतनी बोरोइंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कर ली है। अब अधिकतम राशि 350 करोड़ नियत करने के संकल्प को लेकर आते हैं, और यदि मान लिया जाये कि गवर्नमेंट का लोन अलग है तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के लोन की कुछ सीमायें लगायें। इलेक्ट्रिसिटी का बजट यहां डिस्कशन के लिये आता है, एप्रूवल के लिये नहीं आता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट लोन की सीमा कुछ अलग बनायें और प्राइवेट लोन की अलग बनायें। आप यह कहें कि माइनस गवर्नमेंट लोन के हम यह राशि नियत करा रहे हैं तो फिर देखें कि लेजिस्लेचर की क्या मंशा थी ? उस वक्त जो डिस्कशन हुआ था उसकी पूरी चर्चा करेंगे तो मालूम होगा कि लेजिस्लेचर की क्या मन्शा थी। यह तो नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर से 10 हजार करोड़ लोन लेने की स्वीकृति ले लें। क्या सदन स्वीकृति दे सकता है ? नहीं दे सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है जो आपने स्वीकृति मांगी है 350 करोड़ तक लोन लेने की, मैं फिर कहता हूं उप नेता से, जो सदन में मौजूद हैं, पूरा लॉ डिपार्टमेंट आपके पास है। आप इसको एक्जामिन करायें। यह इन्टरप्रिटेशन कि सरकार का लोन जुदा है, इसमें शामिल नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी बात, मेरा यह निवेदन है कि 1973 में लोन की राशि 50 करोड़ थी, एवरेज लोनिंग केपेसिटी करीब 25 से 30 करोड़ की जरूर आती है। राजस्थान कैनाल की योजना 200 करोड़ की बनी, न जाने अब

(श्री मथुरादास माथुर)

कितने करोड़ लग गये। इसलिये आप अपनी टर्म के लिये गवर्नमेंट को आथोराइज कर सकते हैं, आपकी टर्म के बाद दूसरे लेजिस्लेचर को बाउन्ड नहीं कर सकते। अब आपकी टर्म के तीन साल रह गये हैं, आपने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार 25, 30 करोड़ एवरेज समझ लो तो 100 करोड़ हो गये। इसलिये मैंने कहा कि 250 करोड़ की राशि नियत हो। कोई नई स्कीम लाते हैं तो पहले साल में उतना रुपया खर्च नहीं होता। ज्यों ज्यों स्कीम डवलप होती हैं त्यों त्यों और ज्यादा खर्च होता है। औसत से 100 करोड़ हो गया। आप 100 करोड़ के बजाय 250 करोड़ कर लीजिये। आप इस सदन की अवधि के बाद दूसरे लेजिस्लेचर को बाउंड नहीं कर सकते...

श्री मदनसिंह दांता : लांग टर्म लोन होता है तो बाउंड कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो स्कीम बनेगी वह स्कीम अगर चलती है तो और लोन मिल जायेगा। यह अनडेमोक्रेटिक है और प्रिन्सिपल्स के खिलाफ है।

एक माननीय सदस्य : मैं यह जानना चाहता हूं, आपने सारा कर्जा चुकता कर दिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : कर्ज चुकाने का सवाल नहीं है। कर्ज लेने का सवाल है। 250 करोड़ से ज्यादा डिमाण्ड कर रहे हैं वह खर्च नहीं कर पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तीसरा प्रश्न यह है कि आप अपनी रिपोर्ट देख लीजिए कि रेट आफ रिटर्न क्या है। देश में बहुत बड़ी कमेटी बनी थी वेंकटरमन कमेटी। वेंकटरमन कमेटी ने यह कहा था कि रिटर्न 11 पर्सेन्ट होना चाहिए। 11 पर्सेन्ट एट दी सैकण्ड फेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होना चाहिए उसमें ब्रेक अप दिया है 6 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट, 3 पर्सेन्ट जनरल सर्विसेज, 1 पर्सेन्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मैंने आपके आंकड़े देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं है। 75–76 का आपका रिटर्न 8 पाइंट समथिंग था, 1976–77 में 9.2 पर्सेन्ट था, 11 पर्सेन्ट से कम। उसके बाद में बजट एस्टीमेट्स बने हैं 77–78 के, उसके एक्चुअल फिगर्स तैयार नहीं हुए, उसमें 9.6 पर्सेन्ट था। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में 8.5 पर्सेन्ट था। बजट एस्टीमेट्स 1978–79 हैं आपके उसमें 9.7 पर्सेन्ट है। 1/2 पर्सेन्ट अगर जोड़ भी दें तो वह भी कम है। नेशनल लेवल पर जो कमेटी बनी थी, उसके अनुसार 11 पर्सेन्ट होना चाहिए इन्क्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। आपके ऊपर संकट है क्योंकि वह 11 पर्सेन्ट रिटर्न नहीं दे रहा है और कर्जा लेने के लिये बड़ा उतावला है। इसलिए मेरा निवेदन है, हम कर्जा लेने का अधिकार दें, उससे पहले उसकी सोलवेन्सी, उसकी केपेसिटी देखनी पड़ेगी।

श्री मदन सिंह दांता : आपने एक तरफ लोन्स के लिये डिमाण्ड को रिजेक्ट किया, दूसरी तरफ आपने अपनी तरफ से डिमाण्ड बढ़ा दी थी...

श्री मथुरादास माथुर : उसके बारे में डिमाण्ड जितनी गवर्नमेन्ट से होती है वे रखी है। गवर्नमेन्ट से जो कर्जा मिलता है उस पर फिर डिस्कशन कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी

(श्री मथुरादास माथुर)

बोर्ड हम पर अहसान नहीं कर रहा है जो कर्जा ले रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तो पैसा लेने के बावजूद हालत यह है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सबवेन्शन आपरेशन रेश्यो पर कितना खर्चा होता है। वर्ष 75-76 में 62.3 पर्सेन्ट है। बजट एस्टीमेट में 64.9 पर्सेन्ट और रिवाइज्ड एस्टीमेट में 62 पर्सेन्ट। अब यह 60, 61 और 62 पर्सेन्ट के बीच चलता है–यह आपरेशन कास्ट है, मेन्टीनेन्स और प्रोडक्शन सब इसमें आता है। आपरेशन का इनका इतना खर्चा है। आज डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा जिस दिन इस पर चर्चा होगी। आज इतना ही कहूंगा कि आपरेशन का इतना खर्चा है इसीलिये बोर्ड की यह हालत है। उसको कम करने की बात सोचनी पड़ेगी। बोर्ड की हालत के तीन इन्डीकेटर हैं (1) रेट आफ रिटर्न (2) आपरेशन रेश्यो और (3) रेस्यो आफ ग्रोस सरप्लस टू केपिटल बेस। अब केपिटल बेस बढ़ता जाता है, उसका रेश्यो भी देखें तो 75 से लगा कर अब तक 11, फिर 12.8 और फिर 13.4 अब 11.08 है–एक्चुअल कितना है यह तो बाद में पता चलेगा। आपरेशन रेश्यो की बात मैंने बता दी। इन तीनों को देखने के बाद कोई भी आदमी, जो ऐसी संस्था में समझता हो, यही कहेगा This Board is a sick Board–नाड़ी भी तेज है, टेम्प्रेचर भी ऊंचा है और हर्ट भी टप्प टप्प करता है तो फिर हर आदमी कह देगा, यह बीमार है। आडिट रिपोर्ट भी 77 की आई है। 77-78 की अभी आई नहीं है। अब यदि बीमार आदमी को कर्जे का बोझा और देंगे तो वह मर जायगा। हम नहीं चाहते कि राज्य सरकार का पैसा डूब जाय और पैसा भी खतम हो जाय। इसलिये इन बातों का ध्यान रखते हुये बोर्ड को दवा दें। हम बोर्ड को मारना नहीं चाहते हैं। इनको डेढ़ सौ करोड़ से 100 करोड़ और देकर ढाई सौ करोड़ कर दें यह किसी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मैंने तरमीम दी है उसको मंजूर कर लें।

श्री किशन सिंह भाटी : आप तो बोल चुके हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब ने ढाई सौ करोड़ का निवेदन किया है और आपने 200 करोड़ का किया है। 50 करोड़ की कटौती कहां चाहते हैं, यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, माननीय सदस्य आपके भाषण में भी कटौती चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे एतराज नहीं है इसमें लेकिन आज आपकी उपाध्यक्षता में इस प्रकार का रिजोल्यूशन रखा है जिसके लिये पहले मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था। माननीय मंत्री ने कुछ बातों पर एग्री किया फिर भी सदन की मेज पर आंकड़े रखने की बात नहीं मानी। आपने आंकड़ों पर विचार करने का अवसर दिये बिना जो रूल है उसके बिना ही जो कुछ किया है, उस बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं मैं कोटेशन पढ़ूंगा इस पब्लिक अन्डर टेकिंग पर। जो

(श्री मूलचन्द डागा)
आर्टिकल निकला है, इसमें यह है कि आज हम 42-43 करोड़ ब्याज दे रहे हैं हर साल। हमारी गवर्नमेंट का इतना कर्जा है, कम से कम 4 अरब का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जायगा। उसका रिटर्न हमको नहीं मिले, और फिर भी कहें कि कर्ज की अधिकतम राशि 350 करोड़ नियत करें। इस पब्लिक अन्डरटेकिंग की गहराई में कोई जाय तो उसको इसकी स्थिति का पता लग जायगा। सारे आर्टिकल ये आ रहे हैं कि पब्लिक अन्डर टेकिंग इस प्रकार खराब हो गई है फिर भी हमारी सरकार उसमें हस्तक्षेप कर नहीं सकती है, कहती है आटोनोमस इन्स्टीट्यूशन है। आपकी राय की वकत होती नहीं। डे टू डे कुछ कर नहीं सकते हैं, बजट में टांग अड़ा नहीं सकते और आज कहते हैं इतने रुपये की स्वीकृति और दे दो। बोर्ड का एक्ट है, उस एक्ट की धारा 59 की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं–

"The Board shall not, as far as practicable and after taking credit for any subventions from the State Government under Section 63, carry on its operations under this Act at a loss, and shall adjust its charges accordingly from time to time."

पहले इसको लास में दिया, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? सैक्शन 59 कहता है कि Board shall not run in losses 5 अरब लगा दें तब भी इसमें घाटा है। अगर पांच अरब की कैपिटल बन जाती तब भी घाटा है। मैं कहता हूं एक छोटा सा टर्मीनल स्टेशन था पाली में, जब प्राइवेट कम्पनी थी, वह भी काफी फायदे में जाता था। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन धारा 59 की मंशा यह है कि आप इस प्रकार बोर्ड चलायेंगे। यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट की 59 धारा है। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से आपने इस बोर्ड के लिये कब डाइरेक्शन्स इश्यू किये कि तुम्हारा बोर्ड ठीक नहीं चल रहा है और गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन चाहती है।

सरकार में पार्टी का लेबल बदला है लेकिन नौकरशाही का शिकंजा यूं का यूं है। आप यह बतायें, कब डाइरेक्शन्स इश्यू किये हैं? चतुर्वेदी साहब, आप बड़ी छलांग मारने वाले हैं, जवान उम्र भी है छलांग मार सकते हैं लेकिन यह याद रखिये, तीन करोड़ जनता का भाग्य आपके हाथ में है। दे दें और धन। इस रिजोल्यूशन पर मोहर लगानी है, मैं चुप रहूंगा तब भी मोहर लग जायगी क्योंकि बहुमत आपका है, लेकिन मैं यह समझूंगा कि यह बात कह कर मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। आप एक भी डाइरेक्शन बता दें। कभी आपने आडिट रिपोर्ट की भी जांच की है? ऐसा क्या पाया है कि अब यह कहते हैं, इतना पैसा और दे दो। धारा 63 में पैसा गवर्नमेंट देती है, वह है :

"The State Government may, with the approval of State Legislature, from time to time, make subvention to the Board for the purpose of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine."

आडिट आब्जेक्शन किया कि इस प्रकार हो रहा है उस पर कोई कभी भी आपने कदम उठाया। सन् 1972-73 की रिपोर्ट है, उस पर क्या किया है? फिर सैक्शन आता है 64:

(श्री मूलचन्द डागा)

"The State Government may, from time to time, advance loans to the Board on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government may determine."

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इतना करोड़ रुपया दे दिया 400 करोड़ के करीब। मुझे बतायें जब गवर्नमेंट ने लोन सैंक्शन किया तो कौन कौन सी साल में कितना-कितना लोन सैंक्शन किया, किन-किन कन्डीशन पर किया और आपने उस समय क्या जांच की? कुछ नहीं। गवर्नमेंट के अन्दर जो ऊपर ही ऊपर बैठे हैं, गवर्नमेंट में नुमायन्दे जो जाते हैं, वे नुमायन्दे तो तबादलों की राजनीति में लगे हुए हैं। उनको सारे समय लोग घेरे रहते हैं, न उनको पढ़ने की चिन्ता है, न सोचने की चिन्ता है। यह तबादलों की राजनीति में विधायक और जनता पार्टी की सरकार उलझी हुई है? उनकी मिली भगत से क्या हो रहा है। जो कह दिया उनके सैक्रेटरी ने, नए नए लोग आये हैं, सैक्रेटरी ने मीठी जुबान से कह दिया और आपने कहा, यस।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो आप यह सोचिये कि····

श्री मदनसिंह दांता : माननीय डागाजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्ट में साफ है कि ऐसे ही लोन नहीं ले सकते तो फिर आप कैसे कहते हैं कि दो सौ करोड़ का लोन ले सकते हैं? ये दो चीजें क्या हैं? यदि विरोध करना है तो सम्पूर्ण विरोध करना चाहिये। जब एक्ट में प्रोविजन है कि नहीं ले सकते तो फिर दो सौ करोड़ का सजेशन देने का क्या मतलब है?

श्री परसराम मदेरणा : मेक्जीमम लिमिट दी हुई है। मेक्जीमम लिमिट तक ही लोन ले सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दांता साहब की मुझ पर बड़ी कृपा है, वे खूब जानते हैं इसलिए उन्होंने कह दिया। इतना अर्ज करूंगा कि अगर बोर्ड का काम ठप्प हो गया हो, वह सिक हो गया हो तो बेशक विद्युत मण्डल पचास करोड़ तक ले सकता है। 68-69 तक····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : Under what Act it is allowed?

श्री मूलचन्द डागा : Section 65 of the Act. आपकी बड़ी कृपा है, आप खूब गहराई से जानते हैं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

तो सैक्शन 65 के अन्दर है·····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप घण्टी बजायेंगे तो, हम तो बैठ जायेंगे लेकिन इनकी घण्टी बज जाएगी, सरकार की घण्टी बज जाएगी····

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : आपका तो घण्टा ही बज गया।

श्री मूलचन्द डागा : आप इस पर पुन: विचार करें। आप बहुत हरिडली विचार कर रहे हैं। मैं आपकी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आप लोन देते हैं तो लोन देते समय यह देखते हैं कि जो कण्डीशन है उनके अनुसार गवर्नमेंट के लोन का समय पर

(श्री मूलचन्द डागा)
बराबर पेमेंट हो गया ? क्या गवर्नमेंट को ब्याज बराबर दे सके ? एक बात बताने की कृपा करें कि गवर्नमेंट ने जिस शर्त पर इस बोर्ड को लोन दिया, कभी आपने सोचा है इस बात को····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारी सरकार आने के बाद तो दिया ही नहीं है अभी तक ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी सरकार क्या होती है ? आपकी सरकार तो घर होगी । यह जनता पार्टी की सरकार कहो, आपकी सरकार तो घर पर बैठी है, यहां तो जनता पार्टी की सरकार है । आपकी सरकार क्या होती है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कौन सा उपन्यास उठा कर ले आये हैं ? इस पर कवर कानून की किताब का लगा रखा है । जरा पढ़ कर तो दिखाओ ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : लोन क्यों लिया जाता है, लोन के लिए क्या प्रोविजन है ?

What are the conditions under which the Board may borrow ?

"Subject to rules made by the State Government."

ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाये थे उसमें लिखा हुआ है–

"Rules made by the State Government"

और सैक्शन 2 में यह लिखा हुआ है ।

"Rules made by the State Government may empower the Board to borrow.."

तो मैं यह चाहता था कि जब रूल्स बने हुए हैं और उस रूल में प्रोविजन है, प्रोजेक्ट्स····

श्री भंवरलाल शर्मा : समय की पाबन्दी तो रखिये साहब ।

श्री रतनलाल वर्मा : ये तो ऐसे ही पांच बजा देंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : पांच तो क्या बारह बजेंगे । आपके तो बारह बजने वाले हैं, हिन्दुस्तान मान गया है । आपके घर वाले मान गये हैं । हम तो कहते नहीं हैं साहब, आपके चौधरी चरणसिंह ने कह दिया : "It is a pack of scoundrels surrounded by corrupt people." हम तो क्या कहें, आपके घर वाले कहते हैं हमारा तो सवाल ही नहीं है, हम तो दूर हैं । आपके घर के लोग, जयप्रकाश बाबू ने क्या कहा उनके कमेंट्स पढ़ कर सुनाऊं, क्या कहा है जयप्रकाश बाबू ने ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह धमकी देने से काम नहीं चलने वाला है, डागा साहब ।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो झेंप जोर जोर से बोल कर मिटाओ ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : झेंप मिटाने का सवाल नहीं है, जो काम किए हैं सामने हैं····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बहादुर महिला हैं जो बार बार खड़ी हो जाती हैं लेकिन इन्हें यहां क्या करना है, तुम तो गिरधारीलालजी भार्गव की गाड़ी में घूमो ।

तो मेरा सवाल था कि रूल्स में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बतायें ? जब लिमिट बांध रखी है तो बोर्ड ने लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया । श्रीमान, सदन की मेज पर वह प्रस्ताव रखें जिसमें बोर्ड ने लिमिट बढ़ाने की मांग रखी है । What was the proposal submitted by the Board to the Government ? क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि बोर्ड ने क्या प्रस्ताव भेजा है ? उसके बाद गवर्नमेंट का क्या नोटिंग हुआ है ? गवर्नमेंट ने जो नोट दिया हो, एग्रीड, डिसएग्रीड, वह पढ़ कर बतायें ताकि सदन को मालूम हो सके । वे सब कागजात सदन की मेज पर रखें और रखने के बाद मुझे भी बतायें । मैं चाहता था कि आपके काम में अड़चन न हो, आपका काम रुके नहीं, काम चलने दें । आप इस पर पूरे एक दिन चर्चा रखेंगे तब डिस्कशन होगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह पचास करोड़ से साढ़े तीन सौ करोड़ करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह बिल्कुल जल्दबाजी में तेजी के साथ, बिना सोचे समझे रखा गया है ।

श्री सुरेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेशजी, आप शायद चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे के सारे प्लान के बारे में, प्रदेश की आवश्यकता के बारे में और राष्ट्रीय स्तर पर हम आ सकें इस दृष्टि से विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की थी । उसके बाद यहां डीडवाना से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय और पाली से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय ने दो संशोधन रखे और डीडवाना से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय ने चर्चा की है । मैंने पिछले सालों का जिक्र शुरू में किया था । लीगल बात यह है कि गवर्नमेंट लोन इसमें इन्क्लूडेड नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा और इस बात की चर्चा की, वह खुद पिछली सरकार के आंकड़े उठा कर देख लें तो लोन गवर्नमेंट लोन को मिला कर डेढ़ सौ करोड़ से एक्सीड करता था । इसलिए यह स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है और इसकी विस्तार से चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाली से आने वाले माननीय विधायक महोदय से कहना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिक नहीं है, न कभी सिक हुआ । जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार 6.91 करोड रुपया इंट्रेस्ट का राजस्थान सरकार को लौटा दिया है । इसके पहले तीन वर्षों के इतिहास को उठा कर देखें तो हमको बहुत निराशा होगी । मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । हमारी सरकार आने के बाद, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने 15 हजार कुओं को इलेक्ट्रिफाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । हमने बीस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
हजार कुओं को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए खर्चा किया है। अब 25 हजार कुओं को इलेक्ट्रिफाई करने की योजना है जिसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस प्रकार बोर्ड के सिक होने का सवाल नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक ने कही है, मैं आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि थरमल योजना है, वह कण्टीन्यूइंग योजना है। इसलिए यह कहना कि 82-83 का प्लान करते हैं तो इतने दिनों के लिए बन्द नहीं कर सकते हैं। माही परियोजना है जो 83-84 में पूर्णता को प्राप्त होगी। एक जनरेशन की योजना है जो 83-84 में जाकर पूरी होगी तो क्या उसको धन राशि के लिये रोका जा सकेगा? पलाना की योजना कन्टीन्यूइंग जनरेटिंग योजना है जिसको रोका नहीं जा सकता। केवल मात्र रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना है जिसमें थोड़ी सी कमी की जा सकती है। मैं जानना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को आगे बढ़ाने में कटौती कराना चाहेगी? सामान्यतया क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को पीछे लाने का प्रयत्न करना चाहेगी? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सारी बात को ध्यान में रख कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनरेशन की दृष्टि से जिस प्रकार हमारा प्रदेश बहुत पीछे है, पता नहीं पिछले इतने सालों में तत्कालीन सरकार क्या करती रही है?

हमने आज राजस्थान को विद्युत् में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और इसका सौभाग्य हमें मिला है। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के नाते हम आपके सामने आए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन से इस संकल्प का अनुमोदन करने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे प्रश्नों का जवाब गायब। यह तो जनरल भाषण हो गया। चौपड़ का भाषण है·····

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राजाखेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में निवेदन····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, शायद मैं आपको चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं दे पाऊंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है, उसके सम्बन्ध में···

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर के जरिए कोई प्रश्न उठा सकते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं···

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर के जरिए आपने मुझे चर्चा करने की इजाजत दी है, यह आपकी बड़ी अनुकम्पा है।

मैं व्यवस्था के प्रश्न के जरिए माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 25,000 कुओं को इलेक्ट्रिफाई करेंगे यह जो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
आपकी योजना है, यह बड़ी अच्छी योजना है...

श्री सुरेशकुमार : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह तो चर्चा कर रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप बिराजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनकी बातों में कैसे आ गये ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

संशोधन प्रस्तावों पर मतदान

जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिए हैं क्या वे उन्हें प्रेस करते हैं या विथड्रा करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : बहरों को सुनाने का हमारा काम है। वे सुने नहीं तो उनकी मर्जी।

श्री मूलचन्द डागा : मै तो विथड्रा नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

संकल्प पर मतदान

प्रश्न यह है कि माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

श्री मूलचन्द डागा अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची का कार्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार संशोधन विधेयक, 1978

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने जो निर्णय लिया है, वह तो स्वीकार है परन्तु रात के 12 बज जाएंगे।

(श्री मूलचन्द डागा)

श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार न्यास अध्यादेश, 1978, (अध्यादेश संख्या 6, 1978) को यह सदन अस्वीकार करता है, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्रीमन्, मैं इस पर चर्चा नहीं करता कि आर्डिनेन्स की इमर्जेन्सी, अर्जेन्सी क्यों हुई। यह आर्डिनेन्स ही नहीं आना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था, उस समय स्पीकर ने गवर्नमेंट को एक बार कहा था, 'No' तुम बार बार आर्डिनेन्स लाते हो This is not good. यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मुख से भी ऐसी बात निकले। मैं वह कोट करना चाहता हूं:

"The Speaker observed, "I agree with you that so many Ordinances should not have been issued....I personally think it is not a light matter to be ignored. Certain observations have been made by my predecessor Shri Mavlankar based on very sound judgment. I would invite the attention of the Government to see that there is really emergency or urgency justifying the issue of an ordinance. There should not be much of a hurry about these ordinances......"

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून बहुत ज्यादा जानते हैं, आप गवर्नमेंट से पूछें कि इस प्रकार से आर्डिनेन्स निकालने की क्या जरूरत है? नगर सुधार न्यास को इस आर्डिनेन्स की जरूरत पैदा हुई, यह क्यों पैदा हुई? अगर आप इसके लिए नगर सुधार न्यास का आर्डिनेन्स देखें तो इसमें गवर्नमेंट ने एक बात कही है, और वह यह कही है, रीजन्स पर आप गौर फर्माएं:

"The existing provisions of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) do not provide for delegation of powers, duties and functions of the Trust to its officers."

नगर सुधार न्यास एक्ट में इन बातों के लिए आफिसर को कोई पावर डेलीगेट करने के लिये प्रावधान है।

and "The Rajasthan High Court has recently taken a view in a writ proceedings that a trust has no power to delegate its Secretary or any of its other officer."

मैं पहले नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेन्ट आफ रीजन्स हमको दिया गया है, उसमें कृपा करके इतना बता दीजिए, मंत्री महोदय, हमने इस हाई कोर्ट के जजमेन्ट को बार बार देखने की कोशिश की है कि यह कौन सी तारीख को हुआ था, किस केस में हुआ था? हमें तो यह कहीं मिला नहीं, हम इसके बारे में जानते नहीं। इसलिए यह केस और तारीख हमें बता दीजिए, हाई कोर्ट का जजमेंट यह हुआ तो यह जजमेन्ट कब हुआ। रीजन्स में जो कुछ भी कहा गया है, उससे मालूम होता नहीं है। रीजन्स में तो कहा गया है डेलीगेशन आफ पावर टू आफिसर्स और जब उन्होंने यह बनाया है तो साथ में यह कहा है, डेलीगेशन आफ पावर टू

(श्री मूलचन्द डागा)

चेयरमेन । इसका मतलब है, इनका माइन्ड क्लीयर नहीं था। डेलीगेशन आफ पावर टू आफिसर और सेक्रेटरी की क्यों जरूरत पैदा हुई ? जिस तारीख को आर्डिनेन्स निकला है 15 जून, 1978 के रोज, उस दिन इसकी जरूरत क्यों पैदा हुई ? हाई कोर्ट का जजमेन्ट क्या था ? हम तो ढूंढ़ते ढूंढ़ते थक गये, मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार के रीजन्स आप लिखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको ताड़ना नहीं देते है तो हमारी रक्षा कौन कर सकता है ? अब इसमें लिखा गया हैं आफिसर, सेक्रेटरी को पावर नहीं दी गई इसलिए यह आर्डिनेन्स लाए है। उपाध्यक्ष महोदय, ये ला ही नहीं सकते। इस आर्डिनेन्स की लैंग्वेज को देखें। इन्होंने 21-ए को इन्सर्ट किया हैं। इसमें कोई एतराज नहीं है। सारे नगर सुधार न्यास घटकवाद के चक्कर में आ जाएं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। इनके रामकिशन जी बड़े नेता है, संसद सदस्य हैं। उन्होंने एक बात कही है। आप चुप रह गये। उन्होने कह दिया इसलिए मैं चुप रह गया। उन्होंने जो स्टेटमैन्ट दिया है वह अखबारों में आया है। वे बड़े नेता है, पूजनीय है उनको आप भी बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। उनका कहना था, राजस्थान के विभिन्न नगर न्यासों का गठन घटकवाद के आधार पर हुआ है। यह 9 अक्टूबर, 1978 के अखबार में निकला है...

श्री नवनीत पालीवाल : हमने किसी ने नहीं कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप सही हैं। आप रामकिशन जी का स्टेटमेन्ट पढ़ लो। सारी जगह, सारे सदन में पहले माननीय गिरधारी लाल भार्गव की आवाज सुनाई देती थी, अब वह हमें नहीं सुनाई देती है...

(व्यवधान)

आपको तो फूलों की माला जयपुर नगर पहना रहा है। हमारे रजनीश जी घूमते हैं उजला अरोड़ा के साथ तो जनता गर्व करती है। आप तो गाड़ी में घूमते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार) : मैंने आपके सही शब्द पर आपत्ति की है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं क्षमा मांगता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आपको क्षमा किया।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कहना था कि इनकी आवाज सुनाई देती है सदन में ? पहले काफी बोलते थे। पहले बिल पर तैयार होकर आते थे। आज यह हालत हो गई है, श्रीमान, यह व्यवधान पैदा करते हैं।

तो यह जो आपका डेलीगेशन आफ पावर्स का सेक्शन 21 (ए) इन्सर्ट किया है इसमें लिखा है, "Any powers, duties and functions, which may be exercised, or performed by or on behalf of the Trust,...."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें यह है कि यह लागू नहीं हो सकता जब तक कि इसके रूल्स रेगुलेशन्स नहीं बनाये जायं। तो मतलब क्या हुआ इस आर्डिनेन्स का। आप मेरी

(श्री मूलचन्द डागा)
बात को बहुत जल्दी समझते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काफी तेज है। इसमें यह लिखा हुआ है--

"......to such restrictions, limitations, and conditions as may be prescribed by rules or regulations, be delegated to the Chairman or the Secretary or any other officer of the Trust...."

एक्ट में यह लिखा है। रूल्स कौन बनाएगा? रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट। रेगुलेशन्स कौन बनाएगा? तो ये रूल्स बनाने वाले कौन है? जब रूल्स बने हुए नहीं, रेगुलेशन्स बने हुए नहीं, तब, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आपने आर्डिनेन्स कैसे बना दिया? आपके प्रेस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशन्स नहीं हैं। यह क्या है, क्या पावर देना चाहते हैं चेयरमेन को? मैं कह रहा हूं आप पावर आफ डेलीगेशन पहले लेना चाहते हैं। सारा केन्द्रीयकरण श्री भैरोंसिंह, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने हाथों में कर रखा है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : यह भी लिखा हुआ है?

श्री मूलचन्द डागा : इस पर ये चाहते हैं। सैक्शन 20 है, "Constitution of Committee" इसके बाद 21 में फंक्शंस आफ दी कमेटी हैं। डेलीगेशन आफ पावर की बात तो बाद में है, पहले तो इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया मैं तो उसके ही खिलाफ हूं। कोई नगरपालिका, नगर परिषद् क्षेत्र में यह औथोरिटी नहीं होनी चाहिये। मुझे आप बतायें नगर न्यास ने एक भी कालोनी डवलप करके नगर परिषद् को सौंपी?

श्री भंवरलाल शर्मा : How is it relevant here?

श्री मूलचन्द डागा : Very fine!

मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं तो इससे निजात पा गया, मेरे पाली में जो डुअल गवर्नमेंट थी, उसमें से एक खतम हुई। एक नगर परिषद् काम करेगी। लेकिन यहां पर एक नगर सुधार न्यास है जो बिल्कुल जरूरी नहीं। कमेटी के फंक्शन इन्होंने बना कर डेलीगेट कर दिये, कमेटी बन सकती हैं और कमेटी के ये फंक्शन होंगे। फिर क्या पावर डेलीगेट कराना चाहते है? पावर डेलीगेशन के लिये 21 (ए) इन्सर्ट करना चाहते हैं तो क्या रूल्स बने हुए हैं? रूल्स में क्या है? रूल्स रेगुलेशंस के सम्बन्ध में मैं 75 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं--"for regulating the powers.."

तो वे कहते हैं कि गवर्नमेंट को पावर हैं, 74, 75 में हैं:

"concentration of powers"

ये 75 में इनको पावर हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि यह आर्डिनेन्स कैसे ठीक मालूम होता है? जिस प्रकार आर्डिनेन्स में बताया गया है, जिस तारीख को यह आर्डिनेन्स लाया गया है उस समय क्या रूल्स बने हुए थे, क्या रेगुलेशन बनाये गये थे? और क्या रूल्स रेगुलेशन्स फोर्स में लाने थे? आर्डिनेन्स एक अर्जेन्सी के लिये होता है। जिस किसी काम में रुकावट हो तो आर्डिनेन्स बन सकता है--

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 105

(105)

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकिन आर्डिनेन्स में यह है कि रूल्स रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शन,लिमिटेशंस और कण्डीशन प्रेस्काइब करेंगे। इनको मालूम था असेम्बली आने वाली है। इन्होंने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाये उस तारीख के बाद। मुझे कृपा करके मंत्री जी बताएं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जो बार बार मेरे को इन्ट्रप्ट करते हैं, 15-6-78 को पावर्स रखने हेतु आपने गवर्नर की आड़ में यह आर्डिनेन्स निकाला। उस दिन आपका कौनसा काम रुक गया था? ये गिरधारीलाल जी...

श्री नवनीत पालीवाल : आप थके नहीं क्या, डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : तो यह उद्देश्य आपका था। उसके बाद आज तक कौन-कौन से काम इन्होंने किये? 15 जून के बाद से आज तक कौन-कौन से काम कर सके, और कैसे काम कर सके?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

रूल्स आज भी सदन की मेज पर नहीं रखे हैं। रेगुलेशन सदन की मेज पर रखे नहीं हैं। यह आर्डिनेन्स कब लागू होता है, जब रूल्स रेगुलेशन से रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन प्रेस्काइब्ड हो जाती है। तो यह आर्डिनेन्स राजस्थान की सरकार ने बनाया है, जिसके पास विधि विभाग और बड़े बड़े कानून जानने वाले हैं, हम लोगों से आज आप कहते हैं मोहर लगाने वाली बात कि आर्डिनेन्स करते जाइये पास, श्री भंवरलालजी घूमते हैं स्कूटर पर, पढ़ते हैं नहीं। ये स्कूटर पर घूमते रहते हैं, इनको मालूम नहीं कि रूल्स क्या है?

श्री नवनीत पालीवाल : मंत्रीजी के लिये घूमते हुए जवान····

श्री मूलचन्द डागा : नहीं ये वयोवृद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, काफी चर्चा कर ली।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स में डेलीगेशन आफ पॉवर का प्राविजन है, 21 (ए) को इन्सर्ट करने का अमेंडमेंट है। कौनसी पावर डेलीगेट हो सकती है? सारी पावर्स, यह हो सकता है, चेयरमेन ले लें आप देखें सारे विधायक थे, इनको नोमिनेट कर दिया—

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह गलत बात है। मैं विधायक नहीं था, मुझको लिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : तुम पैदा ही कब हुए थे?

श्री रामनारायण चौधरी : आपको कौन-सा चेयरमेन बना दिया।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है साहब, जोधपुर के नगर सुधार न्यास के अन्दर एक एम.एल.ए. लखपतराय हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, यह चर्चा समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बताना चाहता हूं विरोधी दल भी बात कहना चाहता हूं कि शक्ति का केन्द्रीयकरण करके सारा काम अपने अधिकार में लेना चाहते हैं–

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

इसको पास कर देंगे तो थोड़ा बहुत जो कानून को जानने वाले हैं, वे क्या कहेंगे और दुनिया क्या कहेगी ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो कुछ काम की बात हुई ।

एक माननीय सदस्य : डागा जी को बोलना ही नहीं आता है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : विरोधी दल के नेता को पता है, क्या बोलना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आपको भी कहने वाले यहां बहुत से मिल जायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं : "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978) को अस्वीकार करता है ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में जो यह आर्डिनेन्स निकला है इसमें जो उदाहरण दिये गये हैं । मुख्य रूप से इसमें पावर डेलीगेट कर दी गई हैं । यह परपेचुअल कन्फिल्ट्रेशन है । जब तक यह एक्ट में नहीं होता है, तब तक यह नहीं होता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचा गया था कि राजस्थान के इन नगरों में जो आबादी बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई आबादी को निवास प्रोवाइड करने के लिए नगर सुधार न्यास की व्यवस्था की जाये । बढ़ती हुई आबादी में जो लोगों की आशाएं हैं उसके अनुसार निवास की व्यवस्था प्लाण्ड तरीके से नगर सुधार न्यास करे । जो ग्रोइंग टाउन्स हैं उनमें जो न्यास की स्थापना की गई थी उसके पीछे यही उद्देश्य था कि बढ़ती हुई आबादी के लिये निवास की प्लाण्ड तरीके से व्यवस्था की जाये । शहर योजना बद्ध तरीके से बसाये जायें । उपाध्यक्ष महोदय, इन नगर न्यासों को भंग करके इनमें अण्डर लाइंग प्रिन्सिपल को भंग किया गया है । बढ़ती हुई आबादी के कारण नागरिक सुविधाओं की मांग को ध्यान में रखे बिना ही और भविष्य की सम्भावनाओं को ध्यान में रखे बिना ही उनको भंग किया गया है । यह उस प्रिंसिपल पर कुठाराघात किया गया है । जनता सरकार ने यह नोटिफिकेशन प्रत्येक सदस्य के लिये निकाला है । पूर्व में स्थापित किये गये इन न्यासों को समाप्त कर दिया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । गंगानगर, भरतपुर, ब्यावर, पाली और सीकर इन सभी नगर न्यासों को भंग कर दिया है । इसमें 25 साल से बढ़ती हुई आबादी और शहरों में बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है । आबादी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकास की रूप रेखा बनाई जानी चाहिए । लेकिन जनता सरकार ने उन न्यासों को समाप्त कर दिया जिनका गठन बढ़ती हुई आबादी की सम्भावनाओं को दृष्टि में रख कर किया गया था । यू.आई.टी. एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया, यदि वह क्षेत्र नगरपालिका को भी हस्तान्तरित होता है तो भी मास्टर प्लान के

(श्री परसराम मदेरणा)
पुख्ता आधार पर विकसित क्षेत्र के लिए भविष्य में भी निरन्तर विकास द्रुतगति से होता रहे, नगरपालिका उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं कर सके, कोई अवरोध पैदा न कर सके, नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर यह योजना बनाई गई थी। सबसे पहली चोट इन्होंने उस प्रिंसिपल पर की है। 500 टाउन हैं राजस्थान में 1, 3, 4 शहरों को छोड़कर बाकी सबमें उनका सफाया किया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो चेयरमेन की पावर थी, वह चेयरमेन की पावर अण्डरमाइन करनी चाहिए थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने नोटिफिकेशन देकर 6 न्यासों में चेयरमेन स्थापित किये हैं। दूसरे न्यासों में जो चेयरमेन अपाइन्ट किये हैं, उनमें से जोधपुर न्यास में स्थानीय एम. एल. ए. छोड़ कर जनसंघ घटक के हारे हुए अभ्यर्थी का अपाइन्टमेंट किया, जिसका नाम रेवाचन्द है। स्थानीय सदस्य को आपने चेयरमेन नहीं बनाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि जो आर्डिनेंस का विषय है, उसी पर बोलें। जो अमेण्डमेण्ट दिये गये हैं, उन पर ही विचार करना है। यू. आई. टी. पर जनरल डिस्कशन इसके स्कोप से बाहर है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आ रहा है। इसमें सेक्शन 73 को अमेण्ड करने को सेक्शन डाला है। ये यू. आई. टी. को सौंपी जाये, ये पहलू हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है, अगर सभी एक्ट को अमेण्ड कर डाला है, तो उसके सारे प्रोविजन्स पर विस्तार से विचार किया जायेगा। उसको क्रिटीसाइज किया जाएगा। इसलिए व्यक्तियों को रिफलेक्ट न करके उन्हीं सीमाओं में बोलें तो यह ठीक परम्परा नहीं होगी। इस पर पूरा डिस्कशन किया जाएगा। कितने मकान तोड़े गये, कितनी धांधली उन्होंने मचाई है, इस सब पर विचार किया जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो नोटिफिकेशन निकाला है, वह डिफेक्टिव है। मैं यह प्रूव करना चाहता हूं कि वह डिफेक्टिव कैसे है। उसके लिए फिर आर्डिनेंस लायेंगे। इसको पास कराने के बाद काम करने के बाद, फिर कहेंगे कि यह गलत कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि चेयरमेन को नोमिनेट किया गया है 8-9-78 को, कलेक्टर को नोमिनेट किया गया है 22-9-78 को जब दूसरे मैम्बर्स को सुपरसीड किया है तो कलेक्टर्स को सुपरसीड करने का नोटिफिकेशन कहां है। कलेक्टर को सुपरसीड करने का नोटीफिकेशन कौनसा है। यू. आई. टी. की धारा 9 के नीचे तीन साल की अवधि है इसलिए जो कार्यवाही की गई है वह इल्लीगल है और इल्लीगल है तो इन सबके लिये आपको एक काम्प्रिहेन्सिव बिल लाना पड़ेगा। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेम्बर्स जो कान्स्टीट्यूट हुए जिस नोटीफिकेशन के जरिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी, नोटीफिकेशन कौनसे सेक्शन के तहत जारी किए ?

श्री परसराम मदेरणा : सेक्शन 42 एण्ड 9।

श्री उपाध्यक्ष : जो आर्डिनेन्स आया है इसमें आप जो कह रहे हैं उससे सम्बन्धित तो कोई अमेण्डमेण्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जिस आर्डिनेन्स पर विचार किया जा रहा है वह जिस पर अफेक्ट करता है उसका रेफरेन्स आ रहा है इसलिए यह स्कोप से बाहर होगा, यह मेरा निश्चित मत तो नहीं है लेकिन आप आर्डिनेन्स तक ही तर्क को सीमित रखें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आब्जर्वेशन शिरोधार्य है। इन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों को तो समाप्त कर दिया बाकी जो 7 बचे उनके लिए क्या अमेण्डमेन्ट करने जा रहे हैं? पहले ट्रस्ट काम कर रहे थे, 1975 में यह अवधि समाप्त कर दी गई। 20-1-78 को यह अवधि समाप्त हो गई। इस तरह से कलेक्टर्स का अपाइन्टमेण्ट भी गलत है, और जो भी कार्यवाही हुई वह गलत है। फिर सुपरसेशन किस बात का? एक ही मेम्बर रहा, वह आफिसर आपका 74 में नामिनेटेड है वह है एडमिनिस्ट्रेटर आफ दि नगर परिषद्, जयपुर बाकी नहीं रहे। मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि जब कान्स्टीट्यूशन ही गलत हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टर्स को सुपरसीड नहीं किया गया। गिरधारी लाल भार्गव को चेयरमेन बनाया गया तो उनको मेम्बर भी बनाया गया। चेयरमेन का नामिनेशन सैक्शन 16 में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यू.आई.टी. जयपुर के दो चेयरमेन हैं–एक गिरधारी लाल भार्गव और दूसरा कलेक्टर। इसलिए यह आर्डिनेन्स इनइफेक्टिव है। जिसको आप पावर देने जा रहे हैं उसका कान्स्टीट्यूशन वैध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेण्डमेण्ट लाये हैं कि ट्रस्ट के स्थान पर सैक्रेटरी को पावर डेलीगेट करना चाहते हैं। सैक्शन 75 में अमेण्डमेण्ट इसलिए किया है कि इसमें आफिसर का उल्लेख है। पावर डेलीगेशन कहां हो जायगा। ट्रस्ट को पावर नहीं रही है। सैक्शन 73 में अमेण्डमेन्ट नहीं कर रहे हैं। कान्स्टीट्यूशनली आपको और अमेण्डमेन्ट लाना पड़ेगा जो आप नहीं लाये।

तीसरा निवेदन मैं यह कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पावर डेलीगेट करने की बात कही जा रही है तो पावर डेलीगेट करने के सम्बन्ध में, क्योंकि यह एक सेमी गवर्नमेन्ट बाडी है, कोई भी अमेण्डमेन्ट किया जाता है और अगर स्कीम आफ दी एक्ट से कहीं भी ऊपर जा रहे हैं या कोई भी अमेंडमेंट स्कीम आफ दी एक्ट को बदल कर कर रहे हैं तो अन्कान्स्टीट्यूशनल है। ट्रस्ट बन जाता है तो ट्रस्ट की पावर चेयरमेन में नहीं रहनी चाहिए। फिर जब आफिसर को पेरेलल पावर देने जा रहे हैं तो चेयरमेन कहां रहेगा? जैसा मैंने अभी कहा जयपुर का चेयरमेन मनोनीत किया गया, 6 ट्रस्टों में आपने चेयरमेन मनोनीत किये हैं तो जो चेयरमेन बनाये गये वे किस आधार पर बनाये गये? कहीं एम.एल.ए. को चेयरमेन बना दिया तो कहीं नान-एम.एल.ए. को। एम.एल.ए. को मेम्बर बना दिया गया, जितने भी एम.एल.ए. हैं, जो भी सदस्य हैं, ट्रस्ट एरिया के एम.एल.ए. हैं, राजनीतिक आधार पर ट्रस्ट का कान्स्टीट्यूशन किया गया है, यू.आई.टी. को अपने अधिकारों से वंचित रखा है। जोधपुर में ऐसा नहीं हुआ, इस प्रकार का पक्षपात किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री परसराम मदेरणा)

उपाध्यक्ष महोदय, चेयरमेन को पावर डेलीगेट करने के लिये, ट्रस्ट को चेयरमेन के कन्ट्रोल में लाने के लिये यह सब स्कीम आफ एक्ट के विपरीत होने जा रहा है। मैं यह समझ सकता हूं कि आप यह क्यों करना चाहते हैं? हो सकता है आपके घटक के आदमी हों, आप करें नहीं करें, यह आपकी पार्टी का मामला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

घटक में भी आर.एस.एस. के लोग हों।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणा जी, यह जो आप कहना चाहते हैं, इनसे इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री परसराम मदेरणा : भार्गव साहब भी उसी घटक के हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज जो कुछ भी अमेण्डमेण्ट लाया जा रहा है और जिन क्लाजेज के अन्दर लाया जा रहा है अगर और पावर डेलीगेट भी की गई, 75 में अमेण्डमेन्ट किया गया और दूसरे सैक्शन्स में नहीं किया गया, तो यह उचित नहीं है। इसलिये इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद एक काम्प्रिहेन्सिव अमेण्डमेन्ड बिल लाया जाना चाहिए जो फूल प्रूफ हो।

श्री.भवर्नसिंह दांता : आपने जो तर्क दिये बहुत अच्छे दिये। जयपुर के बजाय जोधपुर का आदमी हो जाता तो सारी चीजें ठीक हो जाती?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी, नगर आयोजन मंत्री ने जो अध्यादेश 15 जून, 1978 को निकलवाया है उसके द्वारा बहुत मामूली संशोधन उन्होंने रखा है, जिस संशोधन के लिए अध्यादेश की आवश्यकता पड़ गई, देखने में तो वह छोटा है, कहने के लिए तो मंत्रीजी कह सकते हैं कि प्रस्तावित संशोधन इन्नोसेंट है लेकिन गहराई में यदि हम सोचेंगे तो भारी न्यूसेंस हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी और अगर संशोधन की आवश्यकता थी तो भी अध्यादेश निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। आप कितनी संख्या में अध्यादेश निकाल रहे हैं। आप जब इधर बैठते थे और जो कहते थे उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, अध्यादेश कभी भी अच्छा नहीं माना गया। अत्यंत आवश्यक हो तो सरकार अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए सरकार पूरी विधान सभा के अधिकारों को अपने हाथ में लेकर अध्यादेश के द्वारा शासन चलाये, तो वह अच्छा शासन नहीं कहा जा सकता। यदि अध्यादेश निकाला तो यू. आई. टी. को और अधिकार देकर मजबूत करते, कुछ कालोनीज को रेगुलेराइज करते, वीकर सैक्शन के बारे में जिक्र होता तो हमें खुशी होती कि जो अधिकारों का इस्तेमाल सरकार ने, राज्यपाल द्वारा किया है वह जनहित के अंदर किया है। महज इसलिए कि अधिकार चेयरमेन, सेक्रेटरी या अधिकारी को दें, अध्यादेश निकाला जाना जनहित में नहीं हो सकता। आज $1\frac{1}{2}$ साल से जयपुर के नगर विकास न्यास का काम पूरी तरह से ठप्प है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई अध्यादेश में,

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन अधिकार किस को हों, उस बारे में जिक्र किया गया है। आपके शासन में आने के बाद आपने जयपुर की कच्ची बस्तियों को ठीक प्रकार से विकसित करने और गरीबों को बसाने के लिए क्या किया ? सदन के नेता जब इधर बैठते थे तो कच्ची बस्तियों के लिए स्थगन प्रस्ताव आते थे। उस जमाने की सरकार ने योजना बनाई थी 1973–74 से लेकर 1976–77 तक। राज्य सरकार ने जयपुर की कच्ची बस्तियों के लिए लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया था। सड़कें बनवाई थीं, कच्ची बस्तियों को रेगुलेट किया गया था, रीआर्गेनाइज किया गया था और जो लोग तकलीफ में थे उनको रीहेबिलिटेट किया गया था, पानी व बिजली की व्यवस्था की थी। लेकिन आपने 1½ में कुछ नहीं किया। जो लोग जहां बैठे थे जिनकी बदतर हालत थी। बेरहमी से आज सरकार न्यासों के द्वारा उन गरीबों को खदेड़ रही है।

माननीय श्योपतसिंह जी ने कुछ दिन पहले हल्दी घाटी बस्ती के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया, बाहर प्रदर्शन भी हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आपने उनको मकान तोड़ने का कोई नोटिस दिया, किस कानून से उनके मकान तोड़े ? इमर्जेंसी की बात कही जाती है कि तुर्कमान गेट पर इतनी तोड़फोड़ हुई, लेकिन आज दिल्ली में क्या हो रहा है ? जयपुर की हल्दी घाटी बस्ती में क्या हो रहा है ? बिना किसी नोटिस के, बिना सूचना के लोगों के मकानों को तोड़ रहे हैं। यदि सरकारी जमीन पर बैठे हैं तो आप उनको आल्टरनेटिव जमीन दें; उनके लिए पानी, बिजली व सड़क की व्यवस्था करें तब तो आपको अधिकार है उन्हें हटाने का, नहीं तो यू. आई. टी. को अधिकार नहीं है कि उनको डिसप्लेस करे। इसमें हाई कोर्ट के व्यू का जिक्र किया है, There is no decision of the High Court, कहां है वह व्यू ? आपको हाई कोर्ट के व्यू को बीच में नहीं लाना चाहिये था। यह जो अध्यादेश निकाला गया है यह जनहित में नहीं है। जिस छोटे से उद्देश्य के लिए निकाला गया है, उसके लिए जब संशोधन आएगा उस समय कहूंगा। मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं। कच्ची बस्तियों में जो लोग 5-5, 10-10 साल से बैठे हैं बिना सूचना दिये उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है इसलिए सदन से अनुरोध करता हूं कि अध्यादेश को रिजेक्ट किया जाए। मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्षजी, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष जी, सर्व प्रथम मैं जनता सरकार को अपनी ओर से बधाई दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को भंग करके जनप्रतिनिधियों को हटाकर न्यासों को नौकरशाही के सुपुर्द कर दिया था उस व्यवस्था को जनता सरकार ने खतम किया। परन्तु साथ-साथ में अप्रत्यक्ष

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
रूप से जनता सरकार भी इस अध्यादेश के जरिए वही करना चाहती है जो कांग्रेस सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से किया। न्यास का जो गठन किया गया है उसमें जनता में से एक चेयरमेन बनाया गया है, तीन अन्य सदस्य बनाए गये हैं, परंतु साथ साथ में 5 अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है जिसमें वाटर वर्क्स, विद्युत मंडल, पी. डबल्यू. डी. के, जिलाधीश व टाउन प्लानर हैं। 9 सदस्यों में से 4 तो नॉन-आफिशियल्स हैं और 5 सरकारी अधिकारी हैं। न्यास के सारे फैसले बहुमत से या सर्वसम्मति से होंगे तो एक प्रकार से सरकार ने सरकारी अधिकारियों के हाथ में ही सारे यू. आई. टी. सौंप दिये। नगर आयोजना मंत्री की हां में हां अगर हमारे विधायक श्री गिरधारीलाल भार्गव ने नहीं मिलाई तो मंत्रीजी उन अधिकारियों के मार्फत चेयरमेन की इच्छा को वीटो करवा सकते हैं और उनके प्रस्ताव को नापास करवा सकते है। जहां आप जनता के हाथ में दुबारा न्यासों को सौंपने का दावा करते हैं वहां गठन में सरकारी अधिकारियों की संख्या जनता के नान आफिशियल सदस्यों से अधिक है, यह अपने आप में इन्डाइरेक्टली-जयपुर को उनकी डोरियों में डलवाना है,··

श्री माणकचन्द सुराना : ये इतने बड़े मेन्यूपुलेटर हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तो आज जो कानून बना रहे हैं वह ऐसा बनायें कि हम जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को गांव के लेवल से, शहर के लेवल से मजबूत करें। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें कि जिस नौकरशाही के हाथों से यू.आई.टी. हमने वापस ली, कलेक्टर चेयरमेन को हटाया गया, अपरोक्ष रूप से उन्हीं अधिकारियों के हाथों में यू. आई. टी. सौंप दी जाय।

दूसरी बात यह है कि इस संक्शन के जरिये से अधिकार दिये जा रहे हैं, चेयरमेन को आप दें यह बड़ी अच्छी बात है, चेयरमेन जनता का आदमी है, सारे अधिकार आप चेयरमेन को दें हमें आपत्ति नहीं है····

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य, जिले के अन्दर अधिकारी ज्यादा हैं तो वहां भी अपाइन्ट करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अशोक मेहता कमेटी आई थी उसने कहा कि जिला परिषदों में जिला प्रमुखों को अधिकार दिये जायें। एक तरफ तो अशोक मेहता साहब के यह विचार हैं और दूसरी तरफ हम नौकरशाही के हाथ में यू. आई. टी. के अधिकार दे रहे हैं। यह गलत है। Chairman or Secretary or any other officer of the U.I.T सेक्रेटरी को माना है कि he should be, Head of the Department of second class, उसको पावर्स नहीं रहेंगी और or any other officer of the U.I.T. "Any other officer" he may be a Secretary he can be a Ex. EN. or any other officer of the U.I.T. एल. डी. सी. को भी अधिकारी मान लें तो वह भी हो सकता है। अगर एल. डी. सी. आफिशियेट कर रहा हो तो उसको भी सारे अधिकार होंगे। जनता के प्रतिनिधि चेयरमेन की इच्छा से यू.आई.टी. के छोटे मोटे अधिकारी को भी लाकर खड़ा कर देंगे, सेक्रेटरी को भी लाकर खड़ा कर देंगे दूसरी तरफ कहते हैं कि 12 यू.आई.टी. में जन प्रतिनिधियों को मौका देकर जन-

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

तांत्रिक व्यवस्था को हम नीचे तक लाये हैं और इसी कारण यह आर्डिनेन्स निकाला है। इसके पीछे एक मंशा है। यह ठीक है कि आज आपकी मेजोरिटी है और इसको पास करवा लेंगे लेकिन जिलों का आज ऐसा गठन है कि जन अभाव अभियोग समिति है तो उसका चेयरमेन कलेक्टर है, प्रौढ़ शिक्षा समिति है तो उसका भी चेयरमेन कलेक्टर है, और कहीं और भी कोई समिति है तो उसका भी चेयरमेन कलेक्टर है। सारी कमेटीज़ का कलेक्टर चेयरमेन है। उसके मेम्बर कौन हैं ? एम.पी., एम.एल ए. और दूसरे आपकी जनता के जन प्रतिनिधि हैं एक प्रकार से जिले के अन्दर हमने कलेक्टर को वह अधिकार दिये हुए हैं जो कि हमने मुख्य सचिव व मुख्य मंत्री को नहीं दिये। यह दिन कितना बुरा होगा जिस दिन मुख्य सचिव मंत्रियों की मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। हमारे भंवरलाल जी शर्मा उन आई. ए.एस. से मीटिंग को प्रिसाइड करायगे। हमारे श्री बजरंगलाल जी ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली तो क्या वह जिलाधीश के सामने जाकर बैठेंगे ? आज नौकरशाही क्यों हावी हो रही हैं ?

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

बहुत इम्पार्टेन्ट बात कह रहा हूं। आज नौकरशाही इसलिए हावी हो रही है कि हमारे विलेज लेवल से लेकर सचिवालय लेवल तक जो अधिकार जनप्रतिनिधियों को मिलने चाहिए थे वह अधिकार एक कलेक्टर या आई.ए.एस. आफिसर को न देकर जन प्रतिनिधियों से मीटिंग को प्रिसाइड करायेंगे तो निश्चित रूप से कलेक्टर के दिमाग में बात आयेगी कि जमाना बदल गया है, हवा बदल गयी है, जनता हमसे सुप्रिम है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां कलेक्टर से कहा जाता है कि तुम जनसेवक हो, तुम सेवा करने के लिए हो। सेवा के लिये जो आपके जनप्रतिनिधि हैं और जिनको जनता ने अधिकार दिये हैं वह कलेक्टर के अधीन काम करेंगे ? इसी प्रिटेक्स्ट में यदि हम आर्डिनेन्स को देखें तो यू. आई. टी. के गठन में अधिकारियों की संख्या अधिक है। दूसरी तरफ चेयरमेन के समक्ष सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों को लाकर खड़ा कर दिया यह अनडेमोक्रेटिक है। आप मानें या नहीं मानें, चाहे कोई भी पार्टी पावर में आये आज हम सोच सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं लेकिन इससे जनतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होतीं।

दूसरी बात, श्रीमान्, मैं कहना चाहूंगा कि उसमें है चेयरमेन या सेक्रेटरी या एनी अदर आफिसर है उसको सारे अधिकार होंगे Subject to the rules regulations made by an authority एक तरफ रूल्स और रेगुलेशन्स फ्रेम नहीं किये और दूसरी तरफ सारे यू.आई. टी. के अधिकार एक व्यक्ति को देने को तैयार हो रहे हैं, यह क्या अनडेमोक्रेटिक नहीं है ? आज कोई भी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वाली सरकार हो, चाहे वह स्टेट लेवल की हो या सेन्ट्रल लेवल की हो, क्या मंत्रिमण्डल अपने सारे अधिकार मुख्य मंत्री को दे सकता है ? अगर देता है तो it is invalid जो मुख्य मंत्री जी टावरिंग पर्सनलिटी है वह अपनी राय के साथ दूसरे साथियों को लेकर चलता है। यदि मन्त्रिमंडल की सारी पावर्स मुख्य मंत्री ले लेता है तो फिर वह इन्दिरा गांधी बन जायेगा। वह प्रजातांत्रिक मुख्य मंत्री

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

नहीं रहेगा । उसी तरह से आज अगर पांच अधिकारियों की सहायता से चेयरमेन सारे अधिकार अपने हाथ में ले ले तो मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को जो मेम्बर बनाया गया है उस पर क्या असर होगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने एक मुद्दा उठाया है इसके ऊपर माननीय मंत्री जी ध्यान दें । अधिकारों का डेलीगेशन कम करने की प्रवृत्ति को जहां तक हो सके हमें कम करना चाहिये। It is very bad. लेकिन इस आर्डिनेन्स के जरिये हमने सारे अधिकार चेयरमेन को दे दिये । दूसरी तरफ रूल्स बनाने के अधिकार भी नौकरशाही को हैं । यू. आई. टी. में जो अधिकार हमने चेयरमेन को नहीं दिये और सेक्रेटरी और दूसरे आफिसर्स भी इनडाइरेक्टली नान-मेम्बर्स से मिल कर सारी लेजिस्लेटिव पावर्स चेयरमेन को दे सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर चेयरमेन इतना काम्पीटेन्ट है तो क्यों नहीं यू. आई.टी.एक्ट में ही अमेन्डमेन्ट कर देते कि चेयरमेन की इच्छा होगी तो वह यू.आई.टी. के सारे अधिकार और फंक्शन्स खुद यूज कर सकता है। एक सेक्रेटरी सारी पावर्स यूज कर सकता है । यह एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लेने की बात है । हमारे विभाग में कहीं न कहीं गुलामी के बीज अंकुरित हो रहे हैं । तानाशाही प्रवृत्ति दुबारा उभारी जा रही है। इसी का यह प्रतीक है कि आर्डिनेन्स को पास करवाया जा रहा है । जैसा मैंने परसों कहा था कि आर्डिनेन्स एक अवैध संतान की तरह से है । उसे लीगेलाइज करने के लिये यहां एक्ट लेकर आ रहे हैं । जो सरकार अवैध संतान कम से कम पैदा करेगी उसी के द्वारा जनतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है वरना नहीं । हर छोटी बात के लिये आर्डिनेंस और अधिकारों के लिये···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करिये । आप परसों की बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जैसे सोने के ऊपर बार बार हैमर लगने पर चमक आती है उसी तरह सरकार के दिमाग कठोर हो चुके हैं । जन भावना उनके दिमागों में जागे इसके लिए यह जरूरी है, हैमर बार बार लगाए जायें । अगर बार बार हैमर नहीं किया गया तो यह नहीं मानेंगे । मैं यह समझता हूं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अप्लाई करना चाहते हैं तो नौकरशाही को कभी भी जनतन्त्र के ऊपर नहीं बैठाना चाहिये । नहीं तो समय आने पर सारी शासन व्यवस्था बैठ जायेगी···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और दुबारा इन्दिरा गांधी की तरह फिर हम कहेंगे मोरारजी देसाई दोषी हैं, भैरोंसिंहजी दोषी हैं । शुरू से ही we must teach and learn फाइनेन्शियल अधिकार के बारे में···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रेलेवेन्ट नहीं है फाइनेन्शियल पावर्स ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यू.आई.टी के बारे में कह सकता हूं। जैसे पंचायतों को, म्यूनिसिपल बोर्ड को आपका अनुदान मिलता है उसी तरह यू.आई.टी. को सरकार का अनुदान मिलना चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि जितनी समस्यायें यू.आई.टी. की उठ कर खड़ी हुई हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप बिल्कुल असंगत बोल रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप समय की बात कह सकते हैं। मैं तो जो बात कहता हूं I think not arguing irrelevantly. समय का अभाव है इसलिए मैं बैठ रहा हूँ। जैसा माथुर साहब ने कहा जोधपुर में...

श्री उपाध्यक्ष : वे कह चुके हैं

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये आप।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से ट्रेजरी बेन्चेज के साथियों से यह बात कहूं कि अपने आदमियों की आवाज जोर से बुलन्द करें...।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं : "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी को देखते हुए मैं दो, तीन बातें माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ रखना चाहता हूं। जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। यू.आई.टी. एक अजीबोगरीब संस्था है। इनके माननीय सदस्य म्युनिसिपल बोर्ड की तरह इलेक्टेड नहीं होते। जब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इलेक्टेड आर्गेनाइजेशन या संस्था या ट्रस्ट की हैसीयत नहीं हो सकती।

दूसरा, इसको सरकारी महकमा कहें तो वह भी नहीं हो सकता। सरकारी महकमा और जो इलेक्टेड आर्गेनाइजेशन होता है उसके बीच में अजीबोगरीब संस्था हम लोगों ने पैदा की है। इनकी पावर्स एण्ड जुरिसडिक्शन म्यूनिसिपल बोर्ड से ओवर लैपिंग होते हैं। यह इलेक्टेड बाडी नहीं है इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव नहीं होना चाहिये। नान आफिशियल्स अगर रखना चाहें तो वह इस संस्था में नहीं है। दूसरा यह सरकारी महकमा भी नहीं है। इसमें कुछ आफिशियल, कुछ नान आफिशियल्स गवर्नमेंट नामीनेट करती है। म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों को अपने फण्ड्स क्रियेट करने के लिये टैक्स लगाने पड़ते हैं। यह ऐसी संस्था बन गई जिसमें आफिशियल्स और नान आफिशियल्स, इलेक्टेड और नान इलेक्टेड रख दिये हैं। इलेक्टेड तो आपने मर्जी से रख दिये वरना न तो यह डिपार्टमेंट के नार्म्स में आता है न इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव के नार्म्स में पूरा आता है। यह संस्था आपके इस एक्ट के तहत...

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपकी बनाई हुई है। आप स्वयं की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एक दफा मेरी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो मैं कह रहा था इस एक्ट के तहत कह रहा था। मेरा नम्र निवेदन है कि अब इस तरह की संस्था बना दें इस एक्ट के अन्दर उसमें जो नामीनेशन हुए उनकी मैं चर्चा नहीं करता मगर जो कुछ भी नामीनेशन हो उनका इस आर्गेनाइजेशन का करेक्टर हो। यह आर्गेनाइजेशन, जो ट्रस्ट है इसके पास केवल जमीन है। जमीन को बेच कर पैसा लेता है। इसलिये इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यदि हमने नामिनेटेड आर्गेनाइजेशन बनाकर उसको यह अधिकार दे दिये, तो इन पावर्स को डेलीगेट कर लेना कहां तक ठीक होगा। आप वकील लोग हैं, डेमोक्रेट्स हैं, आप कोई सरकारी महकमा बनाकर सरकारी अफसर को यह कह दें कि अपनी पावर्स डेलीगेट कर दें? ऐसी संस्था जो इलेक्टेड नहीं है, ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इनको क्या कहें? नरसिंह अवतार की तरह है। अब चेयरमेन की हैसियत क्या है? He is presiding officer of that meeting and you want him to be executive head also इसलिये इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होते हैं किसी संस्था के अन्दर या नान आफिशिल्यस होते हैं उनको एक्जीक्यूटिव काम नहीं देना चाहिये। वरना मकान गिराने का अधिकार चेयरमेन को दे दिया जाये पावर्स में कि 50 हजार से ऊपर का मकान चेयरमेन गिरायेगा 50 हजार से कम सैक्रेटरी गिरायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : जो गवर्नमेंट ठेके देती है उनको कैसे पावर्स दी हैं? हर जगह इलेक्टेड बाडी है?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्टेड बाडी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वे पावर्स डेलीगेट करते हैं। वह डेलीगेशन आफ पावर्स बनता है। यह लेजिस्लेचर तो डेलीगेट कर सकते हैं....

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, आपातकाल स्थिति में किन नियमों के अन्तर्गत मकान गिराये गये? वह पावर्स किस तरह से डेलीगेट किये गये?

श्री मथुरादास माथुर : इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप तो हर बात में आपातकालीन...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मैडम से अर्ज कर रहा हूं...

(व्यवधान)

आपातकाल का चश्मा लगाकर, मैडम, हर तस्वीर को नहीं देख सकते...

श्री दाऊदयाल जोशी : आपातकाल का कलंक तो लगा ही रहेगा जब तक कांग्रेस इस धरातल पर है, कांग्रेस के माथे पर कलंक बना रहेगा।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मैडम, कानून की बात मैं कह रहा हूं, आप आपात काल की बात न करें। मैं जो कह रहा हूं बहुत प्रिन्सिपल की बात कह रहा हूं उसे गौर से समझने की कोशिश करें।

मैं यह कह रहा हूं जो ट्रस्ट 4-5 आदमी को नोमीनेट करते हैं उसको डेलीगेशन आफ

(श्री मथुरादास माथुर)

पावर्स का अधिकार मिले ? वह बैठकर थाली में परोस लें लेकिन वह कलेक्टर उस ट्रस्ट का नहीं है इसलिए उसको वे अधिकार नहीं हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आर्डिनेन्स के जरिये से आप व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं यह प्राविजन करें चेयरमैन की ड्यूटीज ये होंगी। ट्रस्ट को भंग कर दें, मिनिस्टर साहब, और भंग करके इस आर्डिनेन्स को हाऊस में लाये तो सेक्रेटरी को, इंजीनियर को, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को पावर्स मत दीजिये क्योंकि वे ही पावर्स को आपस में बांट लेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कभी मकान गिराने नहीं जाते हैं, इसलिये डेलीगेशन आफ पावर्स के बारे में निवेदन है Trust may delegate powers to the chairman वह ट्रस्ट को पावर्स नहीं होनी चाहिये। यह हमको ही कर देनी चाहिये जिससे जो नोमीनेटेड आदमी है वे काम करें, फंक्शन करें।

दूसरी बात, मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं, वह यह है कि हम कोई लेजिस्लेशन बना कर, लेजिस्लेशन के जरिये से सरकार को अधिकार देते हैं। इसमें जो कह रहा हूं वह यह है कि रेगुलेशन ट्रस्ट बनायेगी और रेगुलेशन आफ ट्रस्ट बना तो सब्सिडियरी रेगुलेशन आता नहीं है जैसे जोधपुर यू. आई. टी. ने रेगुलेशन में यह बना रखा है कि एक प्लाट नीलाम हुआ और एक्स ने सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया तो खरीदने के बाद वह दूसरे आदमी को ट्रान्सफर नहीं कर सकता है बिना यू. आई. टी की इजाजत के। आपने, गवर्नमेंट ने प्लाट अलाट किया, वह तो हो सकता है बहुत सस्ते दाम पर अलाट हुआ हो और उसे आप बेच नहीं सकते हैं किन्तु ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। ट्रान्सफर करना है तो पैनल्टी और फीस लगा रखी है लेकिन यह चैलेन्जेबल है आपने प्लाट ऑक्शन में लिया और हाइएस्ट बोली लगाकर खरीद लिया अब किसी वजह से प्लान बना नहीं सकते हैं तो माणक चन्द जी सुराणा को 25 हजार में ट्रान्सफर कर देते हैं तो यू. आई. टी. को आपत्ति करने का अधिकार है ? जब ऑक्शन में, ओपन बिड में प्लाट खरीद है तो ऑक्शन में लिया हुआ प्लाट ट्रान्सफर क्यों नहीं कर सकते हैं बिना यू. आई. टी. की इजाजत के ? ट्रान्सफर के लिये यू. आई. टी. को रुपया देना पड़ता है। मैं एक मिसाल देकर बता दूं यह रेगुलेशन बन गया आप क्या करें और हम क्या करें ? We are the father of this Bill. पावर्स डेलीगेट उनको कर दी है पावर्स से उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना लिये तो कोर्ट में जायें तो भी प्लाट ट्रान्सफर नहीं हो सकता है। खरीदा उस समय तो उसकी हैसियत थी, अब नहीं बना सकता है तो उसको बड़ी भारी परेशानी हो गई। यू. आई. टी. ऐसी संस्था है जो इस तरह के रेगुलेशन बनाती है। मेरा कहने का मतलब है यह सब्सिडियरी लेजिस्लेशन है कि यू. आई. टी. किस तरह फंक्शन करे। जो संस्था इलेक्टेड नहीं है और जिसका सुपरविजन नहीं कर सकते हैं तो उनको पावर्स देते समय क्लियर कट पावर्स देनी चाहिये। इसलिये निवेदन है कि डेलीगेशन आफ पावर्स का अधिकार ट्रस्ट को दिए तो वह अपने आदमियों में ही बांटेगा यह अनडेमोक्रेटिक है इसलिये यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। मेरा नम्र निवेदन है वैसे तो यू. आई. टी. के बारे में पचास बातें बता सकते हैं लेकिन अभी मेरा यही निवेदन है कि यह अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : क्या माथुर साहब, यहां के यू. आई. टी. और जोधपुर के यू. आई.टी. में भी अलग अलग रेगुलेशन्स हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : बिलकुल अलग अलग हैं।

श्री मदनसिंह दांता : Oh God !

श्री मथुरादास माथुर : अपनी मर्जी आये वैसे रेगुलेशन बना कर चलें इसके बजाय रेगुलेशन बनायें और गवर्नमेंट से एप्रूवल लें।

श्री माणकचन्द सुराना : लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार यू. आई. टी. को दे रखा है यह पेरेन्ट एक्ट है यह आपकी ही सरकार ने दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मेरा मतलब नहीं है सरकार कोई सी ही हो ..

श्री माणकचन्द सुराना : राज्य सरकार की स्वीकृति बिना रेगुलेशन फोर्स में नहीं आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये मेरा निवेदन हैं कि कुछ फन्डामेन्टल रेगुलेशन अपने यहां करना चाहिये जो आर्डिनेन्स लाये हैं उसके लिये आप एक ऐसी और परम्परा डाल रहे हैं वह नहीं चल सकेगी। इसमें आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं थी। यह आर्डिनेन्स गैर कानूनी लाये हैं इसलिये आप इस पर तुरन्त विचार करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संकल्प नहीं है। आप इस पर कोई विचार नहीं रख सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अच्छी बात है, जब थर्ड रीडिंग होगी, तब बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी, इसका उत्तर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन के लिये बिल रखा है, इस पर माननीय सदस्यों ने बड़े विचार व्यक्त किये हैं और सौभाग्य की बात है कि विचार उन लोगों ने रखे हैं जो बड़े परिपक्व हैं, बहुत ज्ञानवान है, बहुत दुनियां देखी है और राज्य किया है। डागा जी को छोड़ दिया जाय तो बाकी सबके लिये यह ठीक है।

अब सवाल यह है कि जो अमेन्डमेंट हमने रखा है हमें उम्मीद थी कि कोई बढ़िया सुझाव देंगे, कोई बात बतायेंगे जिससे इसमें सुधार हो सके किन्तु वह तो किसी ने बताई नहीं...

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तो नीति का विरोध किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या अभी तक यह सब बकवास थी ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : बहुत जल्दी समझ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सबके लिये मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने जो शब्द रखा है, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

मेरा निवेदन यह था कि बात बहुत छोटी सी है। केवल आपने राजनीतिक रंग देकर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की है। आप स्वतन्त्र हैं, कर सकते हैं और यह अच्छी बात है आपके लिये कि अमेन्डमेंट के लिये आपने यह विचार किया, लेकिन आपने यह विचार नहीं किया कि यह अमेन्डमेंट लाये कहां के लिये हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? अगर इस पर भी आप थोड़ा विचार कर लेते तो शायद कठिनाई नहीं होती। यह ट्रस्ट अपना काम करता है। ट्रस्ट की एक चुनी हुई बाड़ी है एक प्रकार की। उसमें सब तरह के मैम्बर होते हैं और U. I. T. is a trust of the public, जहां जनता का काम होता है और ट्रस्ट को भी जनता से काम पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि रोज ट्रस्ट की मीटिंगें होंगी। ट्रस्ट छोटी छोटी बातों के लिए बैठे, कोई भी छोटी सी बात हो गई, अगर किसी की एप्लीकेशन मंजूर करनी हो तो ट्रस्ट बैठे ? अगर किसी व्यक्ति ने नाजायज तौर पर मकान बनाना शुरू कर दिया, सरकारी जमीन को दबा लिया तो उसको रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं हो ? उसके लिए ट्रस्ट की मीटिंग हो, उसके लिए बाकायदा नोटिस निकले, रिजोल्यूशन पास किया जाय तब उसको अलाउ किया जाय ? अगर आप यह चाहते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यावहारिक पक्ष से देखेंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे रूटिन का काम करने के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी अधिकारी को अधिकार हो। यह आज तक भी हो रहा था। सैक्रेटरी, यू.आई.टी. का काम करता था। नोटिस देता था, वह नाजायज मकान तुड़वाना था, ये सारे काम हो रहे थे किसी ने आपत्ति नहीं की। सब चल रहा था, ढका हुआ था। यह बात तो यों पैदा हुई कि किसी ने रिट कर दी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि सेक्रेटरी को काम करने का कोई अधिकार नहीं है। कानून में उनको पावर नहीं दी हुई है इसलिए सेक्रेटरी काम नहीं कर सकता। कानून में पहले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, पता नहीं। कानून बनाते वक्त यह बात नहीं सोची गई कि कोई कठिनाई भी इस प्रकार की खड़ी होगी। उस वक्त गम्भीरता से नहीं सोचा गया और यही समझा कि यू. आई. टी. फंक्शन करती रहेगी और अपने फंक्शन्स के अधिकार किसी को भी दे सकेगी, किसी को अधिकृत कर सकेगी और काम चलता रहेगा। आप कोई भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें वे सब लोग ही मिल कर फैसला करते हों, कोई अधिकारी एक्जीक्यूटिव पावर यूज नहीं कर सके। म्यूनिसिपल एक्ट में भी इसका प्रोविजन है। म्यूनिसिपल एक्ट के सेक्शन 8 में यह प्रोविजन है कि म्यूनिसिपल बोर्ड अपना काम करने का अधिकार किसी कमेटी को दे सकता है, चेयरमेन को दे सकता है, सेक्रेटरी को दे सकता है या किसी अधिकारी को दे सकता है, जिसको वह ठीक समझे। नहीं देगा तो फंक्शन नहीं हो सकता। यह जो प्रस्ताव लाए हैं, यह संशोधन लाए हैं इसमें यह है कि अधिकारी भी कौन कौन से होंगे। अधिकार देने की जो पावर है वह बोर्ड को खुद को है। बोर्ड अपने रिजोल्यूशन के द्वारा जो विचार करके ठीक समझता है कि इस काम की पावर, इसका अधिकार किसी व्यक्ति

(श्री भंवर लाल शर्मा)
विशेष को डेलीगेट किया जावे तो वह पावर देगा, वरना वह पाबन्द नहीं है। ...

श्री मथुरादास माथुर : इसमें यह और एड कर दो, 'with the approval of the Government' तो ठीक हो जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : है इसमें। तो अब आपने यह तो स्वीकार कर लिया कि पावर देनी चाहिए, धन्यवाद आपका। अब इतना और जुड़वाना चाहते हैं, यह तो आपने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया कि इसके लिए पावर देनी चाहिए, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। आप जानकारी करके जब सलाह देते हैं तो ठीक सलाह देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारी सलाह नहीं मानते तो यह आल्टरनेटिव बताया है

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी कभी ठीक सलाह देते हैं। यह तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए। इसके अन्दर आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, अधिकार की सीमा है। अधिकार अनफेटर्ड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन हैं, लिमिटेशन्स हैं, जो भी सरकार देगी उसके बाहर जाकर अधिकार नहीं दे सकते। इसमें है।

श्री खेतसिंह राठोड : हमको मालूम है, भार्गव साहब को पूरे अधिकार देने वाले नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें वही है।

"Any powers, duties and functions. which may be exercised or performed by or on behalf of the Trust may, by a specific resolution of the Trust and subject to such restrictions. limitations and conditions as may be prescribed by rules or regulations, be delegated to the Chairman or the Secretary or any other officer of the Trust, without prejudice to any powers conferred on any Committee by or under section 21 of this Act."

श्री मदनसिंह दांता : Who are in majority in the Trust ? Government servants ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले तो यह कि अनफेटर्ड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन किया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया है। जब नगर पालिकायें अपने अधिकार दे सकती हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते ? जो संशोधन मैंने यहां रखा है वह यही है कि जब आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार अधिकार देंगे। मैं आपको बता रहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब मामला हाई कोर्ट में गया तो यह कहा गया कि सेक्रेटरी जो आपका काम करता है उसको किसी प्रकार का काम करने का अधिकार नहीं है, सारा काम यू. आई. टी. कर सकती है। यू. आई. टी. यदि कोई भी काम है तो मीटिंग बुलाए। इसमें एप्रिहैंशन किस बात का है। किसी व्यक्ति को आथोराइज करेंगे तो बोर्ड की मीटिंग होगी, ट्रस्ट के मेम्बरों की मीटिंग होगी और उसमें अधिकार देंगे। हर बात के लिए, हर काम के लिए बोर्ड की मीटिंग करना स्वाभाविक

(श्री भंवर लाल शर्मा)

भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। इसलिए अपनी पावर्स, रेस्ट्रिक्टेड पावर्स, जिनको वह सचमुच आवश्यक समझती है, डे-टू-डे काम करने के लिए, वह व्यक्ति विशेष को देगी। अगर नहीं देगी तो काम नहीं चलेगा। यह ऐसा संशोधन आपके सामने रखा है। इसको क्यों इधर उधर घुमाया है यह मेरी समझ में नहीं आया। यह सब चुने हुए जितने भी पब्लिक आफिसेज हैं उन सब में ऐसी व्यवस्था होगी, इसके बिना काम नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सी बात को क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने सवाल पूछा था उसका क्या हुआ? आपके आफिसेज मेजोरिटी में हैं?

श्री पुरुषोतम मंत्री : आगे आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जिन माननीय महानुभावों ने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किए हैं वे उनको वियड्रा करेंगे या प्रेस करेंगे?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी एक भी बात का जवाब नहीं आया इसलिए वियड्रा नहीं करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो इनके पास लिखा हुआ है वही बोल गए।

श्री उपाध्यक्ष : तब मुझे संकल्पों पर मतदान करवाना पड़ेगा और सदन की अनुमति लेनी होगी।

प्रश्न यह है कि इस आर्डिनेन्स पर जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, क्या उनको स्वीकार किया जावे?

(अस्वीकार)

संकल्प अस्वीकार किए गए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार न्यास (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल में अमेंडमेंट पेश किये हैं, मैं देख रहा था, सुन रहा था जो बिल पर बहस हो रही थी, यू.आई.टी. के बारे में दरसल मैं जनता पार्टी के सदस्यों से एक बात कहूंगा कि क्या आप भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस कदम पर, जिस रास्ते पर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तीस साल तक चलती रही, आप उसी तरह से काम करके लोगों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, यह बात सरासर गलत होगी। . . .

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी तक विचारार्थ कहां लिया?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल यह यू.आई.टी. की बात कहां से आई, यह तो वेसिकली रोग को देखना पडेगा कि क्यों जरूरत पड़ी यू.आई.टी की। म्यूनिसिपेलिटी एक रिप्रजेण्टेटिव बोडी थी जो हमारा काम करती थी शहरों का, फिर क्या जरूरत पड़ी यू.आई.टी. की इसके पीछे भावना थी जिन लोगों के पास सत्ता रही है.

(व्यवधान)

बंगाल चले जाओ, बंगाल में क्या हो रहा है, जो बात कह रहा हूं उसको सुनते नहीं हैं . . .

श्री कौशलकिशोर जैन : कलकत्ता में है या नहीं ? यह बता दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम्हारी अक्ल में आ रहा है या नहीं, यह देखो।

श्री रामकृष्ण दासगुप्ता : सी. पी. एम. की सहायता की जरूरत है आपकी पार्टी को चुनाव के लिए। आपकी जनता पार्टी को चुनाव में ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस यू.आई.टी. का निर्माण इसलिए किया गया कि सत्ताधारियों के जो लोग चुनाव में हार जाते हैं और उनमें उनके जो चहेते होते हैं, उन चहेते लोगों को खुश करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए यह यू.आई.टी. नाम की एक पेरेलल बोडी आपने बना दी। यह यू.आई.टी. इसी तरह की बोडी है। यह जो नामिनेटेड बोडी है यू.आई.टी., उसको आपने जो इलेक्टेड बोडी है, सुप्रीम बना दिया। इसको उससे भी ज्यादा पावर दे दी। बड़ा अजीब तमाशा है। जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं वे यहां पर इस प्रकार यू. आई.टी. के लिए संशोधन बिल ला रहे हैं। इसलिए यह सारा का सारा यू.आई.टी. का बिल स्क्रेप किया जाना चाहिये। क्यों नहीं इसको स्क्रेप किया जाता है ? आपको डर आखिर क्या है ? दरअसल बात यह है कि सत्ताधारियों के सामने परेशानी आती है–किसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर विरोधी दल आ जाता है तो सत्ताधारी अपने दल के हारे हुए लोगों को कैसे प्लीज करें ? इसलिए यह सरकार भी इस बोडी को कायम रखना चाहती है। इसको पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव जो बोडी है उससे अलग क्यों रखा जा रहा है ? आपने यह एक अलग से पेरेलल बोडी क्यों बना रखी है ? मंत्री महोदय, इसका जवाब दें। बड़ा अजीब तमाशा है। म्युनिसिपैलिटी भी काम चला सकती थी। यह सारी व्यवस्था, ढोंग है। सरकार ने एक तरह से यह सफेद हाथी पाल लिया है। जनता पार्टी की नीति क्या है, मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, अभी जयप्रकाश जी ने कहा है, सारे निर्माण के कार्य, देश में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, वह हम नीचे से, नीचे की बोडी से, जो कि पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव बोडी है, चाहे वह पंचायत समिति हो, चाहे नगरपालिकाएं हों, से निर्माण कराना चाहते हैं। उनको निर्माण कार्य में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। जब आपका यह प्रिन्सिपल है कि सारे के सारे निर्माण कार्य पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव बोडी से कराने हैं, चाहे फिर वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वह पंचायत हो, चाहे वह जिला परिषद् हो, चाहे वह पंचायत समिति हो। इनकी मार्फत आप निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तब फिर यह यू. आई. टी. क्यों ? यू. आई. टी में ज्यादातर सरकारी अधिकारी होते हैं। एस. डी. एम., जिलाधीश को आप यह काम दे दें। वे भी पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव की तरह इसके मेम्बर रह सकते हैं। नोमिनेट ही क्यों करते हैं इस बोडी को ? पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव जिस बोडी में हो, उसके जरिए आप यह कार्य कराइये। यह तो कोई प्रजातान्त्रिक तरीका है ...

श्री ईश्वर चन्द : एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में बडी ठंड हो रही है। आप पता नहीं कब तक बिठाएंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज बहुत बड़ा डवलपमेंट शहरों में हो रहा है। उससे

(श्री श्योपतसिंह)

बड़े झगड़े पैदा हो गये हैं। कुछ एरिया यू. आई. टीज का है, कुछ एरिया म्युनिसिपैलिटी का है। यू. आई. टी का एरिया अलग है, म्युनिसिपैलिटी का एरिया अलग है। इस झगड़े में काम नहीं होता है। एक घर के दो घर आपने बना दिए। आपने दूसरे घर को बड़ी पावर दे दी और आपने मन माफिक को उस पर बिठा दिया। वह आपके कहने के अनुसार सारी कार्यवाही करेगा, काम करेगा। इस तरह आप इलेक्टेड बोडी को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है, चाहे आप माने या न माने, मैं यह सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि अगर आप इसी रास्ते पर चलें और जो आपके नेताओं ने घोषणा की है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर से आपकी घोषणा की भ्रूण हत्या बहुत जल्दी ही होने वाली है।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह यू. आई. टी. बिना प्लेट वाली गाड़ी है जिसका कोई नम्बर नहीं है। उसको चाहे जहां आप दौड़ा रहे हैं। कांग्रेस टाइम में यह जमात बनायी गयी थी। यह जमात राजनैतिक प्रभाव को कायम रखने के लिए बनायी गयी थी ताकि बेकार लोगों को, जो चुनाव हार गये हैं, का किसी न किसी प्रकार क्षेत्र में प्रभाव बना रहे। कांग्रेस पार्टी ने इसी उद्देश्य से यह पार्टी बनायी थी और अब जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को फिट करने के लिए इसका उपयोग कर रही है ताकि मौका पड़े तो चुनाव में अच्छा पैसा मिल जाए। अक्सर यह देखने में आता है कि सरकार उन लोगों को, बेकार नेताओं को, जिन्हें कहीं जगह न मिले, इस बोडी में नामीनेट करती है। जो पार्टी इन पावर होती है वह अपने दल के लोगों को इसमें फिट करती है। सत्तारूढ पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए इसको बनाया है वरना क्या जरूरत है? शहर में चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी है, वह काम करती है। गांव में भी पंचायत, पंचायत समिति है जिनको कि जनता चुनती है उनको क्यों नहीं यह काम दिया जाए? यू. आई. टी. ही क्यों यह काम करे? कांग्रेस के जमाने का बोया हुआ यह बीज है जिसको खतम कर देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी पावर देकर उन बेकार लोगों, जो चुनाव में हार गये हैं, या तो सत्तारूढ पार्टी से असन्तुष्ट हो गये हैं, को सत्तारूढ पार्टी खुश करने के लिए चेयरमेन या सदस्य यू. आई.टी. का बना देती है तो यह एक राजनैतिक दबाव है। यह जनता के हित में नहीं है। इससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे जनता की परेशानी और ज्यादा ही बढ़ेगी। यू. आई. टी. एक ऐसी जमात है जिसको गवर्नमेंट नामिनेट करती है। नामिनेट वो करते हैं जो पावर में हैं। वह अपनी पार्टी के लोगों को ही इनमें नामीनेट करते हैं दूसरी किसी पार्टी के मेम्बर को इनमें नामीनेट नहीं करते हैं। चाहे वह चेयरमैन हो, या सदस्य हो, यह साफ है। इसलिए जगह जगह यह जो ट्रस्ट बनाये जाते हैं इनको खतम किया जाना चाहिए। यह संशोधन करके जो कुछ किया जा रहा है वह सत्तारूढ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। लोगों को पावर देकर खुश किया जा रहा है। आगे का मोर्चा जमा कर अपने हक में उसका उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए यह यू. आई. टी. नाम की जमात खतम करनी चाहिए ऐसा मेरी और मेरी पार्टी का विचार है। इस

(श्री नूरा)

प्रकार का संशोधन कर । कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना है और उसके सड़े खाद को पानी देना है। शायद, हो सकता है, इससे आपको सत्ता का प्रभाव मजबूत हो इसके जरिए जो ट्रस्ट आप नामीनेट करें, वह आप पोलीटिकली करें किन्तु उससे जनता की भलाई नहीं होगी। जनता की भलाई करनी है तो जनता द्वारा जो चुनी हुई संस्थाएं हैं, कमेटियां हैं, उनको ही ये अधिकार दीजिए। वह जनता के लिए ज्यादा हितकर होगा वरना यह सब राजनैतिक लाभ के लिए है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो चुने हुए लोग हैं, उनके हाथ में ही रहना चाहिए यू. आई. टी.। आज मेजोरिटी इनमें राज्य कर्मचारियों की है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव ज्यादा होने चाहिए। अधिक से अधिक एम. एल. ए. उस एरिया के हों, राज्य कर्मचारी कम होने चाहिए। जो चुने हुए सदस्य हैं, जहां भी यू. आई. टीज हैं, उनमें वे अवश्य रहने चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो यू. आई. टी. एक्ट में संशोधन आया है, यह सही है कि कांग्रेस सरकार ने इनको बनाया और उस वक्त बनाया था तो यह समझते थे···

श्री किशनसिंह भाटी : यह संशोधन पर बोलने की किस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री खेतसिंह राठौड : आप भी बोल सकते हैं। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस तो 30 वर्ष तक हकूमत में रही और आज भी कुछ राज्यों में है किन्तु इससे आपकी बरबादी निश्चित है। यू. आई. टी. में इस तरह के लोगों को लगा कर हमने भी काम ठीक नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस की इमेज बिगाड़ी तब जाकर हमने वापस यह तय किया कि उनको हटाया जाना चाहिये। इन नान–आफिशियल्स को चेयरमैन नहीं रखा जाना चाहिये। आपने फिर से ऐसे व्यक्तियों को खुश करने के लिये चेयरमैन बना दिया। कम से कम हमारा एक प्रिंसिपल तो था कि जो विधान सभा के सदस्य नहीं थे उनको हम बनाना चाहते थे। आपने हारे हुओं को ही बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने गिरधारीलाल भार्गव को चेयरमैन इसलिये बना दिया···

(व्यवधान)

आपने उदयपुर में जो···

(व्यवधान)

उनको नहीं बनाया और दूसरों को बना दिया। चूंकि जनसंघ के थे और हारे हुए थे इसलिये उनको आपने चेयरमैन बना दिया। यह, भंवरलाल जी, निश्चित मान लीजिये, जनता समय देख रही है। इस तरह से आपने एक्ट में संशोधन करके लोगों को खुश करने के लिये, लोगों को पद देने के लिये यह काम किया है–यह अपने आपमें घातक सिद्ध होगा।

(व्यवधान)

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हर एक मामले के अन्दर आपने ऐसी बात रखी है

(श्री खेत सिंह राठौड़)
कि जिससे आप स्वयं सत्ता में रहना चाहते हैं और दूसरों को खतम करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर दें, जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे इस पर बोलना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : वे आ जाएंगे, पहले आप विचारार्थ तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से नगर निगम बनाया जा रहा है–इसी तरीके से यू.आई.टी. को प्रस्तावित करना, मैं समझती हूं, उचित नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो वास्तविक काम यू. आई. टी. को दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो अभी कन्वर्शन आफ लैण्ड घोषित किया गया है वह गजट में नोटिफाई नहीं किया गया है। इसके लिये निरन्तर कई बार अखबार में सूचना आ जाती है। लोगों को मालूम हो जाता है कि कुछ होने वाला है उनको परेशान करने के लिये यह जो किया जा रहा है यह सरासर गलत है। जो लैंड कन्वर्टेड घोषित की गई है वह गजट में नोटिफाई होनी चाहिये। लोग इससे प्रभावित होंगे। डवलपमेन्ट गारन्टी भी घोषित की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी रेस बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह डिस्कशन की स्टेज नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप आज्ञा नहीं देंगे तो बैठ जाऊंगी।

इस तरह से कोई संस्था काम नहीं कर सकती, यह उचित नहीं है। यही बोल कर मैं बैठती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं कहता कि पहले मतदान किया जाएगा। जो नियम है उनके अनुसार प्रभारी मंत्री महोदय ने इसको विचारार्थ लिये जाने के लिये मोशन रखा है। जो आल्टरनेटिव मोशन है–जनमत जानने हेतु प्रसारित करने और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव, जहां तक मुझे नियमों की जानकारी है, वे प्रस्तुत किये जायेंगे फिर मतदान करा सकूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पड़ेंगे–अगर आप चाहते हैं। जनमत जानने हेतु–सर्व श्री रामनारायण चौधरी, गिरधारीलाल, मूलचन्द डागा, नवरंग सिंह, कौशल किशोर, गुलाब चन्द कटारिया, बालकृष्ण थानवी, हीरालाल आर्य, लालचन्द, दाऊदयाल जोशी, अब्दुल अजीज–इन सभी महानुभावों ने जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन प्रस्ताव रखे हैं। क्या ये सभी संशोधन प्रस्ताव विथड्रा किये गये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह हमारा प्रिविलेज है कि हमारे सदस्य बोलें और उनको हम सुनें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये बोलने के लिये कह रहे हैं। आप बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ने इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन के प्रस्तावक हैं वे ही संशोधन प्रस्तुत करते हैं। वे ही सदन के सामने विचार रखते हैं। जिन माननीय सदस्यों को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो इस विधेयक पर बोले हैं, इसके बारे में उपयुक्त सुझाव देना चाहते थे उनको आपने रोक दिया।

मैंने यहां संशोधन प्रस्ताव इसलिये रखा है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करके इस पर अच्छी तरह विचार कर अगर कानून बनाएं तो उचित होगा।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे।"

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय प्रभारी मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य और आपके दोनों एक ही तरह के विचार हैं इसलिये स्वीकार करने का सवाल नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्या और मेरे एक से विचार हैं इसका क्या मतलब है? . . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषा बोली वह समझ में नहीं आई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ जी विश्नोई ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु संशोधन प्रस्ताव रखा उस पर मुझे सदन की सहमति लेनी है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

अब मुझे विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर सदन की सहमति लेनी है।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

अब खण्डशः विचार होगा। खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे जनतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। ट्रस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं होता यदि आप कर्मचारी या अधिकारी किसी एक व्यक्ति को भी अधिकार देने की व्यवस्था कर देते हैं, इससे किसी भी ट्रस्ट का, किसी भी संस्था का डेमोक्रेटिक करेक्टर समाप्त हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है कि पावर का डेलीगेशन कर दिया जाये लेकिन उसके लिए एक सब कमेटी कायम की जाये जिसमें तीन व्यक्ति हों, एक यू. आई. टी. का चैयरमैन हो। वरना किसी एक ही सरकारी कर्मचारी को हम अधिकार नहीं दे सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यू. आई. टी. के तीन प्रकार के काम होते हैं। नयी स्कीम बनाना, कन्स्ट्रक्शन और डिमोलिशन करना। यदि ये अधिकार किसी सरकारी अधिकारी को दे देते हैं तो अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मैंने सशोधन में कहा है कि एक उप समिति बना दी जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय के इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उनको रोजमर्रा का काम करने में दिक्कत आती है। अगर रोजमर्रा का काम करने में उनको दिक्कत आती है तो भी डिमोलिशन का जो अधिकार है, वह किसी एक सरकारी कर्मचारी को, इंजीनियर को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को नहीं दे सकते हैं। यह गणतान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है कि जो ट्रस्ट का अधिकार है, वह एक नौकर को दिया जाये। इसलिये मैंने इस व्यवस्था का सैद्धान्तिक विरोध किया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को योजना बनाने, निर्माण और डिमोलिशन करने की पावर का डेलिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर यह हो जाता है तो यू. आई. टी. बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को पुरजोर निवेदन करता हूं कि अगर आप इस प्रकार से अधिकार देते हैं तो यू. आई. टी बनाने का यह तात्पर्य समाप्त हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने यह स्वीकार किया है कि काम को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का डेलीगेशन आवश्यक होता है। आगे उन्होंने एक क्लाज लगा दिया कि एक समिति बना दी जाये। एक तो ट्रस्ट है, फिर तीन व्यक्ति और इकट्ठे किये जायें। सिद्धांततः इसे स्वीकार करता हूं लेकिन व्यावहारिकता के नाते इसे स्वीकार करने में कठिनाई है। वैसे मैं उनके इस प्रस्ताव के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय राम नारायण चौधरी अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय रामनारायण चौधरी ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2, विधेयक का अंग बनाया गया।

खण्ड 3 से 6, इनमें कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 6 विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 6 विधेयक का अंग बनें।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना। इनमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना, आदि विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम प्रस्तावना आदि विधेयक के अंग बनें।

प्रभारी मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि इसको रद्द किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय ने राजस्थान नगर सुधार एक्ट में संशोधन पेश किया है, इससे इन्होंने यू. आई. टी. का सत्यानाश किया है।

एक माननीय सदस्य : अच्छा शब्द प्रयोग किया।

श्री रामनारायण चौधरी : यू. आई. टी. का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, उसको समाप्त किया है। अगर यह अधिकार अधिकारियों को दे दिये गये तो यू. आई. टी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो फिर क्यों आपने बनाया ? क्यों गिरधारीलाल भार्गव को चेयरमैन बनाया ? अधिकारियों को अधिकार देकर जयपुर को मटियामेट करना चाहते हैं। अगर अधिकारियों को ही अधिकार देना था तो कलेक्टर को ही अधिकार दे सकते थे। सबसे पहले कलेक्टर ही आता है। मेरा मानना यह है कि इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट की शकल बिगाड़ी गई है, खराब की गई है। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी के विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरी पुरजोर शब्दों में यह अपील है कि इसको अस्वीकार किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है, इसे पारित करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने इसको बिना सोचे समझे प्रस्तुत किया है। 75 के अन्दर "or to the secretary or any other officer" इन्सर्ट किया है और सेक्शन 73 ए का प्राविजो डिलीट किया है। आपका यह अनकम्पलीट एक्ट है। दूसरे जो अमेण्डमेंट लाये हैं, 73 (ए) का प्राविजो डिलीट करने के लिए लाये हैं वह

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए लाये हैं कि ट्रस्ट या गवर्नमेन्ट के द्वारा जो प्लाट अलाट किये गये हैं उनको सब-डिवाइड कर सकते हैं । इस पर इसको डिलीट कर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब सरकार यू.आई.टी. के द्वारा अलाटेड प्लाट के सब डिविजन पर रोक नहीं है। सैक्शन 73 में नक्शा पेश करना होगा। कहां मकान बनेगा, किस प्रकार का नक्शा होगा ? कोई भी यह नहीं करता है तो वह कार्यवाही इल्लीगल है। डिमोलिशन की कार्यवाही सैक्शन 91 में की जा सकती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ भी आप संशोधन लाये हैं, सदन में जिस तरीके से लाये हैं उसके द्वारा आप क्या करने जा रहे हैं, पावर्स आपके पास हैं। आपको डिमोलिशन करने की पावर है, नक्शा पास करने की पावर आपके पास है फिर आप यह अमेण्डमेंट क्यों कर रहे हैं ? सैक्शन 75 में आफिसर और सेक्रेटरी का नाम था। इस प्रकार का प्रोवीजन 73 में यों का यों नहीं रखा, इसमें अमेण्डमेन्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसलिए मेरा निवेदन है इस अमेण्डमेण्ट बिल को रिजेक्ट किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिए मैंने कहा था कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मदेरणा साहब ने जो आपत्ति उठाई उसके बारे में मेरा निवेदन है कि सैक्शन 73 सब-क्लाज (3) में लिखा है "On receipt of an application for permission under sub-section (1), the officer or authority competent under section 72 to grant the permission, after making such enquiry as may be considered necessary in relation to any matter, shall, by order in writing, either grant the permission, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, or refuse to grant such permission." हमारा कहना तो यह है कि ऐसी परिस्थितियां हों और आवश्यकता पड़ जाय तो वहां पर अधिकारी को पावर मिलनी चाहिए। वह बॉयलाज को देखेगा और नक्शे पास कर देगा। आप कहते हैं कि ट्रस्ट को पावर दे दीजिये। तो ट्रस्ट की दो-दो महीने में मीटिंग होगी और लोग परेशान होंगे। हमने तो इसको और भी सरल किया है। इसलिए मैं इस आपत्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

फिर आपने कहा कि 75 के रहते हुए 73 (ए) खतम नहीं करना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा 73 जो है वह है—Application for permission, परमिशन के लिये आयेगा तो इस धारा के तहत परमिशन मिलेगी। 73 (ए) Sanction for sub-division, किसी जमीन को टुकड़ों में करके उसका सब-डिविजन करें तो, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। Section 73 is only for permission and section 73 A is for sub-division of land. इन दोनों में बड़ा अन्तर है। सब-डिविजन अलाउ करेंगे तो व्यक्तिगत सम्पत्ति का सब-डिविजन नहीं हो सकता। सब-डिविजन करेंगे तो 73 (ए) लागू होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अलॉट करेगी तो यह प्रोवीजन लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर गवनमट

(श्री भंवरलाल शर्मा)
ने प्लाट दिया है तो वह छोटा कर सकते हैं। हमने कहा है कि एक सीमा तक उसको छोटा किया जाय जिससे कालोनी की शक्ल नहीं बिगड़े। इसलिए आपका सुझाव मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर श्री मूलचन्द डागा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण का जो सिद्धान्त है उसके ऊपर मैं अपने विचार रखता हूं। इस सिद्धान्त को बिल्कुल चुनौती तो नहीं देता लेकिन एक बात कहता हूं कि अभी आपकी केन्द्रीय सरकार के बरनाला साहब ने आपको बुलाया था और कहा था कि आपकी इसको लागू करने की इच्छा नहीं है। आपके यहां पर जो बड़े-बड़े सामन्तवादी और पूंजीपति लोग हैं उनकी जमीनों को आप ले नहीं सकते। चार महीने में रिओपन करने का सवाल है, चाहे इधर बैठने वालों की सरकार थी या उधर बैठने वालों की सरकार है, मुझे विश्वास नहीं, उनकी जमीनों को आप ले सकेंगे। सामन्तवादी और पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का जो शोषण हो रहा है। किन्तु न तो कांग्रेस सरकार सामन्तवादी और पूंजीपतियों की जमीन लेकर गरीबों का शोषण खतम कर सकी और न आप कर सकते हैं, यह मेरा पूरा विश्वास है। अन्त्योदय योजना की आड़ में जो हो रहा है, यह सब बेकार है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था पिछले सेशन में कि कितने मुकदमें पेण्डिंग पड़े हैं तो यह कहा कि 167 हैं। और वे आज भी हैं, एक भी मुकदमा तय नहीं हुआ। यह जो शोषण का तरीका है, बड़ी-बड़ी जमीनों, बेनामी जमीनों के मुकदमों का तय न करके सीलिंग लॉ को डिफीट किया है। अधिकारियों ने मिल कर पैसा खाया है। किसी का भी इरादा सीलिंग लॉ को क्रियान्वित करने का नहीं है इसलिए आप चार महीने क्यों लेते हो ? अब आप यह कह रहे हैं कि चार महीने में रिओपन कर देंगे। क्या रीओपन कर दोगे ? चार महीने के लिए तो आपने इतनी जल्दी कह दिया कि 31-12-78 तक का टाइम दे दो। क्यों टाइम मांगते हैं ? इतने दिन रिओपन क्यों नहीं किया ? एक साल और मांग लो। न तो इधर बैठे हैं इन्होंने किया और न ही आप कर सकते हो। वेरी कमीशन भी बिठा दिया। आप कहते हैं कि मामले रिओपन

(श्री मूलचन्द डागा)

करेंगे। आपने यह भी कहा कि 9 लाख मुकदमें आ गये। मैंने आंकड़ों की जांच की तो मालूम हुआ, 6 लाख तो म्यूटेशन के हैं। मैंने कहा, ठीक हैं भगवान रक्षा करें। तो, श्रीमन्, यह जो कहना है इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्रीजी नक्शेबाज हैं, प्रचार करने के अन्दर गिफ्टेड हैं। प्रोफेसर केदार साहब, सीखना है तो उनसे सीख लो। आप जैसे समाजवादी नेता सर्दी में रजाई में सोते हो। आपने कुछ नहीं किया तो रजाई भी काटेगी। पुरुषोत्तम मन्त्री कहते है कि तीन चार महीने में रिअोपन करेंगे। 1955 में टीनेन्सी एक्ट बना, सीलिंग लॉ लागू हुआ। उसके बाद आज पच्चीस साल होने को आये लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 73 में बोले, हम कर देंगे रिओपन। सारे बड़े-बड़े लोग यह क्यों कहते हैं, गांव में गरीबों का शोषण होता है। शोषण मुक्त समाज की आप बात करते है और यहां आकर टाइम बढ़ाने की बात कहते हैं। आप गरीबों की कमाई खा रहे हैं जिन गरीबों को आप जमीनें नहीं दे सकते।

ये पावर्स आपने रिओपन करने की, किसको दी हैं? जार्ज षष्टम के समय से जो नौकरशाही है, वह मानवता के स्पर्श से शून्य है, जड़ है, इन लोगों में मिशन नाम की चीज नहीं है। इनके तो दिमाग में भी नहीं है कि हमें यह मिशन पूरा करना है। मेरे पास एक अच्छा आर्टिकल है :

Mentality of the I. A. S. Officers

"Today, after thirty years of independence, the I.A.S. Officers still remain rooted in the past."

वे सीलिंग कर ही नहीं सकते ये जो आपके सेक्रेटरी हैं, जो कोई भी हैं, सब प्रो जागीरदार हैं। हम जब भगवान के पास जायेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम क्यों गरीबों को धोखा दे रहे हैं। 56 करोड़ जनता भूखी व नंगी है। भूखा व नंगा राजस्थान है बुद्धिजीवी झूठ बोलकर उन से वोट लेकर आए उन्होंने क्या किया? मैं ग्राम ग्राम के नाम जानता हूं, जो कोई हिम्मत कर ले वह जमीन ले ले? न कलेक्टर को अधिकार है और न वह करता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सवाल है जन क्रांति का, आपने जो नारा लगाया था समग्र क्रांति का, उसका सवाल है। आपने तो घंटी बजा दी, अब गरीबों के गले में घंटी बजती रहेगी। ये पुरुषोत्तम मंत्री डा. राम मनोहर लोहिया के अनन्य भक्त हैं इस कारण मैं इनसे कह रहा हूं कि आपने आंकड़े दिए है अभी भी 900 मुकदमे ज्यों के त्यों पड़े हैं। माणकजी, सोचो, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार तो संविधान टूट जाएगा, गरीब जल जायेंगे, उनका स्वाभिमान जल जाएगा। आपको अपनी कोठियों से बाहर खींच कर लायेंगे अगर आपने शोषण खतम नहीं किया। मजदूरी कोई करे, पसीना कोई बहाए, आराम कोई और करे। आपका पाप बोलेगा। आप यदि पाप करेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था कि कितने मुकदमे तय हुए तो जवाब मिला कि केवल 50 मुकदमे अभी तक तय कर सके हैं 2250 में से। जिस कलेक्टर के पास सैकड़ों काम हैं, वह कैसे मुकदमे तय कर पाएगा? अपने विधायक, जिनमें जोश है, को यह काम सुपुर्द करिये, तथ्यान्वेषण कमेटी बनाइए। जिन जन-

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रतिनिधियों में गरीबों की सेवा करने की भावना है उन लोगों को काम दें। मुझे नौकर रखें, मैं काम न करूं तो गर्दन काट देना। 4 महीने में कितने केसेज निपटायेंगे ? 4 महीने का समय मांगते हैं उसके बाद भी जागीरदारों के पास जमीन रहेगी, शोषण रहेगा, शोषण मुक्त समाज नहीं होगा। हमने सेवा की गलत शपथ खाई है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्षजी, यह गंभीर मामला है। आप 4 महीने का समय ही मत लीजिए जब तक जागीरदारों-जमींदारों के पास जमीन है वे ले नहीं लेते तब तक का समय ले लें। बोलते तो आप ठीक हैं लेकिन काम उल्टे करते हैं। भगवान आपको 200 वर्ष की उम्र दे मंत्रीजी, आप राम मनोहर लोहिया के नाम को बदनाम मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं, "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश सं. 12 सन 1978) को अस्वीकार करता है।"

मेरा संकल्प प्रस्तुत करने का सबसे पहला कारण यह है कि पहले सैक्शन 15 क्लाज (ए) के अन्दर दो साल का प्रावधान था, उसको तीन साल सब्स्टीट्यूट कराया था। 6 अप्रेल 1978 को सदन में पारित किया। तीसरे दिन 8 अप्रेल को यह अधिनियम का हिस्सा बन गया, 8 अप्रेल 1978 से लेकर 14 अगस्त 1978 तक 4 महीने में प्रभारी मंत्री को इस बात का आभास हुआ कि बहुत ज्यादा केसेज पेंडिंग पड़े हैं सरकार के सामने। 4 अक्टूबर को जब सत्र प्रारंभ हुआ था तो लोकायुक्त संबंधी अध्यादेश पर बोलते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने गलती की उसको रेक्टीफाई कर रहे हैं। क्या मैं राजस्व मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब आप अध्यादेश लाए, सदन में बिल लाकर पारित करवाया, उस समय आपने समय लिया ? अगर आप समझते थे कि इतने समय में केसेज रिओपन नहीं कर सकेंगे तो आपको अधिक समय लेना चाहिए था। उस समय मैंने कहा था कि आप केसेज रिओपन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि काम करने की प्रणाली को मैं जानता हूं, भले ही आप रिटायर्ड हाई कोर्ट जज लगायें। मैंने यह बात 6 अप्रेल को कही थी। 8 अप्रेल से लेकर 14 अगस्त 1978 तक, जो आफ सीजन था, बड़ी संख्या में केसेज पड़े हुए थे उसी दिन अवधि समाप्त हो गई थी। उसी दिन अध्यादेश के जरिए समय 31 दिसम्बर 1978 तक आगे बढ़ाया। यह आपकी कार्य करने की प्रणाली पर रिफ्लेक्शन है, कि अध्यादेश निकालते समय फारसीएबल फ्यूचर को सोचकर नहीं चलते हैं कि कौनसा संशोधन होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1978 तक सभी केसेज, जो सरकार के पास रिओपन के लिए पड़े हुए हैं, डिस्पोज आफ नहीं हो सकेंगे और फिर अध्यादेश लायेंगे। पहले अध्यादेश लाए और बिल पास कराया। फिर अध्यादेश लाए I want to sound a note of warning कि फिर आप अध्यादेश लेकर आयेंगे। मैंने परिनियत संकल्प इसलिए प्रस्तुत किया है। 8 अप्रेल से 14 अगस्त तक जितने केसेज

(श्री परसराम मदेरणा)

पड़े थे, उनमें से कितने डिस्पोज ग्राफ कर दिए ? इस गति में आप चल रहे हैं तो क्या 31 दिसम्बर, 1978 तक उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे ? मैं समझता हूं आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप फिर संशोधन लायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो कारण दिया है प्रामुलगेट करने का कि हम ओल्ड और न्यू लॉ में यूनीफार्मिटी लायेंगे। यह बहुत ही लचर दलील है। ओल्ड सीलिंग लॉ के अन्दर जिनके फैसले हुए हैं वही केसेस आपके पास आ रहे हैं वह बहुत थोड़े केसेस हैं। इसलिए यूनीफार्मिटी आपकी नहीं चलेगी जो दलील आपने दी है यह दलील वाजिब नहीं है। फिर आपने यह कहा है कि "To implement this land reform measure more effectively." 14 अगस्त की रात को आप आर्डिनेन्स निकालते हैं। यह आपकी इनएफीशियेन्सी का प्रूफ है। इनएफिशियेन्ट सरकार का कोई मेजर इफेक्टिव हो सकता है क्या ? कभी नहीं। दोनों विरोधाभासी वातें हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप लैंड रिफार्म्स मेजर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। लैण्ड रिफार्म्स मेजर्स के संबंध में स्वयं माननीय प्रभारी मंत्री जी को जानकारी है कि सीलिंग लॉ के अन्दर जो रिज्यूम लैण्ड हुई थी, जो भूमिहीन लोगों को आवंटित की गयी थी उनमें से 50 पर्सेन्ट लोगों के कब्जे होते हुए भी उनको खेती नहीं करने दे रहे हैं। एक प्रश्न आया था बजट सेशन के अन्दर और अध्यक्ष महोदय ने उस प्रश्न को पोस्टपोन किया था। उस समय मैंने कहा था कि डिसीजन गवर्नमेन्ट का लिया हुआ है, आपके अधिकारी जवाब गलत दिला रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जांच की उसमें यह मालूम हुआ कि जो एस. डी. एम. ने रिपोर्ट भेजी है वह गलत भेजी है। एस. डी. एम. को शायद सस्पेण्ड भी किया था। तो आप कौन सा लैण्ड रिफार्म्स का मेजर इफेक्टिव तरीके से लागू करना चाहते हैं ? तो यह दलील तो छोड़ दीजिए कि समय के अन्दर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको एफीशियेन्ट मशीनरी को लगाना चाहिए जो कि इम्पार्शल हो और फ्री हो सभी कन्सीडरेशन से।

(7.02)

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

केसेस को रि-ओपन कराने के संबंध में अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए नहीं तो लैण्ड रिफार्म्स मृगमरीचिका बन कर रह जायेंगे और आप नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे बोलना नहीं है। दिसम्बर, 1978 के स्थान पर इसको मार्च, 1979 कर लें, बस यही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने, जो मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्यों के लिए तो सहमति प्रकट की है...

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो कहते हैं मार्च करो, दिसम्बर क्यों ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : लेकिन यह शंका की है कि दिसम्बर, 78 तक यह सारे केस रि–ओपन नहीं हो सकेंगे। यह बात सही है··

श्री श्योपतसिंह मकासर : Why not open for always.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : कृपया मेरा निवेदन सुन लीजिए।

जिस समय गये सत्र के अन्दर संशोधन लाया गया था जिसमें अवधि बढ़ाई गई थी उस समय सीलिंग के सारे केसेज खतम कर दिए गए थे। और आदेश हो गए थे तत्कालीन सरकार की तरफ से, मंत्रिमण्डल का भी निर्णय था। 23 या 24 मार्च, 77 का या इससे पहले का, तारीख याद नहीं है, कि सीलिंग अभिकरण नहीं खोले जायें इसलिए संख्या उस समय बताना सम्भव नहीं था। जब वह कानून बन गया, विधेयक पास हो गया उसके बाद मंत्रिमण्डल का जो पहला निर्णय था उसको निरस्त कर दिया गया मंत्रिमण्डल दूसरे निर्णय के द्वारा तब केसेज की संख्या अधिक बढ़ गयी। यह बात सही है कि जितने केसेज मौजूद हैं–करीब 1100 केसेज हैं सेक्रेटेरियट में, उनको रि-ओपन कि··ा जा रहा है और कलेक्टर के यहां उन पर विचार किया जा रहा है। यह हो सकता है कि दिसम्बर तक वह पूरे नहीं हों लेकिन कलेक्टर्स को यह हिदायतें कर दी गयी हैं कि 15 अक्टूबर तक जितने केसेज रि-ओपन करने के हैं उन सब को सचिवालय के अन्दर भेज दिया जाये। जो काम्पीटेन्ट आफिसर्स हैं उनके पास भेज दिये जायं, आथोराइज्ड आफिसर्स के पास भेज दिये जायें। मुकदमों की संख्या के आधिक्य को देखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि तीन-चार आफिसर्स और नियुक्त किये जायें।

माननीय परसराम जी मदेरणा ने पहले भी सुझाव दिया था और अभी भी सुझाव दिया है कि किसी हाई कोर्ट जज को मुकर्रर कर दिया जाये। मैं उनसे बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस डिप्टी सेक्रेटरी को यहां लगाया गया है, जिसको लगाया जा रहा है, उसकी इन्टेग्रिटी, उसकी निष्पक्षता और उसकी नैतिकता सन्देह से परे है। उसके बारे में दो राय किसी की नहीं हो सकती। आपको भी पता हो जायेगा···

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन है ऐसा व्यक्ति ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : एक श्री आर. आर. गुप्ता हैं जो इसमें लगे हुए हैं। उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी और नैतिकता सन्देह से परे है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बाकी सब लोगों की निष्पक्षता गड़बड़ है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं सभी की कह रहा हूं।

तो कोशिश यह की जायेगी कि 31 दिसम्बर, 78 तक सारे केसेज को रि-ओपन किये जायं और उनके निर्णय हो जायें। यह कहना कि यह सरकार सामन्तवादी सरकार है जैसा श्री मूलचन्द जी डागा ने कहा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता···

श्री मूलचन्द डागा : मैंने सामन्तवादी नहीं कहा। मैंने कहा कि आप समय के अन्दर नहीं कर सकेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात यूनीफार्मिटी के बारे में उठाई गयी। यूनीफार्मिटी का शब्द तो इस अर्थ में प्रयोग किया गया कि मामले रि-ओपन करने के लिये दिसम्बर, 78 रखी है तो इसके लिए भी 31 दिसम्बर, 78 रख दी जाये। श्री परस राम जी ने कहा, उस दृष्टि से यूनीफार्मिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो परिनियम संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो इसको विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि श्री परसराम मदेरणा ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं परिनियत संकल्प वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इस प्रस्ताव का...

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास। आपका जनमत जानने हेतु प्रस्ताव है, आपको बोलना है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अमेंडमेंट बिल पास करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री नूरा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

आप अवश्य बोलिये। श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं :

"राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा पर अधिकतम सीमा अधिरोपण एक्ट में मंत्री महोदय जो संशोधन लाये हैं,

(श्री नूरा)

31 दिसम्बर, 1978 तक टाइम बढ़ाने के लिये यह सिर्फ एक खाना पूर्ति है। जिन लोगों के पास जमीनें हैं उनको खुश करने वाली बात है कि हम दो महीनों में सब मामले को समेट लेंगे। ये खुद जानते हैं कि ये सारे केसेज समाप्त नहीं हो सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं जिस तारीख को इस विधेयक में संशोधन लाये हैं उस तारीख तक आपने कितने लोगों से जमीनें ले लीं, कितनी बांट दीं, कितनी आपके पास हैं? थोड़ा अधिक टाइम मांगते, 1980 तक का मांग लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। जितनी जमीनें लोगों के पास छुपी हुई हैं उन जमीनों को प्राप्त करने में आप ज्यादा कामयाब होते तो हमें खुशी होती। लेकिन चार महीने, चार महीने का समय मांगा इसमें कोई खास आपको कामयाबी मिलने की बात नहीं है। आपकी नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन जो जमीनें लेकर बैठे हैं वह भोले नहीं हैं कि सीधी तरह आपकी पकड़ में आ सकें। इसलिये आपको लम्बा समय चाहिये। यह जो कानून आप लाये हैं इससे जिन लोगों ने जमीन छुपा रखी हैं उनसे जमीन लेने के लिये आपको टाइम बढ़ाना चाहिये। मेरी मांग है कि यह समय 80 तक मांगा जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री करतारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री ओम प्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उत्तर तो मैंने निवेदन कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तारीख आपने तय क्यों की? अगर किसी आदमी ने जमीन छुपा ली है चोरी से, तो आप उसको टाइम लिमिट देकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप ओपन रखते कि जब भी शिकायत आये। आप रि-ओपन करें। यह वक्त कम है। आप टाइम देकर उलटे चोर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण

(श्री अध्यक्ष)
(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विधेयक का पारण

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : कोई सदस्य बोलने की इच्छा रखते हैं तो बोलें ।

श्री मूलचन्द डागा : For one minute.

अध्यक्ष महोदय, आपने आयोग मुकर्रर किया है-बेरी कमीशन, उसमें सीलिंग का मामला भी आ गया। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि बेरी कमीशन...

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन के परव्यू में नहीं आता है ।

श्री मूलचन्द डागा : कितने केसेज ऐसे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खुद सरकार ने कितने केसेज किये हैं ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीलिंग लॉ है उसमें जितना गोल माल हुआ है, अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है । आप यह बता दीजिए आपने कितने केसेज डिसाइड किये हैं, किस केस में किसी अधिकारी को गुनहगार ठहरा कर दण्डित किया है ? एक अधिकारी बता दीजिए जिसके खिलाफ फैसला दिया हो । इस प्रकार जो सीलिंग लॉ है इसको लागू करने में आप फिर भूल करेंगे । जैसे श्योपत सिंह जी ने कहा, उनसे सहमत हूं । आप अपने मेम्बर्स, जिन्हें आप उचित समझते हैं, की एक कमेटी बनाकर उसके सुपुर्द यह काम करिये । राजस्थान के कोने-कोने में उसको भिजवा दीजिये । आपको काफी जमीन मिलेगी ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरी कमीशन के बारे में माननीय सदस्य डागा जी ने कहा है बेरी कमीशन को सीलिंग के बारे में कोई केसेज गवर्नमेंट की तरफ से रैफर नहीं किये गये हैं । प्राइवेट आदमियों ने, मुझे मालूम हुआ है, कम्पलेंट्स की है सीलिंग के बारे में ।

दूसरी बात आपने यह कही कि यह सीलिंग के जो केसेज हैं इसके लिए कमेटी बना दी जाये, यह कर दिया जाये । मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । इसलिए निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया गया ।

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा जी।

माननीय परसराम जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं।

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महादय द्वारा दिनांक 22 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

पहले एक स्टेटमेंट रखा था कि काम्प्रिहेन्सिव टिनेन्सी बिल ला रहे हैं। क्या यह काम्प्रिहेन्सिव टिनेन्सी बिल लाये हैं जिसमें केवल दो अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल की डेफीनेशन में पशुपालन के लिये खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान भी आप रखने जा रहे हैं लेकिन काम्प्रिहेन्सिव बिल तो अभी लाये नहीं। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात है-इसमें केवल दो अमेन्डमेंट लाये हैं। आपके पास सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है। सलेक्ट कमेटी ने विचार किया है इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह राज्य सरकार को सुझाव है कि काम्प्रिहेन्सिव टिनेन्सी बिल पर विचार करने के लिये सत्र बुलाया जाये। टिनेन्सी एक्ट में सौ से ज्यादा अमेन्डमेंट की आवश्यकता हो गई है और मौजूदा राजस्थान की परिस्थितियों में कई प्राविजन रिडन्डेन्ट हो गये हैं फिर भी जो अमेन्डमेन्ट बिल लाये हैं-इसमें केवल प्रासीजरल अमेंडमेंट है। प्रोसीजरल अमेंडमेंट के साथ सब टिनेन्सी का मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। टिनेन्सी एक्ट में सब-टिनेन्सी के बारे में अमेंडमेंट कर दिया जाय क्योंकि ऐसे किसान हैं जिनकी खुद काश्त नहीं है, सब टिनेन्ट हैं। ऐसे लोगों को जमीन देने के लिये सीलिंग से अधिक जमीन जिन लोगों के पास है उनसे जमीन छीनी जाय, इस प्रकार के आदेश पहले हुये हैं और अमेंडमेंट ड्राफ्ट हुये हैं। जब आप इसमें संशोधन ला रहे हैं तो सैक्शन 19 में भी संशोधन लाना चाहिये। इसमें आप यह संशोधन लाते कि जमीन का मालिक काश्त करने वाला होना चाहिए। अभी जो संशोधन लाये हैं वह शब्दों का जाल है और कोई खास बात नहीं है।

दूसरा जो अमेन्डमेंट लाये हैं वह होल्डिग्स के फ्रेगमेन्टेशन के लिए लाये हैं लैण्ड का किसी प्रयोजन के लिये कनवर्शन नहीं हो सकता है अगर टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत मिनिमम होल्डिंग से कम भूमि है। इस प्रकार का एक फैसला भी रेवेन्यू बोर्ड का हुआ था। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होने के बाद में डिपार्टमेंट की ऐसी राय हुई थी और उसी के परिणामस्वरूप रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के अगेन्स्ट में जनता सरकार ने आने के बाद में यह आदेश दिया। उस आर्डर को सुपरसीड किया गया है, यह कह कर....

(व्यवधान)

मुझे सब पता है हाई कोर्ट जोधपुर में गवर्नमेंट एडवोकेट को इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि अमेंडमेंट ड्राफ्ट हो गया है। उसके बाद अमेंडमेंट इसलिये लाये कि शायद आप पर कहीं न

(श्री परसराम मदेरणा)
कहीं से दबाव आये कि जमीन कनवर्ट हो गई है इसलिये कानूनी तौर से सेव की जाय॰॰

श्री श्योपतसिंह मकासर : सीलिंग से ऊपर॰॰॰

श्री परसराम मदेरणा : मिनिमम होल्डिंग से नीचे जमीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं किया जाय। मेरे कहने का मतलब है कनवर्शन किसी ने कानून के अन्तर्गत नहीं किया है तो ऐसे मामले बेरी कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेन्स में है। बेरी कमीशन की पावर्स को इनडाइरेक्ट रूप में रेस्ट्रिक्ट किया है। ये पीछे जाने के इरादे क्या आपके है या किसी और के हैं ? सीलिंग से अधिक जमीन छीनकर अन्त्योदय में देने की आपकी मंशा है यह सब मंशा धरी की धरी रह जायेगी । यह अमेंडमेंट लाये हैं इसके बजाय या तो काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिये या बेरी कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेन्स में नहीं रखने चाहिये । इसको आप बेरी कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेन्स से हटा दीजिये। कनवर्शन का मामला है शायद इसका नोटिफिकेशन भी डागा जी के पास होगा। मेरा निवेदन है कि काम्प्रिहेन्सिव बिल आप लाये नहीं और बेरी कमीशन के स्कोप को आप रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं ।

सैक्शन 19 हैं, उस पर आप चुप बैठे हैं और चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जैसे सांप सूंघ गया हो, उसमें कोई अमेन्डमेंट नहीं लाये हैं। उसमें अमेंडमेंट लायें तो मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि सारे अमेन्डमेंट्स मेरे अप्रूव किये हुये है । उसमें हरिजनों के सूट में न जाकर जो प्रोसीडिंग रखी है, वह ठीक है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये भी रखी है। लेकिन उसके साथ ही आपने 42 को सीमित कर दिया। अगर शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन खरीद ली नान शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की खरीद ली नान शिडयूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति ने और उस पर इन्डस्ट्री खड़ी कर दी, उस पर मकान बनने गया, कामर्शियल इन्स्टालेशन हो गया तो सैक्शन 42 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जायगी। जब सैक्शन 42 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जायगी तो समरी प्रोसीडिंग का प्रावधान डाल क्यों रहे हैं ? अभी परसों ही अखबार में पढ़ा है, जमीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स से खरीद ली और सिनेमा बना लिया। बेरी कमीशन ने नोटिस दिया है। इसका मतलब बेरी कमीशन की पावर्स को कर्टेल करने जा रहे हैं। यह मैं आपकी प्रगतिशील लैन्ड रिफार्म की नीति के बारे में कह रहा हूं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी का जो चिन्तन है, जो वे चिन्तन कर रहे हैं उसके अनुसार काम्प्रिहेन्सिव टिनेन्सी बिल लायेंगे। मेरा इनसे विचार-विमर्श हुआ किन्तु मंत्री महोदय यह अमेन्डमेंट लाये और अमेन्डमेंट में कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेन्स खतम कर दी। जमीन के बेचान को रेगुलेराइज कर दिया, वैध बना दिया। इसलिये मैं सोचता हूं कि जो आर्डिनेन्स लाये हैं वह केवल लीपापोती है। सरकार ने भूमि सुधार के बड़े बड़े वायदे किये हैं, जनता के सामने, आपके मैनीफेस्टो में भूमि सुधार की बात है और अभी नेशनल डवलपमेंट कौंसिल ने टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्य मंत्री जी को रेस्पोंसिबल बनाया है वह सब साफ

(श्री परसराम मदेरणा)

हो गया, इसका सफाया कर दिया आपने, इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाकर। जहां तक यह प्रावधान रखा है 183 में कि शिड्यूल्ड कास्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने पर समरी प्रोसीडिंग से इजेक्ट कर सकते है तो यह प्रावधान तो अच्छा है, स्वागत योग्य है लेकिन इसके अलावा आपने कुछ ऐसे प्रावधान किये हैं जिनमें और बेरी कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेन्स में विरोधाभास है, इसके लिए मेरा कहना है कि इस आर्डिनेंस को रिजेक्ट किया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैं भी दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बारी आई तब तो आप बोले नहीं। Anyway, I cannot deny you your say.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) को अस्वीकार करता हूँ।

श्रीमान्, आपने भीलवाड़ा में जो बातें कही कि जो जमीन बोता है उसकी जमीन···

श्री रघुनन्दन व्यास : वह आ रहा है भाई नवम्बर में।

श्री मूलचन्द डागा : आपने भाषण तो बहुत जोरदार दिया। हमने समझा कि अब कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके यहां पर एक प्रकार का जो घटकवाद है, पूरी जनता पार्टी के अन्दर उसमें तरह-तरह की विचारधारा है। आप बिल लाए उससे पहले अपनी पार्टी में डिस्कस कर लेते तो उसका पता चल जाता। आपने क्या आर्डर दिया है? मैं जमीन खरीदूंगा एक काश्तकार की, अपनी फैक्ट्री कौड़ियों में खरीदी जमीन पर लगा दूंगा। फैक्ट्री का सारा पानी पास की जमीन में जाएगा। हम जानते है जल प्रदूषण से लोग दुखी हैं, पाली शहर के। मैंने जमीन खरीद ली और खरीद करके मैंने क्या सोचा कि उसके अन्दर अपनी एक फैक्ट्री लगा दूं क्योंकि गवर्नमेंट ने यह प्रावधान कर दिया है और वह फैक्ट्री को रेगुलेराइज कर देंगे लेकिन इन फैक्ट्रियों से क्या होगा···

श्री खंगारसिंह (खारची) : आप जब पाली म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन थे, विधायक थे तब आपने पाली के लिए कुछ भी नहीं किया। आपकी सरकार थी तब आपने कुछ नहीं किया। बीस गांव के लोग बेरोजगार हो गये हैं। क्योंकि उस पानी का इन्तजाम नहीं करवाया। जब आपकी कांग्रेसी सरकार थी तब उसने कोई कदम नहीं उठाया और मैं तो यह भी कहता हूं कि हमारी सरकार भी कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। हमको इसका बड़ा दुःख होता है। उस पानी का इन्तजाम किया जाना चाहिए। उस पानी के अन्दर मवेशी चलते है, उसमें बैठते हैं तो मरते हैं। बीस गांवों की समस्या है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने, श्रीमान्, जब तक चेयरमेन था म्यूनिसिपल बोर्ड का, एक

(श्री मूलचन्द डागा)

फैक्ट्री नहीं लगाने दी। फिर अग्रवाल आए, मैं नाम देना चाहता हूं, फिर पांडे आए, इन कलेक्टरों की मैंने शिकायत की, सेंटर तक की इनको प्रोसीक्यूट किया जावे, इन्होंने मिल कर, पैसा खा कर फैक्ट्री लगाने दी। हमारे कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गये। उसका मैं शिकार बना हूं। इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है। उस समय परसरामजी ने मुझे मदद की थी लेकिन चल नहीं सकी। ये सब लोग आज जो कुछ कह रहे हैं मैं इनको धन्यवाद देता हूं, खंगारसिंह जी, उस समय मेरी आवाज नकारखाने में तूती जैसी रही।

श्री खगारसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप पाली के विधायक थे और आपकी कांस्टीट्यूएंसी का मामला था तो आपने कितनी बार एतराज किया? अगर एतराज किया तो उसका नतीजा क्या निकलवाया? आज भी जब काश्तकार बरबाद हो रहे हैं, दो जून की रोटी के लिए मोहताज हैं तो हमारी सरकार सो रही है। कई बार हम कह चुके हैं लेकिन हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह सरकार भी व्यापारियों से, फैक्ट्रीज के मालिकों से मिली हुई है। जो काश्तकार हैं उनकी बड़ी भारी परेशानी है इसलिए मेरे कहने का हक है। बीस गांवों के काश्तकार बेरोजगार हो गए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं गलत हूं या क्या हूं, जो कुछ भी हूं यह सारा पाली जानता है।

श्री रघुनन्दन, व्यास : भूख हड़ताल करो।

श्री मूलचन्द डागा : तीसरा इसमें क्या है कि कुक्कुट पालक और पशुपालक, मुर्गी पालक, यह कुछ बड़ी-बड़ी अलाइड क्लासेज हैं वड़ी, इन क्लासेज को इससे एक तरह का मौका मिलता है। इसके कारण वह जमीन को ले लेते हैं और बड़े-बड़े फार्म बनाने का उनको मौका मिलता है। पहला सवाल यह है कि इस टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं वह जल्दी से कर दीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो जमीन जोतता हो उसकी जमीन हो। मैं पान की दुकान करता हूं, मैं वकील हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं काश्तकार नहीं हूं फिर भी काश्तकार का शोषण करता हूं। काश्तकार तो मजदूरी करता है और उसके शोषण का पैसा मेरे यहां जमा होता है। अगर आप कानून ऐसा ला सकते हैं जैसा कि केरल की गवर्नमेंट ने बनाया है तो आप केरल का कानून देख लीजिए, केरल के कानून का अध्ययन कर लीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा यह पीसमील लेजिस्लेशन लाकर क्या करना चाहते हैं? फल के पेड़ कौन लगायेगा सड़क पर? कौन लगायेगा, फल के पेड़ काश्तकार लगायेगा और मालिक हो जायेगी सरकार। यह सारी जो बेसिक चेंजेज की बात है वह ले आइये, इतना ही मैं कहता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

(श्री रामनारायण चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान टीनेन्सी अमेंडमेंट आर्डिनेन्स 78 का सैद्धांतिक आधार पर विरोध किया है, और वह यह है कि राजस्थान सरकार को आर्डिनेंस निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इस विधान सभा में वह अपना बिल ला सकती थी और फिर ला करके जैसा चाहती सरकार वैसा करवा सकती थी। जिस दिन आर्डिनेन्स निकला है उस दिन से आज दिन के बीच में ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम सरकार ने ऐसा नहीं किया जिससे मालूम हो कि इस कारण इनको यह आर्डिनेन्स निकालना पड़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई काम इनका नहीं रुक रहा था जिसके लिए आर्डिनेन्स लाना पड़ा।

राजस्थान काश्तकारी कानून, मान्यवर, पुराना हो चुका है, आउट आफ डेट हो गया है। प्रदेश में बदले हुये हालात में इस कानून के अन्दर सामाजिक चेतनाओं को ध्यान में रख कर क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज यह पुराने जमाने का कानून, आज से बीस वर्ष पहले का कानून, आज के हालातों के अनुकूल नहीं बैठता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आप एक पूरा कानून लायें। एक कमेटी सदन के माननीय सदस्यों की बनायें। जो काश्तकार हों, काश्तकारों में दिलचस्पी रखते हों और दूसरे जो अपने नये सोशल व्यूज रखते हों, जिनकी सोशल वेल्यूज के बारे में अपनी विचारधारा हो, ऐसे लोग उसमें शामिल हों। एक काम्प्रिहेंसिव बिल राजस्थान विधान सभा के सामने आए ताकि उससे राजस्थान के काश्तकारों को फायदा हो और राजस्थान के काश्तकार उससे लाभान्वित हों, यही मेरा मकसद था, मान्यवर। इण्डस्ट्रियल पर्पज के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए और कामर्शियल पर्पज के लिए फ्रेगमेंटेशन को आपने इस आर्डिनेंस के जरिये मान्यता दी है, वरना छोटे छोटे टुकड़े खरीदने का अधिकार कानून में नहीं है। मिनिमम होल्डिंग अलग-अलग जिलों में अलग अलग मानी है। झुंझुनू में दूसरी है तो चूरू में दूसरी है। जोधपुर में बड़ी है तो जैसलमेर में बहुत बड़ी मानी है क्योंकि वहां पर जमीन बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह आपका कानून है, राजस्थान काश्तकारी कानून इसके अन्दर रुकावट लगी हुई है कि काश्तकार अपनी जमीन को छोटे टुकड़ों में करके बेच नहीं सकता। यह बहुत पुरानी बात है। आज किसी के पास बीस बीघा जमीन है। बीस बीघा जमीन अगर चार भाइयों में बांटे, एक बाप के चार बेटे हैं और उनमें वह जमीन बंटती है तो पांच-पांच बीघा तो क्या एक बीघा भी आती है तो सरकार उसको काश्तकारी अधिकार देती है और उनको खातेदार मानती है। लेकिन यदि किसी के पास में पचास बीघा जमीन है और वह अपने मतलब के लिए, घर के काम के लिए दस बीघा जमीन किसी भूमिहीन काश्तकार को बेचना चाहे तो न तो उसको बेचने का अधिकार है और न खरीदने की इजाजत किसी को देते हैं। उस हालत में क्या होता है कि सरकार मालिक हो जाती है। यह कैसा कानून है? यह कानून, मान्यवर, उस वक्त बना था जब इस तरह के हालात नहीं थे। जमीन बहुत थी, इन्फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं थी, यह कुछ लोगों के दिमाग की पुरानी उपज है। आज आप यू. पी. को

Page No 142

(142)

(श्री राम नारायण चौधरी)

देखिए, एक बीघा की होल्डिंग हैं, बिहार में दो दो बीघा की होल्डिंग हैं। आप मुझे बता दीजिए, जिस आदमी के पास में साठ बीघा जमीन है और पांच भागों में जमीन को वेचना चाहता है तो आप खरीदने वाले को खातेदारी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। जो जमीन बेचना चाहे वह जमीन नहीं बेच सकता और जो जमीन खरीदना चाहे वह खरीद नहीं सकता। यह कैसा कानून है ? यह इसका व्यावहारिक पक्ष नहीं है। मैं, राजस्व मंत्री जी, आपके मुंह पर तारीफ नहीं करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपके अन्दर व्यावहारिकता है और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आपको चिन्ता रहती है। आप इन लोगों को टेक्नोक्रेट और एडवोकेट के ऊपर मत छोडिए। वास्तव में क्या हो रहा है राजस्थान के अन्दर उसकी तरफ आप ध्यान दें। एक गांव के अन्दर पचास-पचास ऐसे केस मैं आपको गिना सकता हूं, लोगों ने इस तरह से जमीन खरीद ली है जब कि न तो जमीन को बेचने का अधिकार है और न खरीदने का अधिकार है। जमीन ट्रान्सफर नहीं हो सकती। लेकिन एक पटवारी को दो सौ रुपया दे दो तो ट्रान्सफर करवा देता है। अभी आपका रेवेन्यू अभियान चला था। उस अभियान में जिन्होंने पटवारियों को पैसा दे दिया उन लोगों की जमीनों का उन्होंने ट्रान्सफर कर दिया। उनके खातेदारी के अधिकार हो गये। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जमीन के फ्रेगमेन्टेशन के ऐसे केस थे, जो पर्मिसेबल नहीं थे। वे भी इस राजस्व अभियान के दौरान ट्रान्सफर हो गये लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके ट्रान्सफर नहीं हुए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो यह कानून बना हुआ है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट उसके ऊपर विचार होना चाहिए। इसकी आज परम आवश्यकता है। जो संशोधन आज आप लाए हैं, उससे मेरा कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं है। इसमें ऐसे प्रावधान क्यों रखे हैं जिनसे काश्तकारों के अधिकार मारे गये। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके लिए एक ब्राड कमेटी बनाइये उसमें सब का सहयोग होगा। बदले हुए हालात में इसमें संशोधन होने चाहिए। यह जो फ्रेगमेन्टेशन का टंटा है उसको रद्द किया जाए और जो व्यावहारिकता है, उसके आधार पर टिनेन्सी कानून हो, यही मेरा निवेदन है। इन्हीं कारणों से मैंने इसका विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 22 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। मुझे इस बारे में जो शंका है, उसकी तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें सैक्शन 42 सैक्शन 53 में संशोधन किये हैं। सैक्शन 53 फ्रेगमेन्टेशन और सैक्शन 42 जमीन के ट्रान्सफर के सम्बन्ध में है। दूसरा कोई जमीन खरीद नहीं सकता है। अब आपने

(श्री मथुरादास माथुर)

42 में संशोधन किया है, यह किस अन्दाज से किया है ? आपका जो इन्टेन्शन है, उसको मैं समझना चाहूँगा ? वह जमीन, जो शिड्यूल्ड कॉस्ट्स व ट्राइब्स की है, एग्रीकलचर पर्पज के लिए तो ट्रान्सफर नहीं हो सकेगी। A tribe can pass to a tribe but scheduled cast cannot transfer शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड कास्ट को अपनी जमीन ट्रान्सफर नहीं कर सकेगा। यह कौनसा कानून है चाहे उसकी जमीन को कोई दूसरा ले ले।

" Provided also that the State Government of any authority or officer empowered by the State Government in this behalf, may exempt by general or special order and subject to such conditions as may be specified, the sale, gift or bequest for industrial, residential or commercial purposes from these restrictions.

यहां पर एक अधिकारी आपने मुकर्रर कर दिया। बड़े बड़े कोलोनाइजर्स आ जाएंगे। वे कुछ भी कह देंगे इन्डस्ट्री लगानी है, या एक पैट्रोल पम्प लगाना है, यह जमीन हमको दिला दीजिए। इससे बेसिक प्रोटेक्शन वीकर सैक्शन आफ सोसाइटी का तो डिफीट हो गया। यह मैं मान सकता हूँ कि फ्रेगमेन्टेशन के लॉ में एग्जेम्पट किया जाए। कामर्शियल, रेजीडेन्शियल और कामर्शियल पर्पजेज के लिए आपने एग्जेम्पट किया है। कामर्शियल रेजीडेन्शियल पर्पज के लिए लागू है। रेजीडेन्शियल पर्पज के लिए भी फ्रेगमेन्टेशन लागू है। मैं इसलिए आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप सोशलिस्ट हैं, तो यह कौन सा सोशलिज्म होगा ? एक आदमी है, उसने जाकर रेजीडेन्शियल पर्पज के लिए उसकी जमीन ले ली। दस बीघा जमीन है, उसको वह खरीद लेगा और उसके प्लाट बना कर बेच देगा। वह कोलोनाइजर हो जाएगा। इसको आप नहीं रोक पाएंगे।

श्री खंगारसिंह : यह संशोधन हरिदेव जोशी की जमीन को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए यह आया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह मुझे पता नहीं है। इसको छोडिए। यह मंत्री महोदय ही जानते हैं।

मैं यह कह रहा था कि कोलोनाइजर एग्रीकल्चर लैन्ड, पांच, सात बीघा जमीन फ्रेगमेन्टेशन के भी नीचे जमीन खरीद लेगा। उस जमीन के प्लाट बना कर, उस जमीन को आबादी में कन्वर्ट करा कर बेच देगा तो वह एक बड़ा कोलोनाइजर बन जायगा। दूसरी बात यह है कि आप इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं उसके लिए प्रावधान करना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है जयपुर के आस पास इन्डस्ट्री लगाने की बात नहीं करना चाहता हूं। इन्डस्ट्री लगानी है. इसके लिए सरकार की क्या पालिसी है ? इसका क्या डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए ? डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं किया झुग्गी, झोंपड़ियां शहरों में बढ़ जाएगी ये कच्ची बस्तियां इसीलिए ही तो बढ़ती हैं। शहर में इन्डस्ट्री लग जाती है तो लेबर आती है उनको रहने के लिए जगह चाहिए। जहां खाली जगह दिखाई दी वहीं पर लेबर बस जाती है। वहां पर वह बैठ जाती है। झुग्गी झोंपड़ियां बन जाती हैं। इसमें सोचने की बात है। जहां पर पापुलेशन सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच जाए वहां पर इन्डस्ट्री नहीं लगाई

(श्री मथुरादास माथुर)

जानी चाहिए । वहां से इन्डस्ट्री को दूर लगाया जाए । उसको दूसरी जगह जमीन दी जानी चाहिए, चाहे आपने यहां पर, शहर के आसपास जमीन दे दी, वह सीधे जाकर उसको ट्रान्सफर करवा लेगा । चाहे जहां वह इन्डस्ट्री खड़ी कर देगा, इस संशोधन के बाद । इसलिए आपकी इन्डस्ट्री के डिसेन्ट्रलाइजेशन की जो स्कीम है, वह इससे डिफीट हो जाएगी और जो आप झुग्गी झोंपड़ियों की प्राब्लम को हल करना चाहते हैं वह भी इस अमेन्डमेन्ट से डिफीट हो जायेगी । इसके अलावा जयपुर के चारों तरफ जो ग्रीन बेल्ट है वह भी डेस्ट्राय होगी । यह प्रश्न इस अमेन्डमेन्ट से खड़े होते हैं । शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन है, दस रुपये गज की दर से उसे कोई भी पूंजीपति, कोलोनाइजर खरीद लेगा वह चाहेगा तो इन्डस्ट्री लगा देगा या कोलोनाइजर उसके प्लाट बनाकर बेच देगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वीकर सैक्शन की जमीन को पूंजीपति न हड़प जाएं, इसके बीच में कोई इफेक्टिव संस्था को बीच में डालें चाहे फिर वह कोआपरेटिव सोसायटी हो, वरना इसका मिसयूज होगा । इन्डस्ट्रीज हेफ्हेजर्ड वे में खड़ी हो जायेगी । रेजिडेन्शियल कोलोनाइजर खड़े हो जाएंगे । आप इसको को-आपरेटिव सोसायटी के जरिए करिए । हो सकता है कोआपरेटिव में धांधली हो । परन्तु कुछ तो कीजिए वरना आप यह करिए, जो इन्डस्ट्री लगाये, या कोई डेयरी फार्म लगाए, पोल्ट्री फार्म लगाए, तो जमीन जिसकी है, जो जमीन का मालिक है, वह भी उसमें पार्टनर रहे । वह पार्टनर हो । वरना यह तो बेसिकली केपिटलिस्ट इकोनोमी का असर हो जाएगा और यह सोशलिस्ट इकानामी नहीं होगी । गवर्नमेन्ट को इसमें कहीं न कहीं तो पिक्चर में आना चाहिए । चाहे को-आपरेटिव सोसायटी के जरिए हो, या और कोई संस्था के जरिए हो, कोई रेगुलेटिंग तरीका हो जिसमें आपका डाइरेक्शन हो । वरना सांगानेर, अजमेर रोड के बीच में इन्डस्ट्रीज खड़ी हो जाएगी जो कि नहीं खड़ी होनी चाहिए । इस धारा को आप रख रहे हैं तो इसको चैक करने के लिए कुछ तो प्राविजन आपको करना चाहिए, वरना इससे आपकी डिफिकल्टी हल नहीं होगी और दूसरी डिफिकल्टीज पैदा हो जाएंगी । मेरा सुझाव है आप जल्दी मत कीजिए । इस के अन्दर रेस्ट्रिक्शन डालिए । सैक्शन 42 व 53 में आपने संशोधन ईंटेनशनली किये हैं मगर इससे जो स्थिति पैदा होगी उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते । इसमें आप जो कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं, उन पर आप अभी सोच सकते हैं कि किस तरह का कानून बनाया जाय । वरना तो कोई भी रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कामर्शियल पर्पज के नाम से जमीन ले लेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस विधेयक के विषय पर प्रकाश डाला है और अपने विचार प्रकट किये हैं । माननीय परसराम मदेरणा ने अभी फर्माया कि रेवेन्यू बोर्ड का जजमेन्ट हुआ है । वह मैंने भी पढ़ा है । प्रमोद कुमार, श्री माथुर साहब के पुत्र के सिलसिले में हुआ है । इससे

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

मैं सहमत हूं मगर यह कहना गलत है कि वह खटाई में पड़ गया। वह खटाई में नहीं पड़ा है। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें रिट दायर की जा रही है।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि मेरे कुछ विचारों और भाषणों का हवाला दिया गया है कि नया टिनेन्सी बिल लाया जाएगा। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल ड्राफ्टिंग स्टेज में है। पहले कमेटी की रिपोर्ट भण्डारी साहब की रिपोर्ट–उन सबको देख कर बिल का ड्राफ्टिंग किया जा रहा है और 1955 का जो टिनेन्सी एक्ट है उसमें बहुत सी धाराएं हो गई हैं। मैंने जहां तक उसकी योजना को देखा है। उसके बारे में जो चिन्तन किया है, मैं समझता हूं कि जो नया टिनेन्सी बिल होगा वह 100 धाराओं से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि अभी बिल का पूरा ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है इसलिए उसको प्रस्तुत नहीं कर सका। मैं सरकार की नीति दोहराता हूं कि वही जमीन का मालिक होगा जो उसको जोतेगा। आने वाले 6 नवम्बर से शुरू होने वाला जो सत्र है उसमें उसको पेश कर दिया जाएगा।

माननीय परसराम मदेरणा ने कहा 53 में जो संशोधन किया गया वह बेरी कमीशन की जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है उन्हीं के अनुसार किया जा रहा है। मैं बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह इरादा नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : 42 को रखने से तो यही हो जाता है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पहले सुन लीजिये।

यह सरकार का इरादा नहीं है। ग्रामीण, औद्योगीकरण के बारे में जो नीति राज्य सरकार ने घोषित की उसके क्रियान्वयन में यह बाधा आई कि एक लाख से कम आबादी वाले नगरों में जो छोटे उद्योग धन्धों को अपनाने की नीति अपनाई गई है उसके लिये जमीनें कैसे मुहैया कराई जायं? इसी सैक्शन की वजह से कोई जमीन ले नहीं सकते थे। सरकारी जमीन, नजूल लैण्ड, सिवाय चक की जमीन बहुत कम है। जमीन नहीं मिलने के मेरे सामने कई मामले आये इसलिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए धारा 53 में यह प्रोविज़ो जोड़ा गया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बाकी लोगों-किसानों के लिये?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उनके लिये तो ऐसा है कि जिला हैड क्वार्टर के ऊपर वन विण्डो सर्विस रखी गई है। अब लोगों को जयपुर नहीं आना पड़ेगा।

माननीय मदेरणा जी और माथुर साहब का यह भी कहना है कि कोलोनाइजर्स पैदा हो जाएंगे मैं समझता हूं कि ग्रामीण औद्योगीकरण में इसका सवाल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 53 के संबंध में जब यह फैसला है प्रमोदकुमार के मामले में हुए फैसले का जो जिक्र कर रहे हैं उस रेवेन्यु बोर्ड के डिसीज़न का यह इन्टरप्रिटेशन है...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करूं, माननीय परसराम जी, यह सब्सटेंटिव नेचर का अमेंडमेंट है यह कैसे हो सकता है कि इसको

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
रिट्रोस्पेक्टिव लागू कर दे। यह सब्सटेन्टिव अमेंडमेंट है प्रोसीजरल नहीं है इसलिए पुराने केसेज पर लागू नहीं होगा।

मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कोलोनाइजर्स के बारे में कहा गया है, इस पर टिनेन्सी बिल का जो ड्राफ्टिंग हो रहा है उसमें सरकार विचार करेगी। उसको प्रस्तुत होने के बाद जल्दी तो पारित कराया नहीं जा सकता। अगर आवश्यकता हुई तो उसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जावेगा। जो उसका अच्छी तरह से, गहराई से, गम्भीरता से उस पर विचार करेगी फिर उस पर कार्यवाही की जाएगी। अतः मेरा निवेदन है कि ये जितने भी अमेंडमेंट हैं ये बड़े इन्नोसेन्ट हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मंत्री जी, 12 महीने में कानून पास होगा, तब तक तो जो कोलोनाइजर्स गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं ये जमीनें ले लेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करूं, उदयपुर के पास ऐसे मामले हुए हैं . . .

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माथुर साहब ने फर्माया, कोलोनाइजर्स जमीनों पर अधिकार कर लेंगे उन्होंने इसकी बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज से 6-7 साल पूर्व, जब ये राजस्व मंत्री थे, कन्वर्शन के रूल्स फोर्स में आ गये थे। एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए जो भूमि है उस पर बाकायदा नियम बना कर राज्य सरकार ने मकान बनाने की स्वीकृति पहले ही दे दी थी। इसलिए आपका यह कहना गलत है कि कोलोनाइजर्स गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं उन्होंने तो कभी की जमीन खरीद ली और मकान बना लिये इसके बाद आपकी सरकार जो 21-8-71 तक के कब्जे थे उसको रेगुलेराइज करने के लिए कानून लाई। वह काम तो बड़े अर्से से चल रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहता हूं आप खुली छूट दे रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : इसको कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि उस फैसले में निश्चित रूप से इन सिद्धान्तों को कोट किया गया है जो रेवेन्यू बोर्ड ने "प्रेमकुमार माथुर वर्सेस स्टेट आफ राजस्थान" में किया है। लेकिन रेगुलेराइजेशन तो पहले ही कर दिया गया। रेगुलेराइजेशन रूल्स जो आपने जारी किये थे उसके परव्यू में आने के बाद कन्वर्शन किया जा सकता है। यह तो कानून बना दिया था। मैं समझता हूं कि यह पुनरावृत्ति की जा रही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन नीति के नाते मेरे दृष्टिकोण से यह किया जा रहा है।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बीकानेर से आने वाले . . .

कई माननीय सदस्य : लूणकरनसर से आने वाले . . . .

श्री गोपाल सिंह : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे। उनका कहना था कि यह पहले से ही है। अध्यक्ष महोदय, यह उसके विपरीत है। कन्वर्शन के रूल्स अलग बने हुए हैं। उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो खातेदार अपनी जमीन को खेती के अलावा कामर्शियल पर्पज के लिए काम में लेना चाहता है. . . .

श्री माणकचन्द सुराणा : वह रूल्स आपने देखे नहीं हैं। मैंने 28 रिटें हाई कोर्ट में की थीं इसलिए मुझे जानकारी है।

श्री गोपालसिंह : मैं जानकारी के लिए ही यह कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मथुरादास माथुर ने कहा है, प्रजेण्ट सिचुएशन में इससे विषम स्थिति पैदा होगी। एक बड़ी विडम्बना पैदा होगी। खातेदार खेती की जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। फैक्ट्री लगाने के लिए ट्रांसफर होगी तो इससे कई प्रकार की स्थिति पैदा होगी। इस पर आथोरिटी बैठकर आज्ञा देगी इसलिए राजस्व मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत बड़ा अधिकार आथोरिटीज को दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। बेसिकली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रूरल इण्डस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर आप पुनः विचार करें और सोचें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, पैसे वालों को सम्पत्ति खरीदने में बढ़ावा मिलेगा, यह जो कहा जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार की ओर से गाइड लाइन्स जारी कर दी जायेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कैसे होगा?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आप सुन तो लीजिए।

कानून के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मैंने जो विधेयक पेश किया है, वह पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : जो संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, वह वापस लेंगे?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, वे स्वीकार किये जायें?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किये गये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

कई माननीय सदस्य : विचारार्थ लेने की बात है।

विधेयक पर विचार

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हां, विचारार्थ लेने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 67 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। "Discussion of principle of Bill. I refer to rule 66 रूल 66 में यह है कि यह मोशन जो मूव किया है कि that it be taken into consideration, इस

(श्री परसराम मदेरणा)

मोशन पर The principles of the Bill may be discussed but details will not be discussed. कन्सीडरेशन का मोशन मूव किया है। पब्लिक ओपीनियन और सलेक्ट कमेटी के मोशन हैं, वह बाद में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल पहले डिस्कशन होना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्टेज पर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवाद के नाम पर ही इस कानून के साथ मखौल होता रहा है। 1953 में समाजवाद की घोषणा की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोल सकते हैं, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस शासन ने समाजवाद का नारा दिया। सीलिंग का कानून बनाया लेकिन इस को लागू नहीं किया। सीलिंग का जिक्र जरूर किया गया। उसके पीछे एक ही मकसद था कि जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी उनको मौका दिया जाय कि धीरे धीरे जमीन अलग कर लें। राजस्थान में यही हुआ। 1957 में सीलिंग का कानून आया। उसमें 1962 तक अमेण्डमेंट हुए। उसके बाद 1972 तक अमेंडमेंट होते रहे। जिन लोगों को जमीन छुपानी थी, वह उन्होंने छुपा ली। अब जो जमीन मिली है, वह समझदार लोगों के पास से नहीं मिली है बल्कि अनपढ़ और अनजान लोगों के पास से मिली है जिनके पास चक के चक पड़े हैं। इसके पीछे अब तक यह साजिश रही है। बड़े-बड़े पूंजीपति, गांव के बड़े-बड़े जागीरदार और जमीदार लोग सांप की तरह इस देश के शासन पर कुण्डली मारे बैठे रहे। सुबह एक माननीय सदस्य कह रहे थे बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में यह लागू हो गया है ? आपकी अन्त्योदय योजना क्या करेगी ? 40 लाख शेयर क्रापर्स पिछली धान की फसल अपनी झौंपड़ियों में ले गये बंगाल के अन्दर। आपका भाषण पढ़ा लोगों ने, राजस्थान में बुद्धू नहीं रहते, बहुत चालाक लोग हैं। मैं रेवेन्यू मंत्रीजी से कहना चाहूंगा आपके भाषण को लोगों ने बहुत गौर से पढ़ा। आपने ढ़ाई साल की छुट्टी दे दी घोषणा के बाद भी। आप जमींदार को सीलिंग के नाम से बचाये बैठे हैं, सीलिंग का मतलब क्या यह है कि गैर-पेशा लोग जमीन को अपने कब्जे में रखें ? आपने छुट्टी दे दी कि सौ बीघा, दो सौ बीघा तक जमीन रख सकते हैं। यह कंसेशन्स थे देश के पूंजीपतियों के लिये। आपका भाषण सुनते ही लोगों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया। आपने यह छुट्टी दे दी कि जमीन उद्योग के लिए दे सकते हैं। जयपुर के आसपास दे सकते हैं, कोटा के आस-पास दे सकते हैं, दूसरे शहरों के इर्द गिर्द दे सकते हैं। रेवेन्यू मन्त्रीजी, आपको जरूरत नहीं है बात करने की, मुख्य मन्त्रीजी के पास रेवेन्यू सैक्रेटरी है, आप पंछी आदमी हैं, आपने बात मान ली। आपकी उसमें आस्था जरूर हो सकती है, जानबूझकर गुनाह नहीं कर रहे हैं यह मैं मानता हूं। यह सारी मुख्य मंत्रीजी की होशियारी है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। रेवेन्यू सैक्रेटरी और मुख्य मंत्री जी बहुत सोच-समझ कर मिले हैं। आप भोले ही नहीं हैं आपको मालूम भी नहीं है। फ्रेगमेण्टेशन का मतलब क्या होगा ? किसान

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

बेचना चाहता है 10 बीघा, 5 बीघा। कोटा में जमीन सस्ती है, वहां पर वह नहीं रह सकता आपके साथ, आप रोक रहे हैं उस किसान की शहर के नजदीक जमीन थी उसको आपने रोका ? आप कारखानेदारों को और सेठों को दे सकते हैं लेकिन किसानों को नहीं, यह क्या बात हुई? लोगों को धोखा मत दीजिये। आपकी पार्टी के अन्दर सेठ हैं, उन्होंने चन्दा दिया है। कान्तिभाई देसाई 80 लाख रुपये कहां से लाये ?

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है जो व्यक्ति बाहर का है वह जवाब नहीं दे सकता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कान्तिभाई देसाई की तो रोज कढ़ी बनती है।

आपका क्या मकसद है ? यह प्लाट होगा जनता पार्टी के ऊपर लोग आपके भाषण को पढ़ेंगे। यह कम साजिश नहीं है, बहुत बड़ी सोची-समझी साजिश है। शायद आपको जानकारी नहीं है कि अब लोगों को इस बात का इल्म हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा, आपने जो नारे दिये वह लोगों को याद हैं, शासन खाली करो जनता आती है। पांच साल की गारन्टी नहीं है, जनता आपको भी यही कहेगी जनता आती है कुर्सी खाली करो। यह एक बहुत ही खतरनाक और सोचा समझा हुआ पूंजीवादी षडयन्त्र है। आप कन्सेशन्स दे रहे हैं और लैण्ड टू दी टिलर के नाम से छुट्टी दे रहे हैं, यह षडयन्त्र है, इस षडयन्त्र के खिलाफ आवाज उठेगी, आप कुछ भी करें।

श्री पुरुषोतम मंत्री : यह लैण्ड टू दी टिलर से सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोग आपके नाम से खबरदार हो गये हैं। इस तरह से आप कन्सेशन दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, खेती उसकी जो करेगा। वह पागल नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कब कानून आये तो समर्पित करें जमीन को।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिकृष्ण।

श्री हरिकृष्ण (नंदवई) : आदरणीय, काश्तकारी (संशोधन) विधेयक जो लाया गया है उसकी बहुत सी बातों से तो मैं बहुत सहमत हूं बहुत सुन्दर बिल लाया गया है। किन्तु दो-तीन बातों से मैं असहमत हूं। यह बड़े दुःख की बात है इस विधेयक के अन्तर्गत काश्तकार अपनी जमीन को काश्तकार को नहीं बेच सकता। चाहे वह उसको बेच दे जो कुक्कुट शाला बनाये, उद्योग लगाये लेकिन काश्तकार, काश्तकार को खेत जोतने के लिए नहीं दे सकता यह बड़ा भारी दुःखदायी संशोधन है, अध्यक्ष महोदय, काश्तकार अपनी जमीन को उसको वसीयत कर सकता है, दान में दे सकता है जो उसकी सेवा करता है लेकिन काश्तकार, काश्तकार को नहीं दे सकता, इस तरह का दुःखदायी संशोधन है जो काश्तकार के लिए नहीं होना चाहिए। और सब चीजों के लिए तो काश्तकार दे सकता है लेकिन धारा 5 में यह संशोधन किया गया है :

(श्री हरिकृष्ण)

खण्ड (3) में शब्द "कृषि" के पश्चात् अभिव्यक्ति "अथवा पशुपालन" विलुप्त की जायेगी।

किसान पशुओं के लिए बाड़ा बनाता है, नोहरा बनाता है उससे वह वंचित हो जायगा, यह काश्तकार के लिए हानिकर होगा।

इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि अधिनियम की धारा 79 में जो संशोधन लाया गया है कि सड़क के किनारे काश्तकार वृक्ष लगा सकेगा। वृक्ष लगाना बड़ा लाभदायक है, भूमि ऊसर होने से बचेगी, कटाव होने से बचेगी, उपज भी होगी और बरसात भी अधिक होगी। यह अच्छी बात है, वृक्ष लगाना अच्छा है लेकिन केवल सड़क पर ही क्यों? या तो नीम का पेड़ या बबूल का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ लगाइयेगा। क्या काश्तकार सड़क के किनारे अमरूद या आम का पेड़ लगायेगा? उसकी उपज कौनसी उसकी होगी पत्ती तोड़ेगा तो काश्तकार नासमझी करेगा, पौधे का विनाश करेगा, बड़ी बड़ी डाली काटेगा तो, वह पेड़ नहीं रह सकेगा। जमीन की सुरक्षा के लिए, बरसात आने के लिए लाखों व करोड़ों पेड़ नहरों पर लग सकते हैं, लेकिन नहरों को कतई आपने वंचित कर दिया है। ऐसी हालत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो तीन बातें काश्तकार के हित में नहीं हैं, इन तीनों बातों को इस बिल से निकाल दिया जाए और फिर बिल को पेश किया जाए। इसलिए मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि "राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978" को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जो इसको इन्नोसेन्ट बिल कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इतनी बात कहने के बाद थोड़ा बहुत उनके ध्यान में आ गया होगा कि यह इन्नोसेंट बिल है या नहीं। पहले इसे सलेक्ट कमेटी के अन्दर भेज दिया था, उसी तरह हमारा आग्रह है कि 42 व 53 में जो संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ आपने कार्मशियल; इंडस्ट्रियल व रेजीडेन्शियल यह शब्द शामिल किए हैं और पशुपालन, शब्द बिलकुल हटा दिया है। एग्रीकल्चर में कुक्कुट फार्मिंग आता है, डेयरी फार्मिंग व सूअर पालन भी आता है। आपने इससे काश्तकार को कैसे महरूम कर दिया? आप कहते हैं कि श्वेत क्रांति ला रहे हैं जब इतने संशोधन कर रहे हैं तो यह भी क्यों नहीं किया? यह बड़ा षड्यन्त्र है, आपको पछताना पड़ेगा थोड़े दिनों के बाद क्योंकि आपने कहा कि मैं काम्प्रिहेंसिव बिल नवम्बर में ला रहा हूं। नवम्बर में काम्प्रिहेंसिव बिल लाकर सलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। पहले दो साल तक सलेक्ट कमेटी में लटकता रहा, कम्यूनिस्ट पार्टी व समाजवादी सदस्यों ने इसको थ्रेश आउट किया, लम्बी चौड़ी रिपोर्ट पेश की, वह आपके सामने होते हुए भी आप कहते हैं कि वापस सलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो आपने घोषणा क्यों की कि लैंड फार दी टिलर? इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जिद् नहीं करें। मेरा सलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव है इसे स्वीकार कर इसे सलेक्ट कमेटी को भेजें। सिर्फ रेजिडेन्शियल, इंडस्ट्रियल व कार्मशियल पर्पज के लिये ही फायदा क्यों दे रहे हैं? अगर काश्तकार कुक्कुट फार्म लगाना चाहता है तो वह भी लगा सकता है तो समझ में आए। आपने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कहा हम उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारा घोषित नीति है कि हम कन्सेशन देना चाहते हैं, कन्सेशन तो पहली सरकार ने भी घने दिए। कोटा की डी.सी. एम. की बात आप जानते हैं, आप भी उन्हीं लाइन्स पर चल रहे हैं।

इसके अलावा इसमें रूरल उद्योग कहां है ? आप गाइड लाइन्स की बात करते हैं ? गाइड लाइन्स क्या है आपकी ? जितनी बहस होती है उसमें आप आगाह करते हैं फिर भी जो कानून जो पास करेंगे वही इम्पलीमेंटेशन के लिए आएगा, आपकी गाइड लाइन्स नहीं आयेगी। इसलिए आप रूरल इंडस्ट्रीज के लिए मेन्शन करो, इसमें कोई रूरल शब्द ही नहीं है। इसके अंदर शहर में एक लाख की जनसंख्या वाली बात भी नहीं है, बिलकुल वाइड पावर्स लेने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता आपने पार्टी में डिसकस किया या नहीं, आपकी पार्टी के एक दो सदस्य बोले हैं। उपनेता भी बैठे हैं, वह कानून के ज्ञाता हैं। भूपतसिंह जी ने ठीक कहा है। कानून साफ है, आप एक्सप्लेनेशन दूसरा दे रहे हैं, इसलिए आप सलेक्ट कमेटी को भेजें। ऐसी कौन सी प्रलय हो रही है कि आज ही पास कराना चाहते हैं। फिर नवम्बर में और बिल ला रहे हो तब इस पर विचार करलें इसलिए मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि "राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978" को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा !

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री जगतारसिंह !

(अनुपस्थित)

आपका प्रस्ताव नहीं है।

श्री नूरा : मेरा नाम नहीं है लेकिन मैं बोलना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि इसमें कोआपरेटिव एजेंसी को आधार बनाया जाए जिससे कि गरीबों को मदद मिले अन्यथा इसका लाभ पैसे वाले उठायेंगे। आपकी मन्शा है कि किसान को मदद मिले लेकिन इससे उसको तो नुकसान होगा पैसे वाले उसकी जमीन हड़प लेंगे इसलिए इस पर पुनर्विचार करें या जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें ताकि उसकी राय आ जाए। इस संशोधन को आप वापस लें, यह किसानों के हित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु चर्चा।

श्री वृद्धिचंद जैन !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनंदन व्यास !

श्री रघुनंदन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है उसकी धाराओं पर टीका टिप्पणी तो हो गई। अगर गंभीरता से इनको पढ़ें तो आज यह स्थिति सामान्य रूप से सामने है कि किसान की जमीन मकान बनाने के लिए कोई व्यक्ति खरीदता है तो वह मकान नहीं बना सकता और उसे भटकना पड़ता है। छोटी फैक्ट्री लगाकर फैक्ट्री वाले को धक्के खाने पड़ते हैं। पिछले 6–6 वर्ष से फैक्ट्रीज लगी पड़ी हैं लेकिन लोग धक्के खा रहे हैं। उन लोगों को सुविधा देने के लिए यह संशोधन विधेयक लाए हैं, उसके कारण मैं समझता हूं आज की स्थिति में राजस्थान के 33 हजार गांवों में फ्रेगमेंटेशन के नाम पर उलझे हुए सैंकड़ों मुकदमों का समाधान होगा।

(व्यवधान)

इसलिए जो कहते हैं पूंजीपतियों को लाभ होगा, उन्होंने इस धारणा से टिनेन्सी एक्ट के बारे में टीनेन्ट को लेकर, टीनेन्ट शब्द की व्याख्या को लेकर गलत व्याख्या करने की नीति अपनाई और इस सारे विधेयक के बारे में टीका टिप्पणी की। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि टिनेन्सी एक्ट को पूर्ण रूप से नया रखने का उन्होंने निश्चय किया लेकिन वह विधेयक नवम्बर में आने वाला है। जो जो कठिनाई हमारे सामने है, जो जो दुविधा हमारे सामने है उन पर इस समय विचार होगा, इस से साधारण किसानों को, साधारण मजदूरी करने वाले व्यक्ति को, साधारण मकान बनाने वाले व्यक्ति को सुविधायें मिलने वाली हैं। साधारण फैक्ट्री जो गांव में लगने वाली है उसको सुविधायें मिलने वाली हैं लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां थीं उनके बारे में विचार करने के लिये मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव रखा था किन्तु, मंत्री महोदय को सुनने के बाद मेरा यह विचार बना है कि इसको आज ही और इसी समय पारित किया जाना चाहिए इस निवेदन के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल को अस्पष्ट, अधूरा और इसके कुछ प्रोवीजन्स को कान्ट्रेडिक्टरी समझ कर चलता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें क्लाज 7 को छोड़ कर बाकी जो भी क्लाजेज हैं उनमें किसी न किसी तरह की टेक्नीकल कानूनी खामी रखी है या इसके प्रोविजन अधूरे हैं जैसे कि अभी और माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं।

मैं सबसे पहले सैक्शन 42 में अमेन्डमेन्ट है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि सैक्शन 42 और 79 के तहत जो भी प्रोविजो जोड़े जा रहे हैं इन प्रोविजो के तहत इन्होंने यह भी प्रावधान रखा है कि नियम बनायेंगे या जनरल आर्डर्स पास करेंगे या स्पेशल आर्डर्स पास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को जारी किये आज करीब चार महीने होने

(श्री गंगाराम चौधरी)

आए हैं। 22 जून को यह अध्यादेश जारी हुआ था, 22 जून से लेकर अब तक 4 महीनों में न तो इसके तहत कोई नियम बनाये हैं और न जनरल आर्डर्स या स्पेशल आर्डर्स पास किये हैं। इसलिए सेक्शन 42 और 79 (ए) के तहत आपकी क्या नीति रहेगी ट्रान्सफर्स के लिए और ट्रीज आदि लगाने के लिए, वह नीति निर्मित हो जाती तो हमको आपकी नीतियों की जानकारी मिल जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता होती तो आप इन चार महीनों में नियम बनाते, जनरल आर्डर्स निकालते और स्पेशल आर्डर्स भी निकालते। इसलिए ही गलत फहमी सदन में पैदा हो रही है और मुझे भी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनरल आर्डर्स और स्पेशल आर्डर्स के तहत किसी ऑथोरिटी या आफिसर को एम्पावर करेंगे तो यह आर्बीट्रेरी प्रोविजन होगा। उसको खुद को अधिकार होगा, उसके संबंध में क्या नीति अपनाई जायगी इसमें न तो सरकार की नीति स्पष्ट है और न जनता को इसकी जानकारी हो सकेगी। अगर इस सेक्शन के तहत यह प्रोविजन रख देते एज प्रेसक्राइब्ड अण्डर दी रूल्स तो जनता को इसकी जानकारी होगी और वह उसके तहत सही डिसीजन लेंगे। लेकिन आपने नियम नहीं बनाये तो वह किसी गजट में छाया नहीं होंगे और न सदन के पटल पर आयेंगे···

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : रख दिये। नियम बनाकर रख दिये गये हैं सदन की मेज पर।

श्री मथुरादास माथुर : सर्क्यूलेट नहीं हुए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सर्क्यूलेट नहीं हुए लेकिन नियम बनाकर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : सेक्शन 42 के तहत, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि न तो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं, न कोई जनरल आर्डर्स हैं और न स्पेशल आर्डर्स हैं। जब तक रूल्स नहीं बनें, जनरल आर्डर्स और स्पेशल आर्डर्स सामने नहीं आयेंगे और गजट में छाया नहीं होंगे तब तक कोई जानकारी नहीं हो पायेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है ट्रान्सफर्स के सिलसिले में कि यह गिफ्ट है या ट्रान्सफर है। काश्तकार को छोटे छोटे कामों के लिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। एक काश्तकार, जिसको अपनी जमीन पर पानी मिलने की आशा नहीं है, दूसरे काश्तकार के खेत में जमीन लेकर कुआ बनाना चाहता है तो वहां ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आ जायेगी। दूसरे से कोई काश्तकार आधा बीघा जमीन लेगा कुआ बनाने के लिए तो वह एग्रीकल्चर पर्पज होगा और उसके लिए आपके यहां ट्रान्सफर की मुमानियत है···

श्री मथुरादास माथुर : तो भाई वह एग्रीकल्चर पर्पज क्यों दिखायेगा। वह तो कुआ खादे और दूसरे काश्तकारों को पानी बेचे तो कमर्शियल पर्पज हो जायगा।

श्री गंगाराम चौधरी : दूसरा निवेदन यह है कि अक्सर गांव के अन्दर आबादी भूमि नहीं है। जहां गांव की बस्ती दूर है,

Page No 154

(154)

(श्री गंगाराम चौधरी)
और ढाणी से स्कूल दूर है तो एक काश्तकार से एक बीघा का टुकड़ा खरीदना चाहे स्कूल भवन बनवाने के लिए तो आप वह दे देंगे लेकिन मुमानियत है स्कूल भवन बनाने की। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं एक पंचायत का, पंचायत ने एक काश्तकार से अस्पताल का भवन बनाने के लिए जमीन खरीदी लेकिन क्योंकि वह फ्रेगमेन्टेशन है इसलिए उसकी मुमानियत है और वहां डिस्पेन्सरी नहीं बन रही है। पंचायत पैसा खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की कठिनाइयां कई आ रही हैं। पब्लिक पर्पज जैसे कि स्कूल भवन है, अस्पताल है, पंचायत घर है और ऐसी बहुत सी जरूरतें पड़ती हैं, के लिए छूट होनी चाहिए लेकिन उसके लिए कोई भी छूट नहीं है। मैंने एक अमेन्डमेन्ट भी रखा है जो आयेगा इस क्लाज में, तब मैं निवेदन करूंगा लेकिन इससे ऐसा लगता है कि यह बिल बिल्कुल बहुत अधूरा है और अस्पष्ट है। इसको अभी हरिडली पास नहीं करना चाहिए। मैं सैक्शन 79 (ए) के बारे में निवेदन करूंगा कि पेड़ लगाने के लिए छूट दी है सड़कों के किनारे। अव्वल तो बहुत मुश्किल रहेगा। प्लान्टेशन का जो प्रोविजन रखा है, मंत्री महोदय, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें····

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कोई जनता पार्टी की मीटिंग हो रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मंत्री महोदय को अगर चर्चा करनी है तो यह ठीक रहेगा कि इस हाउस में कन्वरसेशन कमेटी हो जाए··

श्री गंगाराम चौधरी : इस बिल में सैक्शन 79 (क) जो नया सैक्शन जोड़ा जा रहा है मैं उसके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। आप पेड़ लगा सकते हैं लेकिन क्या इस संबंध में आपने कोई नियम बनाये हैं? थोड़ासा आप बता सकते हैं कि प्रकार से मवेशियों से पेड़ों को बचा सकते हैं, किस प्रकार से पेड़ों की रखवाली कर सकते हैं ? उसकी प्रोड्यूस में पत्ते भी शामिल हैं।

दूसरा रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट के अन्दर एक प्रोविजन है कि ट्रीज जागीरदार की पर्सनल प्रापर्टी रहती है चाहे वह पेड़ सड़क की बाउन्डरी में है। एक उदाहरण मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर और ब्यावर के बीच में निमाज नाम का गांव है, वहां सड़क की बाउन्डरी के पेड़ एक्स जागीरदार के हैं। रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट में पेड़ों के फुल्ली मालिक जागीरदार हैं। इसमें लिखा है कि जिसने पेड़ लगाया वह पेड़ की प्रोड्यूस लेने का अधिकारी होगा लेकिन जो सड़कों के किनारे पेड़ हैं वह उस एक्ट के तहत हैं। सड़कों के किनारे पर एक ही तरह के लगाये गये पेड़ों के लिये दो तरह का कानून बना रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इन सब मामलों पर सलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है। अगर हरिडली पास करने हैं तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में कठिनाई पड़ेगी····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डेफिनेशन के संबंध में दो मिनट अर्ज करता हूं। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन के बारे में रेवेन्यू लाज कमीशन में विचार हुआ था। श्री सुराणा जी इसके सदस्य थे।

(श्री गंगाराम चौधरी)

उन्होंने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन तैयार की है। कैटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग भी उसमें शामिल है। कैमल ब्रीडिंग भी उसमें शामिल है। यह सारी चीजें रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट में हैं। इसको हरिड्ली करना था, सैक्शन 79 (क) जरूरी था तो उसको ले आते। बाकी जो प्रोविजन्स रखे हैं वे सब अधूरे हैं, उसमें लीगल लेकूना है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जनहित में संशोधन विधेयक लाना था तो सब बातों पर विचार करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, जयपुर के नजदीक बड़े-बड़े फार्म्स हैं जो जौहरियों ने खरीदे थे क्योंकि इनकम टैक्स से माफी थी। जब यह कानून आ गया कि एग्रीकल्चर किसी का साइड का धन्धा है तो एग्रीकल्चर की इनकम माफ नहीं होगी तो जौहरी डिस्पोज आफ करना चाहते हैं। डिस्पोज आफ भी किस तरह करना चाहते हैं? वे रेजीडेंशियल प्लाट्स बनाकर बेचना चाहते हैं। कृषि फार्मों की कमी है। फिर भी आप इण्डस्ट्रियल और कार्माशियल पर्पज के लिये ट्रांसफर अलाउ कर रहे हैं, किन्तु स्कूल और अस्पताल के लिये ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यह कानून मुझे सही नहीं लगा, मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सदस्यों ने बहुत सी शंकायें इस बिल के सम्बन्ध में प्रस्तुत की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे यह कहा गया माननीय गंगाराम जी द्वारा कि इसमें सूअर पालन भी होना चाहिये क्योंकि रेवेन्यू लाज कमीशन द्वारा एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में इसको किया गया है। दफा 53 में जो संशोधन किया गया है इसके विषय में निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने अपनी एक औद्योगिक नीति की घोषणा की है उस नई औद्योगिक नीति को काम को लाने के लिये, उसके क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि गांवों के अन्दर इंडस्ट्रीज पर लैण्ड के फ्रेगमेन्टेशन होने की वजह से जो रोक लगी हुई थी उसको हटायें। इस संबंध में कई मामले आये हैं। अलवर से 10,12 मील दूर एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसका मामला मेरे सामने आया। इसी तरह मारवाड़ में जोधपुर से 14,15 मील दूर पेट्रोल पम्प का केस आया कि रहने के लिये मकान भी बनाता है और पेट्रोल पम्प के पास शो रूम भी रखता है। ऐसी डिफिकल्टीज आई थीं उसको दूर करने के लिये संशोधन किया जाना आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने या जनमत जानने हेतु परिचालित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि 6 तारीख तक रिपोर्ट आ जाय, तो 6 तारीख तक यह हो नहीं सकता पीस-मील में अलग पास किया जाय। सैक्शन 53 के बारे में जो एतराज किये गये हैं उनके बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण औद्योगीकरण को गति देने के लिये यह संशोधन किया गया है।

दूसरी बात कनवर्शन के रूल्स बनाने की कही गई। 30 सितम्बर को यह रूल्स बना दिये हैं। 4 तारीख को सदन की मेज पर रखने के लिये पेश कर दिये हैं।

यह कहा गया कि पेड़ लगाये काश्तकार वह उसका मालिक नहीं रहेगा और उसका

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

फल खा येगा। यह एक प्रगतिशील कदम है। सरकार अपनी जमीन पर किसान को अपने खेत के पास पेड़ लगाने की इजाजत देती है, काश्तकार लाइसेंसी है लाइसेंसी पेड़ का मालिक कैसे बन जायेगा ? प्रोडयूस का मालिक है। नीम का तेल बनता है, बबूल लगाया, बबूल का तेल बनाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने अपनी दरियादिली का परिचय दिया है। सरकारी जमीन के पास हमारे खेत हैं, खेत में पेड़ नहीं लगा सकते तो सरकारी जमीन पर पेड़ लगायें। यह 79 (क) के बारे में जो एतराज किये गये हैं, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उनका विचार मिस कन्सीव्ड है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक साहब का यह कहना कि मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू के सेक्रेटरी से अलग बात कर ली। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सारे के सारे कागजात का मैंने स्वयं परीक्षण किया है, उसके बाद संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है और जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव है, मैं उनका विरोध करता हूं और उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे हैं, क्या वे प्रस्ताव को विथड्रा करना चाहते है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं विथड्रा करता हूं...

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि श्री रघुनन्दन व्यास ने विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : जनमत जानने का तो आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

It is perfectly clear.

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है।

क्या सदन की सम्मति है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड (3)

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (3) में एक अमेंडमेंट रखा है जो इस प्रकार है : The proviso sought to be added in clause (a) of section 42 of the principal Act the words "or public" shall be inserted between the words "residential or commercial" and "purposes". मेरा उद्देश्य यह है, जैसा मैंने निवेदन किया था, पब्लिक युटिलिटी के लिये चाहे लोकल बाडीज के लिये हो, चाहे पंचायत के लिये हो, जमीन ट्रान्सफर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि एक छोटी सी पाठशाला बनाने हेतु यदि कहीं आबादी भूमि नहीं मिलती है वह किसी काश्तकार से कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके लिये फ्रेगमेन्टेशन कानून में मुमानियत है। इसलिये इतना रख दिया जाय कि स्कूल के लिये, हास्पिटल के लिये, ड्रिंकिग वाटर के लिए, कुएं के लिये, पानी के टांके के लिये, कैटल के लिये काम में लेना चाहे और वह पब्लिक युटिलिटी की चीज हो तो जमीन खरीद सकते हैं। जब इन्डस्ट्रियल और कार्मशियल पर्पज के लिये स्वीकृति दे दी है, दुकान के लिये स्वीकृति दे दी है तो पाठशाला, कुआं ड्रिन्किग वाटर के लिये, पानी का टांका बनाने के लिये, कैटल के लिये क्या मुश्किल पड़ती है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा यह जो मेरा संशोधन है यह वाजिब है। अगर मंत्री महोदय इसको भी नहीं मानेंगे तो अफसोस होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई संशोधन नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप बोलेंगे?

श्री परसराम-मदेरणा : हां।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 3 में जो अमेन्डमेंट रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसी खातेदारी की जमीन का सेल प्रोसीड तो हो सकता है इन्डस्ट्रियल और कार्मशियल पर्पज के लिये, लेकिन गांवों में स्कूल, पाठशाला, हास्पिटल के लिये सेल प्रोसीड करें तो वह नहीं कर सकता है। जो "पब्लिक पर्पजेज" का संशोधन दिया है वह संशोधन उपयुक्त है; जस्टीफाइड है और पब्लिक इन्ट्रस्ट में भी है। इसलिये मैं सोचता हूं "पब्लिक पर्पजेज" शब्द का जोड़ने के संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आप पेट्रोल पम्प के लिये दे सकते हैं और पेट्रोल पम्प के साथ आउट हाउस बन गये उसके लिये दे सकते हैं तो फिर इसके लिये क्या दिक्कत है। आखिर पब्लिक पर्पज डिफाइन है, इन्डिविजुअल के लिये नहीं होना चाहिये। एक्विजिशन एक्ट में भी 'पब्लिक पर्पज' डिफाइंड है। यू.आई.टी. एक्ट में भी 'पब्लिक पर्पज' डिफाइन्ड है और 'पब्लिक पर्पजेज' के लिये सुप्रीम कोर्ट की

(श्री परसराम मदेरणा)

कई रूलिंग हो चुकी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है जो यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जैसा गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 'पब्लिक पर्पजेज' के लिये ट्रान्सफर्स सेक्शन (42) में नहीं हो सकते हैं, फ्रेगमेन्टेशन के नीचे नहीं हो सकते हैं, 'पब्लिक पर्पजेज' के लिये ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं, स्कूल के लिए नहीं कर सकते हैं, दूसरे सार्वजनिक पर्पजेज के लिए जैसे कुएं, हास्पिटल पानी के लिये वेल आदि की आवश्यकता है तो नहीं कर सकते हैं इसलिये मैं समझता हूं पब्लिक पर्पजेज के लिये परमिशन दी जानी चाहिए और इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गंगाराम जी और परसराम जी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनको इस समय स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं और स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री गंगाराम चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

खण्ड (4)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय हम बार बार कह रहे हैं खण्ड 3 में संशोधन रखा है और हम उस पर डिवीजन क्लेम करना चाहते हैं। हमने कहा है Ayes have it.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : खण्ड 3 स्वीकार किया गया या नहीं किया गया ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : खण्ड 3 जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में है।

श्री मथुरादास माथुर : We want division, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : Clause 3. Whether it should be accepted in its original form or not ? I put it on vote and the House accepted it.

श्री मथुरादास माथुर : No, Sir. We challenged it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : Mathur Sahib, you were late.

श्री मथुरादास माथुर : Not late. We said 'Ayes have it, Sir, before the Hon'ble Speaker announced its acceptance'.

श्री अध्यक्ष : You can say. Verdict of the House is there. You can press for the division.

श्री परसराम मदेरणा : We press for the division.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It will never be defined "for public purposes."

Page No 159

(159)

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है यस कि नो ? क्या खड़े हो करके अपना इंडीकेशन देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खड़े होकर ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 3 में जो संशोधन चाहते हैं वे खड़े हो जावें। एज एण्ड नोज की व्यवस्था चाहें तो वह भी की जा सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : We want division, Sir.

श्री अध्यक्ष : Do you want to press for a proper division.

श्री मथुरादास माथुर : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : You do.

(मत विभाजक घण्टी)

अब मुझे कहा गया है कि एक दफा वोटिंग ले लूं सदन के अन्दर, फिर लोबीज खुल जावेंगी। क्लाज 3 एज अमेन्डेन्ड···

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 3 में जो अमेन्डमेंट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 पर जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मय उसके अर्थात् खण्ड 3 एज अमेंडेड स्वीकार किया जाय।

जो पक्ष में हो वह फिर से खड़े हों।

(मतदान पश्चात्)

आप देख लीजिए, फिर भी प्रेस करना हो तो कर दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : सी. एम. दो बार खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज 3 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 6 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 तक स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 6 तक स्वीकार किये गये। खण्ड 7, श्री बंशीलाल सारस्वत संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो रूलिंग पार्टी के हैं।

श्री अध्यक्ष : He can do.

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 7 में यह संशोधन दिया है : After sub-section (2) of section 183 B sought to be inserted by this clause the following proviso shall be inserted, namely: "Provided that if any proceeding already initiated under section 175 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 by any authority against any tenant belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

shall be dropped in case of initiation of proceedings under this section."

धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रोवीजन है, उसके अनुसार यह है कि अवहेलना हो, हस्तान्तरण की या और कोई अवहेलना हुई हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को लैंड लोर्ड उसके बारे में आवेदन-पत्र पेश कर सकता है। और जिसके अधिकार में हस्तान्तरण हुआ है तथा जिसने हस्तान्तरण किया है और जिसने करवाया है, दोनों को पार्टी बनवा कर कार्यवाही की जा सकती है। मगर इसके साथ-साथ धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत है जिस व्यक्ति को अवैध तौर से हस्तान्तरण हुआ है, यानि मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति के लोग हैं या जनजाति के लोग हैं जिनका हस्तान्तरण इसी कारण से केन्सिल हो गया था तो वैसी स्थिति में धारा 183 के अन्तर्गत अपना दावा पेश कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इस स्थिति में जबकि अनुसूचित जाति का या जन जाति का व्यक्ति, जिसको हस्तान्तरण हो चुका है, उस समय किसी स्थिति विशेष से इस नतीजे पर आये कि अदालत के दरवाजे खटखटायें...

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आपका अमेंडमेंट सक्यूंलेट नहीं हुआ है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : हो चुका है माननीय मंत्री जी। वैसी स्थिति में यह विडम्बना पूर्ण स्थिति है। 175 के अन्दर आवेदन-पत्र प्रेषित हो तो साथ साथ में यह चाहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो फायदा दिया जा रहा है उसको रोक दिया जावेगा। मैंने निवेदन किया है कि इसमें एक प्रोविजो परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए, उसके अनुसार धारा 175 के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र पेन्डिग हो, मगर दावा पेश कर दिया हो तो वैसी स्थिति में स्वतः समाप्त समझ लें। 175 के अन्तर्गत कार्यवाही होकर दोनों ही व्यक्ति महरूम हो जावेंगे और वह भूमि सरकार में चली जायगी। मगर कारणवश अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति ने यदि कोई गलत रूप से हस्तान्तरण किया है और धारा 183–ए के अन्तर्गत दावा पेश कर दिया गया है तो वैसी स्थिति में वह आवेदन-पत्र स्वतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि उसको लाभ दिया जा सके। जिन कमजोर व्यक्तियों की, कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए और उनके लाभ के लिए कानून बनाये जा रहे हैं उनके हित में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। यह क्लाज 7 जो है 183–बी के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की भूमि पर किसी का ट्रेसपास है तो उसको इजेक्ट किया जावेगा। अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है, शिड्यूल्ड कास्ट को जो ट्रान्सफर हो गई तो नोन शिड्यूल्ड कास्ट का 175 का सूट अवैध हो जाना चाहिए। उसके संशोधन के बारे में मैं जानना चाहता हूं। आपने क्लाज 4 के अन्दर जो मोर्टगेजर है और मोर्टगेजी को पजेशन नहीं दे रहा है तो 183–ए के

(श्री परसराम मदेरणा)
अन्तर्गत समरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। यह 183–बी की समरी प्रोसीडिंग है। शिड्यूल्ड कास्ट की भूमि पर 42 के अन्तर्गत इल्लीगल ट्रेसपास है सवर्ण का या शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का तो वह भी वाइड है। यदि सवर्ण का ट्रेसपास है तो वह भी वाइड है। सीलिंग लॉ में आपने जमीन अलॉट की है उस पर कोई ट्रेसपासर बन गया है तो वह भी मामला हो सकता है। एक यह भी हो सकता है कि जो सिवाय चक भूमि है उस पर वह शिड्यूल्ड कास्ट का खातेदार बना है, कई लोगों को ऐसी भूमि ट्रान्सफर की गई है उसमें से कितनी वाइड है उसके लिए किन लोगों के लिए 183–बी में प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या 175 में जो सूट टाइट हुए हैं उस सम्बन्ध में यह लागू होगा, इसका यहां स्पष्टीकरण नहीं है। यह थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे कई शंकाएं हैं। मेरी शंकाओं का आप समाधान कीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: अध्यक्ष महोदय यह जो 183–बी है, इसमें किसी भी प्रकार के ट्रेसपासर, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जमीन पर ट्रेसपास करेगा, के लिए सम्यक् प्रोविजन किया गया है। तो अलाटेड लैण्ड पर सशक्त लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। सीलिंग की जमीन आवंटित की जाती है तो भी कब्जा कर लेते हैं। तो जो ट्रेसपासर होगा, उसके लिए प्रोविजन रखा है। सूट के प्रोविजन से वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यह इन सबको कवर करता है।

श्री परसराम मदेरणा: क्लाज 7 में जो अमेन्डमेन्ट है, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह ट्रेसपासर नहीं है, तो क्या वह कवर होगा?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स पर जो प्रतिबन्ध है, शिड्यूल्ड कास्ट को दे सकता है, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब को ही बेच सकता है, तो इस प्रतिबन्ध को ढीला करने के लिए सरकार का बिलकुल विचार नहीं है। सरकार बिलकुल विचार नहीं रखती है। इसको ढीला नहीं किया जायगा और कोई रियायत नहीं की जायगी यह सरकार का दृढ़ निश्चय है। किसी प्रकार की रियायत दी जाती है, सावधान रखा जाता है तो फिर ऐसी स्थिति आ सकती है शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, जिनको कि जमीन मिल गई है, भूमिहीन हो जाएंगे। मैं इस संशोधन को नहीं मानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा: इसमें ट्रेसपासर को बेदखल कर के ओरिजनल होल्डर हैं जो हरिजन है, शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स का है उसको ही वह जमीन आप रेस्टोर करेंगे। 42 में यह अमेन्डमेन्ट है। वह किसी दूसरे को बेच नहीं सकता है और बेच देता है तो वह जमीन गवर्नमेन्ट में वेस्ट हो जाएगी। तो क्या ये केसेज इसमें कवर होंगे।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: वह नहीं होगा। It vests in the Government.

श्री परसराम मदेरणा: But it is not vesting in the Government.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: मैं निवेदन कर दूं वह जमीन गवर्नमेन्ट में वेस्ट हो जाएगी। जिस आदमी ने खरीदी वह ट्रेसपासर हो जाएगा और वह ट्रेसपासर की हैसियत से बेदखल किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: Very clear, Very clear माननीय सदस्य श्री वंशीलाल सारस्वत।

श्री भयोपत सिंह मकासर : गवर्नमेन्ट में जमीन वेस्ट हो जाएगी तो आप रिलीफ क्या दे रहे हो ?

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सवर्ण काश्तकार और अनुसूचित जाति, जनजाति के काश्तकार को कुआं बनवाना है या पंपिंग सेट लगाना है और यदि वे अपनी जमीन आपस में बदल लें तो ऐसे सवर्ण और अनुसूचित जाति, जन जाति के काश्तकार को क्या बेदखल किया जाएगा ? अनुसूचित जाति के काश्तकार की जमीन पर सवर्ण काश्तकार का कब्जा है और सवर्ण जाति के काश्तकार की जमीन पर अनुसूचित जाति के काश्तकार का कब्जा है तो उनको भी आप बेदखल कर रहे हैं ? ऐसी अवस्था में यह समस्या उनके सामने आ जाती है, जो आपस में बदली हुई जमीन है, वह एक दूसरे के पास नहीं रहेगी। यह अदला-बदली उन्होंने अपना जमीन की तरक्की के लिए की है। भूमि विकास बैंक के यह नियम हैं, जब तक काश्तकार के पास साढ़े सात बीघा जमीन नहीं होगी वह कुआं बनाने के लिए कर्जा नहीं ले सकता है और यदि उसके पास 12 बीघा जमीन नहीं है तो वह पम्प नहीं लगा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि वे जमीन की अदला बदली करते हैं तो उनको बेदखल करने का कानून है, चाहे वह सवर्ण काश्तकार हो, चाहे अनुसूचित जाति का काश्तकार है, वे आपस में जमीन को बदलना चाहते हैं और उनको कोई ऐतराज नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सका यदि सवर्ण एग्रीकलचर पर्पज के लिए जमीन ले लेगा तो वह ट्रेसपासर मान लिया जाएगा, वह बेदखल कर दिया जायगा और इस प्रकार एग्रीकलचर पर्पज के लिए जो जमीन ली गई है वह गवर्नमेन्ट को चली जाएगी। यदि वही आदमी पैट्रोल पम्प बना लेगा तो वह ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। क्या यह ठीक है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह मंशा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : यह हो जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा : सैक्शन 42 में दो बातें है। पर्चेजर और सेलर। ये दोनों ट्रेसपासर हैं। ट्रेसपासर को हटा कर क्या वापिस वह जमीन आप शिड्यूल्ड कास्ट ट्राइब को रेस्टोर कर सकते हैं। आप तो दोनों को हटाएंगे। जो शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन है जो ट्रेसपास हो गई वह बाद में गवर्नमेन्ट की जमीन हो गई ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सेलर और पर्चेजर दोनों ही ट्रेसपासर हैं। कोई टाइटल नहीं है। वह सेल नहीं कर सकता है। सेल कर देता है तो Invests in The Government कोई बेचने वाला उस जमीन का मालिक नहीं हो सकता। वह ट्रेसपासर है और खरीदने वाला भी ट्रेसपासर है। उसका जो राइट है वह राइट स्थानान्तरित नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में माननीय सदस्य श्री बंशीलाल सारस्वत ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाए ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, यह जो धारा 182 है वह काफी व्यापक है "who has taken possession of any land without lawful authority" 183 में दोनों आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको स्पष्ट किया जाए। फिर भी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसके बारे में प्रोविजन है तो मैं इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विथ ड्रा करना चाहते हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में श्री बंशीलाल सारस्वत ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री बंशीलाल सारस्वत: मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : खंड 7 में अब कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 7 को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 7 स्वीकार किया गया।

खंड 8 व 9 पर एक साथ मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि खंड 8 व 9 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 8 व 9 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम प्रस्तावना आदि स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किए गए।

मंत्री महोदय पारित करने के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 अक्टूबर, 1978 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.20 बजे शुक्रवार दिनांक 13 अक्टूबर, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No 164

(164)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

बांसवाड़ा वन मण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की सूची

क्र.सं.	परिवादी का नाम एवं पता
1.	श्री विट्ठल भाई, अध्यक्ष, जनता पार्टी, बांसवाड़ा
2.	श्री भंवर लाल, कार्यकर्ता, जिला बांसवाड़ा
3.	नागरिक एवं काश्तकार (सर्वश्री मोहम्मद खां, सेवकराम, नटवर एवं बातु फतिया आदि)।

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

अलवर जिले के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

168. श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले का कितना इलाका तहसील वाइज बाढ़ से प्रभावित हुआ तथा राज्य सरकार ने इसके लिए हर तहसील को कितना-कितना रुपया अलॉट किया ?

(2) क्या राज्य सरकार की ओर से इतने भयंकर बाढ़ के समय में उदासीनता का रुख नहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो क्या कार्य किये गये उनका लेखा जोखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार के मंत्रियों ने ऐसे समय में इन इलाकों का दौरा किया ? यदि हां, तो किस किस इलाके का किन मंत्रियों के द्वारा दौरा किया गया ?

उत्तर

(1) जिलाधीश अलवर से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 तहसीलों का 53236 हैक्टर इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ। तहसीलवार प्रभावित इलाका निम्न प्रकार है :—

1.	तहसील	किशनगढ़	21268	हैक्टर
2.	,,	मुण्डावर	8238	,,
3.	,,	तिजारा	11675	,,
4.	,,	रामगढ़	6761	,,
5.	,,	लक्ष्मणगढ़	5294	,,

राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश अलवर को नकद सहायता, भोजन एवं पुनर्वास हेतु 3 लाख 15 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। जिलाधीश द्वारा तहसीलों को राशि का निम्न प्रकार आवंटन किया गया है :—

1.	तहसील	किशनगढ़	रुपये	21583.63
2.	,,	तिजारा	रुपये	4749.07
3.	,,	रामगढ़	रुपये	15942.96
4.	,,	थानागाजी	रुपये	17400.00
5.	,,	लक्ष्मणगढ़	रुपये	46500.00

(2) जी नहीं। जिले में बाढ़ राहत के संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस वर्ष बाढ़ के समय माननीय मुख्य मंत्री, राहत मंत्री, गृह मंत्री इत्यादि ने अलवर जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था।

अलवर जिले में बाढ़ राहत व्यवस्था का विवरण

1. बचाव कार्य :—

(क) तैयार भोजन का वितरण

तहसील किशनगढ़ में 6 ग्राम पूरी तरह पानी से घिर गये थे बाढ़ का प्रकोप होने के दिन ही जिलाधीश ने इन ग्रामों का दौरा 2 से 4 फीट पानी में पैदल जाकर पूरा किया। तथा पानी से भरे हुए घरों के परिवारों को

(बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री)
जिनका पानी में सब कुछ बह गया था, तुरंत 1, 111) रु. की पूड़ी व साग तैयार करवा कर भोजन वितरण कराया गया। इससे 6 ग्रामों में लगभग 550 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(ख) निःशुल्क आटा व दाल का वितरण

इस जिले के कुल 52 ग्रामों में जो बाढ़ से घिर गये थे प्रभावित लोगों को भोजन की व्यवस्था हेतु 226 क्विंटल आटा व 17 क्विंटल दाल का वितरण किया गया। कुल इससे 1303 परिवार लाभान्वित हुए। कुल लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 43,200 है।

(ग) भुने चनों का वितरण

बाढ़ से घिरे हुए 23 ग्रामों में आवश्यकतानुसार भुने चने भी वितरित किए गये। कुल 14 क्विंटल भुने चनों का वितरण किया गया जिसे 30 गांवों के 670 परिवारों के 7,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 1 सितम्बर, 78 को रात को अलवर से दुकानें खुलवाकर चनों की व्यवस्था की गई तथा रात में ही भड़भूजों को जगाकर चने भुनवाये गये तथा प्रातः ही उन्हें प्रभावित क्षेत्रों को भेजा गया।

(घ) सिरकी पलड़ों का वितरण

किशनगढ़ बास उपखण्ड के 23 ग्रामों में 90 सिरकी 90 परिवारों को आश्रय के लिये दिये गये।

(ङ) पानी निकासी का प्रबन्ध

किशनगढ़ उपखण्ड के किशनगढ़ बास कस्बा में सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया था। इसकी कस्बे के अन्य निचले स्थानों पर भी पानी भर गया था। इस पानी की निकासी हेतु विभागीय एवं किराये के पम्प सेट लेकर व्यवस्था की गई जिस पर 1018 रु. किराये एवं मजदूरी के रूप में व्यय किया गया।

(च) मकानों का अनुदान

बाढ़ से ध्वस्त कच्चे मकानों के स्वामियों के लिए जो निजी साधनों से तत्काल बनाने में असमर्थ थे भवन निर्माण हेतु कुल 62,900/–रु. स्वीकृत किया गया इस अनुदान से कुल 15 ग्रामों में 198 परिवार लाभान्वित हुए। बाकी लोगों के प्रार्थना-पत्र किशनगढ़ उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भरे जा रहे हैं व 10 दिन के अन्दर अनुदान दे दिया जावेगा।

(छ) मुख्य मंत्री कोष से सहायता

बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित 3 मृतकों के परिवारों को कुल 2,000/–रु. की सहायता मुख्य मंत्री कोष से दी गई।

(ज) जन स्वास्थ्य कार्य

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न स्वास्थ्य रक्षा के कार्य किए गये :-

1. एन्टी कोलेरा टीकाकरण	45,859
2. टी.ए.बी. टीकाकरण	1,907
	47,766
3. कुओं में दवा डाली गई	4,476

(बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री)
(झ) पशुओं का टीकाकरण

जिला पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का बाढ़ व अतिवृष्टि के प्रभाव से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए 39,600 टीकाकरण किए गये।

राज्य की कृषि-उपज मण्डियां

169. वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां स्थापित है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कृषि उपज मंडी समितियों को स्थापित करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाता है?

(3) क्या बड़ी सादड़ी तहसील केन्द्र पर इसी तहसील के क्षेत्र की ओर डूंगला तहसील क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी मंगलवाड चौराहे पर स्थापित की जाने में राज्य सरकार को कोई वैधानिक या तकनीकी कठिनाई है? यदि नहीं, तो कब तक स्थापित करदी जायेगी।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 110 कृषि उपज मण्डी समितियां स्थापित हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति को स्थापित करते समय इस क्षेत्र से कृषि उपज की आवक को ध्यान में रखा जाता है। 1% की दर से कृषि उपज के क्रय विक्रय पर प्राप्त होने वाला मण्डी शुल्क इतना होना आवश्यक है कि जिससे मण्डी समिति का समस्त प्रशासनिक व्यय उससे पूरा किया जा सके मण्डी विकास सम्बन्धी कार्य हाथ में लेने हेतु आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध हो सके।

(3) बड़ी सादड़ी को पृथक् से कृषि उपज मण्डी समिति घोषित करने की धारा 4 व 7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जिसके मण्डी क्षेत्र में डूंगला पंचायत समिति तथा मंगलवाड चौराहा भी सम्मिलित है। प्रथम मनोनीत मण्डी समिति के गठन सम्बन्धी सूचना जिलाधीश चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हो चुकी है। और शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा इसकी विज्ञप्ति राज-पत्र में प्रकाशित की जायेगी मंगलवाड चौराहे पर पृथक से मण्डी अथवा गौण मण्डी स्थापित करने के सम्बन्ध में जांच कराये जाने पर मालूम पड़ा है कि वहां पर कृषि उपज की बहुत कम आवक होती है और वहां केवल तीन या चार व्यापारी ही हैं।

(168)

(तारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची)

राजस्थान की नियमित मण्डियां

क्र.सं.	जिला	मुख्य मण्डी (मण्डी समिति)	गौण मण्डी	नामजद बोर्ड/प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड
1	2	3	4	5
1.	अलवर	1. अलवर	1. मालाखेड़ा	प्रशासक
			2. रामगढ़	
		2. खैरथल	3. तिजारा	,,
			4. बहादरपुरा	
			5. किशनगढ़बास	
		3. खेडली	—	,,
2.	भरतपुर	4. भरतपुर	6. अटलबन्द	,,
			7. कुम्हेर	
		5. कामां	8. गोविन्दगंज	,,
			9. जुरहेरा	
		6. डीग	—	,,
		7. नदबई	—	,,
		8. धौलपुर	10. मनियां	,,
			11. राजाखेड़ा	
		9. बाड़ी	12. बसेड़ी	,,
			13. सरमथुरा	
		10. बयाना	—	,,
		11. नगर	—	,,
		12. भुसावर	14. वैर	,,
3.	जयपुर	13. जयपुर (अनाज) (रामगंज बाजार)	15. चांदपोल मण्डी	,,
			16. जौहरी बाजार	,,
			17. किशनपोल	,,
			18. सांगानेर	
			19. बगरू	
			20. बस्सी	

(169)

1	2	3	4	5
		14. जयपुर (फल व सब्जी) (जौहरी बाजार)	21. मोतीडूंगरी	प्रशासक
			22. अजमेरीगेट	
		15. दौसा	23. लालसोट	,,
		16. कोटपूतली	24. पावटा	,,
		17. बांदीकुई	25. गीजगढ़	,,
		18. चाकसू	26. शिवदापुर	,,
		19. नरेना	—	,,
		20. चौमूं	27. बस स्टेण्ड (फल व सब्जी मण्डी)	,,
4.	अजमेर	21. अजमेर	28. पीसांगन	,,
			29. नई धान मण्डी	,,
			30. नसीराबाद	
		22. मदनगंज	31. हुरमाड़ा	,,
		23. विजयनगर	—	,,
		24. ब्यावर	—	,,
		25. केकड़ी	32. सरवाड़	,,
5.	सीकर	26. सीकर	—	,,
		27. नीमकाथाना	—	,,
		28. श्रीमाधोपुर	33. अजीतगढ़	,,
			34. कांवट	,,
			35. रींगस	
		29. फतेहपुर	36 रामगढ़	निर्वाचित मण्डी समिति
			37. लक्ष्मणगढ़	
6.	झुन्झुनूं	30. सूरजगढ़	38. पिलानी	प्रशासक
		31. चिड़ावा	39 खेतड़ी	,,
		32. झुन्झुनूं	—	,,
		33. नवलगढ़	—	,,
7.	सवाईमाधोपुर	34. सवाईमाधोपुर	40. सिवाड़	,,
			41. चौथ का बरवाड़ा	,,
		35. गंगापुर	42. बामनदास	,,

1	2	3	4	5
		36. हिण्डौन	43. पुरानीमण्डी	प्रशासक
		37. महुआमण्डावर	44. टोडाभीम	,,
8.	कोटा	38. कोटा	--	,,
		39. बारां	45. अटरू	,,
		40. सुमेरगंज	46. इन्द्रगढ़	,,
		41. अन्ता	47. सुल्तानपुर	,,
			48. सीसवाली	
			49. मांगरोल	
		42. इटावा	50. पीपल्दा	,,
		43. रामगंजमण्डी	51. सांगोद	,,
		44. छबड़ा	52. छीपाबड़ौद	,,
			53. हरनाथशाहजी	
9.	बून्दी	45. बून्दी	54. तालेड़ा	,,
			55. दई	
			56. हिण्डौली	
		46. केशवरायपाटन	57. कापरेन	,,
			58. लाखेरी	
10.	झालावाड़	47. भवानीमण्डी	--	,,
		48. चौमेला	59. डग	,,
		49. खानपुर	—	,,
		50. झालरापाटन	—	,,
11.	टौंक	51. टौंक	60. फिराना	,,
		52. मालपुरा	61. टोडारायसिंह	,,
			62. लांबा	
		53. निवाई	—	,,
		54. देवली	63. दूनी	,,
12.	उदयपुर	55. उदयपुर		,,
		56. नाथद्वारा	64. राजसमन्द	,,
		57. भीण्डर	65. वल्लभनगर	,,
			66. कानोड़	
		58. फतेहनगर	—	,,

1 2	3	4	5
13. चित्तौड़गढ़	59. चित्तौड़गढ़	—	प्रशासक
	60. कपासन	67. राशमी	,,
	61. निम्बाहेड़ा	68. छोटी सादड़ी	,,
	62. बेगूं	—	,,
	63. प्रतापगढ़	—	,,
14. भीलवाड़ा	64. भीलवाड़ा	69. स्पीनिंगमिल के सामने	,,
		70. गंगापुर	
	65. गुलाबपुर	—	,,
	66. माण्डलगढ़	71. बिजोलिया	,,
	67. आसीन्द	—	,,
	68. शाहपुरा	—	,,
	69. जहाजपुरा	72. रोपा	,,
		73. शंकरगढ़	
15. बांसवाड़ा	70. बांसवाड़ा	74. खाण्डू	,,
16. डूंगरपुर	71. डूंगरपुर	—	,,
17. जोधपुर	72. जोधपुर (मण्डोर रोड)	75. भगत की कोठी	,,
		76. पावटा (फल व सब्जी)	,,
	73. बिलाड़ा	—	,,
	74. पिपाड़सिटी	77. कोसाना	,,
18. पाली	75. पाली	—	,,
	76. सोजतरोड	78. सोजटसिटी	,,
		79 खारची	
	77. जैतारण	80. रायपुर	,,
		81. निमाज	
		82 कुशलगढ़	
		83. आनन्दपुरकालू	
	78. रानी	—	
	79. सुमेरपुर	—	
19. सिरोही	80. शिवगंज	—	,,
	81. आबूरोड़	84. स्वरूपगंज	,,

1	2	3	4	5
20.	नागौर	82. नागौर	85. मूण्डवा	प्रशासक
		83. मेड़तासिटी	86. डेगाना	,,
		84. कुचामनसिटी	87. गच्छीपुरा	,,
			88. बोराबड़	
			89. नावां	
			90. मकराना	
			91. परबतसर	
		85. डीडवाना	–	,,
21.	जालौर	86. भीनमाल	92. रामसीन	,,
			93. रानीवाड़ा	
22.	बाड़मेर	87. बाड़मेर	94. बायतू	,,
			95. धोरीमन्ना	
		88. बालोतरा	–	
23.	जैसलमेर	89. जैसलमेर	–	,,
24.	बीकानेर	90. बीकानेर	96. फड़बाजार	,,
			97. रानीबाजार	
		91. नोखा	–	,,
25.	चूरू	92. सादुलपुर	98. सिद्धमुख	,,
		93. तारानगर	–	,,
		94 चूरू	–	,,
		95. डूंगरगढ़	–	,,
		96. सरदारशहर	–	,,
		97 सुजानगढ	–	,,
26.	श्रीगंगानगर	98. श्रीगंगानगर	–	,,
		99. रायसिंहनगर	–	,,
		100. श्रीविजयनगर	99. जैतसर	,,
			100. अनूपगढ़	,,
			101. रामसिंहपुरा	,,
		101. श्रीकरणपुर	–	,,
		102. हनुमानगढ़	102. हनुमानगढ़ (टाउन)	,,

1	2	3	4	5
			103. डाबलावास	
			104. तिब्बी	
			105. तलवाड़ा	
		103. सांगरिया	–	प्रशासक
		104. पदमपुर	106. रिडमलसर	,,
			107. बींजबयाला	,,
		105. गजसिंहपुरा	–	,,
		106. केसरसिंहपुरा	–	
		107. सादुलशहर	108. घोलीपाल	,,
		108. पीलीबंगा	109. सूरतगढ़	,,
			110. गोलूवाला	,,
		109. नोहर	111. गोगामेडी	,,
			112. फेफाना	,,
			113. रावतसर	
		110. भादरा	114. अनुपशहर	,,

केन्द्रीय सरकार की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों में लगी पूंजी

172. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ?

(2) क्या राज्य सरकार इससे संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इसके लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये और किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में 31 मार्च, 1975 तक राजस्थान में 160–02 करोड़ रुपयों का विनियोजन किया था। जो देश में कुल विनियोजित राशि का 2.16 प्रतिशत था।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के इस विनियोजन से संतुष्ट नहीं है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य में विनियोजन बढ़वाने हेतु हर स्तर पर प्रयत्न किए हैं एवं भविष्य में भी सतत् प्रयत्नशील है।

कपासन विधान सभा क्षेत्र की एप्रोच रोड्स

173. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एप्रोच रोड्स बनाने का राज्य सरकार द्वारा क्या माप दण्ड रखा गया है ?

(174)

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

(2) कपासन विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन ऐसे गांव हैं जिनकी अप्रोच रोड बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और वह कब तक बनकर पूरी हो जायगी ?

उत्तर

(1) अप्रोच रोड गांवों को जोड़ने का व बनाने का माप दण्ड जन संख्या पर आधारित है। इसके अलावा कृषि उपज मण्डी की या डेयरी व खानों इत्यादि की अप्रोच रोड उस क्षेत्र के उपयोगिता व उपज पर प्राथमिकता दी जाती है।

(2) कपासन में प्रस्तावित छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अप्रोच रोड्स व पुल तथा पुलियाओं को सूची 'अ' में दर्शाया गया है इस वर्ष कपासन से पाण्डोली अप्रोच रोड की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और बाकी सड़कों की प्राथमिकता विचाराधीन है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

सूची "अ"

जिला चित्तौड़गढ़ के कपासन विधान सभा सत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तंगत प्रस्तावित की गई सड़कों की सूची :-

क्र. सं.	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	भदसौर कपासन रोड	8.00
2.	किरकी चौकी भूपालसागर गिलन्ड रोड	10.00
3.	अकोला फतेह नगर रोड	9.00
4.	कन्सेट्रक्शन आफ समबरसेबिल ब्रिज ओवर भूपालसागर नाला ओन उदयपुर चित्तौड़ बून्दी रोड एस-एच-4	5.00
5.	कन्सेट्रक्शन आफ समबरसेबिल ब्रिज ओवर बैरेच रिवर ओन कपासन भदसोरा रोड	6.00
6.	कन्सेट्रक्शन आफ समबरसेबिल ब्रिज ओन उचनार रोलिया नाला	3.00
7.	कन्सेट्रक्शन आफ समरसैबिल ब्रिज आन रोलिया नाला	2.00
8.	कन्सट्रक्शन आफ भदसोर मण्डपीया रोड (सी. डी. वार्स नियर मण्डफाया)	3.00
9.	अप्रोच रोड पाण्डोली रेल्वे स्टेशन टू पाण्डोली गांव	2.00
10.	रोड फ्रोम भूपालसागर रेल्वे स्टेशन टू भूपालसागर रोड	1.00
11.	ग्रेवल रोड फ्राम कपासन टू पाण्डोली रोड	3.50
12.	इम्प्रूमेंट आफ रोड्स इन म्यूनिसिपल रोड एरिया एटकपासन	6.00
		58.50

राज्य में 'शिक्षा कर' की वसूली

174. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही ही है कि राज्य के गांवों में प्राथमिक शिक्षा के हासिल करने पर 'शिक्षा कर' वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की घोषणा के विपरीत कदम उठाने वालों को क्या राज्य सरकार निलम्बित करेगी ?

उत्तर

जी नहीं । प्राथमिक शिक्षा हासिल करने पर कोई शिक्षा कर नहीं लिया जाता। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 33 (111) के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा उपकर (Education cess) पंचायत समितियों द्वारा वसूल किया जाता है। राजस्थान पंचायत समिति (करारोपण) नियम, 1960 के नियम 3 (एफ) में भी शिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान है।

यह कर लगाने का अधिकार पंचायत समिति को है। नियमों के विपरीत कार्यवाही करने का किसी के खिलाफ शिकायत नहीं होने से निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तहसील सागवाडा में प्राकृतिक प्रकोपों से फसलों को क्षति

175. श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सागवाड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि तथा माही कडाना बांध के पानी से जलमग्न होने के कारण फसलें डूब गई हैं। शेष कीड़े, मकोड़े इल्लियों, टिड्डियों के द्वारा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो कृषि विभाग ने क्या व्यवस्था की है ?

(2) क्या यह सत्य है कि वर्षा ऋतु की फसलें मक्का, उड़द, साल अन्य फसलें आज भी इल्लियों व टिड्डियों द्वारा नष्ट की जा रही हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये ? क्या कृषकों को राज्य सरकार राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील सागवाड़ा के निचले धान बोये जाने वाले क्षेत्र में बोई गई मक्का की फसल में अगस्त के दूसरे पखवाड़े में हुई लगातार वर्षा से पदगलन के कारण 30 से 35 प्रतिशत हानि का अनुमान है, इसमें से भी लगभग 5 से 10 प्रतिशत खेतों में मक्का के पदगलित होने के स्थान पर पुनः धान की रोपाई कर दी गई है माही कडाना बांध से कोई क्षति नहीं हुई।

तहसील के लगभग 150 हैक्टर क्षेत्र में साधारण रूप से इल्लियां व तना छेदक कीड़े का प्रकोप अवश्य हुआ था किन्तु विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर तथा सभी केन्द्रों पर पर्याप्त पौध संरक्षण रसायन व उपकरणों की समय पर ही समुचित व्यवस्था कर उस पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया गया इसके अतिरिक्त मक्का में माभर आते समय साधारण

(कृषि मंत्री)

रूप से म्वेयका (एफिड्स) कीट का प्रकोप प्रारम्भ हुआ था परन्तु उस पर भी रसायनों के उपयोग एवं तुरन्त वर्षा होने से पूर्ण नियंत्रण हो गया था। टिड्डियों का कोई प्रकोप नहीं हुआ।

(2) जी नहीं।

दांतारामगढ़ का 'जीवन माताजी' तीर्थ स्थान

176. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) में जीवन माताजी का तीर्थ स्थान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जीवन माताजी राजस्व रेकार्ड में रेवेन्यू विलेज के नाम से दर्ज नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जीवन माताजी में पटवार हल्का हैडक्वार्टर तथा पटवारी जीवन माताजी के नाम से है। अगर हां, तो राज्य सरकार जीवन माताजी को राजस्व रेकार्ड में कब तक दर्ज कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर।

(1) जी हां।

(2) जी हां। रेवेन्यू विलेज राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आधार ऐतिहासिक एवं पुराने गांव के नाम आदि से होता है जीवन माताजी के नाम से गांव का नाम रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किसी धार्मिक स्थान के नाम से राजस्व गांव का नाम परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। पटवार हल्का जीवन माताजी के नाम से प्रचलित नाम के आधार पर है। रेवेन्यू विलेज का नाम परिवर्तन करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। जिलाधीश से प्रस्ताव आने पर विचार किया जाना संभव होगा।

कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन निर्धारण के मामले

177. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन निर्धारण के कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(2) इन विचाराधीन मामलों को निपटाने हेतु क्या प्रयत्न किये गये और लम्बे अर्से तक वेतन निर्धारण न होने का क्या कारण रहा ?

(3) अब उक्त मामले कब तक निपटा दिये जावेंगे ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस विभाग में वेतन निर्धारण के निम्न मामले विचाराधीन हैं—

अधिकारियों के	30
कर्मचारियों के	243
योग:—	273

(वित्त मंत्री)

(2) समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम तैयार करके जांच दल भेजे गये एवं विभागीय आन्तरिक जांच दलों को इस सम्बन्ध में अधिकृत भी किया हुआ है। सभी कार्यालयों को समय-समय पर अर्ध शासकीय पत्र भी लिखे गये हैं तथा विभागीय बैठकों में भी इस संबंध में स्थिति पर विचार किया जाकर शीघ्र निपटाने के प्रयास किये गये हैं। अब फिर पुन: विशेष अभियान आरम्भ कर दिया गया तथा इस माह के अन्त तक और मामले निपटाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वेतन निर्धारण न होने के निम्न मुख्य कारण हैं:–

1. सेवा पुस्तिकाओं में पूर्ण इन्द्राज का न होना।

2. निलम्बन, विभागीय जांच आदि का निर्णय न होना।

3. सेवा सत्यापन न होना

4. सेवा पुस्तिकायें संबंधित कार्यालयों से प्राप्त न होना।

(3) चालू विशेष अभियान में जो इस माह के अन्त तक है, अधिकतर कार्य निपटाने की सम्भावना है।

ग्राम बेडकलां तहसील जैतारण की गोचर भूमि

178. श्री हनवंतसिंह राणावत (बाली) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम बेडकलां तहसील जैतारण जिला पाली की खसरा नं. 1 की भूमि गोचर थी? यदि हां, तो उसका किस्म परिवर्तन सिवाय चक में कैसे हो गया, क्या गोचर भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए कोई नियम निर्धारित हैं? अगर हां, तो उक्त भूमि के किस्म परिवर्तन में नियमों का पालन किया गया है? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त जमीन पर किसी अधिकारी के निजी नौकरों के नाम किस्म परिवर्तन के पूर्व काश्त दर्ज किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 1 की भूमि के काश्त का फर्जी रेकार्ड तैयार किया गया जिसकी चोरी तहसील कार्यालय जैतारण में हुई जिस संबंध में तहसीलदार जैतारण द्वारा पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई? अगर हां, तो राज्य सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम बे कलां तहसील जैतारण की भूमि खसरा नं. 1 रकबा 62)7 पूर्व में गोचर थी, जिसकी किस्म परिवर्तन करने के आदेश तत्कालीन जिलाधीश द्वारा ग्राम पंचायत बे-कलां की सिफारिश पर सितम्बर, 73 में दिये गये। यह परिवर्तन नियमानुसार ही किया गया था। उस समय ऐसे आदेश होने के लिए राजस्थान टिनेन्सी गवर्नमेंट नियम, 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत जिलाधीश सक्षम थे।

(2) इस भूमि के नियमन के लिए सर्वश्री जयनारायण अन्नालाल मीमदड़ा का अतिक्रमण तहसीलदार जैतारण ने माना था एवं 31-3-74 को उन्होने यह मामला

(राजस्व मंत्री)
नियमन हेतु उप खंड अधिकारी जैतारण को प्रस्तुत किया परन्तु कब्जा लगातार नहीं होने से नियमन नहीं किया गया। इन लोगों के नाम और भी खातेदारी की भूमि थी फलतः नियमन में यह भी बाधा थी। जिन लोगों ने नियमन के लिए आवेदन-पत्र दिये वे किसी अधिकारी के नौकर थे या नहीं इस बाबत जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) इस भूमि पर पुराना कब्जा दर्ज होने के मामले में रिकार्ड में रद्दोबदल करके फर्जी कार्यवाही करने के मामले में तहसीलदार जैतारण ने एक एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज करवाई है जिसका मुकदमा नं. 37/75 है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जेर तफतीश है। सम्बंधित पटवारी श्री माधोदान व भू-अभिलेख निरीक्षक श्री बेणीदान के विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है।

कामां में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट

179. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कामा तहसील में मुन्सिफ कोर्ट को, खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कोर्ट कब तक स्थापित कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। कामां तहसील में मुंसिफ का न्यायालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया है क्योंकि न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय की राय से ही की जाती है। उस क्षेत्र के मुकदमों की संख्या न्यायालय भवन, निवास की सुविधा तथा कारागृह व कोषागार आदि की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय स्थापित किये जाते हैं।

टौंक जिले की सड़कों की मरम्मत

180. श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1977-78 में टौंक जिले की सड़कों के रख-रखाव के लिये कितना धन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया?

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की हुई धन राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया–यानि सड़को की मरम्मत पर कितना और कर्मचारियों के वेतन आदि में कितना धन खर्च हुआ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में टौंक जिले की सड़कों के रख-रखाव के लिये 37.33 लाख रुपये की राशि व्यय एवं आवंटित की गई।

(2) 37.33 लाख रुपये की राशि में से 12.50 लाख रुपया कर्मचारियों के वेतन आदि पर एवं 24.83 लाख रुपये सड़को की मरम्मत पर व्यय किया गया।

भरतपुर जिले में खनिजों की लीज

181. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के भरतपुर जिले में कितनी खनिज लीज है ?

(2) कितनी खनिज लीजों पर बेनामी काम होता है ?

(3) किस किस लीज पर कितना-कितना रुपया बकाया है ?

(4) क्या यह सही है कि बयाना इलाके के गिट्टी के क्रेशर अधिकतर बेनामी हैं ?

(5) क्या इनके विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के भरतपुर जिले में 224 खनिज लीजें हैं।

(2) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(3) जिस जिस लीज पर जितना जितना रुपया बकाया है उसके अनुसार सूची संलग्न है।

(4) क्रेशर एक खनिज आधारित उद्योग है। नियमों में पट्टेधारी द्वारा ही क्रेशर लगाया जाये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण बेनामी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) खनिज नियमों का उल्लंघन नहीं होता है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची)

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खान अभियन्ता, बाड़ी के क्षेत्र की बकाया का विवरण

नोट:—माह सितम्बर का ट्रेजरी शिड्यूल न आने से माह सितम्बर में जमा हुई रकमों का अधिकतर मामलों में ब्यौरे उपलब्ध नहीं। इस वजह से अधिकतर मामलों में माह अगस्त 78 तक की वसूली खातों में दर्ज की हुई है।

क्र.सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र का विवरण	वार्षिक स्थिर भाटक	अवधि	डेडरेन्ट व रायल्टी की मौजूदा बकाया का विवरण दिनांक 30-6-78 तक का निर्धारण के आधार पर
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नत्थीलाल सिंघल, धौलपुर	ख.गि.बो. मचकुंड	2720.00	27-3-75 से 26-3-80	680 00
2.	सर्वश्री किरोड़ीलाल वीरेन्द्रपाल, बसेड़ी	सैण्डस्टोन 15 व.कि. मी. बसेड़ी	74400.00	1-8-74 से 31-7-79	17600.00
3.	,, हरी शंकर राजेन्द्रपाल, धौलपुर	सैण्डस्टोन 15 व. कि. मी. धौलपुर	38300 00	,, ,,	9575.00
4.	,, राजेन्द्र मोहन शर्मा	ख.गि.बो. लाठ खेड़ा	3015.00	11-10-76 से 10-10-81	1528.25
5.	,, बलवन्तरामगुजर, बाड़ी	सैण्डस्टोन ग्रुप नं. 6 बाड़ी	9000.00	3-3-73 से 2-3-78	2979 69
6.	,, रामभरोसी, जटपुरा	ख.गि.बो. तमोटी खोर	415.00	30-9-72 से 29-9-77	1011.80
7.	,, रामभरोसी, जटपुरा	ख.गि.बो. भूतेश्वर	660.00	3-10-72 से 2-10-77	660.00
8.	,, भगवानलाल, सरमथुरा	सैण्डस्टोन कन्हैयापुरा	1050 00	10-9-74 से 9-9-79	3428.08

9.	श्री सुन्दरलाल अग्रवाल	ईंट मिट्टी मागरोल	962.25	30-4-74 से 29-4-79	961.85
10.	,, महेश चन्द शर्मा, बाड़ी	सैण्डस्टोन खानपुरमैना	1520.00	27-6-75 से 26-6-80	11400.00
11.	,, रामभरोसी मित्तल	सैण्डस्टोन इन्दौरा	1110.00	23-6-75 से 22-6-80	555.00
12.	,, हरिकिशन, धौलपुर	ख. गि. वो. मिलगवा	1590.00	15-7-75 से 14-7-80	326.77
13.	,, गंगाधरसिंह,	बजरी कठूमरा	1687.50	31-10-75 से 30-10-80	1265.59
14.	,, रवीभट्ट, धौलपुर	सैण्डस्टोन कुदिन्ना	11000.00	22-2-75 से 21-2-80	5500.00
15.	,, गोविन्द प्रसाद शर्मा	,, नयापुरा	835.00	16-4-75 से 15-4-80	835.00
16.	,, वनयसिंह शर्मा	,, कोटरा	570.00	10-7-75 से 9-7-80	570 00
17.	,, ,,	,, धौर्य	450.00	,, ,,	450.00
18.	,, महेशचन्द्र शर्मा, बाड़ी	,, निघारा	540.00	24-2-75 से 23-2-80	2367.55
19.	,, महेशचन्द्र शर्मा, बाड़ी	,, मंधारा	4300.00	27-11-76 से 26-11-81	2439.31
20.	,, फतुआराम, मत्सुरा	,, बुदुपुरा	6500.00	27-11-76 से 26-11-81	1625.00
21.	,, राजेन्द्रमोहन शर्मा, बाड़ी	,, पीपनगर	6750.00	16-4-76 से 15-4-81	1687.50
22.	,, राजेन्द्रकुमार वैश्य	,, सांधरा	1100.00	29-12-76 से 28-12-86	275.00
23.	,, रामेश्वर दयाल	,, शाहपुरा	2015.00	16-4-76 से 15-4-81	4030.00
24.	,, अजबसिंह	बजरी कठूमरा	1687.50	7-1-76 से 6-1-81	3981.80
25.	,, धारेलाल जटिया	ख. गि. वो. उमुरना	1550.00	24-7-76 से 23-7-81	950.75
26.	,, रामशरणलाल शर्मा	सैण्डस्टोन मड़ौना	13250.00	25-8-77 से 24-8-87	6737.50
27.	,, रामसिंह प्रधान	,, मत्सुरा	21300.00	25-8-77 से 24-8-82	5325.00
28.	,, पातीराम अजर, बाड़ी	,, सुनीपुर	15205.00	11-8-78 से 10-8-87	3801.25

1	2	3		4	5	6
29.	श्री राजेशकुमार, बाड़ी	सैण्डस्टोन	गढी असोदा	22100.00	10-8-77 से 9-8-87	552.50
30.	,, रामचरन	,,	खेरी इब्राहीमपुर	3900.00	25-8-77 से 24-8-87	975.00
31.	,, मोरेलाल शर्मा	,,	रैवई	2600.00	9-8-77 से 8-8-87	1150.00
32.	,, गंगाप्रसाद मोदी	,,	तामोटी	8505.00	25-8-77 से 24-8-87	2126.50
33.	,, रामसिंह भाटिया वास	,,	काकरई	32015.00	,, ,,	9107.50
34.	,, ओमप्रकाश अजर, बाड़ी	लाइम स्टोन	सेवर पाली	1800.00	8-3-77 से 7-3-87	1350.00
35.	,, रामेश्वर दयाल शर्मा	सैण्डस्टोन	विशनोदा	2500.00	18-11-77 से 17-11-87	1250.00
36.	,, छुट्टनलाल शर्मा	,,	नया गांव	3611.00	20-12-77 से 19-12-87	902.25
37.	,, बलवन्तराम अजर	,,	गुर्जापुरा	8205.00	16-3-78 से 15-3-88	2050.75
38.	,, रामबाबू सिंह	,,	रतनपुर	3000.00	20-3-78 से 19-3-88	750.00
39.	,, बांकेलाल शर्मा	,,	नादरौली	7060.00	28-9-77 से 27-9-87	5295.00
40.	,, रामसिंह पुत्र पोपसिंह	,,	मोहरी	3150.00	9-8-77 से 8-8-87	2362.50
41.	,, बलवन्तराम, अजर बाड़ी	,,	सेवरपाली	2500.00	29-9-77 से 28-9-82	1875.00
42.	,, बृजमोहन, धौलपुर	,,	सहेड़ी	12050.00	16-2-78 से 15-2-88	3012.50
43.	,, ओमप्रकाश गोयल, सरमथुरा	,,	निजामपुर	16100.00	25-8-77 से 24-8-87	3575.00
44.	,, ठकुरी, शंकरपुरा	बजरी	शंकरपुरा	900.00	2-8-76 से 1-8-81	1575.00

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर

नोट:—माह सितम्बर का ट्रेजरी शिड्यूल न आने से माह सितम्बर में जमा हुई रकमों का अधिकतर मामलों में ब्यौरा उपलब्ध नहीं। इस वजह से अधिकतर मामलों में माह अगस्त 78 तक की वसूली खातों में दर्ज की हुई है।

क्र. सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र का विवरण	वार्षिक स्थिर भाटक	अवधि	डेडरेन्ट व रायल्टी की मौजूदा बकाया का विवरण दिनांक 30-6-78 तक के निर्धारण के आधार पर
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	सैण्डस्टोन ग्रुप नं. 7	28100.00	21-12-75 से 20-12-80	7025.00
2.	श्री नेमीचन्द गुप्ता बयाना	चुरारीडांग	7175.00	25-12-75 से 24-12-80	2070.00
3.	श्री अनिल कुमार मंगल	सैण्डस्टोन ग्रुप नं. 7 प्लाट 2	15500.00	24-12-75 से 23-12-80	3875.00
4.	श्री पाषाण उत्पादक सह. स.	सैण्डस्टोन ग्रुप-1 प्लाट 8 कोडापुर	3700.00	26-12-75 से 25-12-80	925.00
5.	श्री बाबूलाल गोयल तांतपुर	सैण्डस्टोन ग्रुप नं. 2	154680.00	28-4-74 से 27-4-79	53307.00 स्थिर भाटक 35165.39 ब्याज
6.	श्री चिरंजीलाल	ख. गि. वो. बंगसपुरा	1500.00	7-2-76 से 6-2-81	375.00
7.	श्री कस्तूरचन्द जैन	,, मुरकी	1200.00	31-3-83 तक	1199.23
8.	श्री सुखीलाल वैश्य	सैण्डस्टोन खारगा का नगला	7500.00	13-6-73 से 12-6-78	1875.00

1	2	3	4	5	6
9.	श्री रजईराम	सैण्डस्टोन भिवानी सज्जनवास	9900 00	10-3-76 से 9-3-81	5150.42
10.	श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल	ख. गि. वो. लोटवाड़ा	3852.00	28-5-76 से 27-5-81	1371.00
11.	श्री अमरसिंह	सैण्डस्टोन ग्रुप–1 प्लाट 4	10000.00	19-7-76 से 18-7-82	2500.00
12.	श्री देवीसिंह	ख. गि. वो. प्लाट	1380.00	24-8-76 से 23-8-81	345.00
13.	श्री किशनीराम	सैण्डस्टोन ग्रुप 7 प्लाट 7	5500.00	27-2-76 से 26-2-81	1375.00
14.	श्री बालकिशन गुप्ता	ख. गि. वो. ककड़ा	230.00	24-5-73 से 23-5-81	230.00
15	श्री ,, ,,	,, नारायणा	220.00	24-5-75 से 23-5-78	220.00
16.	श्री ,, ,,	,, नांगल पहाड़	260.00	6-5-76 से 5-5-81	260.00
17.	श्री हाकिमसिंह	सैण्डस्टोन ग्रुप नं. 6	5025.00	5-1-75 से 4-1-80	1213.55
18.	श्री प्रतापसिंह	ख. गि. वो. सि. साई प्लाट 4	2175.80	27-9-77 से 26-9-87	543.75
19.	श्री रोशनलाल	सैण्डस्टोन सिरोद ग्रुप नं. 9	13300.00	24-6-71 से 23-6-76	16350.73
20.	श्री लखनलाल	सैण्डस्टोन तरवीजपुर सिघानिया	24100 00	12-12-73 से 11-12-78	6025.00
21.	श्री प्रभो ब्रिक्स फैक्टरी	ईंट मिट्टी भरतपुर	696.00	20-3-74 से 19-3-79	696.00
22.	श्री राम भरोसी	सैण्डस्टोन ग्रुप-1 प्लाट 5	18550.00	1-9-77 से 31-8-82	2637.50
23.	श्री दिनेश ब्रिक्स फैक्टरी	ईंट मिट्टी डीग	776.70	7-1-74 से 6-1-79	6643.00
24.	श्री शिवचरनलाल	मिलस्टोन तह. रूपवास	8000.00	12-11-75 से 11-11-80	3700 00
25.	श्री पाषाण उ. सह. सं. महलपुर	सैण्डस्टोन महलपुर चूरा	60001.00	14-3-76 से 13-3-81	7500.00
26.	श्री मंजूदेवी पारीक	सैण्डस्टोन कोडापुरा	14750.00	27-5-73 से 26-5-78	3687.50
27.	श्री कृष्णा ब्रिक्स फैक्टरी डीग	ईंट मिट्टी डीग	995.00	14-12-74 से 13-12-79	1820 95
28.	श्री चन्द्र ब्रिक्स फैक्टरी नगर	,, ,, नगर	820 00	10-2-75 से 9-2-80	170 65
29.	श्री बाबूलाल अग्रवाल	ख. गि. वो. वराना कुन्डाहिला	6080 00	31-7-76 से 30-7-81	1520.00

1	2	3	4	5	6
30.	श्री बालकृष्ण गुप्ता	शोरा तह. नगर	1025.00	18-1-75 से 17-1-80	1018.75
31.	श्री हजारीलाल	सैण्डस्टोन ग्रुप 7 प्लाट 1	7600.00	23-9-76 से 22-9-81	7100.00
32.	श्री हीरासिंह	बजरी सूपा	1320.00	17-12-76 से 16-12-81	160.00
33.	श्री अतरसिंह	ख. गि. वो. कांकन खोरी	1537.50	30-3-77 से 29-3-87	1537.52
34.	श्री फजरूखां लेवडा	,, लेवडा	1575.00	24-2-77 से 23-2-87	369.23
35.	श्री किशन पुत्र मौजी जाटव	,, चूलहैरा	1125.00	31-3-77 से 30-1-87	834.60
36.	खादी ईंट कुम्हारी उद्योग	ईंट मिट्टी भरतपुर	790.00	29-7-77 से 28-7-82	514.00
37.	श्री मलखानसिंह	ख. गि. वो. पूछरी	2230.00	24-1-73 से 23-1-78	562.50
38.	श्री ओमप्रकाश बयाना	,, अल्लापुरी	1500.00	23-2-76 से 22-2-83	375.00
39.	मोहन ब्रिक्स भरतपुर	ईंट मिट्टी भरतपुर	1957.00	14-2-78 से 13-2-83	488.50
40.	मोहन ईंट उद्योग भरतपुर	,, ,,	1340.00	21-1-78 से 20-1-83	335.00
41.	श्री गजुआराम	सैण्डस्टोन प्लाट नं. 3 सी	1600.00	1-10-77 से 30-9-87	400.00
42.	श्री रामेश्वरदास अग्रवाल	सिलिकासैण्ड जगजीवनपुरा	5025.00	23-3-62 से 22-3-82	9462.50
43.	श्री भूपालसिंह	ख. गि. वो. कनावर	375.00	16-5-77 से 15-5-87	375.00

(80)

आवंटन हेतु पड़ी काबिल काश्त जमीन

182. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में आज कल कितनी काश्त योग्य जमीन बिना काश्त के आवंटन हेतु पड़ी हुई है तथा राज्य सरकार इसका आवंटन किस प्रकार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में आवंटन के लिए उपलब्ध काबिल काश्त भूमि का जिलेवार विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है। इन आंकड़ों को देखने से प्रकट होगा कि इसका बहुत बड़ा भार राज्य के चार पश्चिमी सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों यथा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर में है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि प्रयोजन हेतु आमतौर से आवंटन करने की नीति राज्य सरकार की नहीं है।

जहां तक अन्य ऐसे जिलों का संबंध है जिनमें सूखाग्रस्त न होने से आवंटन पर रोक नहीं है। आवंटन की कार्यवाही पिछले अभियान के दौरान हुई थी एवं 150820 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। आगामी राजस्व अभियान के दौरान काबिल काश्त भूमि का आवंटन करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 5.रा.म. की सूची)

कृषि योग्य आवंटन हेतु जिलेवार उपलब्ध भूमि का विवरण

क.सं. 1	नाम जिला 2	कृषि योग्य आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि 3
1.	अजमेर	1549
2.	अलवर	–
3.	बांसवाड़ा	7111
4.	बाड़मेर	282688
5.	भरतपुर	6135
6.	भीलवाड़ा	8347
7.	बीकानेर	113904
8.	बून्दी	28355
9.	चित्तौड़गढ़	3687
10.	चूरू	–
11.	डूंगरपुर	3551
12.	गंगानगर	36498
13.	जयपुर	5792
14.	जैसलमेर	6444092
15.	जालौर	9473
16.	झालावाड़	14769

1	2	3
17.	झुंझुनूं	–
18.	जोधपुर	65913
19.	कोटा	2320
20.	नागौर	6428
21.	पाली	1884
22.	सवाई माधोपुर	3682
23.	सीकर	–
24.	सिरोही	296
25.	टौंक	9524
26.	उदयपुर	23958
	कुल योग :-	70,76,946

राज्य के उप-खण्डों पर सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति

183. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सिविल मामलों के विचारण व निर्णय में फौजदारी मामलों की तुलना में समय अधिक लगता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा हर उप-खण्ड पर सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति कराना उपयुक्त नहीं होगा ?

उत्तर

जी हां।, यह सही है कि सिविल मामलों के विचारण व निर्णय में फौजदारी मामलों की तुलना में समय अधिक लगता है। प्रत्येक उप-खण्ड पर सिविल न्यायाधीश की नियुक्ति करना फिलहाल सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें वित्तीय भार पड़ता है।

नदबई-डहरा रोड पर सपाटों का निर्माण कार्य

184. श्री हरिकृष्ण (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नदबई-डहरा रोड पर बुदवारी के पास जो तीन सपाट बनी हुई हैं, इन सपाटों के निर्माण के लिए सन् 1971 से इस वर्ष तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना धन स्वीकार हुआ ?

(2) गत वर्ष की स्वीकृति में यह सपाट ठेके से बनवाई गई या अमानी में ? इन पर कितना-कितना मैटीरियल लगाया गया ?

(3) उक्त तीनों सपाट के चालू वर्षों में ही समाप्त होने का क्या कारण है ?

(उत्तर)

(1) केवल वर्ष 1975-76 में ही सड़क बाढ़ग्रस्त होने के कारण तीन जगह

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
पर पूरी तौर से कट गई थी उन स्थानों पर रपट बनाने हेतु सन् 1975-76 में 2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे।

(2) गत वर्ष 1977-78 में उक्त काजवे की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। मैटीरियल की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। ये रपट चालू वर्ष में समाप्त नहीं हुए हैं।

पिछले वर्ष रपटों पर अधिक पानी आने से जो नुकसान हुआ था व सड़क भी कट गई थी उसे ठीक कराने का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा करा दिया जावेगा।

मैटीरियल जो इस वर्ष इन तीन रपटों पर काम में आया है उसकी सूची

1. सीमेन्ट	800 बोरा
2. रोडी 20 एम. एम.	150 क्यू.मी.
3. रोडी 12 एम. एम.	50 क्यू.मी.
4. बजरी	100 क्यू.मी.

ग्राम पंचायत अकलेरा में पुराना गबन का मामला

185. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत अकलेरा ने यह पाया था कि पुरानी पंचायत के समय में चुंगी टैक्स का 540 रु. गबन हुआ है और दिनांक 14, 15, 16 मार्च, 78 को पंचायत की विशेष मीटिंग बुलाकर सर्वसम्मत कोई प्रस्ताव लिया था? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गबन की तत्काल सूचना जिलाधीश, उप-जिला विकास अधिकारी, झालावाड़ को भी दे दी गई थी और उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या उक्त पंचायत का उस काल का आडिट कराया गया है? यदि हां, तो आडिट आब्जेक्शन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या पंचायत ने उक्त गबन की एफ.आई.आर. पुलिस थाने में दर्ज कराने को भेजी थी और क्या वह रिपोर्ट पुनः मंगा ली थी? मामला पुलिस में दर्ज हुआ अथवा नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 14, 15, 16 मार्च, 78 को पंचायत की कोई विशेष बैठक नहीं हुई थी।

(2) जिलाधीश (अध्यक्ष सतर्कता समिति) झालावाड को उक्त गबन की सूचना अन्य शिकायत बिन्दुओं के साथ दिनांक 11-4-78 को पंचायत अकलेरा के पंचों द्वारा प्राप्त हुई जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई तथा विशेष आडिट करने के आदेश दिये गये। विशेष आडिट मई, 78 में की गई जिस पर जिलाधीश द्वारा माह अक्टूबर, 78 में उप खण्ड अधिकारी, अकलेरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अधिशाषी अधिकारी

(पंचायत मन्त्री)
को पुलिस में मामला दर्ज करने के निर्देश दिये गये।

(3) जी हां। आडिट रिपोर्ट की संबंधित अंश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पंचायत अकलेरा द्वारा 540/ रु. के गवन बाबत श्री मोहम्मद सुलेमान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु एस.एच.ओ., अकलेरा के नाम संबोधित दि. 3-4-78 का पत्र लिखा गया। उक्त पत्र में उप अधीक्षक आरक्षी मण्डल, अकलेरा द्वारा दिनांक 11-4-78 को एस. एच.ओ. अकलेरा को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये किन्तु सरपंच द्वारा उक्त पत्र एस. एच.ओ., अकलेरा को प्रस्तुत नहीं किया गया अत; एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज नहीं हुई।

आडिट रिपोर्ट की आंशिक प्रति।

चुंगी शुल्क वसूली रुपये 540/- पंचायत कोष में जमा नहीं करा गवन करना :—

स्टेशनरी स्टाक वर्ष 77-78 जो कि राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 310 के तहत निर्धारित प्रपत्र 60 में नहीं रखा जाकर सादे रजिस्टर में संधारित है उक्त रजिस्टर के पैरा संख्या 7 चुंगी पुस्तक प्राप्ति की ओर दिनांक 1-4-77 को रसीद क्रमांक 401 से 1000 तक की 6 रसीद बुक बकाया स्टाक अंकित कर जमा कर रखी है व व्यय की ओर दिनांक 1-4-77 से 8-6-77 तक उक्त 6 बुकें नाकेदारों के नाम जारी कर आय की ओर दिनांक 12-5-77 में श्री लुहाडिया प्रिंटिंग प्रेस, झालरापाटन से 20 बुकें प्राप्त होना अंकित हैं स्टाक रजिस्टर पेज संख्या, क्रम वाउचर संख्या राशि रसीद बुक क्रमांक आदि का कोई प्रसंग अंकित नहीं है। 20 बुकों में से निम्न प्रकार व्यय और रसीद बुकें जारी करने का इन्द्राज कर रखा है।

दिनांक जारी होने का	नाम जिस नाकेदार को जारी की गई	जारी की गई रसीद क्रमांक	मात्रा (तादाद)	स्टाक में अवशेष रही रसीद बुकों की सं.
1	2	3	4	5
9-7-77	श्री कन्हैयालाल	1 से 100	1	19
13-7-77	,,	101 से 200	1	18
18-9-77	श्री मोहम्मद सुलेमान	201 से 300	1	17
22-9-77	श्री कन्हैयालाल	301 से 400	1	16
16-11-77	,,	401 से 500	1	15
12-12-77	,,	501 से 600	1	1:

(30)

1	2	3	4	5
16–12–77	श्री मो. सुलेमान	601 से 700	1	13
25–12–77	श्री कन्हैयालाल	701 से 800	1	12
21–1–78	,,	801 से 900	1	11
31–2–78	,,	901 से 1000	1	10
3–3–78	,,	1001 से 1100	1	9
2–3–78	श्री मो. सुलेमान	1101 से 1200	1	8
12–3–78	श्री अब्दुल समद	1201 से 1300	1	7

उपरोक्तानुसार 12-3-78 को 7 रसीद बुकें स्टाक में अवशेष रहनी चाहिए जबकि स्टाक में 10 रसीद बुक रहना अंकित कर रखा है।

रसीद बुक क्रमांक 401 से 500 दिनांक 16-11-77 को श्री कन्हैयालाल नाकेदार को जारी की गई थी श्री कन्हैयालाल द्वारा उक्त रसीद बुक से प्राप्त राशि निम्न प्रकार पंचायत कोष में जमा कराई गई है।

दिनांक रोकड़ में राशि जमा होने की	रसीद क्रमांक	जमा कराई गई राशि
18–11–77	401 से 427	31.25
25–11–77	428 से 443	200.18
30–11–77	444 से 445	27.93
5–12–77	446 से 477	176.89
9–12–77	479 से 500	100.70

उक्त रसीद बुक को रसीद क्रमांक 478 दिनांक 28-11-77 में श्री फतेहपुरिया ब्रादर्स स्टाक अकलेरा जिला झालावाड़ के नाम पर इन्जन नग 24 कीमत 72000 के मूल्य पर 75 पैसा सैंकड़ा की दर से रुपया 540 चुंगी की राशि की रसीद जारी की जाकर रकम प्राप्तकर्ता के सामान पर श्री कन्हैयालाल एवं ह. व्यापारी के स्थान पर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं माल किस्म रसीद के कालम में बाकी शब्द अंकित कर ह. व्यापारी के स्थान पर हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधि द्वारा पुनः हस्ताक्षर कर रखे हैं जांच में फर्म का बीजक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 30-11-77 को श्री कन्हैयालाल नाकेदार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अकलेरा के नाम लिखित में रकम वसूली की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है जिस पर दिनांक 30-11-77 में श्री मिश्रीलाल उप सरपंच द्वारा श्री मोहम्मद सुलेमान को राशि वसूली हेतु झालरापाटन भेजने के आदेश अंकित कर रखे हैं श्री मो. सुलेमान द्वारा

दिनांक 1-12-77 को, 3-12-77 व 9-12-77 में झालरापाटन जाकर उक्त फर्म से संपर्क स्थापित कर रकम वसूल नहीं होने बाबत सरपंच को लिखित सूचना प्रस्तुत की गई है।

संधारित पत्रावली के पेज 3 दिनांक 23-3-78 को चुंगी राशि वसूल हेतु श्री बहादुर मल उप सरपंच को सरपंच श्री मिश्रीलाल द्वारा नियुक्त किया गया है।

उप सरपंच द्वारा 23-3-78 में ही श्री सज्जन कुमार इन्जन डीलर झालरापाटन व रूस्तम खां के लिखित बयान लिये जिसमें श्री सज्जन कुमार व श्री रूस्तम खां ने पाटन बस स्टेण्ड पर अपने मुंशी श्री चांद खां से श्री मो. सुलेमान नाकेदार को रकम दिलवाना जाहिर किया है। जिसकी पुष्टि श्री रूस्तम खां ने अपने बयान में भी की है। किन्तु रकम किस तिथि को दी गई उल्लेख नहीं किया गया है।

पत्रावली पेज पहरा पर श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा 540/- रुपये श्री फतेहपुरिया एण्ड ब्रादर्स झालरापाटन से 24 इन्जनों के जो श्री कन्हैयालाल नाकेदार द्वारा रसीद काट कर बाकी रखे थे प्राप्त किये अपने हस्ताक्षरों से ये इबारत लिख कर ह. कर रखे हैं। जिस पर कोई दिनांक अथवा वार अंकित नहीं है। पत्रावली के पेज 14 पर श्री मो. सुलेमान के लिखित बयान हैं जिससे फार्म से दो रुपये के पांच नोट व दस-दस के पांच नोट प्राप्त कर राशि को फण्ड बने नाके पर पहुंचा कर श्री कन्हैयालाल को रुपये 540) देने का उल्लेख किया गया है। दिनांक 24-3-78 को श्री रूस्तम खां के कहने पर मेरे द्वारा बिना तारीखी रसीद दी गई है। पंचायत द्वारा दिनांक 24-3-78 से पूर्व राशि के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं की गई। जिससे मालूम नहीं था कि रकम जमा हुई अथवा नहीं। पत्रावली पेज 12 पर श्री कन्हैयालाल नाकेदार द्वारा 22-3-78 को दिये लिखित बयानों में उल्लेख किया है कि रकम वसूल नहीं होने बाबत सूचना पंचायत को करदी गई है उसके बाद मालूम नहीं कि रकम वसूल हुई अथवा नहीं, रकम प्राप्त हुई अथवा नहीं, प्राप्त हुई के संबंध में अपने बयानों में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है तथा न ही पंचायत द्वारा पत्रावली पेज 14 पर श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा रकम श्री कन्हैयालाल को देने बाबत बयान की पुष्टि ही श्री कन्हैयालाल से करवाई गई है, फलस्वरूप उक्त कार्यवाही में संदिग्धता का आभास होना स्वाभाविक है।

पत्रावली पेज 3 के पीछे दिनांक 3-4-78 को पंचायत संकल्प द्वारा उक्त बयानात को मद्दे नजर रखते हुये रुपये 540/- हेतु श्री मोहम्मद सुलेमान नाकेदार को उत्तरदायी करार कर अपने पत्रांक 264 दिनांक 3-4-78 से उप-अधीक्षक पुलिस अकलेरा को श्री मोहम्मद सुलेमान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है।

राज पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 102 से 110 तक के अन्तर्गत चुंगी शुल्क न वसूल होने पर श्री पंचायत की ओर से बकाया की रसीद जारी करने का भी प्रावधान उल्लेखित नहीं है।

(192)

नियम 314 के तहत उक्त प्रकरण का दिनांक 30-11-77 को पता लगते ही जिलाधीश विकास अधिकारी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करनी चाहिये थी किन्तु उक्त नियम के प्रतिकूल पंचायत द्वारा लगभग 3 माह पश्चात् पुलिस को सूचित किया गया है जो आक्षेपनीय है।

चुंगी शुल्क की रसीद श्री कन्हैयालाल नाकेदार द्वारा जारी की गई राशि वसूल हेतु श्री कन्हैया लाल को उत्तरदायित्व है किन्तु श्री कन्हैयालाल अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन रहकर नियमों के प्रतिकूल क्रिया अपनाकर उक्त गबन के कारण बने हैं।

जिलाधीश महोदय झालावाड़ का ध्यान इस ओर विभागीय जांच के आधार पर राशि के गबन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर रुपये 540/- वसूल करते हुए दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आकर्षित किया जाता है।

चम्बल पर नये पुल का निर्माण कार्य

186. श्री माणकचन्द ठाकोर (नैनवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा शहर में चम्बल का नया पुल कब तक राज्य सरकार द्वारा बनाना प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जावेगा ?

उत्तर

कोटा शहर में चम्बल नदी पर नये पुल का निर्माण कार्य फरवरी 1978 में प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पुल के बनने में लगभग 2 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

अजमेर में सिविल व न्यायिक कोर्ट्स को एक ही स्थान पर रखने की योजना

187. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्तमान में अजमेर में सिविल एवं न्यायिक कोर्ट्स एक ही स्थान पर नहीं होकर विभिन्न स्थानों पर हैं जिससे वकीलों को भयंकर परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का इन समस्त न्यायालयों को एक ही स्थान पर एकीकृत करने का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि वर्तमान में अजमेर में सिविल एवं न्यायिक न्यायालय एक ही स्थान यानि एक ही बिल्डिंग में स्थित नहीं हैं। जिला न्यायाधीश अजमेर के न्यायालय परिसर में स्थानाभाव के कारण सभी न्यायालयों को एक स्थान पर रखना संभव नहीं हैं। फिलहाल समस्त न्यायालयों को एक स्थान पर करने का सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इसमें वित्तीय भार पड़ता है।

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के खिलाफ प्राप्त शिकायतें

188. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर के खिलाफ कोई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या कब-कब किस-किस के द्वारा और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण मय शिकायतों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट में भी अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त संघ के कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ अधिक शिकायतें हैं और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर करनी शेष है तथा वह कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के खिलाफ शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का पूर्ण विवरण चाहेनुसार परिशिष्ट "अ" में अंकित है। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट "ब" में अंकित हैं।

(2) जी हां। विभाग द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्टों में अनियमितताओं के आक्षेप लगाये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "स" में अंकित है। आक्षेपों के संबंध में जो पूर्ति की गई है उसका विवरण परिशिष्ट "द" पर अंकित है। ऑडिट रिपोर्टों की प्रतियां "ल" पर अंकित हैं।

(3) जिन अधिकारियों के खिलाफ अधिक शिकायतें हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं:–

1. श्री अशोक जैमन, भूतपूर्व जनरल मैनेजर

2. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, वर्तमान जनरल मैनेजर

3. श्री किशन लाल यादव, बिजनेस मैनेजर

4. श्री द्वारका प्रसाद जैन, सहायक लेखाधिकारी

5. श्री मदन लाल जैन, भूतपूर्व मैनेजर "उपहार"

उत्तर

उपरोक्त अधिकारियों में से क्रम संख्या 1 व 5 के खिलाफ जांच की जा चुकी है। जांच अधिकारी ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। अतः उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। उक्त क्रम संख्या 2 से 4 तक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच विभाग के चीफ

(सहकारिता मंत्री)

ऑडिटर कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

संघ के जिन कर्मचारियों के खिलाफ अधिक शिकायतें हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं:–

1. श्री भागचन्द जैन, विक्रेता
2. श्री रमेशचन्द भम्भानी, विक्रेता
3. श्री अनिल कुमार मल्होत्रा, गोदाम कीपर
4. श्री बाबूलाल शर्मा, गोदाम कीपर
5. श्री शंकर लाल गुप्ता, विक्रेता
6. श्री उमा शंकर शर्मा, विक्रेता
7. श्री ओ. पी. शर्मा, गोदाम सुपरवाईजर
8. श्री लक्ष्मी लाल लासोड
9. श्री वेद प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ लिपिक
10. श्री राजेन्द्र कुमार यादव, विक्रेता
11. श्री महेन्द्र पाल सिंह, विक्रेता
12. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, विक्रेता
13. श्री गुलाब चन्द जैन, सुपरवाईजर
14. श्री जुगल किशोर खत्री, स्टेनोग्राफर
15. श्री नर्बदा शंकर शर्मा, स्टेनोग्राफर
16. श्री ज्ञान चंद जैन, लेखाकार
17. श्री हनुमानसहाय पारीक सुपरवाईजर

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कर्मचारियों को संघ की सेवा से निकाल दिया गया है। उक्त क्रम संख्या 1 से 2 में अंकित कर्मचारियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमें भी संघ की ओर से चला रखे हैं। क्रम संख्या 5 से 12 में अंकित कर्मचारियों के दोषी पाये जाने के कारण निलम्बित कर दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं तथा उनके खिलाफ निकाली गई राशि को वसूल करने के लिये राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत वसूली के आदेश दे दिये गये हैं। क्रम संख्या 13 व 14 पर अंकित कर्मचारियों की जांच कराई गई परन्तु उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। क्रम संख्या 15 से 17 पर अंकित कर्मचारियों के खिलाफ जांच की जा रही है जो अभी पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच व विभागीय जांच की कार्यवाही सहकारी विभाग द्वारा की जा रही है। धारा 74 के तहत कार्यवाही भी विभाग के द्वारा ही शुरू करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं। राज्य सरकार ने विभाग को यह निर्देश दिये हैं कि इस संदर्भ में कार्यवाही यथापूर्ण शीघ्र की जाय।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

Page No 195

195

राज्य में शराबबन्दी

189. श्री राम नारायण चौधरी (मंडावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किस-किस जिले में नशाबन्दी लागू है तथा शेष जिलों में कब तक पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जावेगी ?

(2) पिछले दो वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार को आबकारी (शराब की बिक्री) से कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ जिलों में शराबबन्दी के बावजूद राज्य सरकार की शराब से होने वाली आमदनी में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, टोंक, बून्दी, पाली, जोधपुर व बीकानेर जिलों में तथा उदयपुर जिले की झाडोल, खेरवाड़ा, कोटड़ा, परियावद, सरडा, गोगुन्दा व सलूम्बर चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर माण्डलगढ़ तथा कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में मद्य निषेध लागू है। शेष जिलों का मामला अभी विचाराधीन है।

(2) वर्ष 1976-77 में 21,90,47, 900/— रुपये तथा 1977-78 में 26,42, 12, 601/— रुपयों की आमदनी शराब की बिक्री से हुई है।

(3) जी हां।

भूतलिंगम समिति की रिपोर्ट

192. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतलिंगम समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने या श्रम विभाग ने विचार किया है ? यदि हां, तो उसकी किन-किन सिफारिशों को मान्यता दी गई है और किन-किन सिफारिशों को नहीं ?

(2) क्या श्रम विभाग भूतलिंगम समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उक्त रिपोर्ट पर विचार कर, राज्य सरकार अपनी राय केन्द्रीय सरकार को भेज देगी।

बाड़मेर में चिलिंग प्लान्ट लगाने की योजना

193. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में चिलिंग प्लान्ट के लगाये जाने की योजना राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) राज्य सरकार ने उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) यह योजना मई, 76 से विचाराधीन थी। बाड़मेर नगर में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु वर्ष जुलाई 77 में स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(2) भवन निर्माण का कार्य इस माह के अन्त तक प्रारंभ होने को है।

(3) योजना के लिए आवश्यक भूमि ले ली गई है एवं नियमानुसार भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के आदेश दे दिए गये हैं।

जमवा रामगढ क्षेत्र की रोड्स का कार्य

195. श्री रामेश्वर प्रसाद (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्षेत्र जमवा रामगढ़ में छठी प्लान में कौन कौन से रोड लिये गये हैं ?

(2) इस सत्र में उक्त क्षेत्रों की कौन सी रोड का कार्य चालू किया जावेगा ?

(3) क्या विराट नगर से तेवड़ी रोड को विभाग में लिया गया है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कों की सूची (अ) में दर्शाया गया है।

(2) इस वर्ष जयपुर जमवारामगढ़ सड़क पर ढूंढ नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति हो चुकी है उसका कार्य चालू किया जावेगा।

(3) इस सड़क के बनाने की अभी तक कोई स्वीकृति नहीं है लेकिन इस सड़क का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 37/सा.नि.मं. द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद विधायक)

(सूची–अ)

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कें निम्न प्रकार हैं :—

1. तूंगा जमवारामगढ़

2. मानपुर कला से शाहीवाड़

3. जयपुर रामगढ़ सड़क पर रोडा नदी पर पुल

4. जयपुर रामगढ़ सड़क पर ढूंढ नदी पर पुल

5. जयपुर रामगढ़ सड़क पर सुगली नदी पर पुल।

किसान छात्रावास हेतु अलॉट की गई जमीन

196. श्री हरीसिंह (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में 1977-78 में किस-किस जगह पर किसान छात्रावास को अलॉट की हुई जमीन निरस्त की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? अलॉट की गई जमीन को निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

वर्ष 1977–78 में किसान छात्रावास के नाम से भूमि आवंटन करने के बाबत जिन 12 जिलों से सूचना प्राप्त हुई है उनमें वर्ष 1977–78 में कोई आवंटन निरस्त नहीं हुआ। यह जिले निम्न हैं :—

(1) टौंक (2) जालौर (3) जयपुर (4) उदयपुर (5) चूरू (6) भीलवाड़ा (7) झुंझुनूं (8) झालावाड़ (9) अजमेर (10) सिरोही (11) अलवर (12) गंगानगर इन जिलों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है: (1) बीकानेर (2) भरतपुर (3) बांसवाड़ा (4) बाड़मेर (5) बूंदी (6) चित्तौड़गढ़ (7) डूंगरपुर (8) जैसलमेर (9) जोधपुर (10) कोटा (11) पाली (12) सवाई माधोपुर (13) सीकर।

जहां तक जिला नागौर का सम्बंध है, किसान छात्रावास नागौर को राज्य सरकार के आदेश से दिसम्बर, 1976 में 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इस आवंटन के बाबत कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर उनके बाबत जिलाधीश से रिपोर्ट ली गई। इस पर विचार करके पूर्व का आवंटन दिनांक 21-7-78 को निरस्त कर दिया गया। इस सम्बंध में छात्रावास के व्यवस्थापकगण आदि की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दिनांक 14–9–78 को मामले पर पुनर्विचार करते हुए यह आदेश दिया गया है कि इसमें यथास्थिति रखी जावे और आगामी आदेश तक निर्माण का कार्य किसी संस्था या व्यक्ति की ओर से न किया जावे आवंटन का यह मामला अभी विचाराधीन है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लोन

197. श्री सूर्यप्रकाश (खैरवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को लोन वितरण बैंकों ने नियमानुसार किया है ? यदि नहीं, तो किन किन परिस्थितियों में क्यों नहीं किया गया ? पूर्ण सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, नियमानुसार ऋण वितरण किया जाता है। दिनांक 31-8-78 तक विभिन्न जिलों में, बैंकों द्वारा बांटे गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

Page No 198

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 क्र. म. की सूची)

Statement showing loan disbursed and loan sanctioned but not disoursed upto 31-8-78.

S. NO.	Districts.	COOPERATIVE BANK				COMMERCIAL BANK				TOTAL			
		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed.		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed		No. of loan disbursed		Sanctioned but not disbursed	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ajmer	115	3.23	335	9.50	354	8.31	318	8.99	469	11.59	663	18.49
2.	Alwar	956	17.50	980	21.11	683	11.84	281	9.22	1639	29.34	1261	30.33
3.	*Banswara	268	3.39	103	1.18	176	2.32	—	—	444	5.71	103	1.18
4.	Barmer	60	1.14	1022	38.86	21	0.45	0	0.53	81	1.59	1042	39.39
5.	Bhilwara	24	0.59	232	6.63	—	—	—	—	24	0.51	232	6.63
6.	**Bharatpur	—	—	—	—	187	2.70	422	9.04	187	2.70	422	9.04
7.	Bikaner	30	0.75	108	3.71	353	8.41	594	10.44	383	9.10	702	14.15
8.	**Bundi	4	0.08	55	1.66	27	0.49	11	2.49	31	0.51	126	4.15
9.	*Chittorgarh	1075	8.94	228	6.09	135	1.75	114	4.50	1210	10.69	412	10.69
10.	Churu	462	4.65	552	6.67	293	7.58	279	6.97	755	12.23	631	13.64
11.	Dungarpur	242	3.26	350	7.47	12	0.13	11	0.76	254	3.39	441	8.23
12.	Ganganagar	—	—	—	—	168	5.97	—	—	168	5.97	—	—
13.	Jaipur	24	0.44	634	14.79	989	18.04	171	31.23	1013	18.48	2365	46.02
14.	Jaiselmer	36	1.03	266	7.54	41	1.56	12	0.24	77	2.59	288	7.78
15.	Jalore	48	0.82	654	17.50	504	9.25	212	6.45	552	10.07	886	23.95
16.	Jhalawar	395	6.05	353	9.32	322	30.01	117	1.14	717	36.06	470	10.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	Jhunjhunu	296	6.42	85	2.37	767	18.08	53	13.49	1063	24.05	588	15.86
18.	Jodhpur	265	5.61	615	22.38	90	1.80	17	3.56	355	7.7	772	25.94
19.	Kota	286	2.31	3005	19.93	479	4.53	76	10.79	765	6.84	3781	30.72
20.	Nagaur	135	0.82	626	24.79	714	12.77	57	14.96	849	13.59	1143	39.73
21.	**Pali	95	1.74	180	4.54	734	6.70	92	27.82	629	8.40	1112	32.36
22.	S. Madhopur	20	0.40	811	28.12	786	13.91	45	12.49	806	14.31	1306	40.61
23.	Sikar	229	3.62	659	15.12	555	9.97	29	4.74	784	13.59	878	19.86
24.	Sirohi	727	15.70	—	—	103	11.04	—	—	830	26.94	—	—
25.	Tonk.	158	0.76	488	11.38	841	14.82	402	9.33	999	15.58	890	20.71
26.	Udaipur	2023	26.77	172	41.22	685	12.67	118	81.75	2708	39.44	1377	122.97
	TOTAL :	7973	116.18	12320	321.86	9719	215.10	9571	270.93	17692	331.28	21891	592.79

*Figures of 31-7-78 repeated.
**Figures of 30-6-78 repeated.

ABSTRACT	Coop. Bank,		Commr. Bank		Total.	
Loan disbursed	No.	Amt.	No	Amt.	No.	Amt.
	7973	116.18	9719	215.10	17692	331.28
Loan Sanct. but not	12320	321.86	9571	270.93	21891	592.79
TOTAL :	20293	438.04	19290	486.73	39583	924.07

(200)

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूची)

सूची "अ"

जिला जालौर

1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़कों की सूची।

क्र.सं.	सड़क का नाम
1.	एम. आर. एवं बी. टी. रोडला बूटी कानवला
2.	ए/आर टू कावदा
3.	ए/आर टू पनछोटा
4.	एम/आर एवं बी/टी गोना टू बाला अप टू भावरानी
5.	ए/आर टू रामा
6.	एम/आर एण्ड बी/टी नोसरा रायथल वाया भावरानी
7.	एम/आर एण्ड बी/टी किशनगढ़ भावरानी
8.	ए/आर टू देवास
9.	ए/आर टू गांव हरजी वाया अन कामीवारा
10.	एम/आर एण्ड बी/टी बागरा मालीवास
11.	ए/आर टू सन्तू
12.	एम/आर एण्ड बी/टी जालौर बकरा कासवाना वाया रेयोटरा
13.	एम/आर एण्ड बी/टी सयाला टू खारी
14.	ए/आर मंगलवा
15.	एम/आर एण्ड बी/टी सायला टू राउथन
16.	ए/आर टू पोसाना
17.	ए/आर टू सुराना
18.	ए/आर टू तिलोरा
19.	ए/आर टू दादल
20.	एम/आर एण्ड बी/टी बिवर नून वासना थानजी
21.	ए/आर टू दयालपुरा
22.	ए/आर टू कोरी धावचा
23.	एम/आर एण्ड बी/टी कोरी नाडिया
24.	एम/आर एण्ड बी/टी धमरीया टू बाली
25.	एम/आर एण्ड बी/टी भारूदी तबाव बसरा वनजी

26. एम/आर एण्ड बी/टी मारसीन टू भालनी
27. ए/आर टू सोमता
28. ए/आर टू थूर
29. ए/आर टू खानपुर
30. एम/आर एण्ड बी/टी भीनमाल टू मोडरा
31. एम/आर एण्ड बी/टी यूनरी, पनखेडी यलवार मोडरा
32. एम/आर एण्ड बी/टी कोमता टू खेवारा
33. एम/आर एण्ड बी/टी भगलसापता टू बोरता
34. ए/आर टू निम्बावास
35. एम/आर एण्ड बी/टी भीनमाल बगोदा
36. एम/आर एण्ड बी/टी करदा टू कूदा
37. ए/आर टू पामोली
38. ए/आर टू पनसारी
39. ए/आर टू डूगरी रानीवाड़ा
40. ए/आर टू पनचाला
41. ए/आर टू विरोला
42. ए/आर टू पूर
43. एम/आर बी/टी कर टू खेरा
44. एम/आर एण्ड बी/टी डेडवा चोरा
45. एम/आर एण्ड बी/टी डिफेन्स रोड टू दूतवा वाया शीतलवाना हुरेतीगओन
46. ए/आर टू तम्पी
47. ए/आर टू डूंगरी
48. एम/आर एण्ड बी/टी सांचोर भवातरा रोड
49. ए/आर टू खेदयाली
50. ए/आर टू घावल
51. एम/आर एण्ड बी/टी रनथोर टू भाव
52. एम/आर, बी/टी गुडा इन्दरपुर टू नोसरा
53. तखतगढ़ जालोर सायला सीधरी रोड (सायला सीधरी अपटू डिस्ट्रिक्ट बोर्डर एस. एच. डब्लू.)
54. सायला बगोदा गुडा अप टू डिस्ट्रिक्ट बोर्डर (एम. डी. आर.)
55. सांचोर बकासर वाया भवतरा (एम. डी. आर.)
56. मालवारा जसवन्तपुरा (ओ. डी. आर.)
57. पाली नोसरा (ओ. डी. आर.)
58. उम्मेदपुर हरजी जावल अप टू डिस्ट्रिक्ट बोर्डर (ओ. डी. आर.)

(202)

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 139 की सूची)

1. बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सहायता

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राज्य के 3,532 ग्राम इस वर्ष प्रभावित हुये जिनकी आबादी 19 लाख से ऊपर है। जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 36.28 करोड़ रुपये का नुकसान सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति का हुआ है जिसका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	चूरू	9.55 करोड़
2.	झुंझुनूं	7.33 ,,
3.	सीकर	6.63 ,,
4.	बीकानेर	4.42 ,,
5.	श्री गंगानगर	2.27 ,,
6.	जयपुर	2.30 ,,
7.	भरतपुर	1.80 ,,
8.	अलवर	0.76 ,,
9.	पाली	0.21 ,,
10.	झालावाड़	0.30 ,,
11.	कोटा	0.51 ,,
12.	बून्दी	0.14 ,,
13.	सवाई माधोपुर	0.04 ,,

2. सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति का विभागवार/मदवार क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

सार्वजनिक सम्पत्ति

1.	सड़कें	305.70 लाख रु.
2.	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनों की संख्या	877
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कार्यों की क्षति	7.65 लाख रु.
4.	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनों की हानि (स्कूल भवनों सहित)	83.97 लाख रु.

5.	सिंचाई कार्यों की क्षति	284.16 लाख रु.
		681.48 लाख रु.

निजी सम्पत्ति

(i)	पूर्णतया एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान	1736.88 लाख
(ii)	फसल की क्षति खरीफ	1159.22 ,,
	रबी (कृषि)	21.51 ,,
(iii)	सिंचाई कुओं की क्षति	29.77 ,,
		2947.38 लाख
	कुल हानि/क्षति	3628.86 अर्थात् 36.28 करोड़

3. राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायतार्थ अब तक 2.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। जिसकी जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है :--

1.	चूरू	59.00 लाख
2.	झुंझुनूं	34.50 ,,
3.	सीकर	21.50 ,,
4.	श्री गंगानगर	6.00 ,,
5.	अलवर	3.15 ,,
6.	भरतपुर	6.55 ,,
7.	जयपुर	4.24 ,,
8.	बीकानेर	2.50 ,,
9.	जालौर	0.10 ,,
10.	अजमेर	0.25 ,,
11.	नागौर	0.10 ,,
12.	कोटा	0.20 ,,
13.	टौंक	0.05 ,,
14.	बांसवाड़ा	0.09 ,,
15.	कृषि तकावी	50.00 ,,
16.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	15.00 ,,
17.	सिंचाई विभाग	21.39 ,, (अग्रिम योजना सहायता से)

18. अन्य मदों हेतु 5.41 लाख

2.30 करोड़

4. राज्य सरकार ने जिलाधीश तथा जिलास्तरीय अन्य विभागीय अभिकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बाढ़ सहायता कार्य हाथ में लिये जिनमें मुख्य कार्य निम्न लिखित हैं :—

1. बाढ़ प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई।
2. बाढ़ के पानी से घिरे हुये या घिरे जाने की आशंका वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

205

परिशिष्ट--5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची)

सूची 'ब'

तालिका रायपुर लूनी काजवे पर गत वर्षों में हुए व्यय की :--

क्र.सं.	वर्ष	रकम
1.	68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74	साधारण मरम्मत का खर्चा पूरी सड़क के नाम से इकजाई में शामिल है।
2.	74-75	56987-00
3.	75-76	82892-00
4.	76-77	17484-90
5.	77-78	63271-60
		318236-00

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची)

लाइम स्टोन के खनन पट्टे स्वीकृत हैं उनकी सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	क्षेत्र की स्थिति	पूर्व में पार्टी को स्वीकृत क्षेत्र (क)	नई नीति के अनुसार पार्टी के पक्ष में रखा क्षेत्र (ख)	पार्टी द्वारा छोड़ा क्षेत्र क, ख	खनन पट्टे की अवधि	खनन पट्टा समाप्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री वजेन्द्र सिंह कछावा	नि.ग्रा. मुंडला त. सोजत जिला पाली	10 वर्ग मील	15 कि. मी.	10.6 वर्ग कि.मी.	1-3-74 से 28-2-84	28-2-84
2.	श्री केवल चन्द भाड़ोत	नि.ग्रा. रून्दिया त. सोजत जिला पाली	—	—	—	15-12-75 से 14-12-80	14-12-80
3.	श्री सोजत लाइम कु.	नि.ग्रा.अटपड़ा त. सोजत जिला पाली	—	—	—	1-9-72 से 31-8-82	31-8-82
4.	श्री मोहनलाल मोदी	नि. ग्रा. वरना त. बिलाड़ा जिला जोधपुर	—	—	10.99 वर्ग कि. मी.	3-1-73 से 2-1-78	पार्टी द्वारा दिनांक 3-1-78 से 2-1-88 तक का नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस डी./-
खनिज अभियन्ता, जोधपुर।

SUPPLEMENTARY

SOJAT BILARA LIMESTONE BELT — PROSPECTING THEREOF

There are extensive Vindhyan limestone deposits extending from Sojat in Pali district through Atbra, Bilara, Gotan and further North-East to Mundawa and Rol Quazia in Nagour District. The belt extends to strike length of 160 KM and is 8 to 12 KM in width. The thickness of individual bands vary from 1/2 meters to 6 meters. The general strike of the limestone belt is NNE—SSW with gentle dips. Two blocks on this belt were investigated by State Department of Mines & Geology one of 37sq. Km. miles comprising the villages Rundia, Daras and Jetti situated south of Bilara and the other of 40 sq. miles comprising Kharla Kaiuna, Rampuria and Bagasani located north of Bilara. Detailed geological mapping and sampling in these blocks was carried out and 38 bore holes were also drilled, covering the total footage 1914 ft. The reserves estimated are 14 million tonnes in the Northern blocks and 0.4 million tonnes in the Southern block, containing 45% to 52% CaO and 0.2 to 2.8% MgO.

...gical Survey of India has also carried out the regional sur... belt, a report of which was published in 1974. The orig... i and Khan 1974) is not available in this office. How... of the record of G.S.I. the total reserves of this belt are ... tonnes and grade-wise distribution of these reserves

	Cement grade	Magnesian limestone	Other grade	Total
	1.26	3.74	0.17	64.81 MT

... grade limestone belt is being worked by RIMDC and other ... for lime burning for chemical use. 13 leases are existing in this limestone belt.

(208)

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूची)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	शिक्षा कर की राशि जो खर्च नहीं की गई है।
1.	मनोहरथाना	41,368.40
2.	खानपुर	65,993.00
3.	बकानी	84,195.00
4.	झालरापाटन	70,311.30
5.	डग	49,396.05
6.	सुनेल	10,551.52

209
372

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा

अतारांकित प्रश्न संख्या 74/सहृ. मं. के भाग (2) से सम्ब. सूचना

क्र.सं.	नाम अध्यापक	विवरण: एरियर राशि	विवरण: चिकित्सा राशि	चुकाने योग कुल राशि	राशि न चुकाये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती लाव कुंवर गौतम	1,727–00	–	1,727–00	रिवाइज्ड फिक्से. दिनांक 27-7-78 को हुए हैं। अतः एरियर बिल बनाये जा रहे हैं, इनका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा।
2.	,, गणेश देवी शर्मा	747–60	–	747–60	
3.	,, कमला चतुर्वेदी	1,528–04	–	1,528–04	
4.	,, उपदेश कुमारी	912–00	–	912–00	
5.	,, कमलादेवी गौतम	6,317–00	–	6,317–00	
6.	,, भगवती देवी शर्मा	3,125–00	–	3,125–00	
7.	,, शान्ति देवी गुप्ता	5,218–00	–	5,218–00	
8.	श्री गुलाबचन्द्र जैन	1,241–60	–	1,241–60	
9.	,, चतुरभुज कछवाहा	2,160–00	–	2,160–00	
10.	,, श्याम सुन्दर शर्मा	1,588–00	–	1,588–00	
11.	,, गोपाल लाल वर्मा	908–40	–	908–40	
12.	,, नन्दलाल मालवीय	3,578–00	–	3,578–00	
13.	,, दुर्गाशंकर वर्मा	2,179–00	–	2,179–00	
14.	,, यशपाल सिंह	6,735–00	–	6,735–00	
	योग :–	37,964–64		37,964–64	

कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा

अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची

क्र.सं.	नाम अध्यापक	विवरण चिकित्सा रकम	चुकाने योग्य कुल राशि	राशि न चुकाये जाने का कारण
1	2	3	4	5
1.	कन्हैया लाल शर्मा	60–80	60–80	पं. स. लाडपुरा की निजी आय घाटे में होने के कारण वर्ष 68–69 से लेकर अब तक इन अध्यापकों को यह चिकित्सा राशि भुगतान नहीं की जा रही है।
2.	रामप्रसाद	82–68	82–68	
3.	मोहन लाल राठौर	574–85	574–85	
4.	हिम्मत सिंह चौहान	194–00	194–00	
5.	कृष्ण चन्द्र शर्मा	20–40	20–40	
6.	दाखां देवी	650–55	650–55	
7.	शेखर बाबू जैन	68–96	68–96	
8.	मोहन लाल त्यागी	367–89	367–89	,,
9.	झम्मट मल	473–49	473–49	,,
10.	चन्द्र सिंह	76–77	76–77	,,
11.	नन्द लाल	90–11	90–11	,,
12.	किशन लाल	370–39	370–39	,,
13.	हीरा लाल मेवाड़ा	21–97	21–97	,,
14.	आमना खातून	188–86	188–86	,,
15.	मन्ना लाल वर्मा	93–92	93–92	,,
16.	रामप्रसाद विजय	130–18	130–18	,,
17.	रमेश चन्द्र भाटिया	153–81	153–81	,,
18.	कमला माथुर	55–75	55–75	,,
19.	प्रभुलाल कछवाह	108–36	108–36	,,
20.	गोपाल लाल वर्मा	697–88	697–88	,,
21.	छीतर लाल गोस्वामी	322–31	322–31	,,
22.	सुन्दर लाल खरनीवाल	181–10	181–10	,,
23.	नवीन चन्द्र गुप्ता	381–12	381–12	,,
24.	भैरू लाल वर्मा	19–45	19–45	,,

1	2	3	4	5
25.	मोहन लाल गौड़	342-68	342-68	पं.स. लाडपुरा की निजी आय घाटे में होने के कारण वर्ष 68-69 से लेकर अब तक इन अध्यापकों को यह चिकित्सा राशि भुगतान नहीं की जा रही है।
26.	चतुरभुज कछवाहा	167-92	167-92	
27.	अमीनुद्दीन	6-26	6-26	
28.	गोपाल लाल गुप्ता	1, 481-15	1, 481-15	
29.	देवी सिंह	91-24	91-24	
30.	नाथू लाल शर्मा	464-01	464-01	
31.	लियाकत हुसैन	232-51	232-51	
32.	फकरूद्दीन	160-13	160-13	,,
33.	माणक चन्द्र	200-41	200-41	,,
34.	निसार अहमद	639-17	639-17	,,
35.	मिट्ठु बक्श	119-71	119-71	,,
36.	रामेश्वर प्रसाद व्यास	683-87	683-87	,,
37.	रामकरण गुप्ता	79-55	79-55	,,
38.	विश्वेश्वर दयाल	146-41	146-41	,,
39.	गणेश देवी शर्मा	215-26	215-26	,,
40.	सुखलाल	7-13	7-13	,,
41.	हिम्मत सिंह चौहान	195-98	195-98	,,
42.	माधो लाल शर्मा	139-59	139-59	,,
43.	शिव शंकर जोशी	119-93	119-93	,,
44.	चन्द्रावती शर्मा	181-83	181-83	,,
45.	मोहन लाल व्यास	150-24	150-24	,,
46.	मांगी बाई	209-24	209-24	,,
47.	गोविन्द प्रसाद	56-48	56-48	,,
48.	मोहन लाल गुप्ता	142-68	142-68	,,
49.	अब्दुल रजाक	21-95	21-95	,,
50.	चन्द्र मोहन शर्मा	379-78	379-78	,,
51.	मोहन लाल बैचेन	665-36	665-36	,,
52.	तेजमल जैन	8-75	8-75	,,
53.	नरेश चन्द्र शर्मा	198-49	198-49	,,
54.	नारायणलाल	439-99	439-99	,,
55.	रामकल्याण नागर	289-22	289-22	,,
56.	चौथमल	61-65	61-65	,,
57.	अमीरुद्दीन	265-19	265-19	,,

Page No 212

(212)

1	2	3	4	5
58.	छीतर लाल महावर	11-55	11-55	पं.स. लाडपुरा की निजी आय घाटे में होने के कारण वर्ष 68-69 से लेकर अब तक इन अध्यापकों को यह चिकित्सा राशि भुगतान नहीं की जा रही है।
59.	कन्हैया लाल खत्री	160-36	160-36	
60.	बालचन्द्र शर्मा	11-65	11-65	
61.	रामजीवन शर्मा	425-25	425-25	
62.	शिव प्रसाद विजय	12-70	12-70	
63.	श्याम सुन्दर शर्मा	74-11	74-11	
64.	अब्दुल गफार	274-52	274-52	
65.	हामिद अली	943-14	943-14	,,
66.	बृजराज शर्मा	65-34	65-34	,,
67.	लियाकत अली	149-45	149-45	,,
68.	किशन सिंह	20-91	20-91	,,
69.	उच्छव लाल सोनी	71-68	71-68	,,
70.	रामकन्या देवी	31-62	31-62	,,
71.	रामनिवास सोनी	78-24	78-24	,,
72.	अनुसुइया देवी	72-40	72-40	,,
73.	मोती लाल राठौर	689-02	689-02	,,
74.	मानमल शृंगी	373-60	373-60	,,
75.	रामचन्द्र	96-98	96-98	,,
76.	दयावती शर्मा	20-15	20-15	,,
77.	काजिम अली	133-38	133-38	,,
78.	रामकिशन शृंगी	56-47	56-47	,,
79.	निर्मला देवी गुप्ता	67-77	67-77	,,
80.	बजरंग लाल शर्मा	36-40	36-40	,,
81.	रामप्रताप वर्मा	215-01	215-01	,,
82.	श्रीनाथ राठौर	69-54	69-54	,,
83.	जगदीश प्रसाद शर्मा	25-31	25-31	,,
84	भंवर सिंह सोलंकी	38-72	38-72	,,
85.	बालमुकन्द शर्मा	728-01	728-01	,,
86.	मदन मोहन शर्मा	19-13	19-13	,,
87.	किशोरी सिंह त्यागी	139-69	139-69	,,
88.	गोविन्द प्रसाद	11-89	11-89	,,
89.	रामस्वरूप लुहार	8-32	8-32	,,

1	2	3	4	5
90.	छीतर लाल टेलर	26–70	26–70	पं.स. लाडपुरा की निजी
91.	मोहन लाल बांदरा	15–55	15–55	आय घाटे में होने के
92.	धापू बाई	30–15	30–15	कारण वर्ष 68-69 से
93.	नेमी चन्द्र जैन	404–48	404–48	लेकर अब तक इन
94.	घनश्याम शर्मा	135–85	135–85	अध्यापकों को यह
95.	कान्ती देवी पारीख	21–99	21–99	चिकित्सा राशि भुगतान
96.	काशी राम झा	162–47	162–47	नहीं की जा रही है।
97.	तेजमल राठौर	206–02	206–02	,,
98.	रामकल्याण यादव	180–65	180–65	,,
99.	चन्द्र मोहन गुप्ता	169–21	169–21	,,
100.	मोहन लाल वर्मा	19–45	19–45	,,
101.	शान्ति बाई	90–99	90–99	,,
102.	बजरंग लाल	184–70	184–70	,,
103.	रामस्वरूप	21–87	21–87	,,
104.	घन्ना लाल राठौर	32–29	32–29	,,
105.	रामगोपाल	1–05	1–05	,,
106.	त्रिलोक चन्द गौतम	73–18	73–18	,,
107.	सन्तोष जयसवाल	37–62	37–62	,,
108.	बृज नन्दन	50–96	50–96	,,
109.	दुर्गालाल योगी	142–55	142–55	,,
110.	लक्ष्मी नारायण जोशी	196–03	196–03	,,
111.	कृष्ण मुरारी कछवाहा	77–02	77–02	,,
112.	मिथलेश कुमारी सक्सैना	205–67	205–67	,,
113.	अब्दुल रजाक	60–93	60–93	,,
114.	अब्दुल मजीद	111–19	111–19	,,
115.	मदन मोहन शर्मा	12–65	12–65	,,
116.	बाबूराम राजोरा	131–84	131–84	,,
117.	रामप्रसाद विजय	6–10	6–10	,,
118.	मांगीलाल पांचाल	20–30	20–30	,,
119.	बालस्वरूप शर्मा	269–02	269–02	,,
120.	रामकिशन मंगरोला	36–37	36–37	,,
121.	प्रभुलाल शर्मा	75–03	75–03	,,
122.	चन्द्रभान यादव	192–63	192–63	,,

1	2	3	4	5
123.	कृष्णामाया	32-52	32-52	पं. स. लाडपुरा की निजी आय घाटे में होने के कारण वर्ष 68-69 से लेकर अब तक इन अध्यापकों को यह चिकित्सा राशि भुगतान नहीं की जा रही है।
124.	जयकृष्ण द्विवेदी	174-44	174-44	
125.	जगन्नाथ शर्मा	16-63	16-63	
126.	चिरौंजी लाल	10-28	10-28	
127.	रूपचन्द्र खण्डेलवाल	92-86	92-86	
128.	भवानी शंकर	33-38	33-38	
129.	दुर्गा शंकर	15-39	15-39	
130.	गुलाब चन्द्र वर्मा	54-84	54-84	”
131.	कन्हैया लाल विजय	150-29	150-29	”
132.	यशपाल सिंह	156-59	156-59	”
133.	रामकल्याण	70-64	70-64	”
134.	सत्यनारायण	4-77	4-77	”
135.	रविप्रकाश गुप्ता	126-34	126-34	”
136.	विरधी लाल वर्मा	134-19	134-19	”
137.	निर्मला शर्मा	6-80	6-80	”
138.	प्रेम कुंवर गुप्ता	71-21	71-21	”
139.	प्रहलाद किशोर	16-40	16-40	”
140.	जगदीश चन्द्र	29-38	29-38	”
141.	लक्ष्मी देवी	291-07	291-07	”
142.	धनवीर कौर	550-28	550-28	”
143.	शफीक अहमद	242-23	242-23	”
144.	रूपसिंह	11-70	11-70	”
145.	बालकिशन शर्मा	240-56	240-56	”
146.	बंशीलाल पारीख	13-35	13-35	”
147.	गिर्राज प्रसाद	245-03	245-03	”
148.	नरोत्तम शर्मा	140-79	140-79	”
149.	गजानन्द शर्मा	252-67	252-67	”
150.	रामदेव वर्मा	218-65	218-65	”
151.	अब्दुल समद	98-26	98-26	”
152.	कमला देवी	36-58	36-58	”
153.	भंवरलाल	147-03	147-03	”
154.	निर्मला कुमारी विजय	137-90	137-90	”
155.	सूरज देवी शर्मा	61-27	61-27	”

Page No 215

(215)

1	2	3	4	5
156.	मोहन लाल	30—39	30—39	पं. स. लाडपुरा की निजी
157.	भगवती देवी	149—57	149—57	आय घाटे में होने के
158.	सूरज कुंवर	41—17	41—17	कारण वर्ष 68-69 से
159.	बालचन्द्र परिहार	92—35	92—35	लेकर अब तक इन
160.	शम्भूदयाल नाराणा	170—87	170—87	अध्यापकों को यह
161.	लक्ष्मी चन्द्र नागर	71—92	71—92	चिकित्सा राशि भुगतान
162.	भंवर लाल वर्मा	108—45	108—45	नहीं की जा रही है।
163.	हरिशंकर बांदरा	147—17	147—17	,,
164.	इस्माइल मोहम्मद	54—04	54—04	,,
165.	चौथमल सोनिया	13—94	13—94	,,
166.	नन्दकिशोर शर्मा	31—89	31—89	,,
167.	शैल सक्सेना	67—29	67—29	,,
168.	घासी खां	79—32	79—32	,,
169.	लक्ष्मीनारायण	27—35	27—35	,,
170.	चन्द्रकला सिंघव	160—70	160—70	,,
171.	नन्द कुमार श्रीवास्तव	56—83	56—83	,,
172.	सुमन सक्सेना	28—40	28—40	,,
	कुल योग :	26,494—75	26,494—75	

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

सूची मय व्यय, रोडसाइड प्लान्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 (वर्ष 1976–77 से माह अगस्त 1978 तक)

वर्ष	मद	रकम	विशेष विवरण
1976–77	313 वन (प्लान) (घ) सामान योजना	1,16,525/–	वर्ष 1976–77 में नए रोडसाइड प्लान्टेशन कार्य पर व्यय।
1977–78	313 वन (प्लान) (च) सी.एल.एफ.	1,47,359/–	वर्ष 1977–78 में नये रोडसाइड प्लान्टेशन कार्य पर व्यय।
1977–78	313 वन (प्लान) (ड) प्लान्टेशन नियम मेन्टीनेन्स आफ वर्ष 76–77	22,500/–	वर्ष 1976–77 में रोडसाईड प्लान्टेशन के संधारण हेतु व्यय।
1978–79	313 वन (प्लान) (घ) डी.एल.एफ.	2,19,559/–	वर्ष 78–79 में नए प्लान्टेशनों पर व्यय (अगस्त 1978 तक)।
,,	313 वन (प्लान) (ङ) प्लान्टेशन मेन्टीनेन्स आफ 76–77	14,318/–	वर्ष 76–77 में रोडसाइड प्लान्टेशन संधारण पर माह अगस्त 78 तक का व्यय।
,,	313 वन (प्लान) (ध) सी.एल.एफ.	55,129/–	वर्ष 1977–78 के रोडसाइड प्लान्टेशन संधारण हेतु माह अगस्त 1978 तक का व्यय।
,,	स्पेशल ट्री फास्टिव (ओन प्लान)	17,000/–	वर्ष 77–78 के प्लान्टेशन में 13,600 मैंट्रल के पौधे वर्ष 78-79 में लगाये गये जिन पर माह अगस्त 1978 तक का व्यय।
	कुल योग	5,92,990/–	

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की सूची)

वन से राजस्व में हस्तान्तरित भूमि की सूची

जिले का नाम	क्षेत्रफल	
अजमेर	13.20 हैक्टर	
उदयपुर	17.00 हैक्टर	
,,	178.62 हैक्टर	
चित्तौड़गढ़	688.7 हैक्टर	
कोटा	--	504 बीघा 14 विस्वा पर राज्यादेश एफ. 7 (103) राजस्व/8/71, दिनांक 22-2-77 के अन्तर्गत नियमन.
बांसवाड़ा	अन उपलब्ध	
योग:-	897.52 हैक्टर	

(213)

वेंगू तहसील में वन विभाग से राजस्व में हस्तान्तरित भूमि की सूची-2

जिला	तहसील	गांव जिसे भूमि दी गई गांव	भूमि जो राजस्व को दी गई बीघा	दिनांक	वि. वि.
चित्तौडगढ	बेंगू	साकडकी झोंपडिया	15-00	उक्त भूमि दिनांक 14-3-78 एवं 5-5-78 को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई।	
		सामरियाकला	652-16		
		सरलासिया	92-00		
		धर्मदासजीकाखेडा	1000-00		
		धर्मपुराफछारोला	50-00		
		वाधपुरा	204-08		
		गन्देलिया	463-07		
		कनकपुरा	64-16		
		डोराई	65-00		
		योग	2607-07		
		मोहननगर (कवरपुरा)	75	26-4-78 राजस्व	
		टोलोकालुहारिया	224	29-4-78 को चार्ज	
		योगदियोकामाल	300	2-5-78 में दी गई	
		योग ..	599		
		कुल योग ..	3206।)2		

(219)

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

सूची

(ग्राम लेखा)

क्र. सं.	आवंटन की तारीख	नाम पाक शरणार्थी	आवंटित भूमि (बीघायें)
1.	28-7-78	श्री भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत सोडा	50
2.	,,	श्री झावसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपूत	50
3.	,,	श्री लालसिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत	50
4.	,,	श्री गेमसिंह पुत्र भार सिंह राजपूत	50
5.	,,	श्री देवीसिंह पुत्र भारसिंह राजपूत	50
6.	,,	श्री शेरसिंह पुत्र मेहरदान सिंह राजपूत	50
7.	,,	श्री लखसिंह पुत्र मेहरदानसिंह राजपूत	50
8.	,,	श्री मंगलसिंह पुत्र दुर्गदान सिंह राजपूत	50
9.	,,	श्री वनराजसिंह पुत्र मग सिंह राजपूत	50
10.	,,	श्री दीपसिंह पुत्र धनसिंह राजपूत	50
11.	,,	श्रीमती जतन कुंवर पत्नी प्रेमसिंह राजपूत	50
12.	,,	श्री राज सिंह पुत्र स्वरूप सिंह	50
ग्राम धानसा			
13.	,,	श्री पुखराजसिंह पुत्र दुर्गादास सिंह राजपूत.	50
14.	,,	श्री खेत सिंह पुत्र दान सिंह राजपूत	50
15.	,,	श्री सरदार सिंह पुत्र मूल सिंह राजपूत	50
16.	,,	श्री गेमरसिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत	50
17.	,,	श्री पीरदान सिंह पुत्र भीमराज सिंह राजपूत	50
18.	,,	श्री भाखर सिंह पुत्र लादू सिंह राजपूत	50
19.	,,	श्री चैनसिंह पुत्र राजसिंह राजपूत	50
20.	,,	श्री कलसिंह पुत्र धनसिंह राजपूत	50
21.	,,	श्री लालसिंह पुत्र मेहराज सिंह राजपूत	50
22.	,,	श्री प्रभुलाल पुत्र द्वारका दास महेश्वरी	50

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)
राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

क्रमांक प. 6(7) राज/ग्रुप–4/77 जयपुर, दिनांक 7 जुलाई, 1977

प्रेषिती :

समस्त जिलाधीश ।

विषय :–राजकीय कृषि भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के बावत राजकीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी ।

महोदय,

समय समय पर राजकीय कृषि भूमि पर, चाहे यह सिवाय चक हो, वन भूमि हो अथवा चरागाह हो, इस पर हुए अतिक्रमण को राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। ऐसे नियमन की स्वीकृति इस कारण देनी पड़ी कि मानवीय आधार पर यह समझा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कई वर्षों से इस राजकीय भूमि पर काबिज है, बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में दिनांक 1-4-75 तक के अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश जारी किये गये थे। अब राजस्व विभाग द्वारा यह बताते हुए विस्तृत आदेश जारी किये जा रहे हैं कि किस प्रकार के मामलों का नियमन किया जावे। राज्य सरकार का यह विचार है कि केवल उन मामलों में ही नियमन किया जावे जो नियमों के तहत वर्णित अन्य शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ 1-7-75 तक पंजीकृत भी हो चुके हों।

अब तक इस प्रकार के जो अतिक्रमण होते रहे हैं वे मुख्य रूप से उन राज्य कर्मचारियों की लापरवाही या मिलीभगत से हुए हैं जो स्वयं ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिये जिम्मेदार हैं। अतः राज्य सरकार ने तय किया है कि आगे से उन राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जो अतिक्रमणों के मामलों को पकड़ने में असफल रहेंगे और कानून के तहत इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने में असफल रहेंगे। इस मामले में निम्न प्रकार प्रक्रिया काम में ली जावेगी:––

<u>राजकीय कृषि भूमि :</u>

पटवारी यह देखने के लिए जिम्मेवार होगा कि यदि किसी स्थान पर नया अतिक्रमण हो जाये तो उसका इन्द्राज भू-अभिलेख में कर दिया जावे और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को रिपोर्ट कर दी जावे। जब किसी पटवारी का स्थानान्तरण हो जावे तो किसी एक फसल के दौरान हुए उन अतिक्रमणों के मामलों के बावत जिनकी रिपोर्ट हो चुकी है, एक सूची बाकायदा अपने